सपनों को करें साकार
नवप्रवर्तन को प्रेरणा अपार

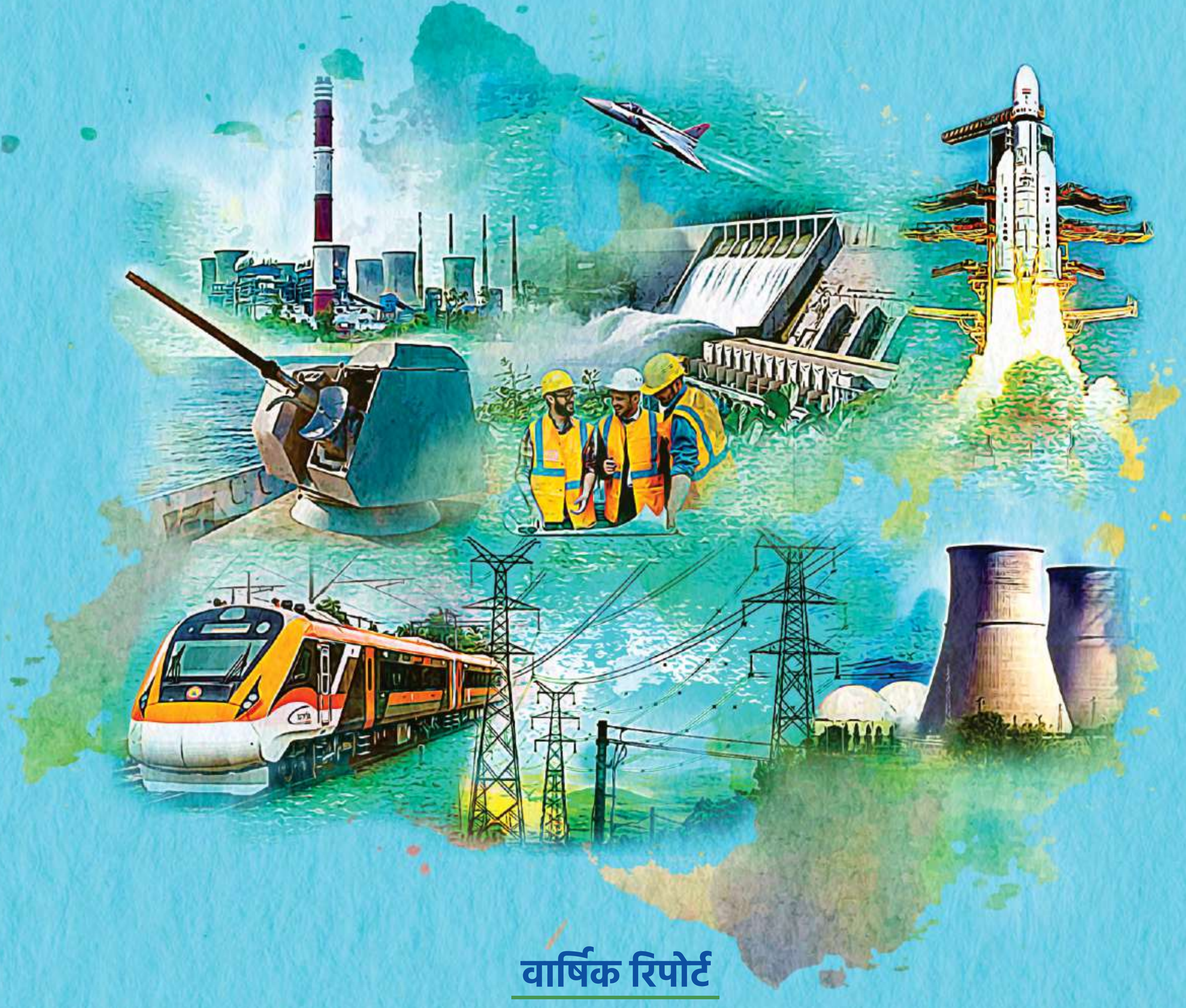

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

सपनों को करें साकार, नवप्रवर्तन को प्रेरणा अपार

बीएचईएल पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न कुल **विद्युत का 50% से अधिक योगदान** देता है।

भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के **तीनों चरणों से जुड़ी एकमात्र कंपनी।**

हाइड्रो पावर प्लांट के लिए **भारत के सबसे ऊंचे फ्रांसिस हेड वाले टर्बाइन** का विनिर्माण और कमीशनिंग

लिफ्ट सिंचाई अनुप्रयोग के लिए भारत के सबसे ज्यादा रेटिंग (145MW) वाले वर्टिकल पंप-मोटर सेट का विनिर्माण और आपूर्ति

आईजीसीएआर और **एनटीपीसी के सहयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों** के लिए उच्च दक्षता वाली प्रौद्योगिकी विकसित की

उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए स्वदेशी रूप से कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी विकसित की तथा कोयले से मेथनॉल बनाने के लिए प्रदर्शन **संयंत्र की स्थापना**

भारत की **प्रथम IGBT आधारित वातानुकूलित EMU ट्रेन बीएचईएल** के इलेक्ट्रिक्स और कंट्रोल से सुसज्जित हैं

डीसी मोटर्स के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली और उन्नत 9000 एचपी लोको के लिए प्रणोदन प्रणाली

लड़ाकू विमानों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स का **एकमात्र स्वदेशी आपूर्तिकर्ता**

भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत, INS विक्रांत के लिए एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS)

चंद्रयान सहित अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित अंतरिक्ष ग्रेड सौर सेल एवं पैनल तथा बैटरियां

तेल और गैस अन्वेषण के लिए **स्वदेशी रूप से विकसित और आपूर्ति** किए गए सकर रॉड पंप

विषय सूची

2 वार्षिक समीक्षा

2 शेयरधारकों को पत्र

4 बीएचईएल का नेतृत्व

10 वर्ष के दौरान बीएचईएल एक नजर में

12 कॉर्पोरेट प्रोफ़ाइल

12 बीएचईएल का परिचय

14 अखिल भारतीय उपस्थिति

16 उत्कृष्टता का सम्मान

27 निदेशक मंडल रिपोर्ट

27 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

62 कॉर्पोरेट अभिशासन

90 संधारणीयता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

97 व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

141 अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

166 वित्तीय विवरण

168 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण

240 समेकित वित्तीय विवरण

315 अतिरिक्त जानकारी

316 वित्तीय निष्पादन रुख

319 उत्पाद सूची

329 शब्दावली

334 सूचना

विशेषताएं

26 संधारणीयता को बढ़ावा: बीएचईएल के प्रारंभिक सबस्टेशन की शुरुआत से नीमच आरईज़ेड को बढ़ावा मिला

32 बीएचईएल को देश की सबसे बड़ी हाइड्रो परियोजना - दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर मिला

41 76/62 मिमी अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट – एसआरजीएम (यू)

48 मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना - एक इंजीनियरिंग चमत्कार

88 बीएचईएल-सीआईएल संयुक्त उद्यम – कोल टू केमिकल व्यवसाय में प्रवेश

353 ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन) में निवेश

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारक,

वर्ष 2023 -24 के लिए आपकी कंपनी की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कम्पनी ने परियोजना निष्पादन और नवाचार पर बल देते हुए बाजार में अपना नेतृत्व बनाए रखा है।

स्वदेशी मांग, सुसंगत नीतिगत उपायों और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यापार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आपकी कंपनी ने इन अवसरों का लाभ उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में पावर और उद्योग दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है और अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर बुक किए हैं। हमारे थर्मल पावर व्यवसाय में हमें 9.6 GW के ऑर्डर मिले और हमने 100% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। इसके अतिरिक्त, हमें गैर-जीवाश्म क्षेत्र से रिकॉर्ड ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिनमें रक्षा, परिवहन और ट्रांसमिशन से बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। हमारे बिक्री-पश्चात सेवा व्यवसाय में विभिन्न ग्राहकों और क्षेत्रों से लगातार ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं।

निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निष्पादन संबंधी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- पावर क्षेत्र में ₹ 55,642 करोड़ के ऑर्डर, जिनमें NLCIL तालाबीरा का सबसे बड़ा ऑर्डर और भारत के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र, दिबांग के लिए E&M पैकेज भी शामिल हैं।
- उद्योग क्षेत्र में अब तक के सबसे अधिक ₹ 21,951 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए, जिनमें 80 वंदे भारत ट्रेनों की आपूर्ति का सबसे बड़ा ऑर्डर भी शामिल है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 20 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट्स (SRGM) के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर भी हासिल किए।
- परियोजना निष्पादन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करके कंपनी ने 2023-24 के लिए ₹ 22,921 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। ₹260 करोड़ कर पश्चात लाभ और ₹1,201 करोड़ EBITDA दर्ज किया गया। हमें उम्मीद है कि आगामी वर्षों में राजस्व बढ़ेगा।
- बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया था, को कमीशन करके विदेशी परियोजना निष्पादन में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया।
- गुजरात में 100 मेगावाट राघनेस्डा फेस-2 सौर परियोजना और मॉरीशस में 8 मेगावाट इमली फॉल्स सौर परियोजना को कमीशन करके अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपना विस्तार किया।
- उत्तरी करनपुरा और तेलंगाना थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया तथा काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 3 के लिए क्षमता वृद्धि करके महत्वपूर्ण चरणों को पार किया।
- अदानी के रायगढ़, पश्चिम बंगाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सागरदिघी और टाटा के ट्रॉम्बे संयंत्रों में लचीली परिचालन क्षमताओं को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया।
- पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े सभी तीन सबस्टेशनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रचालित किया गया।
- तेलंगाना में 5x800 मेगावाट यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के लिए NOx उत्सर्जन को कम करने के लिए Selective Catalytic Reduction हेतु भारत में catalysts का पहला सेट निर्मित किया गया।
- यूटिलिटी, औद्योगिक और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 6 गीगावॉट की वृद्धि हासिल की गई।

रणनीतिक पहल और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

हम अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रमुख रणनीतिक पहलों में शामिल हैं:

- परियोजनाओं के लिए पैकेजों की समय पर और किफ़ायती खरीद के लिए केंद्रीय क्रय प्रकोष्ठ (सीपीसी) की स्थापना, और कच्चे माल/ वस्तुओं की खरीद को समेकित करने और लागत को कम करने की दृष्टि से एकीकृत क्रय प्रकोष्ठ (यूपीसी) की स्थापना।

- बीएचईएल की इन-हाउस विकसित पीएफबीजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 2,000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कोयला गैसीकरण क्षेत्र में प्रवेश किया।
- गैस टर्बाइन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजी GmbH स्विट्ज़रलैंड के साथ तकनीकी सहायता एवं लाइसेंस करार (TALA) पर हस्ताक्षर किए।
- आयात निर्भरता को कम करने के लिए, भारतीय कोयले का उपयोग करके कोयले से मेथनॉल और मेथनॉल से डाइमेथिल ईथर (DME) के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की।
- रक्षा क्षेत्र में विशेष रुप से वायु रक्षा तोपों और समुद्री गैस टर्बाइनों के लिए अवसरों का पता लगाने हेतु वैश्विक OEMs के साथ साझेदारी समझौते किए।
- ट्रांसमिशन क्षेत्र में हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) व्यवसाय हासिल करने के लिए बोलियों में सक्रिय रुप से भाग ले रहे हैं।
- रेलवे सिग्नलिंग और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण जैसे नए क्षेत्रों के लिए रणनीतिक साझेदारी समझौते किए ।

हम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं, जिनमें एडवांस्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (AUSC) प्रौद्योगिकी, हाई और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए प्रणोदन प्रणाली (propulsion systems), हाई-पावर लोकोमोटिव, रणनीतिक रक्षा इक्विपमेंट और अंतरिक्ष एप्लीकेशन बैटरी शामिल हैं। अपने भागीदारों की क्षमताओं के साथ अपनी क्षमताओं को मिलाकर, हम अभिनव समाधान उपलब्ध कराने और सतत विकास हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

गुणवत्ता और संधारणीयता

हम मजबूत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों पर जोर देते हैं और उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए लगातार पहल करते रहते हैं। हमारी व्यावसायिक उत्कृष्टता यात्रा में, रिकॉर्ड दस इकाइयों ने प्रतिष्ठित CII EXIM बैंक अवार्ड 2023 में भाग लिया, जिसमें त्रिची इकाई ने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। सात इकाइयों को "प्लेटिनम" सम्मान मिला और दो इकाइयों ने "गोल्ड प्लस" मिला।

जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रुप में, हम सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों की खपत को इष्टतम (optimize) रखते हैं, कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और रीसाइक्लिंग पद्धतियाँ अपनाते हैं। हमारे परिसर में प्रचुर मात्रा में हरियाली है और कुल भूमि क्षेत्र का 40% हरियाली और जल निकायों से युक्त है। हमने पिछले पाँच वर्षों में 3.1 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2023-24 में लगाए गए 81,608 पौधे भी शामिल हैं। हमारी "हरित बीएचईएल" पहल का उद्देश्य 2047 तक net-zero उत्सर्जन करना है, ताकि बीएचईएल को मॉडल "ग्रीन पीएसयू" बनाया जा सके।

आभार

मैं, अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, व्यावसायिक भागीदारों, कर्मचारियों, निदेशक मण्डल के सदस्यों और शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं; और भारी उद्योग मंत्रालय को मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम अपनी मजबूत नींव, समर्पित जनशक्ति और रणनीतिक सूझबूझ के बल पर अपनी कंपनी के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे। आज हम अपने सपनों को साकार करने तथा अभिनव प्रयासों को प्रेरित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी इस यात्रा में आपका निरंतर सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शुभकामनाओं सहित,

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

नई दिल्ली
27 जुलाई, 2024

बीएचईएल का नेतृत्व

निदेशक मंडल की स्थिति 25 जुलाई, 2024 को

कार्यकारी निदेशक

श्री के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव
निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री तजिन्दर गुप्ता
निदेशक (पावर)

श्रीमती बानी वर्मा
निदेशक (इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स)

श्री राजेश कुमार द्विवेदी
निदेशक (वित्त)

सरकारी निदेशक/अंशकालिक सरकारी निदेशक

सुश्री आरती भटनागर

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री विजय मित्तल

संयुक्त सचिव भारी उद्योग मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. के शिव प्रसाद

स्वतंत्र निदेशक

श्री रमेश पाटल्या मावस्कर

स्वतंत्र निदेशक

बीएचईएल का नेतृत्व

प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति की स्थिति 25 जुलाई, 2024 को

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं
प्रबंधक निदेशक

जय प्रकाश श्रीवास्तव
निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)

कृष्ण कुमार ठाकुर
निदेशक (मानव संसाधन)

तजिन्दर गुप्ता
निदेशक (पावर)

बानी वर्मा
निदेशक
(इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स)

राजेश कुमार द्विवेदी
निदेशक (वित्त)

टी एस मुरली
कार्यपालक निदेशक
(हीप और सीएफ़एफ़पी), हरिद्वार

राजीव सिंह
कार्यपालक निदेशक
(सीक्यू&बीई), नई दिल्ली

प्रवीण किशोर
कार्यपालक निदेशक (सीपीसी, अतिरिक्त प्रभार -पीईएम), नोएडा

विनय निगम
कार्यपालक निदेशक
(टीपी), झांसी

के रविशंकर
कार्यपालक निदेशक (कॉर्पोरेट आरएंडडी हैदराबाद, अतिरिक्त प्रभार- सीटीएम), नई दिल्ली

एस जितेंद्र रेड्डी
कार्यपालक निदेशक
(एचपीवीपी), वाइज़ैग

के. बी. राजा
कार्यपालक निदेशक (एचईपी),
हैदराबाद

एस एम रामानाथन
कार्यपालक निदेशक
(एचईपी), भोपाल

जितेंद्र दास
कार्यपालक निदेशक (उद्योग क्षेत्र तथा अंतरराष्ट्रीय परिचालन), नई दिल्ली

आलोक कुमार सिंघल
कार्यपालक निदेशक (कॉर्पोरेट लॉ),

नवीन सक्सेना
कार्यपालक निदेशक
(पीएसएनआर), नोएडा

एम. अरुणमोझी देवन
कार्यपालक निदेशक (बीएपी),
रानीपेट

विनय कुमार बस्सी
कार्यपालक निदेशक
(क्षे. परि. प्र. &एनआरईबी),
नई दिल्ली

पंकज रस्तोगी
कार्यपालक निदेशक
(हाइड्रो बिजनेस ग्रुप),
नोएडा

राजीव कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
(सीएसएम & सीसी), सचिव प्रबंधन समिति, नई दिल्ली

के. अशोक
कार्यपालक निदेशक
(आईएसजी), बेंगलुरु

राहुल बंसल
कार्यपालक निदेशक (पावर सेक्टर -मुख्यालय, नई दिल्ली, सीएफपी रुद्रपुर & एफएस इपी जगदीशपुर

एस. प्रभाकर
कार्यपालक निदेशक
(एचपीबीपी), त्रिची

प्रबंधन समिति

संजय गोयल
कार्यपालक निदेशक
(टीबीएसजी), नई दिल्ली

संजीव कुमार रॉय
कार्यपालक निदेशक
(पा.से .-प. क्षे.), नागपुर

एस. डी. गोस्वामी
कार्यपालक निदेशक
(एचएससी), नोएडा

वाई श्रीनिवास राव
कार्यपालक निदेशक
(सीपीपीपी & पीएमजी, नई दिल्ली; पीई&एसडी, हैदराबाद)

बी श्याम बाबू
कार्यपालकनिदेशक
(ईडीएन), बेंगलुरु

सी वेंकट राव
कार्यपालक निदेशक
(कैपेक्स, एसएस& पी तथा सीडीटी), नई दिल्ली

आर पी एस सिसोदिया
कार्यपालक निदेशक
(पीएसबीजी-I, अति. प्रभार कोल टू केमिकल), नई दिल्ली

अरुमोय मुखर्जी
महाप्रबंधक प्रभारी
(पीएस-ईआर), कोलकाता

राकेश सिंह
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(टीबीजी), नोएडा

ए के वर्मा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(सी.ओ.एम.), नई दिल्ली

एमश्रीधर
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(मानव संसाधन), नई दिल्ली

जगत सिंह
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(पीएस-टीएस), नोएडा

एन रमेश कुमार
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(एसबीडी), बेंगलुरु

विनोद जैकब सैम
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(पीएस-एसआर), चेन्नै

सुमीत सल्होत्रा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख
(कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन सेल), नोएडा

यतीन्द्र मोहन
महाप्रबंधक
(न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप), नोएडा

आर वीरबाहु
महाप्रबंधक
(कॉर्पोरेट इंटरनल ऑडिट), नई दिल्ली

अभिषेक श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(एचईआरपी), वाराणसी

रविन्द्र एच टेकचंदानी
महाप्रबंधक (एसएसबीजी), नोएडा

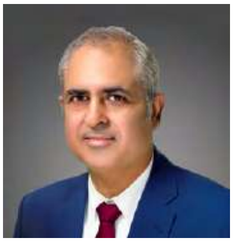

डॉ. योगेश आर छाबड़ा
कंपनी सचिव

बीएचईएल का नेतृत्व

कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना (25 जुलाई 2024 को)

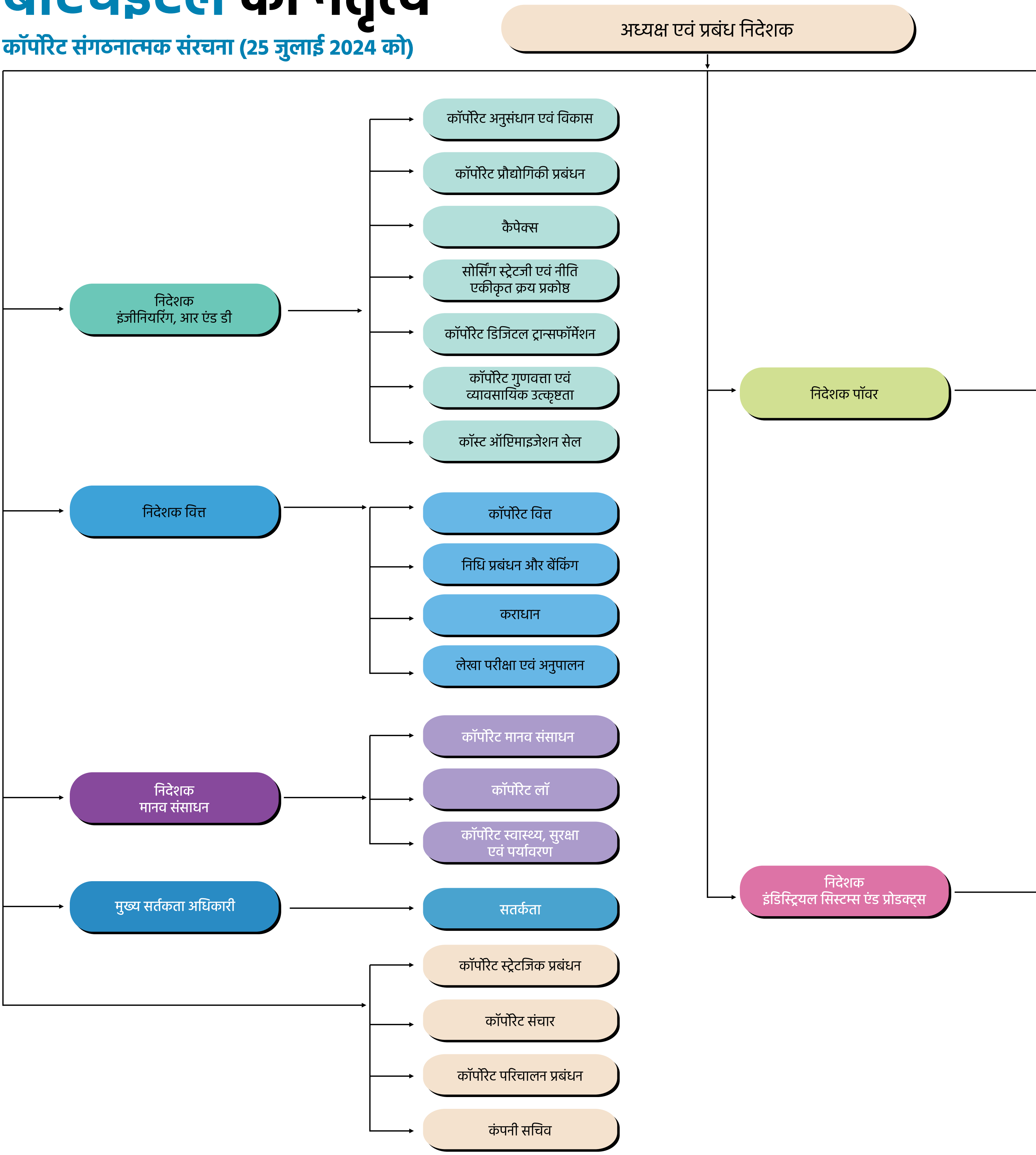

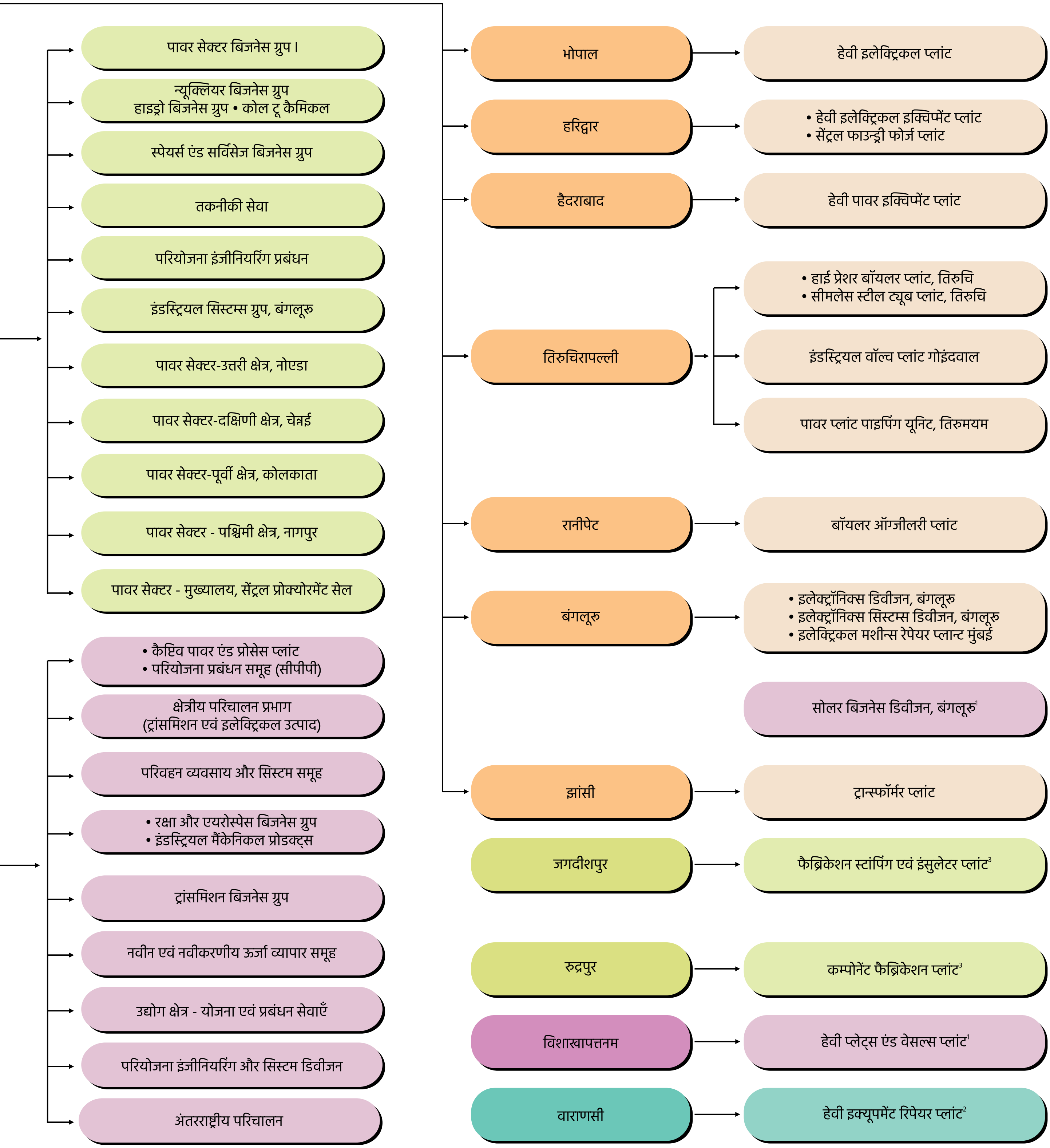

1. निदेशक (इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स) को रिपोर्टिंग
2. निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) को रिपोर्टिंग 3. निदेशक (पॉवर) को रिपोर्टिंग

वर्ष 2023-24 की एक झलक

(आंकड़े करोड़ में जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

प्राप्त ऑर्डर

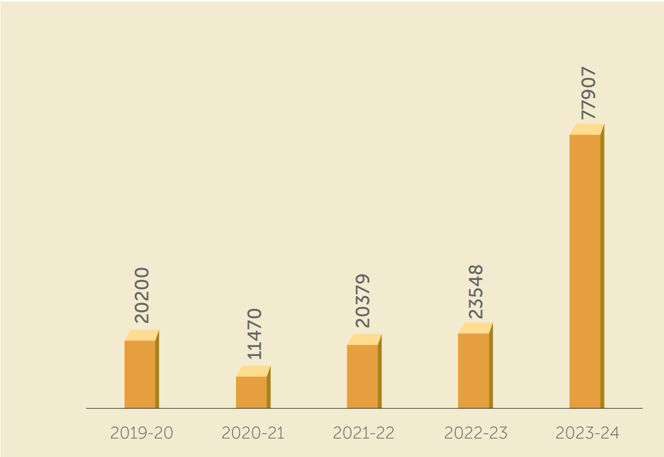

निवल मूल्य पर बाजार पूंजीकरण

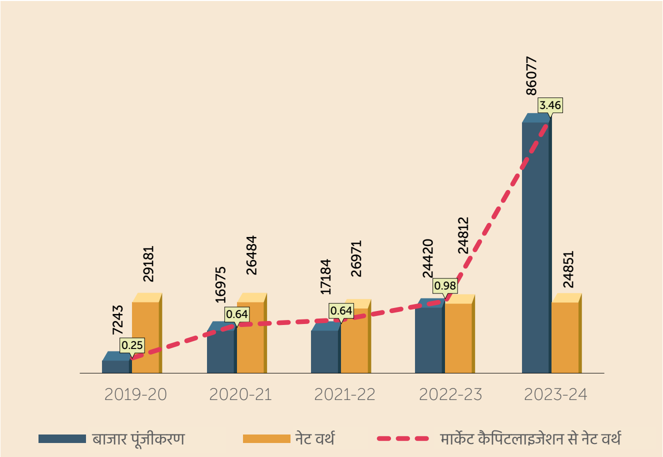

राजस्व

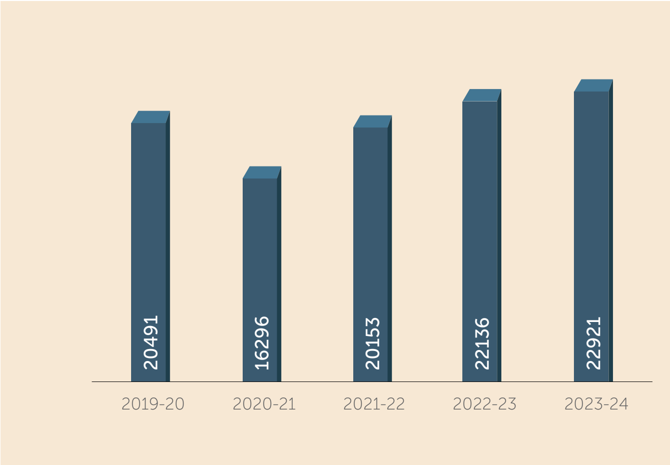

कर पश्चात लाभ

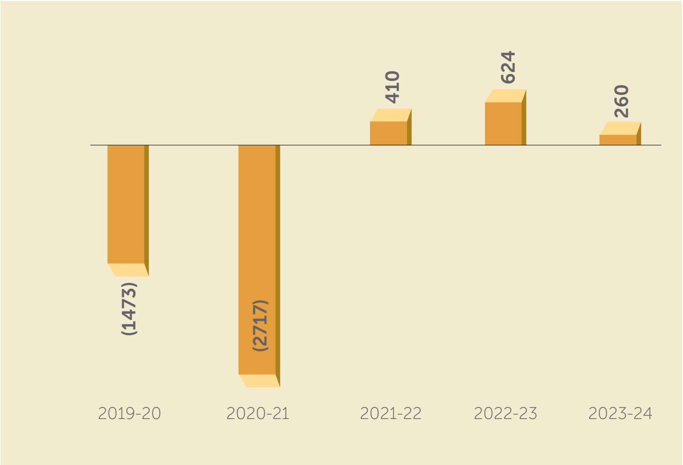

ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय

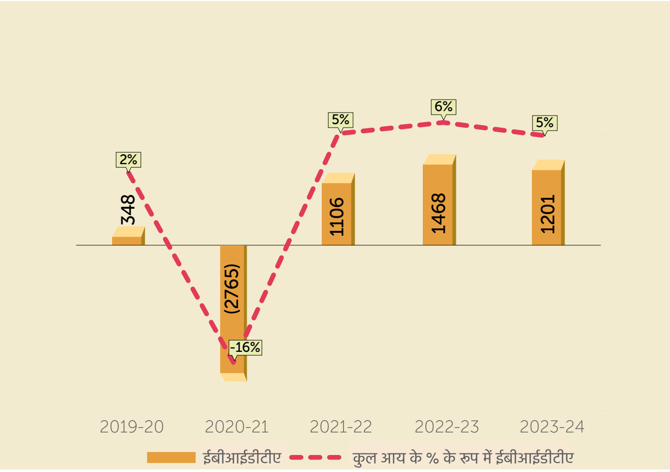

राजस्व% के रूप में अन्य व्यय

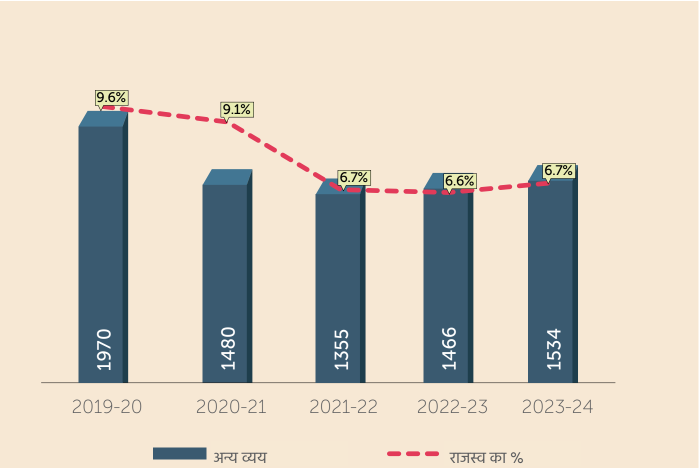

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

अपार क्षमताएं

ऑर्डर बुकिंग

- अब तक की सबसे अधिक वार्षिक ऑर्डर बुकिंग
- एक दशक में उच्चतम बकाया ऑर्डर बुक

विविधीकरण

- उद्योग क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक वार्षिक ऑर्डर बुकिंग
- वंदेभारत ट्रेन, सुपररैपिड गन माउंट आदि के लिए ऑर्डर बुक किए गए।

परियोजना निष्पादन

यूटिलिटी, औद्योगिक और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में बिजली उत्पादन क्षमता में 6 गीगावाट की वृद्धि हासिल की

गोइंग ग्रीन

- 'हरित बीएचईएल' का शुभारंभ - वर्ष 2047 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य
- 5 इकाइयों को ग्रीनकोरेटिंग मिली › 3 रजत › 2 कांस्य

गठबंधन और साझेदारियां

कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र के लिए सीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी "भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड" का गठन किया गया

नवाचार

- 543 पेटेंट और कॉपीराइट फ़ाइल किए गए
- राजस्व का ~2.5% लगातार अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किया गया

कंपनी के बारे में

– बीएचईएल का परिचय और कार्यक्षेत्र

बीएचईएल वर्ष 1964 से, अग्रणी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की कंपनी के रूप में 'भारत में निर्माण' कर रही है। आज, कंपनी का व्यवसाय विद्युत और उद्योग क्षेत्र में है, जो विद्युत उत्पादन (थर्मल, हाइड्रो, गैस, परमाणु और सौर पीवी), पारेषण, परिवहन, रक्षा, एयरोस्पेस, तेल एवं गैस तथा देश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों और विदेशों में भी उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं सहित व्यापक समाधान प्रदान करती है।

बीएचईएल भारत सरकार की 63.17% हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में स्थापित कंपनी है। पूरे भारत में बीएचईएल के 16 विनिर्माण संयंत्र स्थापित हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्राहकों के लिए पूंजीगत सामान का उत्पादन करते हैं।

कंपनी ने वैश्विक OEM के साथ साझेदारी के साथ-साथ इन-हाउस उत्पाद विकास के माध्यम से अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का निरंतर विस्तार किया है। इन-हाउस उत्पाद विकास को अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर राजस्व के 2.5% से अधिक के निरंतर निवेश द्वारा बल दिया गया है।

बीएचईएल में, हम दृढ़ता से मानते हैं कि हमारे ग्राहकों को सेवा देना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज निर्माण में योगदान देना ये सभी आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे कॉर्पोरेट लोकाचार का आधार हैं।

कंपनी कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सोसायटी को सहायता प्रदान कर रही है; स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा को बढ़ावा दे रही है; तथा पर्यावरण संरक्षण और सुधार पर कई कार्यक्रम चला रही है।

विज़न

बेहतर कल के लिए समाधान प्रदान करने वाला वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम

मिशन

ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

व्यावसायिक विश्वसनीयता

जीवन में स्फूर्ति

- भारत और विदेश में 200+ गीगावाट विद्युत उत्पादन उपकरण स्थापित किए गए
- ~20 गीगावाट कैप्टिव पावर प्लांटों की कमिशनिंग की गई
- 1.2+ गीगावाट सौर पोर्टफोलियो
- स्थापना के बाद से भारत में 465 कोयला आधारित यूटिलिटीसेट, 424 हाइड्रोयूटिलिटीसेट, 103 गैस आधारित यूटिलिटीसेट और 14 परमाणु आधारित यूटिलिटी सेट की आपूर्ति की गई

प्रमुख क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान

- 7,70,000+ एमवीए ट्रांसमिशन उपकरण की आपूर्ति की गई
- 34,500+ एसी मशीनों की आपूर्ति गई
- भारतीय रेलवे और उद्योग को 830+ लोको की आपूर्ति की गई
- 425+ कंप्रेसर की आपूर्ति की गई और 90 ऑयल ड्रिलिंगरिग की आपूर्ति की गई
- 14,800+ वेलहेड और क्रिसमसट्री वाल्व की आपूर्ति की गई
- भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए 44+ सुपररैपिड गन माउंट की आपूर्ति की गई

वैश्विक पदचिह्न

- 89 देशों में उपस्थिति
- भारत के बाहर 13 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता निर्मित; 4 गीगावाट से अधिक पर कार्य जारी है
- वर्ष 2023-24 में, बांग्लादेश में 2×660MW मैत्री थर्मल पावर परियोजना का निष्पादन किया जाएगा

जनशक्ति का सम्मान

- वचनबद्ध कार्यबल, 28,000+ से अधिक कर्मचारी
- ~1600 महिला कर्मचारी
- 9200+ इंजीनियर
- वर्ष 1973 से सहभागी प्रबंधन संस्कृति

समाज के साथ विकास

- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अखंडता समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वन ट्रिलियनट्रीज़ पहल का हिस्सा, जिसमें '1t.org' पर ली गई प्रतिज्ञा शामिल है
- हरित आवरण बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बीएचईएल में 81,608 पौधे लगाए जाएंगे

नवाचार

- कुल राजस्व का 2.5% से अधिक निरंतर अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, 5600+ आईपीआर कैपिटल
- अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास
- 5 अनुसंधान संस्थान; 15 उत्कृष्टता केंद्र
- 12 विनिर्माण इकाइयों और प्रभागों के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को डीएसआईआर द्वारा मान्यता दी गई

अखिल भारतीय उपस्थिति

विनिर्माण संयंत्रों / इकाइयों की अवस्थिति

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां	बेंगलुरु	1.	इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन (ईडी एन)
		2.	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिविजन (ईएसडी)
		3.	सोलर बिजनेस डिविजन (एसबीडी)
	भोपाल	4.	हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
	गोइंदवाल	5.	इंडस्ट्रियल वॉल्व प्लांट (आईवीपी)
	हरिद्वार	6.	हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट (एचईईपी)
		7.	सेंट्रल फ़ाउन्ड्री फ़ोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
	हैदराबाद	8.	हेवी पावर ईक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
	जगदीशपुर	9.	फेब्रिकेशन स्टेम्पिंग एंड इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
	झांसी	10.	ट्रांसफॉर्मर प्लांट (टीपी)
	रुद्रपुर	11.	कम्पोनेंट फेब्रिकेशन प्लांट (सीएफपी)
	रानीपेट	12.	बॉयलर ऑक्जिलरी प्लांट (बीएपी)
	तिरुचिरापल्ली	13.	हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी)
		14.	सीमलैस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
	थिरुमयम	15.	पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
	विशाखापट्टनम	16.	हेवी प्लेट एंड वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल की मरम्मत इकाइयां	मुंबई	1.	इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
	वाराणसी	2.	हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)

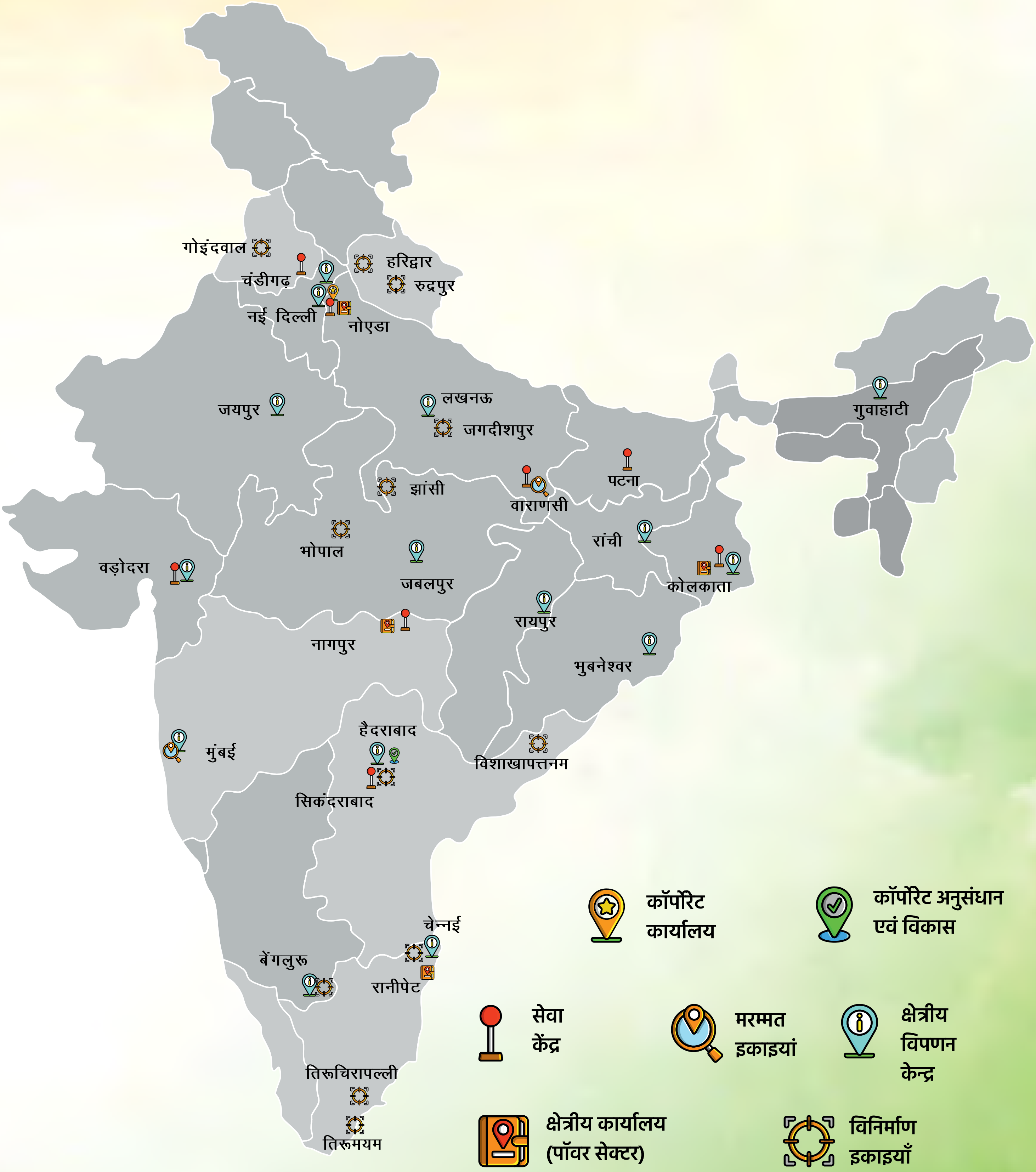

*भारत का मानचित्र सांकेतिक है, तथा हो सकता है कि यह पैमाने के अनुरुप न हो

उत्कृष्टता का सम्मान

1. बीएचईएल ने तीन प्रतिष्ठित स्कोप पुरस्कार जीते हैं। **'स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2019-20', आरएंडडी, प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार में 'स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2016-17' तथा डिजिटलाइजेशन में 'स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2016-17 जीता है।** ये सभी पुरस्कार भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने बीएचईएल के सीएमडी को प्रदान किए।

2. बीएचईएल ने प्रतिष्ठित **'सीआईआई-एक्सिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस - 2023** जीता है। बीएचईएल की त्रिची इकाई ने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया है; हरिद्वार, भोपाल, हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बेंगलुरु, झांसी, रानीपेट और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इकाइयों/डिवीजनों ने प्लेटिनम श्रेणी में मान्यता प्राप्त की है। इसके अलावा, कंपनी के उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र को गोल्ड प्लस मान्यता प्राप्त हुई है।

3. बीएचईएल को वर्ष 2022-23 के लिए **इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)** से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में **महिलाओं और दिव्यांगों के योगदान, परिचालन निष्पादन उत्कृष्टता, सीएसआर और संधारणीयता श्रेणियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के तीन उत्कृष्टता पुरस्कार** प्राप्त हुए।

4. बीएचईएल को भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास सोसायटी(आईएसटीडी) से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अभिनव प्रशिक्षण अभ्यासों के लिए **32वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में विशेष प्रशंसा पुरस्कार** मिला।

5. बीएचईएल को **सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए मानव संसाधन** के क्षेत्र में **'एपेक्स इंडिया एचआर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023'** के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड फॉर एच आर तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 'एपेक्स इंडिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड 2023' के अंतर्गत गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ।

6. बीएचईएल ने **'Increase in Geo-Strategic Reach'** और **'कर्मचारियों के रिस्किलिंग (प्रशिक्षण और विकास)'** में सर्वश्रेष्ठ पीएसयू के लिए **गवर्नेंस नाउ पीएसयू पुरस्कार 2023-24** जीता।

7. बीएचईएल ने **52वें और 53वें ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कारों में बड़े उद्यम समूह में 2019-20 और 2020-21** के लिए **इंजीनियरिंग सेवाओं, बड़े उद्यमों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए विशेष ट्रॉफी जीती।**

8. बीएचईएल ने डब्ल्यूएजी-7 इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए **'अभिनव प्रौद्योगिकी अपनाने'** की श्रेणी में **ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023** जीता तथा पर्यावरण संरक्षण में असाधारण प्रतिबद्धता एवं सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए **'पर्यावरण उत्कृष्टता'** पुरस्कार जीता।

9. बीएचईएल को **'नवाचार' श्रेणी** में **'परमाणु विद्युत संयंत्रों के रेडिएशन जोन पीसीपी मोटर्स के लिए बीएचईएल क्लास एफवीपीआई इंसुलेशनसिस्टम की पर्यावरणीय योग्यता'** परियोजना के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ।

10. बीएचईएल ने वर्ष 2023 के लिए **'साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण', 'आईटी नवाचार'** तथा **'सॉफ्टवेयर विकास में उत्कृष्टता'** श्रेणियों के अंतर्गत **तीन गवर्नेंस नाउ पीएसयू आईटी पुरस्कार जीते।**

11. बीएचईएल को **'भारी और मध्यम इंजीनियरिंग - इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी (सीपीएसयू)'** श्रेणी में **'डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू पुरस्कार 2023'** से सम्मानित किया गया।

12. **बीएचईएल को 'क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023' के दौरान GeM द्वारा 'वित्त वर्ष 2022-23 में ऑर्डर/वॉल्यूम के संबंध में शीर्ष सीपीएसई' श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया।**

13. बीएचईएल को **'मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज - लार्ज' श्रेणी में सीएफबीपी जमनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार, निष्पक्ष आचरण 2023-24 के लिए** 'Certificate of Merit' प्राप्त हुआ।

14. बीएचईएल को **तीसरे शहरी इंफ्रा बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2023** में कॉर्पोरेट लीडरशिप श्रेणी में **'रोलिंग स्टॉक ट्रैक्शन सॉल्यूशंस में उत्कृष्टता'** पुरस्कार मिला।

15. बीएचईएल को **रेल विश्लेषण नवाचार और उत्कृष्टता के 5वें शिखर सम्मेलन 2024** में **'भारत में रेल घटकों के स्वदेशीकरण में उत्कृष्टता'** के लिए सम्मानित किया गया।

16. बीएचईएल को **इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के 51वें ईईपीसी इंडिया रीजनल अवार्ड्स में 'वर्ष 2018-19 के लिए शीर्ष निर्यातक' गोल्ड ट्रॉफी** से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार माननीय राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया।

17. **श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव** (निदेशक -इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) को **दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे)** द्वारा वर्ष 2023 के लिए **'भारत कैपिटल गुड्स (मिडकैप श्रेणी) के सर्वश्रेष्ठ सीएफओ'** के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

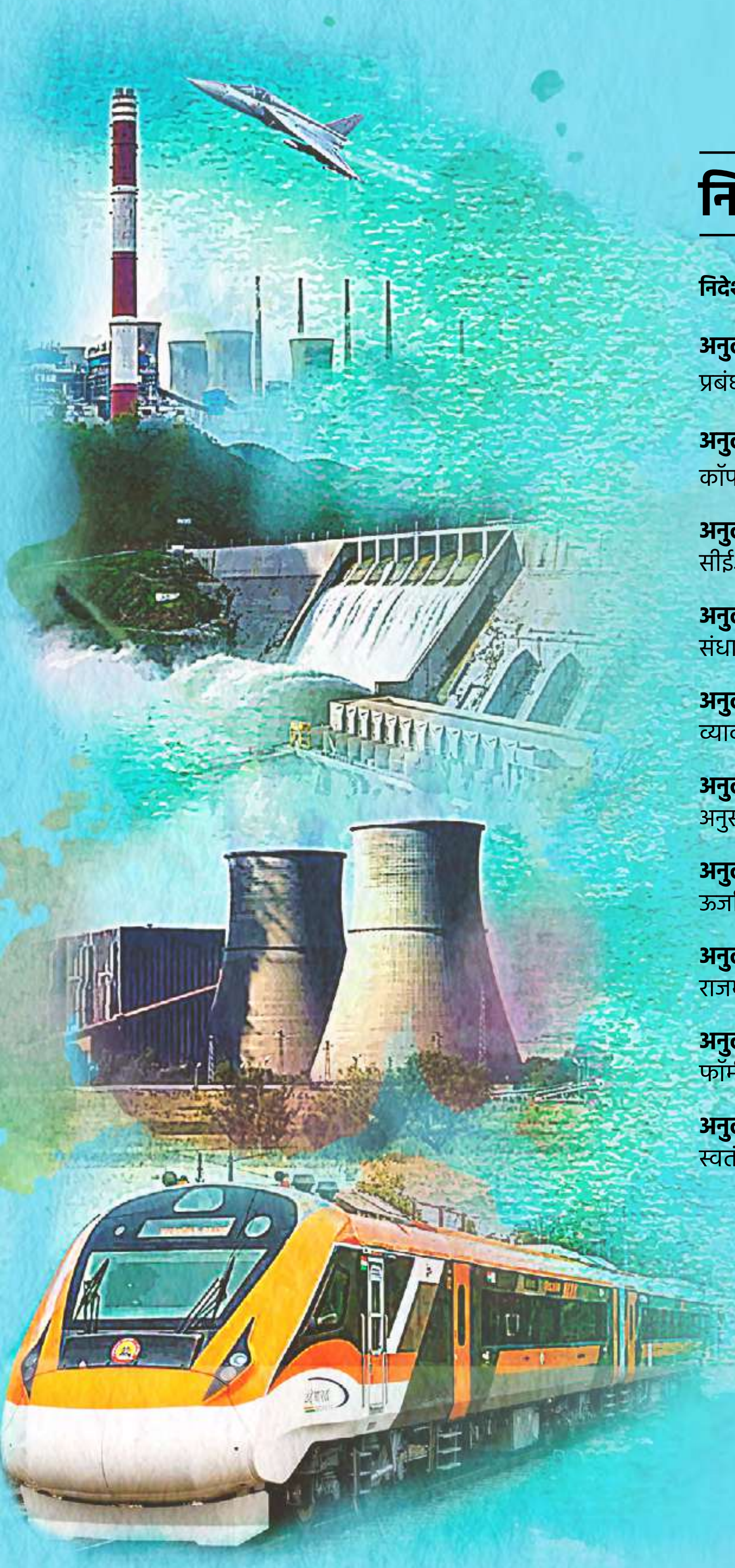

निदेशक मंडल रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

अनुलग्नक-I
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

अनुलग्नक-II
कॉर्पोरेट अभिशासन

अनुलग्नक-III
सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र

अनुलग्नक-IV
संधारणीयता एवं सीएसआर

अनुलग्नक-V
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

अनुलग्नक-VI
अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ

अनुलग्नक-VII
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन

अनुलग्नक-VIII
राजभाषा एवं सतर्कता तंत्र

अनुलग्नक-IX
फॉर्म AOC-I और AOC-2

अनुलग्नक-X
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सीएजी टिप्पणी

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालन की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्य-निष्पादन के मुख्य बिन्दु

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	
	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
प्राप्त ऑर्डर	**77,907**	23,548
कुल बकाया ऑर्डर	**1,31,598**	91,336
राजस्व	**22,921**	22,136
EBITDA	**1,201**	1,468*

*लेखा नीति में बदलाव के कारण पुन: प्रस्तुत

कंपनी की स्थिति

वर्ष 2023-24 ऑर्डर प्राप्ति के मामले में महत्वपूर्ण रहा और इसमें 77,907 करोड़ रु. के ऑर्डर प्राप्त हुए, जो अब तक के सर्वाधिक हैं। कंपनी को न केवल अपने मुख्य थर्मल पावर व्यवसाय में बल्कि परिवहन, रक्षा आदि विविध क्षेत्रों में भी कई प्रतिष्ठित ऑर्डर मिले। कंपनी ने देश में थर्मल मुख्य पावर प्लांट व्यवसाय में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। उद्योग क्षेत्र में भी 21,951 करोड़ रु. के अब तक के सर्वाधिक ऑर्डर प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सहयोगी के साथ अग्रणी पार्टनर के रूप में जुड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में 80 वंदे भारत ट्रेनों की आपूर्ति के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया। 31 मार्च, 2024 तक कुल बकाया ऑर्डर बुक 1,31,598 करोड़ रु. (कर को घटाकर) है, जिसमें निष्पादन योग्य ऑर्डर बुक 1,23,916 करोड़ रु. है।

प्राप्त ऑर्डर
₹ करोड़ में

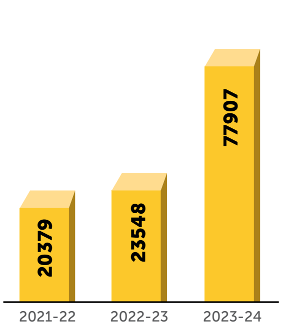

कुल बकाया ऑर्डर बुक
₹ करोड़ में

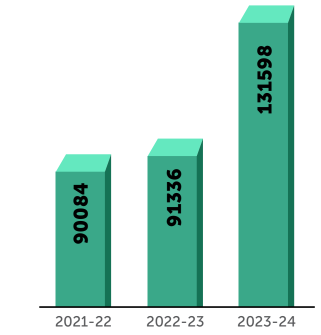

प्राप्त हुए ऑर्डर- पावर सेक्टर
(कर शामिल नहीं)
₹ करोड़ में

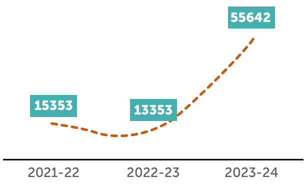

प्राप्त हुए ऑर्डर- पावर सेक्टर
(कर शामिल नहीं)
₹ करोड़ में

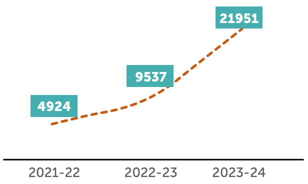

कोयला गैसीकरण क्षेत्र में बढ़त बनाते हुए, कंपनी ने बीएचईएल की स्वदेशी रुप से विकसित पीएफबीजी (प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन) तकनीक का उपयोग करके 2,000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र की स्थापना के लिए फरवरी 2024 में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया - जो आत्मनिर्भर भारत की ओर बीएचईएल का एक और महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त उद्यम कंपनी "भारत कोल गैसीफिकेशन एवं केमिकल्स लिमिटेड" को मई 2024 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, कंपनी ने 22,921 करोड़ रु. का राजस्व और 260 करोड़ रु. के कर पश्चात लाभ के साथ 1,201 करोड़ रु. का EBITDA हासिल किया है। परियोजना निष्पादन और महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्ति पर फिर से ध्यान केंद्रित करके आगामी वर्षों में और अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना है।

कंपनी ने धातु की कीमतों में मामूली सुधार और वैश्विक खरीद पर , खासकर भूमि सीमा साझा करने वाले देशों द्वारा प्रतिबंध के बावजूद पिछले वर्ष के समान स्तर पर सकल मार्जिन बनाए रखा। कंपनी लागत में कमी के लिए बहुआयामी उपाय कर रही है, जिसमें केंद्रीकृत क्रय/उप-अनुबंध के माध्यम से अधिक मात्रा में खरीद के लाभों को लक्षित करना, विक्रेता आधार को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान लाभप्रदता, अनुबंध परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन और संविदागत दायित्व संबंधी प्रावधान के संबंध में अनुमान में परिवर्तन से भी प्रभावित हुई है। कंपनी ने अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना मुद्रा के फैक्टरिंग टाइम वैल्यू को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई से प्राप्त विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुरुप परिवर्तित लेखांकन नीति को अपनाया है।

आपकी कंपनी प्राप्तियों के परिसमापन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वर्ष के दौरान ग्राहकों से नकदी प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में ~3,000 करोड़ रु. (13%) की वृद्धि हुई। हालांकि, परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन को सक्षम बनाने के लिए, मुख्य रुप से सामग्री/उप-संविदा पर महत्वपूर्ण नकदी वसूली के परिणामस्वरुप मार्च 2024 के अंत में शुद्ध ओवरड्राफ्ट हुआ। फिर भी, प्रमुख परियोजनाओं में महत्वपूर्ण कार्य की प्रगतिशील उपलब्धि और बकाया प्राप्तियों के परिसमापन के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में चलनिधि में सुधार होगा।

वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में व्यापार प्राप्तियों का पिछले वर्ष के अंत में 102 दिनों से बढ़कर 122 दिन तक हो जाना (पिछले वर्ष के 6,544 करोड़ रु. की तुलना में 8,010 करोड़ रु.) मुख्य रूप से कुछ बड़े ग्राहकों की अल्पकालिक चलनिधि बाधाओं के कारण है। यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्राप्त परियोजना अनुबंधों में भुगतान शर्तें तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं, जो अंततः चलनिधि पर दबाव को कम करेंगी।

आरक्षित निधि में अंतरण

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आरक्षित निधि में किसी भी राशि का अंतरण नहीं किया है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने 21 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, आपके अनुमोदन के अधीन, वित्त वर्ष 2023-24 के लाभ में से प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक रु. 0.25 प्रति शेयर रु. 2) पर 12.5% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो रु. 87.05 करोड़ है।

कंपनी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर") के विनियम 43ए की अपेक्षाओं के अनुसरण में एक लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.बीएचईएल .com/dividend-distribution-policy-बीएचईएल -0 पर उपलब्ध है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान शेयरधारकों को कुल रिटर्न 253% मिला था।

बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार को 88 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया

जमा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आने वाले लोगों से जमा स्वीकार नहीं किया है।

पूंजी एवं वित्त

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अपने CAPEX और परिचालन निधि आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर आंतरिक स्रोतों से पूरा किया है। तथापि, मुख्य रूप से शीघ्र परियोजना निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री / उप-संविदा पर उच्च नकदी व्यय के कारण, कंपनी मार्च 2024 के अंत में नेट ओवरड्राफ्ट स्थिति में थी। कंपनी ब्याज आय को अधिकतम करने के लिए किसी भी उपलब्ध अधिशेष निधि का निवेश करती है। किसी भी परिचालन निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी द्वारा WCDL, सावधि जमा पर ऋण, वाणिज्यिक पत्र (एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध) आदि सहित अल्पकालिक ऋण विकल्पों का उपयोग किया जाता है।

ऋण एवं निवेश

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत आने वाले ऋण या अग्रिम से संबंधित कोई लेनदेन नहीं है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई निवेश है, तो वह कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे 2023-24 के नोट 5 निवेश के अनुसार है।

साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इस प्रकार है:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग की तिथि	दीर्घावधि रेटिंग	आउटलुक	अल्पावधि रेटिंग
CRISIL	18-10-2023	CRISIL AA-	ऋणात्मक	CRISIL A1+
	25-07-2022	CRISIL AA-	ऋणात्मक	CRISIL A1+
INDIA RATINGS	27-06-2024	Ind AA-	स्थिर	IND A1+
	28-06-2023	Ind AA-	ऋणात्मक	IND A1+
	30-06-2022	Ind AA-	ऋणात्मक	IND A1+
CARE	18-06-2024	CARE AA-	स्थिर	CARE A1+
	19-06-2023	CARE AA-	स्थिर	CARE A1+
	17-06-2022	CARE AA-	स्थिर	CARE A1+

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्त वर्ष 2023-24 के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं। नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हों।

ट्रेडिंग का स्थगन

कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध हैं। कंपनी के शेयरों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ट्रेडिंग से स्थगित नहीं किया गया था।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों (इंड एएस) का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि में कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र

निर्धारित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं;

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आपकी कंपनी ने विकास को पुनः प्राप्त करने, मुख्य व्यवसाय को मजबूत करने, निष्पादन में तेजी लाने और गैर-कोयला क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ाने सहित विविधीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, जो दीर्घकालिक सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-I** को देखें।

कॉर्पोरेट अभिशासन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 के अनुसार, कॉर्पोरेट अभिशासन (निदेशक मंडल और समिति की बैठकों के विवरण सहित) पर रिपोर्ट **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II** में निम्नलिखित के साथ दी गई है,

क) सेबी सूचीयन विनियमों की अनुसूची V के तहत निदेशकों की अर्हता न होने का प्रमाण पत्र।

ख) सेबी सूचीयन विनियमों के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र एवं कॉर्पोरेट अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

स्वतंत्रता घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्रता के मानदंडों से संबंधित घोषणा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निदेशक मंडल को दी गई है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के तहत अधिसूचित भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) के ऑनलाइन डेटाबेस पर स्वयं को पंजीकृत किया है। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास ईमानदारी और आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव है।

अनुपालन

आपकी कंपनी लगातार अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा करती है और उसे मजबूत बनाती है।

- कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए नैतिक और पारदर्शी तरीके से अपने परिचालन और कार्यों में ईमानदारी बनाए रखती है।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनों / अधिनियमों पर एक त्रैमासिक कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।
- सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किसी भी वित्तीय मामले पर सेबी की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।
- कंपनी ने सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
- वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस), मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई, कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य लागू क़ानूनों द्वारा जारी अन्य आधिकारिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

राजकोष में योगदान

कंपनी पिछले कई वर्षों से लगातार राजकोष में काफी योगदान दे रही है और कर अनुपालन के संबंध में ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रख रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी का राजकोष में योगदान 4,102 करोड़ रु. (उपयोग किए गए ITC सहित) से अधिक रहा।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति बनाई है, जो इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 18 के अनुसार है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। नियमित अंतराल पर आयोजित बैठकों में सभी मुद्दों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार-विमर्श किया जाता है। निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और कंपनी की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो।

निदेशकों में परिवर्तन और शीर्ष प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति का विवरण

श्री के. सदाशिव मूर्ति को 1 नवंबर, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त किया गया है और उन्होंने सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है।

श्री तजिंदर गुप्ता को 20 सितंबर, 2023 से पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने निदेशक (पावर) के रूप में कार्यभार संभाला है।

सुश्री बानी वर्मा को 9 अक्टूबर, 2023 से पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद) के रूप में कार्यभार संभाला है।

श्री राजेश कुमार द्विवेदी को 19 जून, 2024 से पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभाला है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के. सदाशिव मूर्ति को निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ 25 अप्रैल, 2024 से श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आर&डी) के स्थान पर जिन्हें 26 मई, 2023 से सीएफओ के रूप में नामित किया गया था, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नामित किया गया। इसके बाद, श्री राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त) को 19 जून, 2024 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नामित किया गया है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के लागू वैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार, श्री तजिंदर गुप्ता, सुश्री बानी वर्मा, श्री के. सदाशिव मूर्ति और श्री राजेश कुमार द्विवेदी को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वे कंपनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक तक निदेशक पद पर बने रहेंगे और बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के संगम अनुच्छेद के नियमों के अनुच्छेद 67 (i) के अनुसार, निदेशक सुश्री आरती भटनागर और श्री कृष्ण कुमार ठाकुर वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, वे स्वयं को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव रखेंगे।

सेवा समापन

डॉ. नलिन सिंघल, जिन्हें 8 जुलाई, 2019 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, का अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अक्टूबर, 2023 को कंपनी के सीएमडी पद समाप्त हो गया।

सुश्री रेणुका गेरा, जिन्हें 1 दिसंबर, 2020 को निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद) के रूप में नियुक्त किया गया था, का अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अगस्त, 2023 को कंपनी के निदेशक पद समाप्त हो गया।

श्री उपिंदर सिंह मठारु, जिन्हें 21 मार्च, 2022 को निदेशक (पावर) के रूप में नियुक्त किया गया था, का अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अगस्त, 2023 को कंपनी के निदेशक पद समाप्त हो गया।

डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, जिन्हें 9 नवंबर, 2021 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, 12 अप्रैल, 2024 को बीएचईएल के निदेशक मंडल से अपने त्यागपत्र के परिणामस्वरूप कंपनी की निदेशक नहीं रह गई हैं। डॉ. सामंतसिंघर ने अपना त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि वे ओडिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रही थीं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी पुष्टि की कि त्यागपत्र के लिए उनके द्वारा बताए गए कारणों के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है।

निदेशक मंडल, बीएचईएल निदेशक मंडल पर अपने-अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. नलिन सिंघल, सुश्री रेणुका गेरा, उपिंदर सिंह मठारु और डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं, सलाह और मार्गदर्शन के लिए उनकी हृदय से सराहना करता है।

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 36(3) के अनुपालन में, विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों के नाम जहाँ वे निदेशक पद पर हैं, साथ नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण और निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, के सूचना के विस्तृत विवरण/अनुलग्नक में दिया गया है।

डॉ. योगेश आर छाबड़ा को सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 11 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी और श्री राजीव कालड़ा द्वारा 10 जुलाई, 2024 को कार्यभार त्यागने के परिणामस्वरुप की गई है।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 17(8) के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्रक-III** में दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 34 के अनुसार तैयार समेकित वित्तीय विवरणों का संक्षिप्त विवरण **प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (अनुलग्नक-I)** के अंतर्गत क्षेत्र 1.4.3 में दिया गया है।

सतत विकास

बीएचईएल का मिशन कथन - ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सतत व्यावसायिक समाधान प्रदान करना – संधारणीयता पर कंपनी के फोकस का प्रमाण है। स्थापना के बाद से, कंपनी पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में सचेत रही है, जिसमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कचरे को कम करना -पुनः उपयोग-रिसाइकलिंग, वृक्षारोपण और हरित आवरण का निर्माण, जल संचयन आदि जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये गतिविधियां अब कंपनी के मूल सिद्धांतों और संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं।

कंपनी ने वर्ष 2047 तक नेट जीरो हासिल करने और एक मॉडल "ग्रीन पीएसयू" बनने के लक्ष्य के साथ बीएचईएल को एक ग्रीन कंपनी में बदलने के लिए हरित बीएचईएल पहल शुरु की है।

कंपनी ने अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी प्रदर्शित की है, वे क्षेत्र हैं - सामग्री और प्राकृतिक संसाधन खपत, ऊर्जा संरक्षण/दक्षता, जल संरक्षण, मौजूदा वृक्षारोपण की सुरक्षा और उसे बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कचरे को कम करना/पुनर्चक्रित करना/पुनः उपयोग करना आदि। इनमें से कुछ गतिविधियां जो हमें संधारणीय भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, उनका संक्षिप्त विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई)

बीएचईएल अपने परिचालन में पर्यावरणीय विचारों के साथ-साथ संधारणीयता, कर्मचारियों और सहयोगियों के कल्याण एवं संरक्षा को प्राथमिकता देने के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रमाणन निकायों द्वारा निगरानी ऑडिट और एचएसई प्रदर्शन की समय-समय पर सख्ती से समीक्षा की जाती है, जिससे कंपनी की सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, इन उच्च मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट एचएसई टीम द्वारा विनिर्माण इकाइयों और परियोजना स्थलों का ऑडिट भी किया जाता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी कर्मचारियों और कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों के लिए "शून्य हानि" के अपने लक्ष्य पर केंद्रित रही और **वर्ष 2047 तक नेट जीरो** हासिल करने के उद्देश्य से बीएचईएल को एक ग्रीन कंपनी में बदलने के लिए हरित बीएचईएल पहल शुरु की। अधिक विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VIII** में दिए गए हैं।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

सूचीयन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरुप, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाली व्यावसायिक

उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-V** में संलग्न है। पांच वैश्विक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (जीआरआई, एसडीजी, टीसीएफडी, सीडीपी और एसएएसबी) के साथ ईएसजी प्रकटन और बीआरएसआर मैपिंग को समझने के लिए एक गाइड एनएसई वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय विकास की उपलब्धियां

बीएचईएल ने संधारणीय भविष्य के लिए वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में देश के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से तैयार किया है। कंपनी नए व्यावसायिक क्षेत्रों में उत्पादों और प्रणालियों के विकास की दिशा में काम कर रही है जैसे- कोयले से रसायन, उच्च दक्षता वाले थर्मल प्लांट, रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा, रक्षा और एयरोस्पेस, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला आदि।

वित्त वर्ष 2023-24 में, बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर 698 करोड़ रुपये का व्यय किया, जो लगभग राजस्व का 2.5% से अधिक है। बीएचईएल ने वर्ष के दौरान 543 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिससे कंपनी की बौद्धिक पूंजी बढ़कर 5650 से अधिक हो गई है। कंपनी के राजस्व का लगभग 18%, जो 4,249 करोड़ रुपये है, अपने इन-हाउस विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से हासिल किया गया है। प्रमुख विकासों का विस्तृत विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VI** में प्रदान किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा 'हिंदी' को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा के रूप में 'हिंदी' के उपयोग को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। कंपनी ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है और विभिन्न प्रयास किए हैं, विस्तृत विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

सतर्कता तंत्र

बीएचईएल अपने परिचालन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों को कायम रखता है। कंपनी ने परिचालन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। कंपनी अनुचित और अनैतिक पद्धतियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करती है और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 22 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के संदर्भ में, कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है जो शिकायतकर्ता को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है।

"निदेशक मंडल लेखा समिति" (बीएलएसी) व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा करती है, और सतर्कता कार्य की वार्षिक समीक्षा भी सीएमडी/ निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। अधिक विवरण, **निदेशक मंडल के अनुलग्नक- VIII** में दिए गए हैं।

डेटा और साइबर सुरक्षा

आज के इस परिदृश्य में, डेटा और साइबर सुरक्षा पर बल देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपनी ने अपनी आईटी परिसंपत्तियों और डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं। इन प्रोटोकॉल में डेटा सेंटर, नेटवर्क, एप्लिकेशन और एंड-यूज़र डिवाइस में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने वाली एक बहुआयामी रक्षा प्रणाली शामिल है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय उपाय किए जाते हैं। निदेशक मंडल रिपोर्ट के भाग 1.12 में और अधिक विवरण दिए गए हैं।

अन्य सूचनाएँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VII** में दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को निदेशक मंडल रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ड) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गई है। बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है और इसलिए ये निदेशक मंडल रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (फॉर्म एओसी-1) के अनुसार विवरण और कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(एच) के अनुसार फॉर्म एओसी-2 **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IX** में दिया गया है।

दिवालियापन एवं दिवालियापन कोड के तहत कार्यवाही

दिवालियापन एवं दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी) के तहत वर्ष के दौरान बीएचईएल के खिलाफ कोई आवेदन नहीं मिला है और 31 मार्च, 2024 तक आईबीसी के तहत बीएचईएल के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की तीन फर्मों को संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और चार फर्मों को शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक फर्मों के नाम वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिए गए हैं।

वित्तीय लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकल (स्टैंडअलोन) और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट निदेशक मंडल रिपोर्ट के **अनुलग्नक-X** में दी गई है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी पूरक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी **अनुलग्नक-X** का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने और उनकी रिपोर्ट के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, पूर्णकालिक व्यवसायी

कंपनी सचिव नियुक्त किया गया और उनकी रिपोर्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अनुभाग का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निदेशक मंडल (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) तथा कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत अपेक्षित निदेशक मंडल की कुल क्षमता के आधे से भी कम थी। सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर भी गौर किया है कि चूंकि बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं, इसलिए अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में रही है और अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर रही है, ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रबंधन ने इस टिप्पणी पर गौर किया और बताया कि स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने का मामला भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार, निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा पर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखे की लेखा परीक्षा के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में लागत लेखाकारों की सात फर्मों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत खातों और अभिलेखों को उचित रूप से बनाए रखा गया है और उनका अनुपालन किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट XBRL मोड के तहत दायर की गई है जो कि दाखिल करने की नियत तिथि के भीतर और लागत परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं थी।

प्रशंसा एवं आभार

आपके निदेशक कंपनी के परिचालन एवं रणनीतिक पहलों के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं।

हम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सांवधिक प्राधिकरणों/ विभागों के उनके बहुमूल्य समर्थन और निरंतर सहयोग के लिए सहृदयता से प्रशंसा करते हैं और कृतज्ञतापूर्वक अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण भारत और विदेशों में कंपनी के बहुमूल्य ग्राहकों के प्रति निष्ठापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जटिल लंबी अवधि के निर्माण अनुबंधों में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहयोग किया है।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पेशेवर निकायों, सांवधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों के प्रति भी उनके रचनात्मक सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर कंपनी की नोएडा उपनगरी में माननीय केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण और बीएचईएल के कार्यकारी निदेशकगण

निदेशकों ने कंपनी के सम्मानित शेयरधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में दिए गए समर्थन और विश्वास के लिए उनकी हार्दिक सराहना की है और भविष्य में भी इसे जारी रखने की आशा करते हैं।

निदेशकगण सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। हम वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन सहयोग के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

अंत में, आपके निदेशकगण कंपनी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करने वाले बीएचईएल के सभी कर्मचारियों को उनकी लगन, कर्मठ प्रयासों, कड़ी परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए उनका सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

संधारणीयता पर बल:

बीएचईएल द्वारा नीमच आरईज़ेड सबस्टेशनों की समय से पूर्व कमीशनिंग

बीएचईएल ने तीन सबस्टेशन निर्धारित समय से पूर्व कमीशन (चालू) किए, जो नीमच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र (आरईजेड) के तहत रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर द्वारा उत्पादित अक्षय ऊर्जा की निकासी प्रदान करते हैं। इस परियोजना में तीन सबस्टेशन (एस/एस) जैसे- 400/220 केवी नीमच (नया) एस/एस, 400 केवी चित्तौड़गढ़ एस/एस का विस्तार और 400 केवी मंदसौर एस/एस का विस्तार शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बीएचईएल ने इन परियोजनाओं को 14 महीनों के भीतर कमीशन (चालू) किया है, जिससे परियोजना निष्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इन सबस्टेशनों का समय से पहले चालू होना बीएचईएल की निष्पादन उत्कृष्टता, तकनीकी विशेषज्ञता और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढाँचे के समाधान प्रदान करने के लिए अटूट समर्पण का प्रमाण है। इससे पावरग्रिड को मार्च 2024 के भीतर नीमच टीबीसीबी परियोजना के लक्षित कमीशन को प्राप्त करने में मदद मिली, जो कि निर्धारित समय से 4 माह पूर्व है।

उपर्युक्त कार्य के लिए, 10 मई 2024 को आयोजित सीईओ मीट 2024 में पावरग्रिड द्वारा बीएचईएल को सम्मानित किया गया।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1 आर्थिक और व्यावसायिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी आर्थिक गतिविधि में मजबूती देखी गई है, जिसका कारण निवेश मांग में तेजी, आशावादी व्यवसाय की भावना और उपभोक्ता का बढ़ता विश्वास हैं। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान देश की जीडीपी 8.2% की अच्छी दर से बढ़ी, जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

इस तरह की विकास गति को बनाए रखने के लिए कई सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा उनमें से एक है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान (-) 4% की चरम बिजली मांग की कमी और (-) 0.5% की ऊर्जा कमी का अनुभव किया। यह बिजली क्षमता योजनाकारों के लिए चिंता का विषय था, जिसने 2032 के लिए कोयला आधारित बिजली क्षमता अनुमान को संशोधित किया। वर्तमान में, यह अनुमान लगाया गया है कि 2032 तक ~280 गीगावॉट कोयला आधारित स्थापित क्षमता की आवश्यकता हो सकती है। इन विकासों के परिणामस्वरूप निकट भविष्य में ऑर्डर कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार हो गई है।

कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत रहा है, जो देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। हालाँकि जलवायु परिवर्तन तेज़ी से वास्तविकता बन रहा है, लेकिन अक्षय ऊर्जा की रुकावट को दूर करने के लिए आर्थिक और तकनीकी उन्नति अभी भी वांछित पैमाने पर स्थापित नहीं हुई है। पूरी संभावना है कि कोयला ऊर्जा के स्रोत के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा। राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के बीच एक रणनीतिक संतुलन के लिए राष्ट्र की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले रासायनिक उद्योग के लिए फीडस्टॉक के रूप में कोयले का रणनीतिक उपयोग पाया गया है। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन एक ऐसा ही फोकस क्षेत्र है, जिसमें 2030 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है। जिसकी शुरुआत करते हुए, बीएचईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम कंपनी - भारत कोल गैसीफिकेशन एवं केमिकल्स लिमिटेड को शामिल किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी बीएचईएल की स्वदेशी रूप से विकसित पीएफबीजी (प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन) तकनीक का उपयोग करके कोयला से 2,000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करेगी, जो उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए उपयुक्त है।

भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतन योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों में, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने का लक्ष्य अपनाया है और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो तक पहुंचने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है। हाइड्रो पावर अक्षय और परमाणु ऊर्जा के साथ गैर-जीवाश्म स्रोतों में प्रमुख योगदान देता है। हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर के ऑर्डर काफी संख्या में मिले हैं और कुछ ऑर्डर पाइपलाइन में हैं।

सेवा व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बी.एच.ई.एल. ने बी.पी.सी.एल.-मुंबई रिफाइनरी से रिमोट मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक सर्विसेज (आर.एम.डी.एस.) के ऑर्डर से औद्योगिक ग्राहकों के लिए उद्योग 4.0 समाधानों में प्रवेश किया है। इसके अलावा, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के सुचारु परिचालन के लिए ऑर्डर के सफल निष्पादन ने थर्मल पावर प्लांट के लिए सुचारु परिचालन के समाधानों में बी.एच.ई.एल. की साख स्थापित की है। यह पावर ग्रिड में अक्षय स्रोत आधारित बिजली के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्योग क्षेत्र के व्यवसायों में, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा पूंजीगत व्यय अभियान और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों द्वारा क्षमता विस्तार पर्याप्त अवसर प्रदान कर रहे हैं। हालाँकि, व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ग्राहक नवीनतम तकनीकों पर आधारित उत्पादों की माँग कर रहे हैं।

परिवहन व्यवसाय में, भारतीय रेलवे, रेलवे परिचालन को उन्नत, आधुनिक और कार्बन मुक्त बनाने की पहल पर जोर दे रहा है। माल ढुलाई और यात्री दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें माल ढुलाई के लिए उच्च हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन और यात्रियों के लिए अलग-अलग विन्यास वाली सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें शामिल हैं।

रक्षा व्यवसाय में, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर भारत सरकार के केन्द्रित होने के परिणामस्वरूप नए बड़े व्यावसायिक अवसर पैदा हुए हैं; और बीएचईएल अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए इन पर काम कर रहा है।

ट्रांसमिशन व्यवसाय में, सबस्टेशन ईपीसी व्यवसाय के साथ-साथ ट्रांसफार्मर, स्विचगियर आदि जैसे उपकरणों की आपूर्ति में लगातार सुधार कर रहा है। इसके अलावा, ग्रिड विस्तार और मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के एकीकरण के लिए बड़ी एचवीडीसी परियोजनाओं के रूप में कुछ बड़े अवसर पहले से ही पाइपलाइन में हैं।

तेल और गैस व्यवसाय में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों व्यवसाय या तो क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं या अपनी मौजूदा पूंजीगत परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अपस्ट्रीम साइड में उपकरणों और सिस्टम की मांग बढ़ी है, साथ ही रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए डाउनस्ट्रीम साइड में कैप्टिव पावर प्लांट, कंप्रेसर और अन्य उपकरणों की भी मांग बढ़ी है।

1.2 अवसर एवं आशंकाएँ

भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम अवधि में मजबूत और स्थिर वृद्धि होने की उम्मीद है, जो बुनियादी ढांचे और पूंजीगत सामान क्षेत्र में अग्रणी इंजीनियरिंग उद्यम बीएचईएल को महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी।

बीएचईएल के लिए प्राथमिक अवसरों में से एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत देश की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता को वर्ष 2032 तक ~280 गीगावाट तक बढ़ाया जाना है। कंपनी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसमें बिजली उपकरण निर्माण में विशेषज्ञता और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना में अनुभव द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। हाइड्रो और न्यूक्लियर बिजनेस सेगमेंट में भी स्थिर व्यावसायिक अवसर मिलने की उम्मीद है क्योंकि सरकार वर्ष 2030 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता के 50% तक गैर-जीवाश्म स्रोतों को बढ़ावा देने का इरादा रखती है। बीएचईएल द्वारा निर्मित थर्मल और हाइड्रो सेट से बिक्री और सेवाओं के बाद का नियमित व्यवसाय जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के सरकार के दृष्टिकोण ने बीएचईएल को 'कोयला से अमोनियम नाइट्रेट' संयंत्र के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है।

माल ढुलाई क्षेत्र और यात्री क्षेत्र दोनों में भारतीय रेलवे का उन्नयन और आधुनिकीकरण हमें क्रमशः उच्च शक्ति वाले इंजनों और उच्च गति वाली ट्रेनों के रूप में एक अवसर प्रदान करता रहता है। सिग्नलिंग इस व्यवसाय डोमेन का एक और क्षेत्र है जहाँ कंपनी प्रवेश करने के लिए तैयार है। भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण भी कई अवसर प्रदान रहा है और कंपनी वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं के साथ उपयुक्त साझेदारी

पर काम कर रही है। मजबूत आर्थिक विकास के साथ, स्टील, सीमेंट, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल और गैस सहित प्रमुख उद्योगों में पूंजीगत व्यय विस्तार जारी रहने की संभावना है, जिससे कैप्टिव पावर प्लांट और मोटर, ट्रांसफॉर्मर, कंप्रेसर आदि जैसे उपकरणों की मांग पैदा होगी। इसी तरह, पावर ग्रिड में आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए, एआईएस और जीआईएस सबस्टेशनों के साथ-साथ एचवीडीसी कॉरिडोर में ट्रांसमिशन व्यवसायों में पूंजीगत व्यय जारी रहने की उम्मीद है।

साथ ही, कंपनी को व्यवसायों में देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि भारतीय बाजार विदेशी प्रतिस्पर्धियों के लिए सीधे सुलभ हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी सोर्सिंग और वैश्विक ओईएम के साथ साझेदारी करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। निष्पादन के मामले में, पिछले कुछ वर्षों में बिजली क्षेत्र में मंदी ने विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर दिया है, और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इसे बहाल करने की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए, कंपनी अनुसंधान और विकास पर निवेश कर रही है, रणनीतिक साझेदारी बना रही है और विकसित ऊर्जा परिदृश्य अपना रही है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्रभावी जोखिम प्रबंधन, लागत अनुकूलन और गुणवत्ता तथा समय पर परियोजना निष्पादन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित कर रही है।

1.3 व्यवसायों की रुपरेखा और कार्य-निष्पादन

कंपनी के दो व्यावसायिक क्षेत्र हैं – विद्युत और उद्योग। ये क्षेत्र तीन व्यावसायिक प्रभागों यानी पावर क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय परिचालन द्वारा क्रियान्वित होते हैं।

पावर क्षेत्र में थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अलावा कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और गैर-बीएचईएल सेटों के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय शामिल हैं।

उद्योग क्षेत्र कई उद्योगों के प्रमुख उपकरण और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा, एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर प्लांट, प्रोसेस उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस, तथा ऊर्जा भंडारण इत्यादि की आपूर्ति के लिए कार्य करता है।

व्यवसायिक क्षेत्रों की रूपरेखा
एवं कार्य-निष्पादन

पावर सेक्टर

1.3.1 पावर सेक्टर

संक्षिप्त परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी के तेजी से इन्फ्यूज़न और विनिर्माण एवं खपत आधार के विस्तार से मजबूत विकास दिखाई दे रहा है। चूंकि देश का आर्थिक विकास ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, इसलिए किफायती दरों पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो जाती है।

31 मार्च, 2024 तक, भारत में बिजली की संस्थापित क्षमता ~442 गीगावाट है और ~1,295 बिलियन यूनिट (बीयू) का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। उल्लेखनीय रूप से, बिजली उत्पादन में साल-दर-साल आधार पर 7% की वृद्धि दर देखी गई है, और निकट भविष्य में भी यही प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।

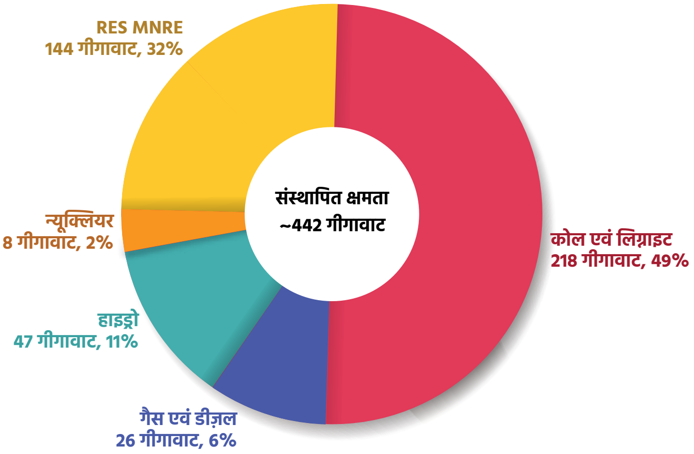

31 मार्च, 2024 तक
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय

व्यापार परिदृश्य

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के अभूतपूर्व आंकड़े को छू गई और वर्ष 2031-32 तक इसके 384 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसने बिजली क्षमता योजनाकारों को चिंतित कर दिया है और तदनुसार, सरकार ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

इसके परिणामस्वरूप थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है, जो देश की बुनियादी बिजली जरूरतों के लिए किफायती और विश्वसनीय बिजली उत्पादन स्रोत हैं। नवीनतम सरकारी अनुमानों के अनुसार, भारत के तेज़ विकास और बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को बनाए रखने के लिए वर्ष 2031-32 तक ~280 गीगावाट कोयला आधारित स्थापित क्षमता की आवश्यकता हो सकती है। इसके अनुरूप, सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2032 तक लगभग 80 गीगावाट की थर्मल क्षमता वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

आगामी वर्षों में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का मुख्य आधार बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि वे निरंतर और चौबीसों घंटे संचालन के लिए उपयुक्त हैं, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ-साथ ट्रांसमिशन अवसंरचना और कोयले के बड़े घरेलू भंडार हैं। निकट भविष्य में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, कोयला आधारित उच्च दक्षता वाले सुपरक्रिटिकल बिजली संयंत्रों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, खासकर तब तक जब तक अन्य विश्वसनीय प्रौद्योगिकी विकल्प व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो जाते।

वर्ष 2023-24 में लगभग 9.6 गीगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सुदृढ़ ऑर्डर मिले और कंपनी को आशा है कि यह गति आगे भी जारी रहेगी। पिछले वर्ष के दौरान, निजी क्षेत्र ने लंबे अंतराल के बाद पुनः ताप विद्युत क्षेत्र में रुचि दिखाई है और बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर (बीटीजी) उपकरणों की आपूर्ति के लिए बीएचईएल को ऑर्डर दिए हैं।

ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन कम करने पर सरकार के ध्यान देने के परिणामस्वरूप, उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर व्यवसाय और आर&एम व्यवसाय से ये अवसर आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। देश में थर्मल यूटिलिटीज़ आने वाले वर्षों में सस्पेंडिड

बीएचईएल ने एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट-2 (3x660 मेगावाट) में एयर कूल्ड कंडेंसर (एसीसी) से सुसज्जित देश का पहला यूटिलिटी-स्केल थर्मल पावर प्लांट कमीशन किया।

बीएचईएल ने एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट-2 (3x660 मेगावाट) में एयर कूल्ड कंडेंसर (एसीसी) से सुसज्जित देश का पहला यूटिलिटी-स्केल थर्मल पावर प्लांट कमीशन किया।

पार्टीकुलेट मैटर (एसपीएम), एनओएक्स और एसओएक्स में कमी के लिए सरकारी मानदंडों के कार्यान्वयन की भी संभावना तलाश रही है। कोयला गैसीकरण क्षेत्र में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सरकारी पीएसयू और निजी क्षेत्र की कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, बीएचईएल और सीआईएल की संयुक्त उद्यम कंपनी, भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, कोयले को अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित करके वाणिज्यिक कोयला गैसीकरण परियोजना स्थापित करेगी, इस परियोजना को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) पर आधारित बिजली प्रणालियों की अंतर्निहित परिवर्तनशीलता द्वारा आवश्यक ग्रिड संतुलन और स्थिरीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण पारंपरिक (बड़े और छोटे हाइड्रो प्लांट) के साथ-साथ पंप स्टोरेज जनरेटिंग स्टेशनों, दोनों की हाइड्रो-इलेक्ट्रिक क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत के 30% से अधिक जलविद्युत संयंत्रों ने 30-35 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो जीवन विस्तार और प्रदर्शन और दक्षता उन्नयन के लिए नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) की पर्याप्त क्षमता प्रदान करते हैं। कंपनी इन आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है।

परमाणु ऊर्जा देश के समग्र बिजली मिश्रण का एक अनिवार्य अंग बनेगी क्योंकि इसे वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में, वर्तमान में लगभग 8.1 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ परमाणु ऊर्जा में संधारणीय तरीके से दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की बहुत बड़ी क्षमता है। भारत सरकार 2031-32 तक परमाणु उत्पादन क्षमता को तीन गुना करने की योजना बना रही है, जो आपकी कंपनी के लिए कई अवसर प्रदान करेगी। बीएचईएल इस बाजार के अवसर को भुनाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर

भारत सरकार द्वारा थर्मल पावर सेक्टर पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के कारण, वित्त वर्ष 2023-24 में, बीएचईएल ने बिजली क्षेत्र में 12,480 मेगावाट ऑर्डर हासिल किए हैं, जो कुल मिलाकर ₹55,642 करोड़ (करों को छोड़कर) है। इसमें थर्मल पावर क्षेत्र में ₹48,723 करोड़ (करों को छोड़कर) के अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

बीएचईएल ने देश में टेंडर के तहत 800 मेगावाट की बारह थर्मल पावर यूनिट हासिल करके भारतीय थर्मल पावर उद्योग में अपना बाजार नेतृत्व बनाए रखा है, जिनकी कुल क्षमता 9.6 गीगावाट है। कंपनी को 2x800 मेगावाट एनटीपीसी लारा स्टेज-II एसटीपीपी, 3x800 मेगावाट एनएलसीआईएल तालाबीरा एसटीपीपी, 1x800 मेगावाट एचपीजीसीएल यमुनानगर विस्तार एसटीपीपी, 2x800 मेगावाट एनटीपीसी सिंगरौली स्टेज-III एसटीपीपी के ईपीसी ऑर्डर और 2x800 मेगावाट एमईएल महान फेज-II एसटीपीपी एवं 2x800 मेगावाट एपीएल रायगढ़ फेज-II एसटीपीपी के बीटीजी ऑर्डर मिले हैं।

इन ऑर्डरों के साथ, बीएचईएल ने देश में 69 सुपरक्रिटिकल स्टीम जेनरेटर (एसजी) और 64 सुपरक्रिटिकल टर्बाइन जेनरेटर (टीजी) के ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जिनमें से 34 एसजी और 25 टीजी कमीशन हो चुके हैं।

हाइड्रो पावर व्यवसाय में, कंपनी को अरुणाचल प्रदेश में 2,880 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी क्षमता वाली दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई&एम) कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के साथ, बीएचईएल ने भारत के हाइड्रो क्षेत्र में 550 से अधिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेटों के पोर्टफोलियो और भारत एवं विदेशों में 35,000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के साथ अपना नेतृत्व प्रदर्शन किया है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में स्पेयर, सेवाओं और आर&एम व्यवसाय क्षेत्र में प्राप्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डरों में सेल बोकारो, पीएसपीसीएल लेहरा मोहब्बत (210 मेगावाट) और यूपीआरवीयूएनएल पारीछा (210 मेगावाट) के ईएसपी रेट्रोफिट, एनटीपीसी सिंगरौली (5x200 मेगावाट) में क्रिटिकल पाइपिंग सिस्टम और हैंगर सपोर्ट्स के आर&एम और एनटीपीसी मौदा (660 मेगावाट) में पूल स्पेयर्स के रूप में जेनरेटर स्टेटर शामिल हैं।

बीएचईएल को देश की सबसे बड़ी हाइड्रो परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए मिला प्रतिष्ठित ऑर्डर

बीएचईएल, अपने पाँच दशकों से अधिक के अनुभव और 40% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ, भारत के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई&एम) पैकेज सेगमेंट में अग्रणी है।

कंपनी ने अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं और प्रौद्योगिकी विकास के लिए मजबूत R&D गतिविधियों की नींव पर भारत और विदेशों में 35,000 मेगावाट से अधिक की कुल क्षमता के साथ 550 से अधिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेट की आपूर्ति की है। विनिर्माण सुविधाएं हाइड्रो पावर प्लांट ईएंडएम आवश्यकताओं के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला देने के लिए तैयार हैं।

वर्ष 2023-24 में, बीएचईएल को अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग में स्थित 12x240 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए एनएचपीसी लिमिटेड से ई&एम पैकेज ऑर्डर मिला है। इस प्रतिष्ठित ऑर्डर में टर्बाइन, जेनरेटर, डिजिटल गवर्निंग सिस्टम, स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम, ट्रांसफार्मर, बस रिएक्टर, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर, आउटडोर पॉट यार्ड और स्विचयार्ड उपकरण और प्लांट आइटमों के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैलेंस की डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल हैं।

वर्ष 1981 में पहली परियोजना - बैरास्यूल (3x60 मेगावाट) की कमीशनिंग के साथ बीएचईएल 4 दशकों से अधिक समय से एनएचपीसी के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। अन्य विभिन्न ऑर्डरों के अलावा, कंपनी वर्तमान में ई&एम कार्यों के सीमित दायरे के लिए 850 मेगावाट रतले एचईपी (जे&के) एवं एनएचपीसी और उसके संयुक्त उद्यमों के लिए 105 मेगावाट लोकतक एचईपी (मणिपुर) के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर&एम) के ऑर्डर निष्पादित कर रही है।

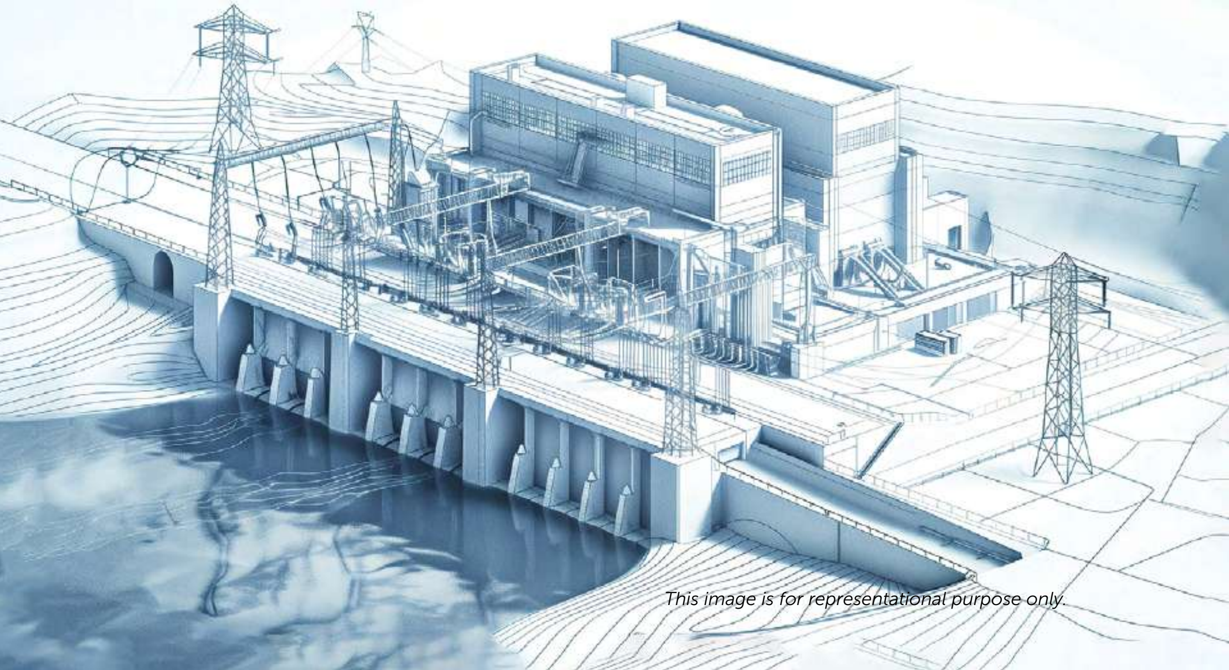

This image is for representational purpose only.

इस तरह के ऑर्डर बीएचईएल की इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाते हैं और भविष्य में इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए नए मार्ग खोलने में मददगार होंगे।

परियोजना निष्पादन

वर्ष 1964 में अपनी स्थापना के बाद से, बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में 465 कोयला आधारित यूटिलिटी सेट, 23 डीजल सेट, 424 हाइड्रो यूटिलिटी सेट, 103 गैस आधारित यूटिलिटी सेट और 14 परमाणु आधारित यूटिलिटी सेट की आपूर्ति की है। अपने ठोस प्रयासों से, बीएचईएल ने यूटिलिटी बिजली परियोजनाओं में वित्त वर्ष 2023-24 में 2,310 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हासिल की। इसके अलावा, 2,260 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हासिल की गई, जहां बीएचईएल के दायरे में केवल स्टीम जेनरेटर/पावर साइकिल पाइपिंग शामिल है। क्षमता वृद्धि के अलावा, यूटिलिटी पावर परियोजनाओं में वित्त वर्ष 2023-24 में 2,395 मेगावाट का सिंक्रोनाइजेशन हासिल किया गया है। इसके अलावा, प्रतिष्ठित 2x660MW मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (बांग्लादेश में सबसे बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक) की यूनिट #2 के लिए मार्च 2024 में वाणिज्यिक परिचालन शुरु किया।

बीएचईएल ने फरवरी 2024 में एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट-2 में एयर कूल्ड कंडेंसर (ACC) से युक्त राष्ट्र की यूनिट स्थापित की है, जो एक बार फिर कंपनी की इंजीनियरिंग क्षमता को साबित करती है। जनवरी 2023 में यूनिट-1 भी बीएचईएल ने स्थापित की थी। एसीसी वाली इस यूनिट में वाटर कूल्ड कंडेंसर (WCC) वाली सामान्य यूनिट की तुलना में 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) परियोजना में, पलामुरु रंगारेड्डी स्टेज-1 (8x145 मेगावाट) के यू#1 के लिए वेट रन और ट्रायल ऑपरेशन अक्टूबर 2023 में पूरा हो गया।

इसके अलावा, बीएचईएल के पास लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए बड़े आकार के फ्रांसिस प्रकार के पंप-मोटर सेट की आपूर्ति में विविधता है और वर्तमान में बीएचईएल तेलंगाना के कालेश्वरम में दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए पंप-मोटर सेट का निष्पादन कर रही है।

बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक देश की यूटिलिटी स्केल पावर परियोजनाओं की कुल स्थापित थर्मल क्षमता में 54% की अपनी बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखी है, और इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता (द्वितीयक पक्ष) का 57% और देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 44% हिस्सा बनाए रखा है। कुल मिलाकर थर्मल, परमाणु और हाइड्रो सेगमेंट सहित यूटिलिटी स्केल पर, देश की कुल स्थापित पारंपरिक क्षमता में से बीएचईएल की 53% हिस्सेदारी है।

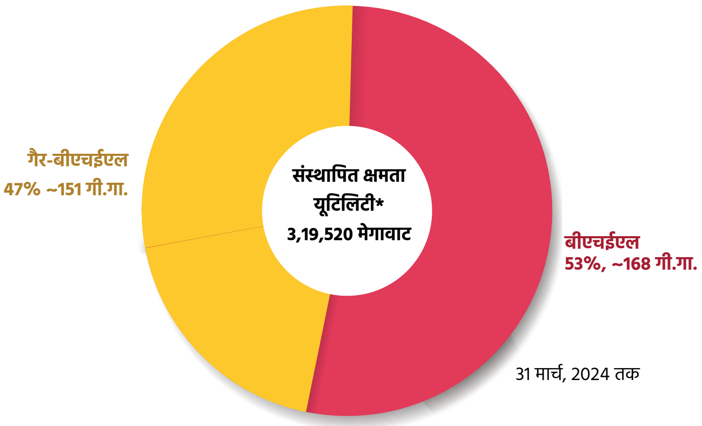

* स्थापना के समय क्षमता के आधार पर; इसमें तापीय, परमाणु और जलविद्युत शामिल हैं; सौर, पवन और जैव-विद्युत शामिल नहीं हैं।

#- इसमें शिरपुर यूनिट#4 (2x150MW) शामिल है। परियोजना का कार्य बीएचईएल उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जा रहा था और यह परियोजना मुकदमेबाजी में चली गई। अब इसे चालू कर दिया गया है और CEA द्वारा क्षमता वृद्धि के रूप में लिया गया है।

मशीनों का कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला और लिग्नाइट आधारित यूटिलिटी सेटों से देश के कुल उत्पादन 1294.43 बीयू में से 58.1% (752.05 बीयू) का योगदान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों द्वारा किया गया है।

प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के संदर्भ में, 106 थर्मल सेटों ने 80% और उससे

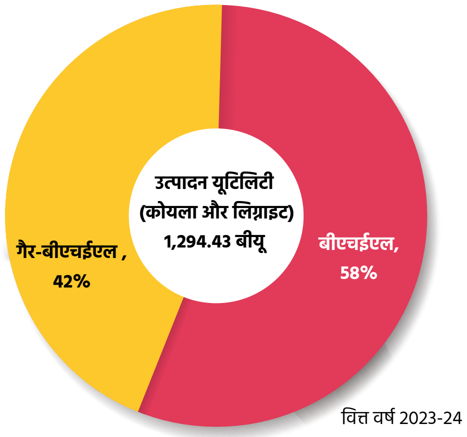

अधिक का पीएलएफ हासिल किया, जिनमें से 32 थर्मल सेटों ने 90% और उससे अधिक का पीएलएफ हासिल किया और 74 थर्मल सेटों ने 80% और 90% के बीच पीएलएफ हासिल किया। परिचालन उपलब्धता (ओए) के संदर्भ में, 177 थर्मल सेटों ने 90% और उससे अधिक का ओए दर्ज किया।

यह बहुत गर्व की बात है और बीएचईएल की उत्पाद गुणवत्ता का प्रमाण है कि बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए पाँच सबक्रिटिकल इकाईयाँ जो 40 साल से अधिक पुरानी हैं, ने 95% से अधिक का पीएलएफ हासिल किया है जिसमें सिंगरौली-4 टीपीएस (200 मेगावाट) ने 98.8% का पीएलएफ और 98.0% का ओए हासिल किया है। यह सभी क्षेत्रों में बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की गई इकाइयों में उच्चतम पीएलएफ है। सबक्रिटिकल सेट (195 - 600 मेगावाट) ने 87.8% का *ओए दर्ज किया। इसके अलावा, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सुपरक्रिटिकल सेट (660/700/800 मेगावाट) ने 85.8% का ओए दर्ज किया। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सुपरक्रिटिकल सेटों में, कोटागुडम-12 (800 मेगावाट) ने उच्चतम 85.5% का पीएलएफ और 94.4% का ओए हासिल किया।

परमाणु क्षेत्र में, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए उपस्करों का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए दो परमाणु सेटों ने 90% से अधिक का पीएलएफ दर्ज किया और तीन परमाणु सेटों ने 90% और उससे अधिक का ओए दर्ज किया। काकरापार इकाई-1 ने 95.8% का पीएलएफ और कैगा इकाई-2 ने 95.4% का पीएलएफ हासिल किया। कैगा इकाई-1 ने पिछले वर्ष 591 दिनों का अपना निर्बाध संचालन पूरा किया है।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों का विद्युत संयंत्र उच्च ओए और पीएलएफ, और कम आउटेज के संबंध में औसत से बेहतर प्रदर्शन जारी है, और यह सब हमारे सुदृढ़ डिजाइन और उच्च गुणवत्ता मानकों का प्रमाण है।

डिजिटल प्रस्ताव और समाधान

बीएचईएल रिमोट मॉनिटरिंग एवं डायग्नोस्टिक सर्विसेज (RMDS), रिमोट वाइब्रेशन एवं डायग्नोस्टिक सिस्टम (RVDS) और प्लांट ऑटोमेशन एवं लाइव मॉनिटरिंग (PALM) जैसी उद्योग 4.0 पहलों के साथ आगे बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि स्पेयर्स और सर्विसेज व्यवसाय को BPCL-मुंबई रिफाइनरी से RMDS का और मैसर्स TVNL तेनुघाट से RVDS- KAMPAN 1.0 (जो कि प्लांट की अजिलिटी और नोवेल्टी की निगरानी और कंपन विश्लेषण की कुंजी है) के प्रतिष्ठित एवं रणनीतिक ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डरों की प्राप्ति के साथ ही बीएचईएल ने उद्योग 4.0 समाधान प्रदान करने के क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिससे व्यवसाय विस्तार के नए आयाम खुले हैं।

बीएचईएल ने असम में 1x25MW NEEPCO-खांडोंग HEP में अपना पहला PALM समाधान सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, और इसके लिए ग्राहक से सराहना प्राप्त की है। इसके अलावा, बीएचईएल ने NHPC से उनके सात पावर स्टेशनों पर PALM कार्यान्वयन का दूसरा ऑर्डर भी प्राप्त किया।

कोयला गैसीकरण व्यवसाय

बीएचईएल और सीआईएल की संयुक्त उद्यम कंपनी, "भारत कोल गैसीफिकेशन एवं केमिकल्स लिमिटेड" को मई 2024 में एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करेगी।

इसके अलावा, एनएलसीआईएल ने प्रस्तावित लिग्नाइट गैसीकरण आधारित एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र पायलट संयंत्र के लिए साध्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्च 2024 में बीएचईएल को कार्य आदेश जारी किया है।

भावी परिप्रेक्ष्य

बढ़ती घरेलू खपत, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार के जोर देने से निकट भविष्य में ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऊर्जा सुरक्षा और

बीएचईएल द्वारा आपूर्त किए गए उपस्करों से युक्त काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र (220 मेगावाट) की यूनिट 1 ने 95.8% का पीएलएफ हासिल किया

ऊर्जा सामर्थ्य के साथ मिलकर यह निकट भविष्य में थर्मल आधारित बिजली को बढ़ावा देगा। कंपनी ईपीसी क्षमताओं को मजबूत करने, विक्रेता सुविधाओं, ड्राइंग के मानकीकरण, उत्सर्जन में कमी के समाधान आदि जैसे क्षेत्रों में प्रयासों के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट की इस आगामी मांग को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।

विद्युत उत्पादन उपस्करों की नई मांग को पूरा करने के अलावा, कंपनी ने कोयले से रसायन और कार्बन कैप्चर तथा इसके उपयोग एवं पृथक्करण प्रौद्योगिकियों जैसे आगामी क्षेत्रों के लिए बिक्री और सेवाओं के बाद और सक्षमता निर्माण पर ध्यान दे रही है।

बीएचईएल ने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक स्पेयर आपूर्ति और सेवा समझौतों, स्पेयर की शीघ्र आपूर्ति, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण ग्रिड स्थिरता के मुद्दों से निपटने के लिए बीएचईएल और गैर-बीएचईएल सेटों के लिए लचीलेपन के समाधान के प्रस्ताव के माध्यम से अतिरिक्त पुर्जों और सेवाओं के व्यवसायों को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

बीएचईएल (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य) द्वारा कमीशन किया गया एनएचपीसी का 45 मेगावाट निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश)

बीएचईएल

द्वारा इलेक्ट्रिक यूटिलिटी संस्थापन

31.03.2024 तक कमीशन किए गए

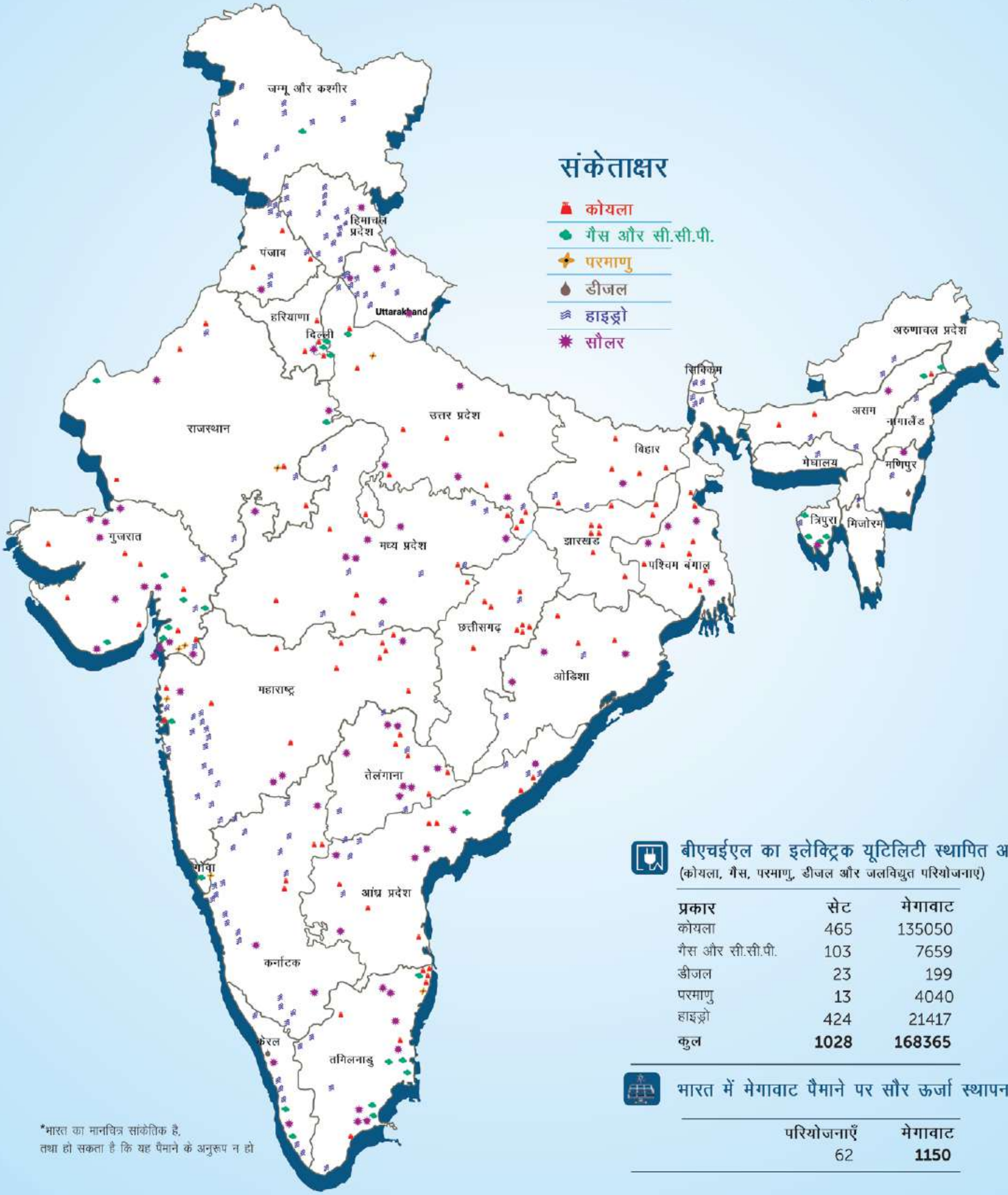

*भारत का मानचित्र सांकेतिक है,
तथा हो सकता है कि यह पैमाने के अनुरूप न हो

बीएचईएल का इलेक्ट्रिक यूटिलिटी स्थापित आधार
(कोयला, गैस, परमाणु, डीजल और जलविद्युत परियोजनाएं)

प्रकार	सेट	मेगावाट
कोयला	465	135050
गैस और सी.सी.पी.	103	7659
डीजल	23	199
परमाणु	13	4040
हाइड्रो	424	21417
कुल	**1028**	**168365**

भारत में मेगावाट पैमाने पर सौर ऊर्जा स्थापना

परियोजनाएँ	मेगावाट
62	**1150**

बीएचईएल ने तेलंगाना में 5x800 मेगावाट यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के लिए NOx उत्सर्जन को सीमित करने हेतु चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण के लिए उत्प्रेरकों का भारत का पहला सेट निर्मित किया है।

भारत के लगभग 300 बिलियन टन कोयले के भंडार और इस तथ्य को देखते हुए कि उच्च राख वाले कोयले के लिए अंतरराष्ट्रीय गैसीकरण प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, भारतीय उच्च राख वाले कोयले के गैसीकरण के लिए बीएचईएल द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर देश के आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे कोयले को केमिकल में बदलने के लिए बड़ी व्यावसायिक संभावनाएँ खुलने की उम्मीद है। इसी प्रौद्योगिकी का उपयोग "एकीकृत कोयला गैसीकरण संयुक्त चक्र" प्रौद्योगिकी के माध्यम से हरित बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। कंपनी इन क्षेत्रों में समयबद्ध और केंद्रित तरीके से इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए काम कर रही है। सीआईएल और बीएचईएल ने वाणिज्यिक कोयला गैसीकरण परियोजना स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग से इस व्यवसाय क्षेत्र में कदम रखा है, जिसे भारत सरकार ने इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए चुना है। इसके अलावा, NLCIL, SCCL आदि जैसे अन्य कोयला आधारित सार्वजनिक उपक्रम भी इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए BHEL के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जो अंततः भविष्य में गैसीकरण परियोजनाओं के रूप में साकार होगा।

आने वाले दशकों में बेस लोड को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है। कंपनी परमाणु भाप टर्बाइन और जनरेटर के लिए एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता है और साथ ही देश के तीन चरणीय परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में पांच दशकों से भागीदार रही है। पिछले परमाणु ऑर्डर से टर्बाइन आइलैंड ईपीसी पैकेजों के फ्लीट मोड ऑर्डरिंग के लिए बोली के अगले दौर के दौरान बीएचईएल को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है। कंपनी रूसी सहयोग से स्थापित की जा रही कुडनकुलम 2x1000MW यूनिट 3 और 4 में भी काम कर रही है और इस क्षेत्र में अपने उत्पादों और सेवाओं के स्वदेशीकरण और वृद्धि के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता के कारण ऊर्जा की पीक पावर आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए हाइड्रो पावर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन-हाउस हाइड्रो प्रोफाइल विकसित करने के लिए अपनी स्वयं की NABL मान्यता प्राप्त हाइड्रो लैब के साथ, बीएचईएल ग्रीन फील्ड हाइड्रो परियोजनाओं के लिए E&M पैकेजों में निर्विवाद रूप से बाजार में अग्रणी है और पुराने हाइड्रो सेटों के R&M के लिए एक अग्रणी कंपनी है। कंपनी टरबाइन प्रोफाइल (बीएचईएल और गैर-बीएचईएल द्वारा बनी) के कुशल उन्नयन के लिए, उनके जीवनकाल के साथ-साथ विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जलविद्युत उत्पादकों के लिए आदर्श भागीदार है। बीएचईएल लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) परियोजनाओं में आवश्यक बड़े आकार के पंपमोटर्स में भी अग्रणी कंपनी है।

व्यावसायिक क्षेत्रों की रुपरेखा एवं कार्य-निष्पादन

उद्योग क्षेत्र

1.3.2 उद्योग क्षेत्र

बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों जैसे परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा आदि में नए अवसर खोल रही है। BHEL का उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। उद्योग क्षेत्र, जिसमें बाजार-केंद्रित समूह शामिल हैं, रेल परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस, ट्रांसमिशन, नवीकरणीय, तेल और गैस, कैप्टिव पावर प्लांट, औद्योगिक उत्पाद और हाइड्रोजन, बैटरी ऊर्जा भंडारण और ई-मोबिलिटी आदि जैसे आगामी व्यवसाय के लिए व्यापक और अनुकूलित समाधान प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, उद्योग क्षेत्र ने 21,951 करोड़ (करों को छोड़कर) के ऑर्डर प्राप्त किए, जो उद्योग क्षेत्र द्वारा बुक किए गए अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर हैं।

1.3.2.1 परिवहन

बीएचईएल ने पिछले छह दशकों से भारत के रेल परिवहन की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी अभिनव समाधान और "मेड इन इंडिया" सिस्टम तथा उपस्कर प्रदान करके भारतीय रेलवे की रोलिंग स्टॉक आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इसके अलावा, बीएचईएल भारतीय रेलवे को रोलिंग स्टॉक और मेनलाइन इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन उपकरण के क्षेत्र में विश्व स्तरीय समाधान प्रदान कर रहा है। भारतीय रेलवे ने भारत के रेल परिवहन बुनियादी ढांचे की उन्नति और क्रमिक परिवर्तन की परिकल्पना की है ताकि बेहतर सुरक्षा, बेहतर उत्पादकता और दक्षता, कम कार्बन उत्सर्जन और इस तरह उद्योग के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा हो सकें। इस दिशा में यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 वर्षों में एमईएमयू, ईएमयू और हाई स्पीड/सेमी-हाई स्पीड ट्रेनसेट, पारंपरिक और उच्च शक्ति वाले लोको और सिग्नलिंग सिस्टम के क्षेत्र में बड़े अवसर सामने आएंगे।

वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- कंसोर्टियम के प्रमुख भागीदार के रूप में, भारतीय रेलवे से 80 वंदे भारत ट्रेनों की आपूर्ति और 35 वर्षों के रखरखाव के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया - जिससे घरेलू सेमी हाई-स्पीड मोबिलिटी सेगमेंट में बीएचईएल ने प्रवेश किया।
- बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW), वाराणसी से WAG-9 लोकोमोटिव के लिए 830 ट्रैक्शन मोटर्स (टाइप 6FRA6068) के लिए सबसे बड़े मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।
- 3300 एचपी केप गेज लोकोमोटिव के लिए मोजाम्बिक को 10 ट्रैक्शन अल्टरनेटर (TA9901 बीवाई) और 60 ट्रैक्शन मोटर्स (IM4513AZ) के निर्माण और आपूर्ति के लिए राइट्स से निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया।
- वंदे भारत ट्रेनसेट के लिए ट्रैक्शन मोटर बीएचईएल, भोपाल में स्वदेशी रूप में विकसित की गई।
- बीएचईएल, झांसी में स्वदेशी रूप से पहली बार डुअल कैब डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (700 HP रेटिंग) डिजाइन और निर्मित किया गया। यह लोकोमोटिव US EPA टियर-2 समतुल्य उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करता है, जिससे उद्योग के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान उपलब्ध होता है।
- भारतीय रेलवे को 22 WAG-9H इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (6000HP) की आपूर्ति की गई।
- ICF, चेन्नई से बीएचईएल प्रोपल्शन इलेक्ट्रिक्स से युक्त पहला और दूसरा नॉन-एसी EMU रेक तैयार किया गया।
- RCF, कपूरथला और ICF, चेन्नई से बीएचईएल के प्रोपल्शन और इलेक्ट्रिक्स के साथ 17 MEMU रेक तैयार किए गए।
- MCF, रायबरेली से बीएचईएल द्वारा विकसित प्रोपल्शन सिस्टम से सुसज्जित प्रोटोटाइप MEMU रेक को हरी झंडी दिखाई गई।
- बीईएचएल, ईडीएन, बेंगलुरु में भारतीय रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव और MEMU के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को स्वदेशी रुप से विकसित किया गया।
- 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोको के लिए बीएचईएल निर्मित ट्रांसफार्मर के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से प्रोटोटाइप मंजूरी प्राप्त हुई।

बीएचईएल, झांसी में स्वदेशी रूप से पहली बार डिजाइन और निर्मित डुअल कैब डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (700 एचपी रेटिंग)

बीएचईएल द्वारा विकसित प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित प्रोटोटाइप एमईएमयू रेक को एमसीएफ, रायबरेली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

भविष्य का परिदृश्य

भारतीय रेलवे ने क्षमता में वृद्धि और माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के

लिए राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) की शुरुआत की है। माल ढुलाई के लिए उच्च हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजनों और यात्री यातायात के लिए सेमी हाई स्पीड "वंदे भारत" ट्रेनों के रूप में नई पीढ़ी के रोलिंग स्टॉक भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें "वंदे भारत" ट्रेनों के मॉडल को शहरी क्षेत्र में "वंदे मेट्रो" के रूप में विस्तारित करने की योजना है।

इन संभावनाओं के साथ, भविष्य में रेल परिवहन व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अपने डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण अनुभव, तकनीकी क्षमता और अखिल भारतीय उपस्थिति का लाभ उठाकर, बीएचईएल प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और सभी प्रकार के रोलिंग स्टॉक के लिए उन्नत यांत्रिक और विद्युत प्रणालियों के डिजाइन और विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

भारतीय रेलवे ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (कवच) को लागू करने की योजना बना रहा है। यह प्रणाली अगले पांच वर्षों के भीतर 44,000 किलोमीटर ट्रैक पर लागू की जाएगी। इन अवसरों का लाभ उठाने ले लिए कंपनी सिग्नल क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और इसके लिए कवच प्रणाली का विकास किया है।

कंपनी आगामी व्यवसायों, विशेष रूप से उच्च एचपी लोको, बैटरी/हाइड्रोजन ईंधन लोकोमोटिव, हाई स्पीड रेल और पुश-पुल लोकोमोटिव के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ओईएम/सहयोगियों के साथ भी काम कर रही है।

1.3.2.2 ट्रांसमिशन

बीएचईएल की उपस्थिति सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में है और यह ट्रांसमिशन चेन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों और प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। बीएचईएल EHV GIS सबस्टेशन, डिजिटल सबस्टेशन, HVDC परियोजनाओं आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने के लिए तैयार है। बीएचईएल ने ईएचवी और यूएचवी (एसी/डीसी) अनुप्रयोगों के लिए ट्रांसमिशन उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं।

नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े सभी तीन सबस्टेशन - नीमच, चित्तौड़गढ़ और

चमेरा एचईपी में 400 केवी गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) बे को आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है

मंदसौर, नीमच आरईजेड से अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिए गए जिसमें कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर, थाइरिस्टर वाल्व, फिल्टर कैपेसिटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, पोर्सिलेन और कम्पोजिट इंसुलेटर, कंट्रोल और प्रोटेक्शन आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (एमएसईटीसीएल) से मालेगांव (महाराष्ट्र) में उनके पडघे HVDC कनवर्टर टर्मिनल के लिए HVDC इलेक्ट्रोड स्टेशन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धी के वावजूद ऑर्डर प्राप्त कर एक उपलब्धि हासिल की। यह HVDC इलेक्ट्रोड स्टेशन के लिए बीएचईएल द्वारा प्राप्त पहला ऑर्डर है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है क्योंकि यह मुंबई और अहमदाबाद के बीच एनएचएसआरसीएल (नेशनल हाई-स्पीड रेलवे कॉर्प लिमिटेड) के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ी हुई है।
- कड़ी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पावरग्रिड की टीबीसीबी परियोजनाओं के निम्नलिखित ऑर्डर प्राप्त हुए:

नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े सभी तीन सबस्टेशन - नीमच, चित्तौड़गढ़ और मंदसौर, नीमच आरईजेड से अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिए गए

o 765/400 केवी बीकानेर सबस्टेशन पैकेज (राजस्थान)

o 765/400 केवी नया सबस्टेशन कोप्पल (कर्नाटक)

o 765/400 केवी कोप्पल और रायचूर सबस्टेशन पैकेज का विस्तार (कर्नाटक)

o 765/400 केवी नया सबस्टेशन वटामन (गुजरात)

- 100 नंबर 400 केवी और 765 केवी वोल्टेज क्लास ट्रांसफार्मर और रिएक्टर के लिए ऑर्डर
- राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज से 220 केवी वोल्टेज क्लास ट्रांसफार्मर के 36 ऑर्डर
- नीमच REZ से अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े सभी तीन सबस्टेशन - नीमच, चित्तौड़गढ़ और मंदसौर, निर्धारित समय सीमा के भीतर मार्च 2024 में सफलतापूर्वक सक्रिय हो गए।

भविष्य का परिदृश्य

भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की 500 गीगावाट क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। बिजली उत्पादन केंद्रों से लेकर लोड केंद्रों तक बिजली की सप्लाई के लिए ग्रिड विस्तार की आवश्यकता होगी, जिसमें उच्च क्षमता वाले एसी ट्रांसमिशन कॉरिडोर और कई एचवीडीसी सिस्टम शामिल होंगे। ग्रिड विस्तार योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन सिस्टम को लागू करने के लिए लगभग 4.76 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 2022-2027 की अवधि के दौरान कुल 7.32 लाख एमवीए सबस्टेशन क्षमता जोड़े जाने की उम्मीद है।

भारत के ट्रांसमिशन परिदृश्य में बीएचईएल की मजबूत स्थिति है, जिसमें परियोजनाओं के साथ-साथ उत्पादों में भी क्षमताएं हैं, और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए बीएचईएल अच्छी स्थिति में है।

1.3.2.3 रक्षा और एयरोस्पेस

बीएचईएल का देश के रक्षा बलों को सहयोग देने का लगभग पांच दशक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। बीएचईएल ने विशेष उपकरणों और हथियार प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला डिजाइन और विकसित की है।

बीएचईएल उन्नत अत्याधुनिक एसआरजीएम की आपूर्ति कर रहा है, अत: हम भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुरूप उन्नत एसआरजीएम के लिए अपनी क्षमताओं को और बढ़ा रहे हैं। बीएचईएल स्थायी मेगनेट मोटर प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता साबित कर चुका है, और यह नौसेना अनुप्रयोग के लिए प्रणोदन प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा, बीएचईएल भारतीय नौसेना को विभिन्न उपकरणों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और आगामी विस्तार सेवाओं में समाधान भी प्रदान कर रहा है। बीएचईएल दुनिया की उन चुनिंदा फर्मों में से एक है, जो सैन्य विमानों/हेलीकॉप्टरों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स और पंप मॉड्यूल डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता रखती हैं और वर्तमान में विभिन्न हवाई प्लेटफार्मों के लिए इसे विकसित कर रही हैं। कंपनी उपकरणों और सेवाओं की विविध श्रृंखला के लिए CASDIC, HAL, ISRO, ADA आदि जैसे ग्राहकों के साथ कार्य कर रही है। बीएचईएल का इसरो और इसके विभिन्न केंद्रों के साथ अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए

बीएचईएल भारतीय नौसेना की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत सुविधाओं से युक्त 'उन्नत एसआरजीएम' की पेशकश कर रहा है

लंबे समय से उन्नत सुविधाओं से युक्त, बीएचईएल भारतीय नौसेना की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'उन्नत एसआरजीएम' की पेशकश कर रहा है

साथ जुड़ा है और लॉन्च वाहनों, उपग्रहों/पेलोड आदि में उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीएचईएल ने चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए ली-आयन बैटरी, क्रायोजेनिक चरण के लिए टाइटेनियम प्रणोदक टैंक और घर्षण वेल्डेड बाईमेटेलिक एडेप्टर की आपूर्ति करके योगदान दिया है।

बीएचईएल ने डिजाइन, इंजीनियरिंग, सटीक विनिर्माण, भारी फोर्जिंग, विशेष प्रयोजन वेल्डिंग और उन्नत सीएनसी मशीनिंग गतिविधियों के लिए अद्वितीय उद्योग आवश्यकताओं की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए अपनी सुविधाओं को उन्नत और संवर्धित किया है, जिनका उपयोग रक्षा और एयरोस्पेस उपकरण तथा प्रणालियों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। एयरोस्पेस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन क्षमताओं का भी पूंजीकरण किया जा रहा है और कंपनी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- विभिन्न शिपयार्ड से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 20 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) का ऑर्डर।
- हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री (HVF) से 360 थर्मोप्रेस्ड प्लेट्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर।
- रक्षा मंत्रालय समुद्री प्रोपेलर विनिर्माण अवसंरचना की स्थापना के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता के साथ बड़े आकार के समुद्री प्रोपेलर के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर।
- Su-30 विमान के लिए लिक्विड सर्कुलेशन मॉड्यूल के लिए ऑर्डर
- नौसेना के अनुप्रयोग के लिए 1,350 kW अल्टरनेटर के डिजाइन और उसे तैयार करने के लिए अब तक का पहला ऑर्डर।

भविष्य का परिदृश्य

रक्षा मंत्रालय (MoD), रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत "मेक इन इंडिया" पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। खर्च और निवेश के लिए रक्षा बजट परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% की वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत अपने सैन्य आधुनिकीकरण और

76/62 मिमी उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट – एसआरजीएम (यू)

वर्ष 1994 से, बीएचईएल एकमात्र आपूर्तिकर्ता रहा है, जो हरिद्वार संयंत्र में भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों पर मुख्य गन, अत्याधुनिक 76/62 मिमी एसआरजीएम (सुपर रैपिड गन माउंट) का निर्माण करता है।

आज तक, बीएचईएल ने भारतीय नौसेना/तटरक्षक बल को 44 एसआरजीएम की आपूर्ति की है।

एसआरजीएम के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के बाद, बीएचईएल ने विनिर्माण, संयोजन, एकीकरण, प्रूफ फायरिंग, स्थापना, कमीशनिंग के लिए क्षमताओं का विकास किया है, जिसमें पुर्जों की आपूर्ति, दोष की पहचान/सुधार, और जांच आदि के माध्यम से सम्पूर्ण उत्पाद सेवा शामिल है।

भारतीय नौसेना को एसआरजीएम की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बीएचईएल ने हरिद्वार संयंत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, और नौसेना डॉकयार्ड मुंबई और विजाग में वाटर फ्रंट सपोर्ट सुविधाएं भी स्थापित की हैं।

भारतीय नौसेना की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, बीएचईएल ने उन्नत एसआरजीएम की पेशकश की है, जिसमें तेजी से युद्धाभ्यास/गैर-युद्धाभ्यास लक्ष्य, रेडियो-नियंत्रित लक्ष्यों और उच्च रेंज और सटीकता के साथ प्रोग्रामेबल वल्केनो गोला बारूद को फायर करने के लिए कई प्रकार के गोला बारूद का प्रबंधन करने की क्षमता जैसी उन्नत विशेषताएं हैं।

हमें पिछले दो वर्षों में 38 उन्नत एसआरजीएम के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

आईओसीएल पारादीप, ओडिशा में सल्फर रिकवरी यूनिट (एसआरयू) परियोजना का कार्य जारी है

उन्नयन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, खासकर वर्तमान भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए, MoD ने आयातित उत्पादों के समयबद्ध तरीके से स्वदेशीकरण के लिए सकारात्मक सूची जारी की है। यह घरेलू उद्योग की क्षमताओं पर सरकार के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

बीएचईएल अपनी उच्च डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं के साथ रक्षा व्यवसाय में भारत सरकार की पहल 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

1.2.2.4 कैप्टिव पावर और प्रोसेस प्लांट

बीएचईएल देश के धातु और खनन प्रक्रिया तथा रिफाइनरी और पेट्रो-रसायन उद्योगों में उपस्थिति के साथ 4 दशकों से अधिक समय से कैप्टिव पावर व्यवसाय में कार्य कर रहा है। इसके अलावा, आईओसीएल पारादीप, ओड़ीसा में सल्फर रिकवरी यूनिट (एसआरयू) पैकेज के लिए पहले ऑर्डर के निष्पादन से डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर (डीएसओजी) की प्रक्रिया इकाइयों से इस व्यावसायिक अवसरों से इस दिशा में नए अवसर प्राप्त होंगे।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- मौजूदा और नए ग्राहकों से 04 एसटीजी (40 मेगावाट से ऊपर) के ऑर्डर प्राप्त हुए।
- गैस टर्बाइन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जीएमबीएच, बाडेन, स्विटजरलैंड के साथ हस्ताक्षरित तकनीकी सहायता और लाइसेंस समझौते (टीएएलए) का विस्तार।

भविष्य का परिदृश्य

बीएचईएल के कैप्टिव पावर और प्रोसेस प्लांट बिजनेस वर्ग द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे सभी प्रमुख उद्योगों में क्षमता विस्तार/निवेश की उम्मीद है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) के अनुसार, देश का लक्ष्य 300 एमटीपीए की इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करना है, और वर्तमान क्षमता लगभग 160 एमटीपीए है। सेल की योजना 2030 तक अपनी क्षमता को मौजूदा 19.51 एमटीपीए से बढ़ाकर 35.65 एमटीपीए करने की है, जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील इस दशक के अंत तक अपनी क्षमता को मौजूदा 29.7 एमटीपीए से बढ़ाकर 50 एमटीपीए करने का विचार कर रहा है।

तेल एवं गैस उद्योग में, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, इसके अलावा 2030 तक रिफाइनरी क्षेत्र में 60 एमएमटीपीए की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्षों में भारतीय एल्युमीनियम उद्योग में महत्वपूर्ण मांग और वृद्धि की उम्मीद है। वेदांता, हिंडाल्को और नाल्को जैसी प्रमुख कंपनियाँ सरकार की विभिन्न कदमों से प्रेरित होकर पर्याप्त क्षमता विस्तार की योजना बना रही हैं। विभिन्न उद्योगों में अपने व्यापक अनुभव और ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए टिकाऊ और विविध समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बीएचईएल उद्योग में नियोजित विस्तार और निवेश से उत्पन्न होने वाले आगामी व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

1.3.2.5.औद्योगिक उत्पाद (तेल एवं गैस और विद्युत मशीनों सहित)

बीएचईएल पांच दशकों से अधिक समय से तेल एवं गैस क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहा है। भारत में अधिकांश रिफाइनरियाँ और पेट्रो-रसायन उद्योग बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए स्थिर और घूर्णन करने वाले उपकरणों से सुसज्जित हैं।

तेल की बढ़ती मांग के अलावा, विभिन्न उद्योग कंपनियां द्वारा हरित हाइड्रोजन और अमोनिया संयंत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया गया है।

इन आगामी परियोजनाओं में सेंट्री फ़्यूगल कम्प्रेसर, फायर्ड हीटर, हीट एक्सचेंजर्स, वाल्व, अत्यधिक भार वाले कॉलम और वेसल इत्यादि औद्योगिक उत्पादों के लिए व्यावसायिक अवसर मिलने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- 700 वेलहेड और 553 क्रिसमस ट्री का ऑर्डर
- HPCL विज़ाग और NRL परियोजनाओं के लिए 3 कंप्रेसर का ऑर्डर।
- स्वदेशी विकसित उत्पाद के लिए आईसीबी निविदा के विरुद्ध आपूर्ति के लिए 43 सकर रॉड पंप (एसआरपी) का पहला ऑर्डर।
- भारत के "आत्मनिर्भर भारत मिशन" के अनुरुप 15,000 पीएसआई वेल हेड और एक्स-मस ट्री विकसित किया गया और ओएनजीसी को आपूर्ति की गई।
- बाड़मेर के एचआरआरएल में फ्रैक्शनेटर कॉलम का वजन ~700 टन है जिसका हाइड्रो-परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, यह भार और व्यास के मामले में रिफाइनरी क्षेत्र के लिए बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला सबसे बड़ा कॉलम है।

बीएचईएल द्वारा निर्मित पारंपरिक क्रिसमस ट्री वाल्व

भविष्य का परिदृश्य

भारत में तेल की मांग 2045 तक वर्तमान स्तर 19 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन से दोगुनी होकर 38 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद है। भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े रिफाइनर के रूप में खुद को स्थापित किया है और 2030 तक रिफाइनिंग क्षमता को 254 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 450 एमएमटीपीए करने का लक्ष्य रखा है।

उद्योगों की विस्तार योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों जैसे तेल और गैस (उतार/ चढाव), इस्पात, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स में उत्पाद और सिस्टम प्रस्ताव के माध्यम से बीएचईएल की स्थापित उपस्थिति को देखते हुए, बीएचईएल आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

1.3.2.6 नए एवं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में व्यवसाय

COP28 करार में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु प्रभावों के प्रति संवदेनशील बनने और जलवायु संकट से बचने पर जोर दिया गया है। भारत कोल पावर पर निर्भर होने के साथ-साथ, जलवायु कार्य योजना के पाँच अमृत तत्वों (पंचामृत) के अनुरुप 2070 तक नेट जीरो देश बनने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि पर भी जोर दे रहा है। भारत सरकार 2030 तक 500GW अक्षय ऊर्जा क्षमता बनने की योजना बना रही है। अक्षय ऊर्जा को तेजी से अपनाने से भारत में सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण बाजार को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही EV चार्जर, हाइड्रोजन व्यवसाय आदि जैसे व्यवसाय क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है, जहाँ बीएचईएल अपने व्यवसाय में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है।

अक्षय ऊर्जा

भारत हाल ही में अपडेट किए गए NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) में 2030 तक लगभग 50% विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें से अधिकांश सौर क्षमताएँ होने की उम्मीद है।

हाइड्रोजन व्यवसाय

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, भारत सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य बना रही है। एमएनआरई ने इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 17,490 करोड़ रुपये की ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT योजना) के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप शुरु किया है। एमएनआरई के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रोलाइजर की कुल स्थापित क्षमता 2030 तक 60-100 गीगावॉट होने का अनुमान है, जिसमें 5 MMTPA की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता है।

यह विकास इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, हाइड्रोजन भंडारण और वितरण समाधान, ईंधन सेल और बायोमास सहित हाइड्रोजन में पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (FAME) को तेजी से अपनाने और विनिर्माण की योजना शुरु की। सरकार ने ईवी के लिए आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एसीसी पीएलआई, ऑटो-पीएलआई आदि जैसी कई अन्य योजनाएं भी शुरु की हैं, जिससे भारत में ईवी को तेजी से अपनाया जा सके।

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)

मई 2023 में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत योजना-2032 में भारत में स्थापित बीईएसएस क्षमता के 2027 तक 8.6 गीगावाट/34 गीगावाट तथा 2032 तक 47 गीगावाट/236-घंटा गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 3,760 करोड़ रुपये के बजट सहायता के रूप में एमओपी की Viability Gap Funding Scheme मार्च 2024 में शुरु की गई है। इससे 2025-26 तक वीजीएफ-लिंक्ड बीईएसएस परियोजनाओं के 4 गीगावाट/घंटा के आवंटन के माध्यम से बीईएसएस की मांग में तेजी आने की उम्मीद है।

भविष्य का परिदृश्य

बीएचईएल भविष्य में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में अपने अनुभव, इंजीनियरिंग और निष्पादन शक्ति का लाभ उठाने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा, बीएचईएल ने अन्य ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के साथ-साथ मुख्य रूप से आरई परियोजनाओं में अवसरों हेतु मैसर्स आरईसी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी की एक सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरुप, बीएचईएल एक मजबूत हाइड्रोजन व्यवसाय का निर्माण करके अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसे 2030 तक गीगावाट क्षमता पर इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करना है। बीएचईएल ने 50 किलोवाट अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर प्रणाली के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौता किया है इसके साथ इलेक्ट्रोलाइजर, ईंधन कोशिकाओं, बायोमास गैसीफिकेशन और टाइप IV सिलेंडरों में रुचि रखने वाले संगठनों के साथ सहयोग के अवसरों की तलाश कर रहा है। बीएचईएल ने 5 किलोवाट पीईएम ईंधन सेल (पीईएमएफसी) विकसित बीपीसीएल रिटेल आउटलेट बीकेसी कॉम्प्लेक्स, मुंबई में पहला स्वदेशी निर्मित 60 किलोवाट ईवी चार्जर चालू किया और इसके बाद पूरे भारत में बीपीसीएल रिटेल आउटलेट पर कुल 59 ऐसे चार्जर लगाए हैं। उच्च रेटिंग वाले ईवी चार्जर (240 किलोवाट और उससे अधिक) के स्वदेशी विकास और विनिर्माण के लिए भी पहल चल रही है।

बीएचईएल सिस्टम इंजीनियरिंग और परियोजना निष्पादन में अपने लंबे अनुभव का लाभ उठाकर एकीकृत समाधान पेश करके बीईएसएस मांग में अपेक्षित तेज वृद्धि के अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

व्यावसायिक क्षेत्रों की रूपरेखा एवं कार्य-निष्पादन | अंतरराष्ट्रीय परिचालन

1.3.3 अंतरराष्ट्रीय परिचालन

संक्षिप्त परिचय

बीएचईएल दशकों से निर्यात में देश के लिए ध्वजवाहक रहा है, और धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और विस्तार कर रहा है। हमारा व्यवसाय 89 देशों तक फैला हुआ है। हमारी विदेशों में 13 GW की स्थापित क्षमता है और 4 GW से अधिक की स्थापना के चरण में है।

वर्तमान में, विदेशों में निष्पादन के अधीन प्रमुख परियोजनाओं में (6x200 MW) Punatsangchhu-I और (6x170 MW) Punatsangchhu-II हाइड्रो परियोजनाएं; (4x225 MW) अरुण-3 हाइड्रो परियोजना और (2x20 MW) नेपाल में राहुघाट हाइड्रो परियोजना; 26 MW कैलाबार गैस आधारित विद्युत परियोजना और नाइजीरिया में 1.3 MW कदुना सोलर मिनी ग्रिड परियोजनाएं और उत्पादों और पुर्जों और सेवाओं / स्पेयर्स एंड सर्विसेस के लिए कई ऑर्डर शामिल हैं।

उत्पादों, विक्रय उपरांत सेवाओं के लिए विदेशी व्यवसाय में कंपनी का प्रयास हाल के महत्वपूर्ण ऑर्डरों की प्राप्ति के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर रहा है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में गैस टरबाइन के पार्ट्स के लिए नाइजीरिया में परामर्श सेवाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर और अन्य उल्लेखनीय ऑर्डर शामिल हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- **विदेशी बाजार से गैस टरबाइन पार्ट्स सेगमेंट में सबसे बड़े ऑर्डर:** Fr-9E गैस टरबाइन रोटर और इंटरनेशनल एनर्जी रीसोर्सिस (IER) FZCO, UAE से पार्ट्स की आपूर्ति के लिए विदेशी गैस टरबाइन पार्ट्स सेगमेंट से अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर (2 नंबर)।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में नए सेगमेंट में प्रवेश -** रेलवे सेगमेंट में पहला प्रत्यक्ष निर्यात आदेश: श्रीलंका रेलवे के लिए लोकोमोटिव पुर्जों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किया जो रेलवे सेगमेंट में पहला प्रत्यक्ष निर्यात ऑर्डर है।
- **विदेशी बाजार में अब तक का सबसे बड़ा परामर्श सेवा ऑर्डर:** क्रोमकंसोर्शियम एनर्जी नाइजीरिया लिमिटेड (CCENL), नाइजीरिया से सुरक्षित तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सेवा सेगमेंट में महत्वपूर्ण ऑर्डर। यह विदेशी बाजार से अब तक का सबसे बड़ा परामर्श सेवा ऑर्डर है।
- **ट्रांसफार्मर के लिए विदेशी ऑर्डर :** चूखा हाइड्रोपावर प्लांट, भूटान के लिए जनरेटर ट्रांसफार्मर (4 संख्या) की आपूर्ति के लिए भूटान से उत्पाद बिक्री खंड से महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किया गया है।
- **इराक से Fr-9E गैस टर्बाइन पार्ट्स के लिए ऑर्डर:** इराक के विद्युत मंत्रालय को गैस टर्बाइन पार्ट्स की आपूर्ति के लिए मैसर्स तारीक अल-मलक, इराक से ऑर्डर (2 नंबर) प्राप्त हुए। उल्लेखनीय रूप से, ये इराकी बाजार से प्राप्त जीटी पार्ट्स के अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर हैं।
- **बीएचईएल की सबसे बड़ी विदेशी परियोजना -** 2x660 मेगावाट मैत्री एसटीपीपी, बांग्लादेश का उद्घाटन: प्रतिष्ठित विदेशी परियोजना, बांग्लादेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजनाओं में से एक का उद्घाटन नवंबर, 2023 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रुप से किया गया। विशेष रुप से, इस परियोजना की दूसरी इकाई को जी2जी बैठकों में प्रतिबद्ध चुनौतीपूर्ण लक्ष्य से पहले ही सिंक्रनाइज़ किया गया था। इसके बाद, क्षमता वृद्धि भी हासिल की गई।
- **ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लांट के लिए बीएचईएल के पहले विदेशी टर्नकी अनुबंध का उद्घाटन** - Tamarind Falls, Henrietta मॉरीशस

बीएचईएल द्वारा कमीशन की गई मैत्री एसटीपीपी, बांग्लादेश की यूनिट 2

में 8 MW एसी सोलर पीवी फार्म: परियोजना का उद्घाटन नवंबर, 2023 में मॉरीशस के माननीय प्रधान मंत्री और भारत सरकार के विदेश और संसदीय कार्य राज्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विशेष रूप से, यह ग्रिड से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए बीएचईएल का पहला विदेशी टर्नकी अनुबंध है और साथ ही मॉरीशस में बीएचईएल की पहली परियोजना है।

- **स्पेन में पहली बार प्रवेश:** बीएचईएल ने स्पेन से अपना पहला ऑर्डर हासिल करके 89 देशों (भारत के अलावा) में अपने पैठ जमाई है।

भविष्य का परिप्रेक्ष्य

निर्यात बीएचईएल का मुख्य क्षेत्र रहा है तथा बीएचईएल के निर्यात कारोबार को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

कंपनी अपने विश्व स्तरीय डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि विशेष रूप से बिजली, तेल एवं गैस और उद्योग क्षेत्रों में अनुकूलित उत्पादों और टर्नकी समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति की जा सके और बीएचईएल को पारंपरिक विनिर्माण स्थलों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित किया जा सके। कंपनी कोयला, तेल और गैस से चलने वाली विद्युत परियोजनाओं के पारंपरिक खंड पर जोर देने के साथ अफ्रीका, मध्य पूर्व के लक्षित बाजारों में अपने ठोस प्रयासों को जारी रख रही है। कंपनी पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान में हाइड्रो सेगमेंट में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाकर कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है। विक्रय उपरांत के साथ-साथ उत्पाद आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने से परिणाम मिलने लगे हैं।

बीएचईएल द्वारा कमीशन की गई 8 मेगावाट$_{\text{एसी}}$ टैमरिंड फॉल सोलर पीवी परियोजना

बीएचईएल की वैश्विक पहचान

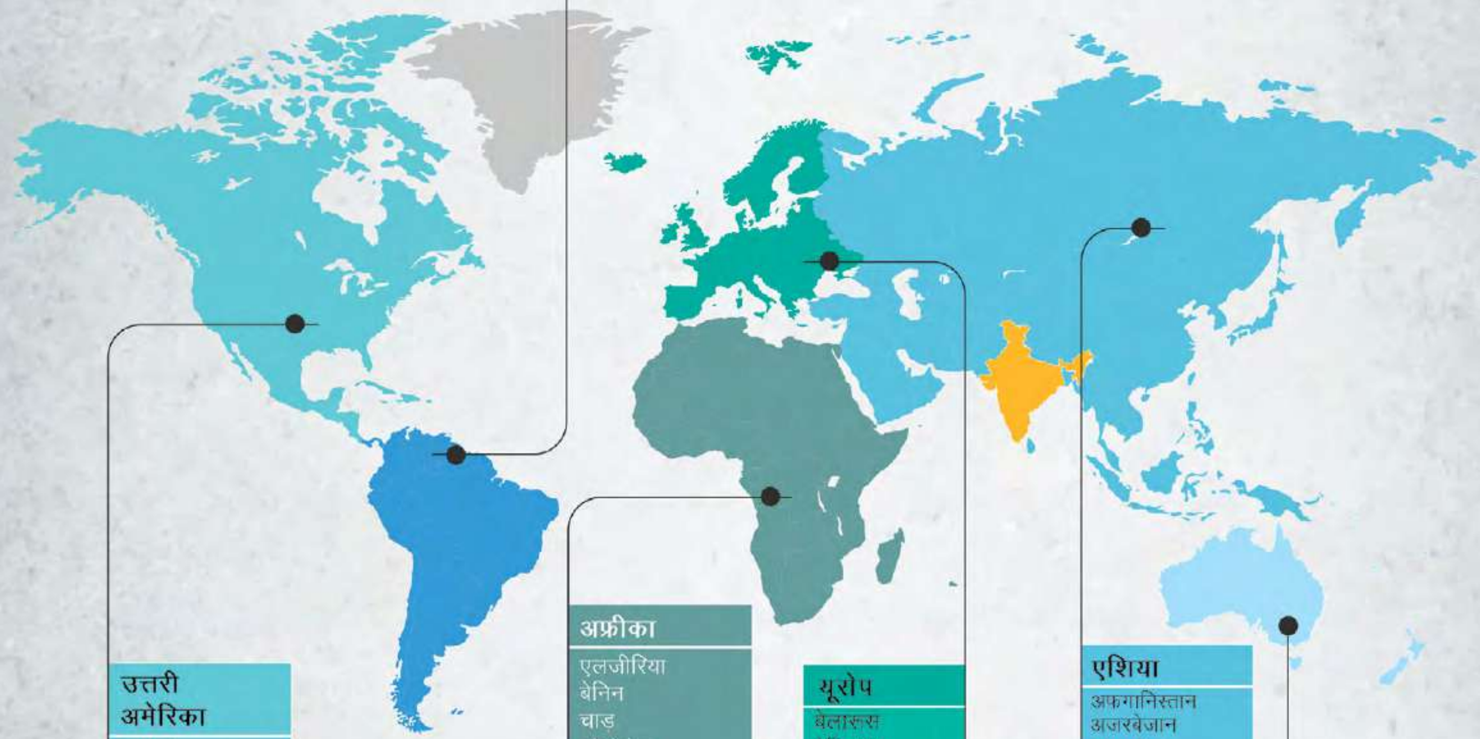

दक्षिण अमेरिका

चिली
सूरीनाम
त्रिनिदाद और टोबैगो

उत्तरी अमेरिका

कनाडा
मेक्सिको
संयुक्त राज्य अमेरिका

अफ्रीका

एलजीरिया
बेनिन
चाड
कोमोरोस
डीआर कांगो
मिस्र
इरवातिनि
इथियोपिया
घाना
केन्या
लीबिया
लाइबेरिया
मलावी
मॉरीशस
मोजामिक
नाइजीरिया
रवांडा
सेनेगल
दक्षिण अफ्रीका
सूडान
तंजानिया
टोगो
युगांडा
जाम्बिया
जिम्बाब्वे

यूरोप

बेलारूस
बेल्जियम
बुल्गारिया
साइप्रस
एस्टोनिया
फिनलैंड
फ्रांस
जॉर्जिया
जर्मनी
ग्रीस
आयरलैंड
इटली
माल्टा
पोलैंड
रोमानिया
रूस
स्पेन
स्वीडन
स्विट्जरलैंड
तुर्की
यूक्रेन
यूनाइटेड किंगडम

एशिया

अफगानिस्तान
अजरबेजान
बांग्लादेश
बहरीन
भूटान
ब्रुनेई
चीन
हांगकांग
इंडोनेशिया
ईरान
इराक
जापान
जॉर्डन
कजाखस्तान
कुवैत
लाओस
मलेशिया
म्यांमार
नेपाल
ओमान
फिलीपींस
सऊदी अरब
सिंगापुर
दक्षिण कोरिया
श्रीलंका
सीरिया
ताइवान
तजाकिस्तान
थाईलैंड
संयुक्त अरब अमीरात
वियतनाम
यमन

ओशिनिया

ऑस्ट्रेलिया
नया केलडोनिया
न्यूजीलैंड
समोआ

सभी छह बसे हुए महाद्वीपों के **89** देशों से व्यावसायिक संबंधों से वैश्विक पहचान

मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना

- एक इंजीनियरिंग चमत्कार

बीएचईएल ने बांग्लादेश में 2x660 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, जिसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थायी मित्रता और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है।

इस परियोजना में बीएचईएल की भूमिका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंसट्रक्शन (ईपीसी) के पूरे स्पेक्ट्रम में फैली हुई है, जो बीएचईएल की तकनीकी विशेषज्ञता और परियोजना निष्पादन क्षमताओं का उदाहरण है।

यह परियोजना एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जो ड्रेज्ड नदी की रेत से भरी हुई पुनः प्राप्त/ रीक्लेंम्ड भूमि पर और अत्यधिक चक्रवात-प्रवण क्षेत्र में बनाई गई है, जो 262 किमी/घंटा की अत्यंत तेज गति वाली हवा के लिए डिजाइन की गई है और यह बीएचईएल द्वारा पूरी की गई अब तक की सबसे अधिक गति वाली परियोजना है।

इस परियोजना में 400 केवीजीआईएस, रिवर वाटर जेट्टी (540 मीटर लंबा, बांग्लादेश में सबसे बड़ा), शिप अनलोडर, हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल सिस्टम, कोयले के लिए बड़े स्पेस फ्रेम कवर शेड, साइलो से न्यूमेरिक फ्लाई ऐश लोडिंग, लाइम और जिप्सम के लिए पाइप कन्वेयर, 275 मीटर आरसीसी चिमनी के साथ एफआरपी फ्लू केन और एक एकीकृत एफजीडी सिस्टम (पर्यावरण मानदंडों को पूरा करने के लिए) जैसे अनूठे उपकरणों का निर्माण शामिल था।

उन्नत, विश्व स्तरीय सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी से युक्त मैत्री पावर प्लान्ट मुख्यतः उत्सर्जन को कम करता है और ईंधन की दक्षता को बढ़ाता है।

इस प्रकार की प्रतिष्ठित परियोजनाओं में नेतृत्व करके बीएचईएल राष्ट्र की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित कर रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण

(लेखा नीति में परिवर्तन के कारण पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, वित्तीय विवरण की नोट संख्या 44 देखें)

1.4.1 बीएचईएल स्टैंडअलोन

ए. वित्तीय परिणाम

कुल आय

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	**22,921**	22,136
अन्य परिचालन आय	**972**	1,229
अन्य आय	**588**	515
कुल आय	**24,481**	**23,880**

कंपनी के थर्मल व्यवसाय के पुनरुद्धार और बहुआयामी विविधीकरण प्रयासों ने कंपनी के संचालन को नई गति दी है। आने वाले वर्षों में प्राप्त रिकॉर्ड ऑर्डर के निष्पादन से उच्च राजस्व की उम्मीद है।

2. व्यय

2.1 सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
प्रत्यक्ष सामग्री उप संविदा लागत सहित)	**16,894**	15,954
राजस्व	**22,921**	22,136
तैयार माल, चल रहे कार्य और स्क्रैप के भंडार में वृद्धि/कमी	**(437)**	(57)
सकल राजस्व (उत्पादन का मूल्य)	**23,358**	22,193
प्रत्यक्ष सामग्री लागत के % के रुप में सकल राजस्व	**72%**	72%

प्रत्यक्ष सामग्री लागत पिछले वर्ष के स्तर पर बनी हुई है। कंपनी कई उपायों के माध्यम से लागत में कमी लाने की रणनीति बना रही है, जिसमें केंद्रीकृत खरीद/उप-संविदा, विक्रेता आधार में वृद्धि, विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों कोलिक्विडिटी सहायता, डिजाइन अनुकूलन, स्वदेशीकरण आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य शामिल है।

2.2 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**5,629**	5,701
कर्मचारियों की संख्या	**28,673**	29,536

वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्मचारी लाभ व्यय को तीन साल में एक बार देय आवधिक वेतन समीक्षा के लिए समायोजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप पिछले वर्ष 2022-23 से संबंधित कर्मचारी हितलाभ व्यय में बदलाव हुआ है।

2.3 अन्य व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
क) विनिर्माण, प्रशासन, विक्रय और वितरण संबंधी अन्य व्यय	1,534	1,466
बी) बिजली और ईंधन	452	488
कुल	**1,986**	**1,954**
राजस्व के % के रूप में	8.7%	8.8%
ग) प्रावधान (शुद्ध)	(1,037)	(1,083)
घ) विनिमय दर में बदलाव	(105)	(460)
कुल	**844**	**411**

बजटीय नियंत्रण अपनाते हुए अन्य व्यय (राजस्व के प्रतिशत के रूप में) को 8.7% पर optimize किया गया है।

प्रावधानों का विवरण (शुद्ध) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
संदिग्ध ऋण (ईसीएल सहित), निवर्ति हर्जाना, ऋण, अग्रिम और जमा तथा अन्य	1,481	(663)
अशोध्य ऋण, एल.डी., निवेश एवं बट्टे खाते में डाले गए घाटे	66	148
संविदात्मक दायित्व	(2,584)	(568)
कुल	**(1,037)**	**(1,083)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने संविदागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना करते समय मुद्रा के फैक्टरिंग समय मूल्य को ध्यान में रखने के लिए आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुरूप अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है। लेखांकन नीति में यह बदलाव आज की तारीख में संविदागत परिसंपत्तियों की बेहतर प्रस्तुति को दर्शाता है।

यह परिवर्तन Ind AS 8 के अनुपालन में बैलेंस शीट में पुनः तैयार किए जाने (01 अप्रैल, 2022 तक) के साथ पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। 01 अप्रैल, 2022 तक अनुबंध परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रदान किया गया प्रभाव कुल इक्विटी में 2,626.50 करोड़ रुपये की कमी, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईसीएल के लिए प्रावधान में 236.17 करोड़ रुपये की निकासी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईसीएल के लिए प्रावधान में 1,093.50 करोड़ रुपये की निकासी है।

ऐतिहासिक अनुभव/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों के अनुरुप वारंटी (संविदात्मक दायित्वों) के लिए अपने प्रावधान की समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान राजस्व में ₹92.47 करोड़ की कमी आई है, तथा प्रावधानों में ₹1,356.12 करोड़ की कमी आई है।

इसके अलावा, तत्काल भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान लागत का पुनर्संतुलन किया गया है और प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर कुछ मामलों में योग्यता आधारित प्रावधान किया गया है। ग्राहक निपटान के माध्यम से प्रावधान निकासी पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता बनी हुई है।

3 वित्त लागत

(₹ करोड़)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
वाणिज्यिक कागज-पत्रों पर छूट एवं व्यय	9	51
ब्याज व्यय	601	309
प्रावधानों को समाप्त करना	121	161
कुल	**731**	**521**

उधार पर उच्च ब्याज दरों के साथ-साथ उधार के तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर को देखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में वित्त लागत में वृद्धि हुई है।

4. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ **करोड़**)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**249**	260

मूल्यह्रास लागत पूंजीकरण समय अवधि और परिसंपत्ति वर्ग के मिश्रण के आधार पर भिन्न होती है। कुल मिलाकर, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मूल्यह्रास लागत में कमी आई है।

5. कर व्यय

(₹ **करोड़**)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
वर्तमान कर - चालू वर्ष	31	48
- प्रारंभिक वर्ष	(143)	(159)
आस्थगित कर - चालू वर्ष	59	173
- प्रारंभिक वर्ष	13	(1)
कुल	**(40)**	**61**

वर्ष के लिए चालू कर व्यय कम है, जिसका मुख्य कारण पिछले कर निर्धारण वर्षों से संबंधित आयकर रिफंड के समायोजन के कारण कर व्यय का वापस होना है।

6. लाभप्रदता

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4.9% की दर से EBITDA के साथ 1,201 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ 220 करोड़ रुपये और कर-पश्चात लाभ 260 करोड़ रुपये दर्ज किया।

सामग्री लागत वित्त वर्ष 2022-23 के समान 72% के उच्च स्तर पर बनी रही, जिससे सकल मार्जिन और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में कम लाभ मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में कम ईआरवी अर्जन और अधिक उधार लागत जैसे कारकों से हुआ है।

वर्ष के दौरान लाभप्रदता अनुबंध परिसंपत्तियों पर ईसीएल के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन और अनुबंधीय दायित्व प्रावधान के संबंध में अनुमान में परिवर्तन से भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा, प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर कुछ मामलों में योग्यता आधारित प्रावधान के माध्यम से तत्काल भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान लागत का पुनर्संतुलन किया गया है।

7. अन्य व्यापक आय

(₹ **करोड़**)

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
परिभाषित कर्मचारी हितलाभ लाभ/(हानि) का पुनः मापन	**(110)**	(23)
घटाएँ: उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	**(28)**	(6)
कुल	**(82)**	**(17)**

अन्य व्यापक आय में परिभाषित लाभ योजनाओं जैसे ग्रेच्युटी, पीएफ, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ आदि पर पुनः मापित लाभ/(हानि) शामिल हैं।

ख. वित्तीय स्थिति

8. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त संपत्ति और पूंजीगत WIP

(₹ **करोड़**)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सकल वहन मूल्य	**7,236**	6,949
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	**4,662**	4,473
शुद्ध वहन मूल्य (शुद्ध ब्लॉक)	**2,574**	2,476
सीडब्ल्यूआईपी और विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	**308**	354
कुल	**2,882**	**2,830**

परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत बिक्री के लिए कुछ संपत्तियों की पहचान की गई है, जो अपेक्षित अनुमोदन के अधीन हैं (विवरण नोट 3.1 (अतिरिक्त प्रकटीकरण) में दिया गया है)।

9. इक्विटी निवेश

(₹ **करोड़**)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	निवेश	हानि / FV adj.	निवल	निवेश	हानि / FV adj.	निवल
संयुक्त उद्यमों में निवेश	718	(52)	**666**	718	(52)	666
अन्य इक्विटी उपकरणों में निवेश	1	1	**2**	1	3	4
कुल	**719**	**(51)**	**668**	**719**	**(49)**	**670**

संयुक्त उद्यमों (जेवी) में निवेश को Ind AS के अनुसार, हानि, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात लागत में दर्ज किया गया। अन्य इक्विटी में निवेश को लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है तथा रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य के आधार पर वहन मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं।

10. व्यापार प्राप्य (निवल)

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
कुल प्राप्य	15,284	5,889	**21,173**	14,920	3,801	18,721
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	12,059	1,104	**13,163**	11,504	673	12,177
व्यापार प्राप्य (निवल)	**3,225**	**4,785**	**8,010**	**3,416**	**3,128**	**6,544**

मार्च 2024 के अंत तक व्यापार प्राप्य राशि 8,010 करोड़ रुपये के स्तर पर थी, जबकि मार्च 2023 के अंत तक यह 6,544 करोड़ रुपये थी। व्यापार प्राप्य राशि में वृद्धि मुख्य रूप से कुछ बड़े ग्राहकों द्वारा विलंबित/अनियमित भुगतान के कारण हुई है।

11. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा बैंक शेष

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
नकद और नकद समतुल्य	**1,835**	1,561
3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशि	**3,740**	4,852
मार्जिन मनी के विरुद्ध निर्धारित बैंक बैलेंस और एफडी	**582**	285
कुल	**6,157**	**6,698**

कंपनी नकदी संग्रह को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जिसके परिणामस्वरुप ग्राहक अग्रिम सहित पिछले वर्ष की तुलना में संग्रह में लगभग 13% की वृद्धि हुई है।

12. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**4,201**	4,247

वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी मुख्य रूप से अग्रेनीत हानि के समायोजन के कारण हुई है। वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण 31 मार्च, 2023 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनः घोषित किया गया है।

13. अन्य परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
अनुबंध परिसंपत्तियां (शुद्ध)	13,296	13,452	**26,748**	16,606	9,860	26,466
प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	1,301	**1,301**	-	1,086	1,086
वसूली योग्य दावा	570	951	**1,521**	300	801	1,101
कर प्राधिकरणों व अन्य के पास जमा करें	105	413	**518**	112	450	562
अग्रिम एवं अन्य	142	65	**207**	70	138	208
घटाएँ: प्रावधान	423	269	**692**	133	236	369
कुल	**13,690**	**15,913**	**29,603**	**16,955**	**12,099**	**29,054**

प्रमुख घटक अनुबंध परिसंपत्तियों से संबंधित है, जो बिल न किए गए राजस्व को दर्शाता है, जिसका भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार अभी तक नहीं हुआ है।

14. मालसूची

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कच्चा माल एवं घटक	3,069	3,029
WIP	3,918	3,483
FG	503	512
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	215	203
अन्य इन्वेंटरी	298	273
उप योग	**8,003**	**7,500**
घटाएँ: नॉन मूविंग इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	782	744
कुल	**7,221**	**6,756**

भविष्य में अधिक ऑर्डरों के उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी को इष्टतम स्तर पर रखा जाता है।

15. वर्तमान कर परिसंपत्तियां /(देनदारियां) – निवल

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023
वर्तमान कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां)- प्रावधानों का निवल	**229**	226

यह राशि मुख्य रूप से टीडीएस (कर प्रावधान को छोड़कर) है, जिसे निकट भविष्य में वापस किया जाना है।

16. शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अधिकृत शेयर पूंजी	**2,000**	2,000
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	**696**	696

भारत सरकार की शेयरधारिता 63.17% पर बनी हुई है।

17. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रारम्भिक शेष	**24,116**	26,275
नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण बहाली	**-**	(2,627)
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	**177**	607
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	**(139)**	(139)
अंतिम शेष	**24,154**	**24,116**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट घाटे की गणना करते समय धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए अपनी लेखा नीति में बदलाव किया, जो वर्ष के दौरान आईसीएआई से प्राप्त विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुरूप है। यह परिवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है और भारतीय लेखा मानक 8 के अनुपालन में वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक बैलेंस शीट (01 अप्रैल, 2022 तक) प्रदान की गई है।

इसके अलावा, निवल संपत्ति में परिवर्तन वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय और वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के लाभांश के कारण है। वर्ष 2022-23 के लिए 20% लाभांश को 24 अगस्त, 2023 को आयोजित एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाद में वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था।

18. उधार और पट्टा देयताएं

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
उधार	-	8,808	**8,808**	-	5,385	5,385
पट्टा देयताएं	23	25	**48**	34	35	69
कुल	**23**	**8,833**	**8,856**	**34**	**5,420**	**5,454**

कंपनी ने नकदी प्रवाह/बहिर्वाह में अंतर को पाटने के लिए बीच-बीच में अल्पावधि उधारी ली। WCDL, FD के विरुद्ध ऋण और वाणिज्यिक पत्र के रूप में अल्पावधि उधारी ली गई। कंपनी ने अपने उधारों का भुगतान नियत तिथि पर या उससे पहले सुनिश्चित करना जारी रखा है।

19. वित्तीय देनदारियां

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
व्यापार देनदारियां	2,293	8,696	**10,989**	2,066	9,896	11,962
अन्य वित्तीय देयताएं	326	1,418	**1,744**	256	1,405	1,661
कुल	**2,619**	**10,114**	**12,733**	**2,322**	**11,301**	**13,623**

विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों को समय पर लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 के अंत तक व्यापार देयताओं में कमी आई है।

20. प्रावधान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
संविदागत देयता का प्रावधान	1,373	449	**1,822**	2,990	784	3,774
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	904	1,228	**2,132**	878	1,384	2,262
अन्य प्रावधान	212	639	**851**	233	623	856
सीएसआर के लिए प्रावधान	-	2	**2**	-	6	6
कुल	**2,489**	**2,318**	**4,807**	**4,101**	**2,797**	**6,898**

ऐतिहासिक अनुभव/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों के अनुरूप वारंटी (संविदात्मक दायित्वों) के लिए अपने प्रावधान की समीक्षा की है। कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान छुट्टी, चिकित्सा और ग्रेच्युटी लाभों के बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। अन्य प्रावधानों में मुख्य रूप से घाटे में चल रहे अनुबंधों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

21. अन्य देनदारियां

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
ग्राहकों से अग्रिम (मूल्यांकन समायोजन सहित)	4,063	3,070	**7,133**	2,586	3,049	5,635
सांविधिक बकाया	-	993	**993**	-	908	908
सरकारी अनुदान	39	4	**43**	20	5	25
कुल	**4,102**	**4,067**	**8,169**	**2,606**	**3,962**	**6,568**

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग की है, जिसके कारण परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान अग्रिम राशि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वैधानिक बकाया मुख्य रूप से जीएसटी देयता के कारण है, जिसे नियमित

रूप से नियत तिथियों पर चुकाया जाता है, जैसा कि "अन्य परिसंपत्तियों" (क्रम संख्या 13 देखें) के तहत बताया गया है।

ग. फंड की स्थिति

22. फंड प्रवाह की स्थिति और लिक्विडिटी

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी	(490)	(54)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	(3,445)	(797)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	(3,713)	(741)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	1,331	1,480
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	2,656	89

वर्ष 2023-24 के दौरान कुछ बड़े ग्राहकों द्वारा विलंबित/अनियमित भुगतान के कारण तरलता की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही है, और नकदी का बहिर्वाह मुख्य रूप से परियोजना निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री/उप-संविदा पर अधिक रहा है ।

फिर भी, वर्ष 2024-25 से तरलता की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जिसका आंशिक कारण हाल ही में प्राप्त परियोजनाओं के प्रारंभिक माइलस्टोन की अग्रिम राशि और कुछ परियोजनाओं में प्रमुख माइलस्टोन प्राप्त हो जाने की उपलब्धि है।

घ. प्रमुख वित्तीय अनुपात

लिस्टिंग विनियमों की अपेक्षा के अनुपालन में, जहाँ भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण के साथ प्रमुख वित्तीय अनुपात वित्तीय विवरणों के नोट [43] में प्रदान किए गए हैं।

च. सेगमेंट प्रदर्शन

कंपनी के दो ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं, पावर और उद्योग। दोनों ही सेगमेंट ने सकारात्मक बॉटम लाइन के साथ राजस्व में वृद्धि दर्ज की है। सेगमेंट का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

राजस्व (₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2023-24

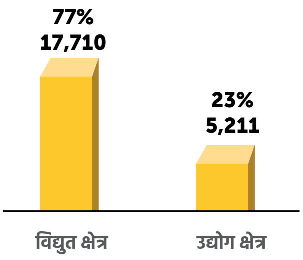

राजस्व (₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2023-24

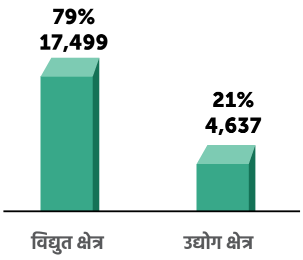

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24		2022-23	
	विद्युत	उद्योग	विद्युत	उद्योग
सेगमेंट राजस्व	17,710	5,211	17,499	4,637
सेगमेंट परिणाम	1,657	137	1,585	484
सेगमेंट नियोजित पूंजी	18,891	2,337	14,751	2,735

1.4.2 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

क. बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS):

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS) बीएचईएल और जीई, यूएसए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग करने के लिए बनाई गई है।

वित्तीय विवरण संक्षेप में इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24*	2022-23
बीएचईएल शेयर (%)	50% से एक शेयर कम	50% से एक शेयर कम
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	2.38	2.38
परिचालन से राजस्व	1,054.74	967.13
कर पश्चात लाभ/(हानि)	127.95	112.56
निवल मूल्य	508.97	464.59

* लेखापरीक्षा से पूर्व अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

वित्त वर्ष 2023-24 में, बीजीजीटीएस ने 4.76 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी पर 350% का अंतिम लाभांश (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए) और 1400% अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

ख. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL):

एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) बीएचईएल और एनटीपीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे विद्युत संयंत्रों के लिए ईपीसी अनुबंधों को निष्पादित करने और विद्युत संयंत्र उपकरणों के निर्माण के लिए बढ़ावा दिया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी के पास आंध्र प्रदेश के मन्नावरम में बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) उपकरणों के लिए एक विनिर्माण सुविधा है । संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24*	2022-23
बीएचईएल शेयर (%)	50%	50%
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	50.00	50.00
परिचालन से राजस्व	19.07	51.27
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(4.16)	(15.97)

* लेखापरीक्षा से पूर्व अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

एनटीपीसीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य के लिए शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹50.00 करोड़ (पिछले वर्ष के समान) की सीमा तक प्रावधान किया गया है। निदेशक मंडल ने 08 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने अगस्त 2019 में एनटीपीसी को बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करने और वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे इनहाउस ईपीसी शाखा के रूप में जारी रखने या इसे बंद करने का निर्णय लेने की सलाह दी थी। इसके बाद, 03 अक्टूबर, 2022 को एमओपी में आयोजित एक बैठक में ऊंचाहार टीपीपी (1×500 MW) में चल रहे शेष कार्यों के पूरा होने के बाद एनबीपीपीएल को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

ग. रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL):

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL) BHEL और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे कर्नाटक में 800 MW के सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए स्थापित किया गया है। यह प्लांट निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन के आधार पर बनाया जाएगा। 31 मार्च, 2024 तक चुकता इक्विटी पूंजी 2,999.76 करोड़ रुपये थी, जिसमें KPCL का 2,335.72 करोड़ रुपये और BHEL का 664.04 करोड़ रुपये का योगदान था। कंपनी की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24*	2022-23
बीएचईएल शेयर (%)	22.14%	22.14%
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	664.04	664.04
परिचालन से राजस्व	3,924.29	3,078.86
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(1,529.03)	(1,389.22)

* लेखापरीक्षा से पूर्व अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को PBT स्तर पर अधिक घाटा हुआ, लेकिन कंपनी का EBITDA सकारात्मक रहा। विद्युत की मांग में सुधार के साथ, संयंत्र के संचालन में सुधार की उम्मीद है, जिससे कंपनी के मुनाफे में मदद मिलेगी।

घ. पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड (PPIL):

पावर प्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड (PPIL) बीएचईएल और सीमेंस एजी, जर्मनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे पुराने जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए स्थापित किया गया है।

चूंकि कंपनी की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवसाय नहीं मिल रहा था, इसलिए समर्थक भागीदारों ने कंपनी को धीरे-धीरे बंद करने के लिए आपसी सहमति व्यक्त की। JVC के सभी लंबित अनुबंध बंद कर दिए गए और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान समापन की प्रक्रिया शुरु की गई। JVC परिसमापन के अधीन है।

पीपीआईएल में 2 करोड़ रुपये के निवेश की पूरी व्यवस्था की गई है।

1.4.3 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

समेकित वित्तीय विवरण Ind AS 110 "समेकित वित्तीय विवरण" और Ind AS 28 "सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

संयुक्त उद्यमों के लिए वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानक के अनुरूप इक्विटी पद्धति अपनाई गई है। मैसर्स पीपीआईएल पर सीएफएस के लिए विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह परिसमापन के अधीन है।

उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय निष्पादन के परिणामों का सारांश निम्नानुसार है:

वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
परिचालन से राजस्व	23,893	23,365
कर से पहले लाभ/(हानि)	243	716
कर के बाद लाभ/(हानि)	282	654
अन्य व्यापक आय/(तुकसान)	(83)	(17)
कुल व्यापक आय/ (तुकसान)	200	637

संयुक्त उद्यम - बीजीजीटीएस के संबंध में लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 63.98 करोड़ रुपये था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 56.02 करोड़ रुपये का लाभ था। संयुक्त उद्यम कंपनियों (एनबीपीपीएल और आरपीसीएल) को वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा हुआ है। इन दोनों संयुक्त उद्यमों में निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को वित्त वर्ष 2018-19 में समेकित वित्तीय परिणामों में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है।

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
संपत्ति		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी (नेट कैरीइंग वैल्यू)	2,882	2,830
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा	254	232
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	3,432	3,561
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	4,201	4,247
गैर-वर्तमान अन्य परिसंपत्तियाँ	13,690	16,956
वर्तमान संपत्ति	34,546	29,094
कुल	59,005	56,920
इक्विटी और देयता		
इक्विटी शेयर पूंजी	696	696
अन्य इक्विटी	23,742	23,682
गैर मौजूदा देनदारियां	9,234	9,062
वर्तमान देनदारियां	25,333	23,480
कुल	59,005	56,920

संयुक्त उद्यम - बीजीजीटीएस, एनबीपीपीएल और आरपीसीएल के संबंध में पूंजीगत व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2023-24 में 17.89 करोड़ रुपये था।

1.5 पूंजी निवेश

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ-साथ नए क्षेत्रों के लिए 287 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया। रक्षा, परिवहन और परमाणु जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अधिकांश निवेश किए गए। विद्युत उत्पादन उपकरण, ट्रांसमिशन उपकरण आदि जैसे मुख्य व्यवसाय को पूरा करने वाली सुविधाओं का भी परिचालन दक्षता में सुधार और उत्पादों की बढ़ती बाजार मांग को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण किया गया

1.6 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

बीएचईएल की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित, अपने व्यवसायों के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं पर आधारित है।

आईएफसी के कार्यान्वयन और रखरखाव का स्रोत मैनुअल, दिशानिर्देश, शक्तियों का प्रत्यायोजन और आईटी प्रणाली और नियंत्रण हैं, और इन्हें सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना के माध्यम से लागू किया जाता है, अर्थात प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में कंपनी के भीतर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों में कार्यरत लोग।

बीएचईएल के पास आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो बीएचईएल के सभी स्थानों पर आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों को कवर करने के लिए इसके संचालन के आकार और इकाइयों/डिवीजनों में इसके प्रसार की प्रकृति के अनुरूप है। आईएफसी की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, जोखिम केंद्रित क्षेत्रों की नियमित समीक्षा और प्रक्रियाओं और प्रणालियों के कामकाज का महत्वपूर्ण मूल्यांकन संबंधित इकाइयों/डिवीजन/आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संबंधित स्थानों पर किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, प्रक्रिया के मालिक प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिवीजन बेंगलूरु में लिथियम -आयन सेल का विनिर्माण

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के साथ रखी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त की।

1.7 गुणवत्ता पर ध्यान

कंपनी ने अच्छी तरह से स्थापित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली बनाई है, और गुणवत्ता में निरंतर सुधार और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया जा रहा है। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर क्वालिटी

बीएचईएल में नवंबर 2023 में 'गुणवत्ता प्रथम - सफलता के लिए सहयोग' की थीम के साथ गुणवत्ता माह मनाया गया

मैनेजमेंट (EFQM) 2020 फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करके व्यावसायिक उत्कृष्टता यात्रा को फिर से जीवंत किया गया है। इस संबंध में, BHEL में गुणवत्ता प्रणाली की परिपक्वता का आकलन करने के लिए "BHEL गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल (BQMM)" को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता प्रणालियों और पद्धतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, एक व्यापक "QHI (गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक)" मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने के लिए गुणवत्ता प्रणालियों को डिजिटल किया गया है। गुणवत्ता में सर्वोत्तम प्रथाओं को गुणवत्ता वार्तालाप मंच के माध्यम से पूरे संगठन में साझा किया जाता है , जिसे ' Qonverse ' के रूप में जाना जाता है।

इन केंद्रित प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। व्यावसायिक उत्कृष्टता की यात्रा में, बीएचईएल की एक इकाई को प्रतिष्ठित सीआईआईआई एक्जिम बैंक अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ, जिसमें सात बीएचईएल इकाइयों को सीआईआईआई एक्जिम बैंक अवार्ड 2023 में "प्लेटिनम" मान्यता और दो इकाइयों को "गोल्ड प्लस" मान्यता प्राप्त हुई। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में, बीएचईएल को सरकारी/पीएसयू/ केंद्रीय संयुक्त उद्यम श्रेणी के तहत ईईपीसी इंडिया क्वालिटी अवार्ड्स 2023 के तीसरे संस्करण में सिल्वर अवार्ड मिला। ये पुरस्कार कंपनी की व्यावसायिक उत्कृष्टता, 5एस,डिजिटलीकरण आदि जैसी कंपनी-व्यापी पहलों के आधार पर गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

1.8 मानव संसाधन

1.8.1 ज्ञानार्जन और विकास

बीएचईएल द्वारा अपनी संपूर्ण जनशक्ति की तकनीकी और व्यावहारिक दक्षताओं को निरंतर बढ़ाने हेतु महत्व दिया जाता है। चूंकि कंपनी ऊर्जा संक्रमण और विविधीकरण प्रयासों की ओर अग्रसर है, इसलिए अनलर्निंग और रिलर्निंग की संस्कृति को बढ़ावा देने पर अधिक जोर देती है। इस रणनीतिक फोकस का उद्देश्य चुस्त, अनुकूलनीय और दूरदर्शी जनशक्ति तैयार करना है।

कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट (सीएलडी) और अन्य मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) द्वारा संगठन भर में तकनीकी, प्रकार्यात्मक, व्यावहारिक/प्रबंधन, सुरक्षा क्षेत्रों में प्रबंधकीय,सुरक्षा क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ई-लर्निंग पोर्टल पर अब कर्मचारियों के लिए 120 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर 3.34 श्रम-दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया और वित्त वर्ष 2023-24 में 95,843 श्रम-दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

वित्त वर्ष 2023-24 में, बीएचईएल ने अपनी विभिन्न इकाइयों में 1,698 शिक्षुओं को नियुक्त किया। इनमें से 1,232 ट्रेड (आईटीआई) शिक्षु थे, जबकि शेष 466 में स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक और गैर-तकनीकी शिक्षु शामिल थे। प्रशिक्षुओं ने हमारी अत्याधुनिक इंजीनियरिंग सुविधाओं के अंतर्गत उत्कृष्ट व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्राप्त किया, जिससे उन्हें अपने भविष्य की तैयारी करते हुए विनिर्माण क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद मिली।

14 मार्च, 2024 को ज्ञानार्जन और विकास (एल एंड डी) पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतर-संगठन बैठक आयोजित की गई। विभिन्न प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमों के एल एंड डी पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

1.8.2 निष्पादन और कैरियर विकास

मानव संसाधन द्वारा योग्यता ढांचे को फिर से डिज़ाइन करने में बिजनेस/उत्पाद प्रमुखों के साथ सहयोग किया गया। मानव संसाधन द्वारा उत्तराधिकार रोडमैप बनाने के लिए प्रक्रिया स्थापित करने पर भी काम किया जा रहा है।

व्यवसाय परिदृश्य के आधार पर संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं की पहचान की गई तथा उत्तराधिकारी प्रोफ़ाइल का निर्माण किया गया। बाहरी प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल करके व्यक्तिगत मूल्यांकन और विकास केंद्रों (ADC) का उपयोग करके भविष्य के उत्तराधिकारी पूल की पहचान की गई है। ADC के बाद, व्यक्तिगत विकास योजनाएँ (IDP) बनाई गई हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए, चिह्नित कर्मचारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं।

बीएचईएल में कर्मचारी संतुष्टि और सहभागिता सर्वेक्षण

सभी इकाइयों में बीएचईएल कर्मचारियों की सभी श्रेणियों/संवर्गों के लिए, दो साल में एक बार केंद्रीय रुप से प्रशासित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कर्मचारी संतुष्टि और सहभागिता सर्वेक्षण ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। विकास के अवसरों की पहचान की जाती है और जहाँ भी संभव हो, नीति समर्थन या परिचालन ढांचे में सुधार के माध्यम से उनका समाधान किया जाता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3)(पी) के तहत प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी की निदेशक मंडल रिपोर्ट में एक विवरण शामिल होगा, जिसमें निदेशक मंडल, प्रत्येक निदेशकों आदि के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख होगा। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट की अधिसूचना दी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जोकि अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, तो औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन विवरण के संबंध में धारा 134(3)(पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, उपर्युक्त छूट के अनुरूप, नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी।

सीपीएसई में, कंपनी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, उस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए जाने वाले मापदंडों और पहलों का विवरण देता है। इस समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वर्ष के अंत में भारत सरकार द्वारा किया जाता है और निर्दिष्ट मापदंडों पर इसके निष्पादन के आधार पर बीएचईएल को निष्पादन रेटिंग दी जाती है। इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने एक प्रारुप तैयार किया है और कार्यकारी निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल पांच वर्ष या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी पहले हो, है।

निदेशक मंडल स्तरीय समितियों के विचारार्थ विषयों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। निदेशक मंडल स्तरीय समितियों के कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के अवलोकनार्थ उसके समक्ष रखा जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल (सामान्यतः तीन वर्ष) भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है । डीपीई, बीएचईएल के प्रशासनिक मंत्रालय

(एमएचआई) के माध्यम से, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन/आकलन करता रहा है।

1.8.3 औद्योगिक संबंध

कंपनी की औद्योगिक संबंध नीति "सभी की भागीदारी" के सिद्धांत द्वारा निर्देशित रही है। यह सिद्धांत कंपनी की अपनी जनशक्ति के हर वर्ग के साथ खुले और निरंतर संचार की नीति के माध्यम से कायम है। सहभागी संस्कृति को बढ़ावा देने, विविध कर्मचारी समूहों के साथ मिलकर काम करने के प्रति कंपनी के समर्पण ने संगठन के भीतर एक अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध माहौल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष के दौरान, बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों, प्रभागों और कार्यालयों में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध पाए गए। कंपनी की नीतियों के खिलाफ हड़ताल के कारण वर्ष के दौरान किसी श्रम दिवस का नुकसान नहीं हुआ, जो प्रबंधन द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के साथ-साथ कर्मचारी समूहों द्वारा कंपनी के लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने का प्रमाण है।

सहभागितापूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बीएचईएल के समर्पण के अनुरूप, वर्ष के दौरान शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय फोरम की बैठक, जिसे "बीएचईएल की संयुक्त समिति" के रूप में जाना जाता है, आयोजित की गई, साथ ही एक विशेष सत्र में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, जिसमें इकाइयों की सीमित भागीदारी थी। इसके अतिरिक्त, इकाई स्तर पर, विभिन्न विनिर्माण स्थानों पर "प्लांट काउंसिल" की 39 बैठकें और "शॉप काउंसिल" की 689 बैठकें आयोजित की गईं। इन मंचों में चर्चाएँ उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता, सुरक्षा और ग्राहक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वितरण को बढ़ाकर कंपनी के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने और कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न लागत में कमी के उपायों को अपनाने के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। इन प्रयासों के माध्यम से, बीएचईएल का लक्ष्य स्थायी विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता सुनिश्चित करके कर्मचारियों सहित अपने विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित करना है।

1.8.4 जनशक्ति

31 मार्च, 2024 को बीएचईएल की जनशक्ति 28,673 है, जिसमें 10,256 कार्यपालक, 4,210 पर्यवेक्षक और 14,207 कामगार शामिल हैं।

1.8.5 राष्ट्रपति के निर्देशों की स्थिति

वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान (क) आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति (ख) कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कोई राष्ट्रपति निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.8.5.1 आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति पर निर्देश

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण नीति पर जारी किए गए राष्ट्रपति निदेशों में सीधी भर्ती के साथ-साथ निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति और निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण के कुछ प्रतिशत का प्रावधान है। इसके अलावा, निदेशों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में कर्मचारियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए कुछ रियायतों और छूटों का प्रावधान भी है। इस विषय पर राष्ट्रपति के निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत सुनिश्चित किया जाता है। हालाँकि, कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इन दिशानिर्देशों का कोई सीधा प्रभाव नहीं है।

दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

इस विषय पर अन्य प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:

i. **एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व**

31 दिसंबर, 2023 तक कुल जनशक्ति में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्रमशः 20.71%, 7.59% और 37.76% था। वर्ष 2023 के दौरान, एससी श्रेणी से संबंधित एक कर्मचारी अनुकंपा के आधार पर ग्रुप डी में शामिल हुआ।

31 दिसंबर, 2023 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को निर्धारित प्रारुप में वार्षिक विवरण अनुलग्रक-ए में दर्शाया गया है।

ii. 31 दिसंबर 2023 तक दिव्यांग कर्मचारियों की जनशक्ति

31 दिसंबर 2023 तक दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 819 थी। वर्ष 2023 के दौरान दिव्यांग श्रेणी में किसी भी कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी में दिव्यांग कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति अनुलग्रक-बी में दी गई

1.8.5.2 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी संरक्षण प्रदान करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम एवं निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013", भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013"की अधिसूचना के साथ 09 दिसंबर, 2013 से लागू हो गया है।

अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार, बीएचईएल की सभी इकाइयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। आईसीसी का संविधान और संपर्क विवरण इकाई की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता के कर्तव्यों, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए कार्रवाई और यौन उत्पीड़न के बारे में विभिन्न गलत धारणाओं को उजागर करने वाले पोस्टर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में सभी इकाइयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं। अधिनियम में कंपनियों को सालाना आईसीसी के लिए अभिविन्यास सत्र या प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प्रावधान है। आंतरिक शिकायत समिति के पास महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए ज्ञान और संवेदनशीलता होनी चाहिए। यह न केवल कानूनी रूप से बल्कि कार्यस्थल सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। अधिनियम के अनुरुप आईसीसी सदस्यों के लिए पूरे बीएचईएल के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई । इकाई स्तर पर यौन उत्पीड़न अधिनियम और लेंगिक संवेदीकरण पर 31 कार्यशालाएं/जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2023-24 के दौरान 03 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 02 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 01 अप्रैल 2024 तक 01 मामला लंबित है।

अनुलग्नक – ए

31 दिसंबर, 2023 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

ग्रुप	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व (31 दिसंबर, 2023 तक)					कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या											
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा*			प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा			
	कुल कर्मचारी	ई डब्ल्यू एस	अनु सूचित जाति	अनु सूचित जन जाति	ओबीसी	कुल	ई डब्ल्यू एस	अनु सूचित जाति	अनु सूचित जन जाति	ओबीसी	कुल	अनु सूचित जाति	अनु सूचित जन जाति	कुल	अनु सूचित जाति	अनु सूचित जन जाति	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ग्रुप ए	11370	8	2069	962	3286	0	0	0	0	0	---- लागू नहीं ----			0	0	0	0
ग्रुप बी	3669	0	734	441	893	0	0	0	0	0				0	0	0	0
ग्रुप सी	13636	3	3126	782	6633	0	0	0	0	0				0	0	0	0
ग्रुप डी (एसडब्ल्यू को छोड़कर)	109	0	35	2	57	1	0	1	0	0				0	0	0	0
ग्रुप डी (एसडब्ल्यू)	27	0	4	1	11	0	0	0	0	0				0	0	0	0
कुल	**28,811**	**11**	**5,968**	**2,188**	**10,880**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा इंडक्शन स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

अनुलग्नक-बी

वर्ष 2022 के दौरान नियुक्त दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति*						
	कुल कर्मचारीसं.	वीएच	एचएच	एच	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			कुल	की गई नियुक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या			कुल	की गई नियुक्तियों की संख्या		
					वीएच	एचएच	एच		वीएच	एचएच	एच	वीएच	एच	एचएच		वीएच	एचएच	एच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ग्रुप ए	11,370	4	15	299	0	0	0	0	0	0	0	--------------लागू नहीं-----------						
ग्रुप बी	3,669	2	5	106	0	0	0	0	0	0	0							
ग्रुप सी	13,636	16	25	343	0	0	0	0	0	0	0							
ग्रुप डी	136	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0							
कुल	**28,811**	**23**	**47**	**749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							

टिप्पणी:

(i) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) एचएच का अर्थ है श्रवण विकलांग (श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति))

(iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (चलने-फिरने में अक्षमता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

* बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा इंडक्शन स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

1.9 देश के लिए क्षमता निर्माण

बीएचईएल देश के लिए इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता निर्माण में प्रमुख योगदानकर्ता है। कंपनी पूंजीगत वस्तु योजना चरण II के तहत भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के सहयोग से निम्नलिखित पहल कर रही है:

- कंपनी ने वेल्डिंग प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए डब्ल्यूआरआई त्रिची में "सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (CEFC)" स्थापित किया है तथा बीएचईएल की वाराणसी, रानीपेट, भोपाल, झांसी और हरिद्वार इकाइयों में इसके विस्तार केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में बुनियादी और उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों में सालाना लगभग 5000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता है।
- कंपनी हैदराबाद इकाई में पंपों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। यह प्रयोगशाला देश में अपनी तरह की एक अनूठी प्रयोगशाला होगी और इसमें उच्च प्रवाह और उच्च तापमान परीक्षण की व्यवस्था होगी जो पहले केवल विदेशों में ही किए जाते थे, जिससे "मेक इन इंडिया" प्रयास को बढ़ावा मिलेगा।
- कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से हैदराबाद में अपनी कॉर्पोरेट आरएंडडी इकाई में औद्योगिक, नौसेना और विमान संबंधी प्रक्रियाओं के क्षेत्र में हार्डवेयर इन द लूप (एचआईएल) और सॉफ्टवेयर इन द लूप (एसआईएल) दोनों से युक्त एक परीक्षण सुविधा स्थापित कर रही है। इससे रक्षा से संबंधित विभिन्न प्रयोगशालाओं और प्रक्रिया उद्योग के डिजाइन समूहों को विभिन्न चरणों में डिजाइनों की जांच करने में मदद मिलेगी और स्टार्ट-अप / एमएसएमई / प्रक्रिया उद्योग / रक्षा प्रतिष्ठानों को नए डिजाइन विकसित करने और मेक इन इंडिया पर सरकार के जोर के अनुरूप उनके प्रदर्शन का परीक्षण करने में सहायता मिलेगी।
- कंपनी भोपाल इकाई में एक ही स्थान पर रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक गुणों के परीक्षण के लिए सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला विकसित करने के लिए मौजूदा तकनीकी सेवा प्रभाग प्रयोगशाला की परीक्षण सुविधाओं को बढ़ा रही है। यह प्रयोगशाला रणनीतिक रूप से मध्य भारत में स्थित है और विशेष रूप से बिजली संबंधी पूंजीगत माल उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

1.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, बीएचईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया है, साथ ही कॉर्पोरेट कार्यालय में एक नोडल अधिकारी और प्रत्येक प्रमुख प्रशासनिक इकाई में 25 अन्य सीपीआईओ कंपनी में कार्य कर रहे हैं। अधिनियम के तहत सीपीआईओ के आदेशों के खिलाफ दायर प्रथम अपीलों का निपटान करने के लिए 25 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी कंपनी में कार्य करते हैं।

नागरिकों को अपने आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील ऑनलाइन दाखिल करने में सुविधा प्रदान करने के उपाय के रूप में, बीएचईएल ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरु किए गए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल (https://rtionline.gov.in) को अपनाया है। परिणामस्वरूप, पोर्टल पर दाखिल आरटीआई आवेदन और आरटीआई प्रथम अपील का उत्तर ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिया जा रहा है। धारा 4 (1) (बी) के खुलासे बीएचईएल की वेबसाइट (https://www.bhel.com/rightinformation) पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने और आरटीआई प्रथम अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को दर्शाने वाले कुछ दिशानिर्देश और प्रोफ़ॉर्मे बीएचईएल की वेबसाइट पर डाले गए हैं।

बीएचईएल सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा गठित आरटीआई पर संचालन समिति का सदस्य होने के नाते स्कोप द्वारा आयोजित आरटीआई मामलों से संबंधित बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 599 आवेदन और 137 अपील ऑनलाइन प्राप्त हुए और 511 आवेदन (2 अस्वीकृत सहित) और 128 अपीलों का निपटारा किया गया।

1.11 जोखिम और चिंताएँ

बीएचईएल के कारोबार में वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, तकनीकी, ईएसजी विशिष्ट, साइबर सुरक्षा, बदलते कारोबारी माहौल, प्रौद्योगिकी संबंधी विचार, परियोजनाओं की लंबी अवधि और प्रतिकूल परिस्थितियों में समय पर साइट पर उत्पादन से संबंधित आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंतरिक और बाह्य जोखिम शामिल हैं।

बीएचईएल ने जोखिम के प्रति सचेत तरीके से कारोबार का संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के भीतर एक कुशल और प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की आवश्यकता की पहचान की है।

कंपनी ने एक व्यवस्थित और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति बनाई है। चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य समझ, भाषा और कार्यप्रणाली स्थापित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रमुख जोखिमों की सही पहचान की जा रही है,

प्रबंधन को समय पर रिपोर्ट की जा रही है और प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। जोखिम पहचान की प्रक्रिया सचेत रूप से कंपनी के विकास उद्देश्यों, बाहरी वातावरण, उद्योग रिपोर्टों के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी हितधारकों द्वारा निर्देशित होती है।

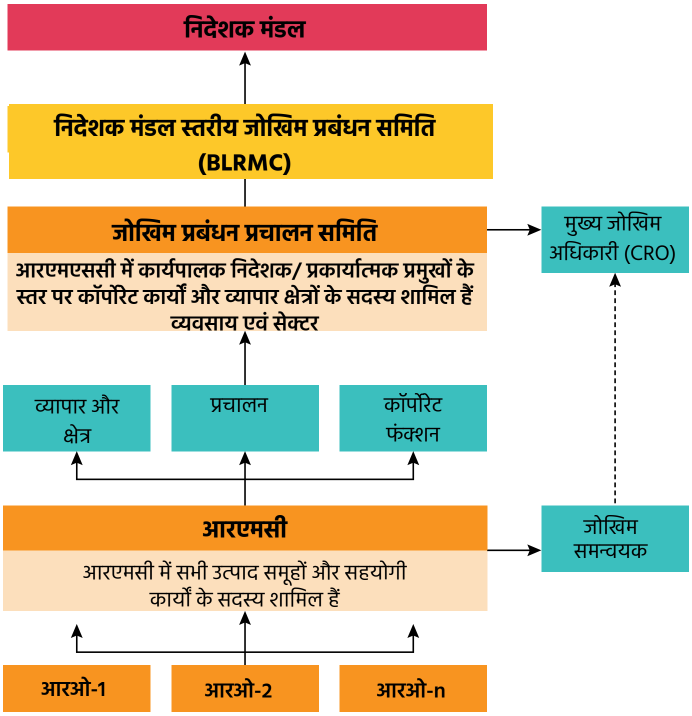

कंपनी द्वारा निम्नलिखित जोखिमों का सामना किया जा रहा है:

1. डिलीवरी: परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से एलडी, पैनल्टी, ग्राहक असंतोष होता है और कंपनी की छवि प्रभावित होती है।
2. तरलता जोखिम: देनदारों की बढ़ती संख्या के कारण लिक्विडिटी की उच्च मांग
3. सामग्री लागत: बढ़ती सामग्री लागत से मार्जिन प्रभावित हो रहा है
4. साइबर सुरक्षा: ऑनलाइन डेटा और सूचना सुरक्षा भंग होने से हानि होती है तथा महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना नष्ट हो जाती है।
5. प्रौद्योगिकी की उपलब्धता: प्रौद्योगिकियों का उन्नयन
6. ऑर्डर बुकिंग: CoP26 के कारण बदलते कारोबारी माहौल में कंपनी को गैर-जीवाश्म व्यवसाय क्षेत्रों में विविधता लाने की आवश्यकता है

उपर्युक्त छह चिह्नित जोखिमों को कम करने हेतु उपाय किए जा रहे हैं

1.12 डेटा और साइबर सुरक्षा

साइबर खतरों से बीएचईएल को सुरक्षित रखने और अपनी आईटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनी द्वारा उन्नत सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इसमें अगली पीढ़ी के फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस), सुरक्षित वेब गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) और सुरक्षित ईमेल गेटवे जैसी पारिधिक सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं। नेटवर्क और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आईटी सेवाओं के लिए मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण शुरु किया गया है।

इसके अलावा, एंडपॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स (EDR) क्षमताओं के साथ एक केंद्रीकृत एंडपॉइंट सुरक्षा समाधान को पूरे संगठन में लागू किया गया है। इस समाधान में एंटी-बॉट, थ्रेट हंटिंग, एंटीरैंसमवेयर और अनुपालन सुविधाओं जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं।

बीएचईएल ने एक केंद्रीकृत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया है जो उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण (यूईबीए), सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन और प्रतिक्रिया (एसओएआर), तथा वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएएफ) जैसी उन्नत कार्यक्षमताओं से युक्त है। यह एसओसी चौबीसों घंटे विभिन्न उपकरणों से सुरक्षा लॉग की निगरानी करता है और एनसीआईआईपीसी, सीईआरटी-इन और तीसरे पक्ष की एजेंसियों से खतरे की खुफिया जानकारी के साथ एकीकृत है। एसओसी में एक 24x7 हेल्पडेस्क साइबर सुरक्षा और एंडपॉइंट से संबंधित मुद्दों का तुरंत निदान करता है।

साइबर हमले की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और रिकवरी के लिए बीएचईएल के पास साइबर संकट प्रबंधन योजना है। संगठन नियमित रुप से पेशेवर बाहरी एजेंसियों की सहायता से सभी इंटरनेट-फेसिंग एप्लिकेशन, डिवाइस और सर्वर की गहन सुरक्षा समीक्षा करता है। इन समीक्षाओं से प्राप्त अनुशंसाओं और टिप्पणियों पर उचित रुप से कार्रवाई की जाती है।

सभी इंटरनेट-फेसिंग एप्लिकेशन और डिवाइस की तिमाही पेनिट्रेशन टेस्टिंग पेनल में उपलब्ध CERT-In एजेंसी द्वारा की जाती है, जिससे असुरक्षित बिंदुओं का तुरंत समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। सभी गंभीर/उच्च/मध्यम कमजोरियों को तुरंत बंद कर दिया जाता है। बीएचईएल CERT-In, NCIIPC और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है, और संगठन की साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनसे प्राप्त किसी भी इनपुट पर तुरंत कार्रवाई करता है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

कॉर्पोरेट अभिशासन

2.1 कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारी धारणा

बीएचईएल एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, जो अभिशासन की गुणवत्ता, प्रकटीकरण में पारदर्शिता, हितधारकों के मूल्य में निरंतर वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बीएचईएल कॉर्पोरेट अभिशासन की बुनियादी और विनियामक आवश्यकताओं से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज के विश्वास निर्माण पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी का कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचा पारदर्शिता, प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए विशेष रुप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों की निष्पक्षता की आधारशिला पर आधारित है।

इसके अलावा, कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिताओं के अनुपालन में अपने व्यवसाय का संचालन करने में विश्वास करती है, प्रत्येक मुख्य मूल्य का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो बीएचईएल को शेयरधारकों को दीर्घकालिक रिटर्न, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों को आकर्षक अवसर, आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी की प्रगति में भागीदार बनने का अवसर और समाज को समृद्ध बनाने में सक्षम बनाती है।आचार संहिता बीएचईएल कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.bhel.com) पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

2.2 निदेशक मंडल

i . निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, बीएचईएल एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 63.17% भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है।

बीएचईएल के निदेशक मंडल की संरचना में निदेशकों का समुचित मिश्रण है, जिनका प्रतिनिधित्व सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा किया जाता है, तथा गैर-कार्यात्मक निदेशकों का प्रतिनिधित्व सरकार के नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाता है, ताकि निदेशक मंडल की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके तथा प्रबंधन और नियंत्रण के निदेशक मंडल कार्यों को अलग किया जा सके।

31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

निदेशकों की श्रेणी	**निदेशक मंडल संरचना**	**31 मार्च, 2024 को वास्तविक संख्या**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक कार्यकारी (प्रकार्यात्मक) निदेशक	5	4
भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक(सरकारी नामित)	2	2
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	3
कुल	**16**	**10**

31 मार्च, 2024 तक, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के पांच पद और पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक यानी निदेशक (वित्त) का एक पद रिक्त हैं। रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।

ii. 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों और पिछली आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		पिछली वार्षिक आम बैठक (24.08.2023 को आयोजित)
	आयोजित	उपस्थित	
कार्यात्मक निदेशक			
के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 नवंबर 2023 से प्रभावी)	4	4	*
डॉ. नलिन सिंघल , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 अक्टूबर 2023 तक)#	11	11	हाँ
जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आर एंड डी) $	15	15	हाँ
कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) (4 जुलाई, 2023 से प्रभावी)@	11	11	हाँ
तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर) (20 सितंबर, 2023 से प्रभावी)	6	6	*
सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (आई एसएंड पी) (9 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी)	5	5	*
सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त) (17 अप्रैल 2023 तक) (सरकार के दिनांक 17 मई, 2023 के पत्र के अनुसार)	1	1	*
सुश्री रेणुका गेरा, निदेशक (आईएसएंडपी) (31 अगस्त, 2023 तक)	7	7	हाँ
उपिंदर सिंह मठारु , निदेशक (पावर) (31 अगस्त, 2023 तक)&	7	7	हाँ
अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकार द्वारा नामित			
सुश्री आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	15	10	हाँ
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	15	15	हाँ
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
डॉ. के. शिवप्रसाद	15	15	हाँ
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर	15	14	हाँ
रमेश पटल्या मावस्कर (8 जून 2023 से प्रभावी)	11	11	हाँ

19 सितंबर, 2023 तक निदेशक (पावर) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

$ 18 अप्रैल, 2023 से निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला तथा निदेशक (मानव संसाधन) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला। @ 1 सितंबर, 2023 से 8 अक्टूबर, 2023 तक निदेशक (आईएस एंड पी) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

* यह इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक बीएचईएल का निदेशक नहीं थे।

क. 31 मार्च, 2024#तक अन्य कंपनियों में निदेशक पद, समिति सदस्यता और समिति अध्यक्ष पद का विवरण

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	अन्य कम्पनियों में निदेशक पदों का विवरण	समिति का विवरण सदस्यता और अन्य कम्पनियों में समिति अध्यक्ष*
के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड. 2. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	-शून्य-
जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आर एंड डी)	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	-शून्य-
कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)	-शून्य-	-शून्य-
तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर)	-शून्य-	-शून्य-
सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (आईएसएंडपी)	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-शून्य-
सुश्री आरती भटनागर, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एचएमटी लिमिटेड 2. इंडिया इंटरनेशन कनवेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर लि. 3. इन्वेस्ट इंडिया 4. एमएमटीसी लिमिटेड 5. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. 6. भारत व्यापार संवर्धन संगठन	लेखा परीक्षा समिति 1. इंडिया इंटरनेशन कनवेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर लि. (अध्यक्ष) 2. इन्वेस्ट इंडिया (अध्यक्ष) 3. एमएमटीसी लिमिटेड (सदस्य) 4. भारत व्यापार संवर्धन संगठन (अध्यक्ष)
विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड. 2. टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड. 3. तुमकुरु मशीन टूल पार्क 4. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	-शून्य-
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	-शून्य-	-शून्य-
डॉ. लेखाश्री सामंत सिंघर, स्वतंत्र निदेशक	-शून्य-	-शून्य-
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	-शून्य-	-शून्य-

*केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।
#अन्य कंपनियों में निदेशक पद/समिति सदस्यता निदेशक मंडल के संबंधित निदेशकों से प्राप्त नवीनतम सूचना पर आधारित हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक एक ही समय में बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक के रुप में पद धारण नहीं करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या सभी सूचीबद्ध कंपनियों में पाँच (5) से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रुप में कार्य नहीं करता है, जिनमें वह एक निदेशक है।

निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण: कोई नहीं

बी. सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकों का विवरण और निदेशक पद की श्रेणी

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित निदेशकों ने सूचीबद्ध संस्थाओं में निम्नानुसार निदेशक का पदधारण किया:

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	सूचीबद्ध इकाई का नाम	निदेशक श्रेणी
सुश्री आरती भटनागर, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एचएमटी लिमिटेड 2. एमएमटीसी लिमिटेड 3. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	सरकार द्वारा नामित निदेशक
विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड. 2. टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड	सरकार द्वारा नामित निदेशक

iii. निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या एवं दिनांक का विवरण

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और काफी पहले से इनकी तिथि निर्धारित की जाती है। कंपनी सचिव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श से, प्रत्येक निदेशक को प्रत्येक निदेशक मंडल बैठक की लिखित सूचना भेजते हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारी तक पहुँच होती है और वे किसी भी मामले को एजेंडा में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो आमतौर पर अग्रिम रुप से भेज दिया जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके और/या आवश्यकतानुसार निदेशक मंडल को प्रस्तुतीकरण दिया जा सके। तिमाही परिणामों और एजेंडे में शामिल अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल तिमाही में कम से कम एक बैठक करते हैं। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की कुल 15 बैठकें हुईं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

(i) 2 मई, 2023	(ii) 18 मई, 2023	(iii) 26 मई, 2023
(iv) 2 जून, 2023	(v) 13 जुलाई, 2023	(vi) 4 अगस्त, 2023
(vii) 29 अगस्त, 2023	(viii) 2 सितंबर, 2023	(ix) 18 सितंबर, 2023
(x) 9 अक्टूबर, 2023	(xi) 30 अक्टूबर, 2023	(xii) 8 नवंबर, 2023
(xiii) 23 जनवरी, 2024	(xiv) 13 फरवरी, 2024	(xv) 14 मार्च, 2024

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के तुरंत बाद बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं और सभी निदेशकों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए परिचालित किए जाते हैं और उसके पश्चात अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। उचित कार्रवाई और लागू करने के लिए स्वीकृत कार्यवृत्त संबंधित विभागों/समूहों को परिचालित किया जाता है।

iv. **मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता की सूची**

बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके निदेशक मंडल के सभी निदेशकों अर्थात कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का चयन और नियुक्ति सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। बीएचईएल जिस व्यवसाय क्षेत्र में काम करता है, उसके संदर्भ में निदेशक मंडल के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और योग्यता की आवश्यकताएं इन निदेशकों के चयन की सरकारी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए, बीएचईएल का निदेशक मंडल स्वयं किसी भी मुख्य कौशल या कार्य के लिए आवश्यक क्षमता को धारण नहीं करता है । साथ ही, निदेशकों की नियुक्ति भी किसी विशेष कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता के लिए नहीं की जाती है।

v. **निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व**

निदेशक मंडल का कार्य कंपनी की रणनीतिक दिशा की निगरानी करना, कॉर्पोरेट प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

vi. **स्वतंत्र निदेशक**

स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा कंपनी को इंजीनियरिंग, वित्त, प्रबंधन, कानून, सार्वजनिक नीति आदि के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराते हैं।

स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियों, जैसे- लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और सीएसआर समिति आदि का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और यह उनसे संबंधित परिभाषित कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई के लिए गैर-सरकारी निदेशकों की आदर्श भूमिका और उत्तरदायित्वों पर 28 दिसंबर, 2012 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया है। उक्त समिति लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

स्वतंत्र निदेशकों के परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर वेब लिंक https://www.bhel.com/familiarizationprogramme-directors पर 'निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम'शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

vii. **निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना**

निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए एजेंडे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

- वार्षिक परिचालन योजना और बजट एवं उससे संबंधित अद्यतन सूचना।
- पूंजी बजट और उससे संबंधित अद्यतन सूचना।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव.
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
- मूर्त स्वरुप की सामान्य रुप से व्यवसाय से जुड़े निवेशों,सहयोगी कंपनियों एवं परिसंपत्तियों की बिक्री।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं प्रचलनों में परिवर्तन और उसके कारण।
- कंपनी और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए तिमाही परिणाम।
- मूर्त विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का त्रैमासिक विवरण तथा प्रतिकूल विनिमय दर के मुद्दों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- मध्यस्थता मामलों और प्रमुख कानूनी विवादों की स्थिति।
- लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशक स्तर के एक स्तर नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती से संबंधित सूचना।
- निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी भी संयुक्त उद्यम या अनुसंधान एवं विकास या प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते का विवरण।
- महत्वपूर्ण श्रमिक समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान।
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- निदेशक मंडल द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
- कोई भी अनुबंध जिसमें निदेशक (निदेशकों) का हित
- निदेशकों द्वारा अन्य कम्पनियों में उनके द्वारा अधिगृहीत निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में रुचि का प्रकटीकरण।
- निदेशक मंडल की बैठक आदि पर सूचीकरण विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों और सचिवीय मानक-1 के अंतर्गत सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य मामले ।

निदेशक मंडल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारु रुप से दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल स्तर की सभी समितियों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल की बैठकों में नोट किए जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसमें निदेशक मंडल की किसी भी ऐसी अनुशंसा को स्वीकार न किया गया हो,जो अनिवार्य रुप से आवश्यक हो ।

viii. **नए निदेशकों का चयन**

बीएचईएल के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। बीएचईएल के निदेशक मंडल में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दो अंशकालिक शासकीय निदेशकों को नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भी करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग की खोजबीन समिति के परामर्श से किया जाता है, जिसके पास प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, प्रशासन उद्योग आदि के क्षेत्र में विस्तृत अनुभव रखने वाले विद्वान व्यक्तियों के पैनल की सूची होती है।

ix. **सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए, या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक की जाती है। अंशकालिक सरकारी निदेशक भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के निदेशक मंडल में बने रहेंगे।

अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का कार्यकाल प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। आम तौर पर, एक स्वतंत्र निदेशक को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

x. आचार संहिता

बीएचईएल ने सूचीकरण विनियमों 2005 समझौते के खंड 49 के अनुरुप "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" निर्धारित की है। संहिता को समय-समय पर नियामक ढांचे में बदलाव के अनुरुप संशोधित किया जाता है,जिसमें सूचीकरण विनियमों में बदलाव और व्यापार की गतिशीलता में बदलाव तथा संहिता की मजबूती के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को सम्मिलित करना था। वर्तमान संहिता भी संशोधित सूचीकरण विनियमों के अनुपालन में है।

संहिता में सम्मिलित हैं:

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ;
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व; और
- निदेशक मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान।

संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध है।

xi. निदेशक मंडल का घोषणा पत्र / चार्टर

निदेशक मंडल तथा निदेशकों की व्यक्तिगत भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल का एक घोषणा पत्र / चार्टर निर्धारित किया है। घोषणा पत्र / चार्टर बीएचईएल कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरुप, सूचीबद्धता समझौते और निदेशकों को प्रदान करने के उद्देश्य से: क) अपने वैधानिक कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि, ख) भविष्य को समझने तथा रणनीतियों को विकसित करने के लिए व्यावसायिक वातावरण की बेहतर समझ तथा ग) निदेशक मंडल के सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, बीएचईएल निदेशक मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए एक नीति को मंज़ूरी दी है। इससे कंपनी के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के प्रशिक्षण हैं।

xii. व्यवसायी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र

कंपनी को कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त है कि कंपनी निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को सेबी / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी निदेशक के रूप में नियुक्त या निरंतरता रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इसे संलग्न किया गया है।

xiii. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 (8) के संदर्भ में, वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

2.3 निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति (बीएलएसी) के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ-साथ सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरुप हैं और निम्नानुसार हैं

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की अनुशंसाएं;
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन;
4. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
    - i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले
    - ii. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण
    - iii. प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
    - iv. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
    - v. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
    - vi. किसी भी संबंधित पक्षद्वारा लेनदेन का प्रकटीकरण;
    - vii. लेखापरीक्षा मसौदा रिपोर्ट में योग्यताएं;
5. अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;
6. प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, किसी मुद्दे (सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग/ आवेदन का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का विवरण तथा सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना तथा इस मामले में कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल को उचित सिफारिशें करना;

7. लेखापरीक्षक/ऑडिटर की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

8. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद का कोई संशोधन;

9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेश की संवीक्षा;

10. इस प्रावधान के लागू होने की तिथि से, होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक या सहायक कंपनी की परिसम्पत्ति का 10% जो भी कम हो, में मौजूदा ऋण / अग्रिम / निवेश सहित मौजूदा ऋणों / अग्रिमों / निवेशों के उपयोग की समीक्षा करना;

11. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;

12. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

13. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

14. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति की रिपोर्टिंग सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;

15. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई;

16. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रस्वरुप की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो और मामले की रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना;

17. लेखापरीक्षा शुरु होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरुप और दायरे के साथ-साथ किसी भी संदेह के क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद भी चर्चा करना;

18. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना;

19. व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;

20. आंतरिक लेखापरीक्षा/निदेशक मंडल और/या भारत सरकार द्वारा बीएलएसी को संदर्भित लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करना तथा संदर्भित मुद्दों पर अपने सुझाव/मार्गदर्शन/टिप्पणियां प्रदान करना;

21. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में समय-समय पर सांविधिक लेखा परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा;

22. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से संबंधित योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना;

23. जहां भी आवश्यक हो, उचित मामलों में बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक सलाह लेना;

24. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की भी समीक्षा करेगी:

    i. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

    ii. महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण ;

    iii. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण में कमियों के पत्र; तथा

    iv. आंतरिक नियंत्रण में कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

25. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

ii. **समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम**

लेखापरीक्षा समिति की संरचना सूचीबद्धता विनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में है। लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के सदस्यों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और शासन में पृष्ठभूमि वाले प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित व्यवसायी शामिल हैं ।

लेखा परीक्षा समिति का अंतिम पुनर्गठन 13 जुलाई, 2023 से किया गया था। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	6	6
सुश्री आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	6	5
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (13 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	4	4

निदेशक (वित्त), निदेशक (आईएस एंड पी) और निदेशक (ई, आर एंड डी) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी के लेखापरीक्षकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार होगा जब वह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करेगी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

iii. **बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की छह बैठकें 26 मई, 2023, 13 जुलाई, 2023, 4 अगस्त, 2023, 8 नवंबर, 2023, 13 फरवरी, 2024 और 14 मार्च, 2024 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का पिछली टेबल में दिया गया है

2.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i. **पारिश्रमिक नीति**

बीएचईएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित की गई हैं। इनका बीएचईएल के नियमों के अनुसार, कुछ भत्तों और लाभों के निर्धारण का प्रावधान है। अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशकों को निदेशक मंडल या उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ii. **विचारार्थ विषय**

30 मार्च, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सूचीबद्धता विनियम) के खंड 49 की आवश्यकताओं के अनुरुप, निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया। समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के साथ-साथ सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरुप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और उनकी नियुक्ति और निष्कासन के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना और निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों और किसी निदेशक के प्रदर्शन के मूल्यांकन के प्रभावी तरीके को निर्दिष्ट करना या नामिति और पारिश्रमिक समिति द्वारा या किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाएगा, इनका कार्य इसका कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना भी है।

2. अधिनियम / सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों / डीपीई दिशानिर्देश के अनुपालन में निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को किसी नीति की सिफारिश करना जो निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित हो।

3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;

4. निदेशक मंडल विविधता पर नीति तैयार करना;

5. सहयोगी कंपनियों और अन्य सरकारी संगठनों के निदेशक मंडल में बीएचईएल अधिकारियों के नामांकन के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना, जिन्हें एमएचआई को प्रस्तुत करने से पहले बीएचईएल निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है;

6. विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज, पेंशन अधिकारों सहित पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भत्ते और किसी भी मुआवजा भुगतान पर कंपनी की नीति का निरीक्षण, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय नहीं किया गया है;

7. पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं को मंजूरी देना जो निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। व्यक्तिगत निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के तत्वों की समीक्षा करना।

8. भत्तों और लाभों तथा अन्य संबंधित मामलों पर नीतियों को अंतिम रूप देना, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, लेकिन निदेशक मंडल की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं;

9. निष्पादन मानदंडों के आधार पर निश्चित घटक और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों का अनुमोदन;

10. गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंडों को अंतिम रुप देना ;

11. स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान/अनुदान की जाने वाली फीस/मुआवजा/स्टॉक विकल्प, यदि कोई हो, की सिफारिश निदेशक मंडल/शेयरधारकों को करना;

12. निदेशक मंडल को सिफारिश, वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो;

13. बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और अधिकारियों एवं गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना;

14. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत एनआरसी के संदर्भ की शर्तों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

एमसीए ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत प्रावधान किया है कि निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2), (3) और (4) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

iii. **समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम**

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर , स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, एमएचआई, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	1	1
डॉ. के. शिवप्रसाद , स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1

वर्ष के दौरान समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

कॉर्पोरेट कार्यालय के प्रमुख (मानव संसाधन) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रुप में कार्य करते हैं।

iv. **बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 6 दिसंबर, 2023 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर टेबल में दिया गया है।

v. वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है

(₹ में)

क्रम	निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	वेतन	हितलाभ	अन्य लाभ	निष्पादन	कुल	सेवा अनुबंध/ नोटिस अवधि विच्छेद शुल्क
1.	के. सदाशिव मूर्ति, (1 नवंबर 2023 से)	18,44,053	5,24,671	2,12,570	42,162	26,23,456	----
2.	डॉ. नलिन सिंघल (31 अक्टूबर 2023 तक)	77,78,713	7,43,491	6,03,414	57,453	91,83,071	----
3.	जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आर एंड डी)	44,38,807	12,22,277	5,17,105	28,739	62,06,929	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन
4.	कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) (4 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	31,82,139	7,34,138	2,66,257	-	41,82,534	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन
5.	तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर) (20 सितंबर, 2023 से प्रभावी)	27,72,126	6,38,600	17,190	-	34,27,917	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन
6.	सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (आईएसएंडपी) (9 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी)	26,95,499	6,01,946	15,503	46,723	33,59,671	रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के अधीन
7.	सुबोध गुप्ता (17 अप्रैल, 2023 तक)	23,31,252	53,649	2,54,354	44,137	26,83,391	----
8.	सुश्री रेणुका गेरा, निदेशक (आईएसएंडपी) (31 अगस्त, 2023 तक)	51,04,180	4,89,700	7,43,879	44,640	63,82,399	----
9.	उपिंदर सिंह मठारु , निदेशक (पावर) (31 अगस्त, 2023 तक)	49,20,338	4,89,700	10,72,912	29,117	65,12,068	----

vi. **वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है**

(₹ में)

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	साइटिंग फीस		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति की बैठक	
डॉ. के. शिवप्रसाद,	4,50,000	3,00,000	7,50,000
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर	4,20,000	3,00,000	7,20,000
रमेश पटल्या मावस्कर	3,30,000	2,40,000	5,70,000

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशक प्रति निदेशक मंडल बैठक में 30,000 रुपये और प्रत्येक निदेशक मंडल स्तरीय समिति की बैठक में 20,000 रुपये की दर से फीस के हकदार थे।

स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प के हकदार नहीं हैं।

vii. निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

31 मार्च 2024 तक किसी भी निदेशक के पास बीएचईएल में कोई इक्विटी शेयर नहीं था।.

कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।.

2.5 शेयरधारक समितियां

2.5.1 हितधारक संबंध समितियाँ

i. **विचारार्थ विषय**

निदेशक मंडल ने 12 मई, 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 और पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सूचीबद्ध विनियम) की आवश्यकताओं के अनुरूप शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत समिति को हितधारकों के संपर्क समिति (एसआरसी) के रूप में पुनर्गठित किया। समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की आवश्यकताओं के साथ-साथ सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं;

2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;

3. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना;

4. दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना;

5. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना;

6. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित समिति के संदर्भ की शर्तों से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

ii. **समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम**

हितधारक संबंध समिति का अंतिम बार 13 जुलाई 2023 को पुनर्गठन किया गया था। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4
सुश्री आरती भटनागर, अपर सचिवएवं वित्त सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (13 जुलाई, 2023तक)	1	0
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (13 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	3	3
निदेशक (वित्त)	सदस्य (13 जुलाई, 2023तक)	1	1
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	4	4

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी (सीआईआरओ) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

श्री राजीव कालरा, कंपनी सचिव 10 जुलाई 2024 तक सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार अनुपालन अधिकारी थे। तत्पश्चात, श्री राजीव कालरा द्वारा कार्यभार त्यागने के फलस्वरूप 11 जुलाई 2024 से सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार डॉ. योगेश आर छाबड़ा को कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

iii. **बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें 26 मई, 2023, 4 अगस्त, 2023, 19 अक्टूबर, 2023 और 23 जनवरी, 2024 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर टेबल में दिया गया है।

शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) द्वारा सेबी को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 8 शिकायतें प्राप्त हुईं और 31 मार्च, 2024 तक सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

2.5.2 **शेयर अंतरण समिति**

निदेशक मंडल द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन 25 मार्च, 1992 को किया गया। बाद में, निदेशक मंडल ने 1 अगस्त, 2014 से समिति के विचारार्थ विषयों को पुनरीक्षित किया। शेयर अंतरण समिति शेयरों के भौतिक अंतरण, उप-विभाजन, समेकन और शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है और अनुमोदन प्रदान करती है। अंतिम बार शेयर अंतरण समिति का पुनर्गठन 2 सितंबर, 2023 को किया गया था, जिसमें निदेशक (ई, आरएंडडी) को अध्यक्ष के रुप में और निदेशक (मा.सं.) और निदेशक (आईएसएंडपी) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

2023-24 के दौरान बैठकें

वर्ष के दौरान शेयर हस्तांतरण समिति की बारह बैठकें हुईं। शेयर हस्तांतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

2.6 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति

i. **विचारार्थ विषय**

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने सीएसआर गतिविधियों की उचित और आवधिक निगरानी के लिए 25 नवंबर, 2010 को सीएसआर के लिए निदेशक मंडल स्तरीय शीर्ष समिति का गठन किया। समिति को वर्तमान में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति के रूप में नामित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुरुप, समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण एवं निदेशक मंडल को संस्तुत करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचीVII में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है

2. परियोजनाओं, कार्यक्रमों की सिफारिश और खंड (1) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि;

3. समय-समय पर कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की निगरानी करना;

4. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास पर दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	1	1

ii. **समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम**

वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

प्रमुख (सीएसआर), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. **बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 7 जुलाई, 2023 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर टेबल में दिया गया है।

2.7 मानव संसाधन समिति

i. **विचारार्थ विषय**

निदेशक मंडल ने 31 मई, 2006 को विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन समिति का गठन किया:

क. कार्यपालकों की पदोन्नति और पुरस्कार/प्रोत्साहन के संबंध में वर्तमान नीतियों की समीक्षा।

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर , स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (13 जुलाई, 2023 से प्रभावी)
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य
निदेशक (ई,आर एंड डी)	सदस्य
निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य

क. परिवर्तित/उभरते व्यावसायिक वातावरण के लिए बीएचईएल को तैयार करने के लिए नीतियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के बदलावों का सुझाव देना।

ii. **समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम**

समिति का अंतिम पुनर्गठन 13 जुलाई, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

प्रमुख (मानव संसाधन),कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. **बैठकें और उपस्थिति**

वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

2.8 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

i. **विचारार्थ विषय**

निदेशक का नाम श्री/ श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. के. शिवप्रसाद	अध्यक्ष एवं अग्रणी स्वतंत्र निदेशक	1	1
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर	सदस्य	1	1
रमेश पटल्या मावस्कर (8 जून, 2023 से प्रभावी)	सदस्य	1	1

निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए गैर-आधिकारिक निदेशकों की आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियों पर आधारित डीपीई के 28 दिसंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति गठित की है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और सूचीबद्ध विनियम अनुपालन में भी है।

ii. **समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम**

वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

iii. **बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 23 जनवरी, 2024 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर टेबल में दिया गया है।

2.9 निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति

i. **विचारार्थ विषय**

पूर्ववर्ती सूचीबद्धता समझौते (अब सेबी सूचीबद्धता विनियम) के अनुरूप, निदेशक मंडल ने 14 नवंबर, 2014 को निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया। निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय सूचीबद्ध विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और निम्नानुसार हैं:

1. व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे (क) विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक प्रारूप, (ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय, (ग) व्यवसाय निरंतरता योजना;

2. कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख करना;

4. जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो साल में कम से कम एक बार, उद्योग के बदलते परिदृश्य और बढ़ती हुई जटिलता पर विचार करना शामिल है;

5. निदेशक मंडल को उनकी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाईयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित करना;

6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी;

7. किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना, बाहरी कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना;

8. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ किसी प्रकार का ओवरलैप होने पर अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय;

9. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य वैधानिक विनियमों के तहत निर्धारित समिति के विचारार्थ विषय से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।.

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
सुश्री आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	2	2
डॉ. के. शिवप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर , स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
निदेशक (वित्त) #	सदस्य	2	2
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	2	2
निदेशक (पावर)	सदस्य	2	2
निदेशक (ई,आर एंड डी) #	सदस्य	2	2
निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	2	2
अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन संचालन समिति	सदस्य	2	2
मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य एवं संयोजक	2	2

इन बैठकों के दौरान निदेशक (ई, आर एंड डी) निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे थे।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 7 जुलाई, 2023 और 27 दिसंबर, 2023 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर टेबल में दिया गया है।

2.10 निदेशक मंडल स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

a) समिति 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के संविदा मूल्य वाली सभी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगी;

b) समिति देनदारों की आवधिक स्थिति की समीक्षा करेगी

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 13 जुलाई, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	2	2
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (13 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	2	2
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	2	2
निदेशक (पावर)	सदस्य	2	2

प्रमुख (पीएस-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) और प्रमुख (प्राप्य प्रबंधन) संबंधित कार्यसूची के लिए समिति के संयोजक हैं। निदेशक (वित्त) को समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है । व्यवसायिक क्षेत्रों के प्रमुखों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 4 अगस्त, 2023 और 14 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर टेबल में दिया गया है

2.11 मध्यस्थता एवं प्रमुख कानूनी विवाद और वैकल्पिक विवाद समाधान हेतु समिति

i. विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषय मध्यस्थता मामलों के साथ-साथ प्रमुख कानूनी विवादों की समीक्षा करना और उसके बाद निदेशक मंडल को अवगत कराना तथा बीएचईएल समझौता योजना, 2018 के तहत मसौदा निपटान समझौते को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 13 जुलाई, 2023 को किया गया था। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम श्री/श्रीमती	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित
डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर , स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	2
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (13 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	2	2
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	3	3
निदेशक (पावर)	सदस्य	3	3
निदेशक (ई,आर एंड डी)	सदस्य (13 जुलाई 2023 तक)	1	1
निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	3	3

प्रमुख-विधि, कॉर्पोरेट कार्यालय समिति के संयोजक हैं और समिति द्वारा समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख (मानव संसाधन), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

iii. **बैठकें और उपस्थिति**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें 7 जुलाई, 2023, 19 अक्टूबर, 2023 और 14 मार्च, 2024 को आयोजित की गई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर टेबल में दिया गया है।

2.12 प्रबंधन कार्मिकों का विवरण (कार्यपालक निदेशक- कार्यकारी निदेशकों से एक स्तर नीचे) जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हुए परिवर्तन शामिल हैं

सेबी लिस्टिंग विनियमन, 2015 के विनियमन 16 (1) (डी) के प्रयोजन के लिए 31 मार्च, 2024 तक बीएचईएल में वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में निम्नलिखित कर्मचारी शामिल हैं:

नाम (श्रीमती /श्री)	नाम (श्रीमती /श्री)
एम. अरुणमोझी देवन*	जितेन्द्र दास*
इसाडोर मारियाप्रोन	के अशोक*
अनिल जैन*	वाई श्रीनिवास राव*
राहुल बंसल*	आरपीएस सिसोदिया*
आलोक कुमार सिंघल*	पंकज रस्तोगी*
राजेश कोहली*	प्रवीण किशोर
राजीव कुमार गुप्ता*	नवीन सक्सेना*
सी वेंकट राव*	वीजे राजसुंदर *
राजीव सिंह	अखिल मेहरोत्रा*
बी श्याम बाबू *	एसडी गोस्वामी*
टीएस मुरली	संजीव कुमार रॉय*
एस.एम. रामनाथन*	के रविशंकर*
के भरणीधर राजा*	विनय कुमार बस्सी *
एस.जितेन्द्र रेड्डी *	विनय निगम
एस प्रभाकर*	राजीव कालरा
संजय गोयल*	

* 24 नवंबर, 2023 में कंपनी के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत

2.13 कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (कार्यपालक निदेशक- कार्यकारी निदेशकों से एक स्तर नीचे) जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नानुसार सेवानिवृत्त हुए:

क्रम सं.	नाम (श्रीमती /श्री)	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	संजीव कुमार काक	24 मई, 2023
2	एसवी श्रीनिवासन	24 मई, 2023
3	मीना केसरी	24 मई, 2023
4	सुशील कुमार बवेजा	24 अगस्त, 2023
5	टीएस वरदराजन	24 अगस्त, 2023
6	जी मुरली	24 अगस्त, 2023
7	शकील कुमार मनोचा	24 अगस्त, 2023
8	अनिल जोशी	24 अक्टूबर, 2023
9	पंकज गुप्ता	24 नवंबर, 2023
10	अमित केरकेट्टा*	24 दिसंबर, 2023
11	प्रवीण चंद्र झा	24 जनवरी, 2024
12	पुष्पेन्द्र कुमार सक्सेना*	24 फ़रवरी, 2024
13	एस.बी. नैथानी	24 मार्च, 2024

* 24 नवंबर, 2023 में कंपनी के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत

श्री के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 25 अप्रैल, 2024 से निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नामित किया गया है। वे श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक (ई, आरएंडडी) के स्थान पर काम करेंगे, जिन्हें पहले 26 मई, 2023 से सीएफओ के रूप में नामित किया गया था।

2.14 सामान्य बैठकें

i. **पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान और समय:**

वर्ष	स्थान	तारीख	समय
वित्त वर्ष 2020-21 (57वीं एजीएम)	बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।	23 सितंबर, 2021	10.00 पूर्वाह्न
वित्त वर्ष 2021-22 (58वीं एजीएम)		29 सितंबर, 2022	10.00 पूर्वाह्न
वित्त वर्ष 2022-23 (59वीं एजीएम)		24 अगस्त, 2023	10.00 पूर्वाह्न

ii. **पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण**

सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 25(2ए) के प्रावधानों के अनुरुप, 29 सितंबर, 2022 को आयोजित 58वींवार्षिक सामान्य बैठक में डॉ. राज के. अग्रवाल, डॉ. के. शिवप्रसाद और डॉ. लेखाश्री सामंतसिंघर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने तथा उसके बाद 24 अगस्त, 2023 को आयोजित 59वींवार्षिक सामान्य बैठक में श्री रमेश पटल्या को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किए गए।

iii. **पोस्टल बैलट (डाक मतपत्र)**

पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। वर्तमान में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

2.15 प्रकटीकरण

i. **कंपनी के हितों के विरुद्ध होने की संभावना वाले संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्त्वपूर्ण लेन-देन का प्रकटीकरण**

कंपनी ने किसी भी ऐसे प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध पक्ष के साथ लेनदेन (RPT) नहीं किया है जिसका कंपनी के हितों पर बड़े पैमाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण 2023-24 के नोट्स में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा किया गया है।

सामग्री सहायक कंपनियों का निर्धारण करने वाली कंपनी की नीति और संबंधित पार्टी लेन-देन से संबंधित नीति इस लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.bhel.com/sites/default/files/Policy%20on%20RPTs%20wef%2001042022_0.pdf

ii. **पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में, अनुपालन होने,लगाए गए दंड और सख्त कार्रवाई की स्थिति**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया और पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड/ सख्ती लागू नहीं की गई।

हालांकि, कंपनी को एनएसई तथा बीएसई से निदेशक मंडल की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम होने के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1) के प्रावधान का अनुपालनन होने पर जुर्माना लगाने हेतु नोटिस प्राप्त हुआ है। नोटिस के जवाब में, कंपनी ने एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि स्वतंत्र निदेशकों की कमी कंपनी की किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति उसके नियंत्रण में नहीं है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने एक्सचेंजों से अपनी अलग-अलग नीतियों के तहत जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है और इन प्रस्तुतियों के अनुसरण में दोनों एक्सचेंजों ने सूचित किया है कि 31.12.2021 तक की तिमाहियों के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ करने के बीएचईएल के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला भारत सरकार के पास प्रक्रियाधीन है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी को एनएसई और बीएसई से भी नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें जनवरी, 2021 में कोविड के दौरान वाणिज्यिक पत्र के मोचन दायित्व के बारे में सूचना दाखिल करने में देरी के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 57(1) का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। कोविड के असाधारण समय को देखते हुए जुर्माने से छूट की मांग करने वाली कंपनी के अभ्यावेदन के आधार पर, स्टॉक एक्सचेंजों ने लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया।

iii. **सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति**

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीबद्ध कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंजों के बीच सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में कंपनी द्वारा एक विस्तृत व्हिसल ब्लोअर नीति का मसौदा तैयार किया गया था और इसे 12 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी 464वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। यह नीति सूचीबद्ध विनियमों के अनुरूप है। इसके बाद, सभी कर्मचारियों के सूचनार्थ एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें व्हिसल ब्लोअर नीति को अधिसूचित किया गया और सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के संपर्क को सूचित किया गया।

व्यापक प्रचार के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर भी उपलब्ध है। सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के पते, संपर्क नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन समय-समय पर अधिसूचित किए जा रहे हैं।

व्हिसल ब्लोअर के तहत प्राप्त शिकायतों का कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के अनुसार निवारण किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों को शिकायत करने के लिए नीति के तहत प्रदान की गई व्यवस्था तक पहुँच प्राप्त है।

iv. **कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन, अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन और सूचीबद्ध विनियमों की गैर-अनिवार्य कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओंको अपनाना**

सीपीएसई और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), 2015 के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश की सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 तक विधिवत अनुपालन किया गया है। सूचीबद्धता विनियमों के तहत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में, बीएचईएल पहले से ही असंशोधित लेखा परीक्षा टिप्पणी के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था है।

खातों से कोई भी ऐसा व्यय डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं है और कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय (प्रशासनिक और अन्य विविध व्यय सहित) को घटाकर 6.32% कर दिया है।

v. **राष्ट्रपति के निदेश**

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

vi. **जोखिम प्रबंधन**

सेबी विनियमन, 2015 और उसके संशोधनों तथा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बीएचईएल के निदेशक मंडल के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन, न्यूनीकरण और शमन के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और चार्टर नीति स्थापित की है। चार्टर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनी भर में एक सुनियोजित और व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करना है जो यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों की उचित पहचान की जा चुकी है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम पहचान, जोखिम निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम शमन और नियमित समीक्षा और निगरानी शामिल है। विवरण 'जोखिम और मुद्दे' के खंड 1.15 में हैं।

vii. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण की जानकारी निदेशक मंडल की रिपोर्ट का भाग है और यह पैरा 1.12.5.2 'कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा' के अनुलग्नक-I के रूप में उपलब्ध है।

viii. **विनियमन 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान आबंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग**

शून्य

ix. **सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है, में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर भुगतान की गई सेवाओं के लिए कुल शुल्क**

सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए गए कुल शुल्क का उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा अलग से नियुक्त किया जाता है और वे वही लेखापरीक्षक नहीं थे जिन्होंने बीएचईएल के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा की हो।

x. **उन फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं-**

शून्य

xi. **सूचीबद्ध इकाई की वास्तविक सहायक कंपनियों और उनके वैधानिक लेखा परीक्षकों का विवरण-**

लागू नहीं

xii. **कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र**

कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है।

2.16 संचार माध्यम

सूचीयन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक है कि कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित / लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत किए जाने के लिए आयोजित निदेशक मंदल की बैठक की सूचना कंपनी द्वारा स्टॉक एक्चेंज को अग्रिम रुप से दी जाए। इसके अलावा, उक्त परिणाम रिकॉर्ड / अनुमोदित किए जाने के बाद, स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत सूचित किए जाते हैं । ये स्वीकृत वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल की बैठक समापन के 48 घंटों के भीतर पूरे या काफी हद तक पूरे भारत में प्रसारित होने वाले कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में और उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है । परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी अपलोड किए जाते हैं। शेयरधारकों से संबंधित अन्य जानकारी जैसे निदेशक पद में परिवर्तन, अवैतनिक लाभांश का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट आदि भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। प्रमुख ऑर्डरों की प्राप्ति, प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत, महत्वपूर्ण सहयोग, अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां आदि जैसी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों सहित आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजी जाती हैं। तिमाही वित्तीय परिणाम घोषित होने के बाद विस्तृत परिणाम दस्तावेज और पूरक जानकारी/प्रस्तुतियाँ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा, बीएचईएल वर्चुअल बैठकों, सीधी बातचीत और निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से निवेशकों से जुड़ता है। कंपनी के बारे में जानकारी, नवीनतम अपडेट और घोषणा बीएचईएल कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.bhel.com) पर 'निवेशक संबंध' सेक्शन के अंतर्गत देखी जा सकती है।

सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी अपनी वेबसाइट पर सूचना प्रसारित करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, आचार संहिता, आरपीटी से निपटने की नीति, निवेशकों की शिकायतों को निपटाने और सहायता करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के नामित अधिकारियों की संपर्क संबंधी जानकारी आदि शामिल हैं।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की "हरित पहल" के अनुसरण में, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजती है, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है और वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी का विकल्प नहीं चुना है। इस पहल की निरंतर सफलता के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए के साथ पंजीकृत करें।

2.17 सामान्य शेयरधारक सूचना

	एजीएम तिथि	**समय**	**कार्यक्रम का स्थान**
i.	22 अगस्त, 2024	10:00 (पूर्वा.)	कंपनी 25 सितंबर, 2023 के एमसीए परिपत्र के साथ पठित 5 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र के अनुसार वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है। वार्षिक आम सभा के लिए स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। विवरण के लिए कृपया इस वार्षिक आम सभा की सूचना देखें।
ii.	वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक	
iii.	रिकॉर्ड की तिथि	शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024	
iv.	लाभांश भुगतान तिथि	20 सितंबर, 2024 को या इससे पूर्व	

वार्षिक रिटर्न https://www.bhel.com/agm-related पर उपलब्ध है

v. **लाभांश इतिहास**:

बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण (निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरण के लिए देय नहीं) निम्नानुसार है

वर्ष	लाभांश दर	लाभांश भुगतान की कुल राशि (करोड़ रु. में)	लाभांश घोषित किए जाने की तिथि
2016-2017 (अंतिम)	39%	190.92	22.09.2017
2017-2018 (अंतरिम)	40%	293.72	08.02.2018*
2017-2018 (अंतिम)	51%	374.48	19.09.2018
2018-2019 (अंतरिम)	40%	278.57	05.02.2019*
2018-2019 (अंतिम)	60%	417.85	19.09.2019
2021-2022 (अंतिम)	20%	139.28	29.09.2022
2022-2023 (अंतिम)	20%	139.28	24.08.2023
2023-2024 (अंतिम)	12.5%	87.05	**

* निदेशक मंडल की बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

** निदेशक मंडल की दिनांक 21 मई, 2024 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश संस्तुत। वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदनके अधीन।

टिप्पणी:

1) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 03.10.2017 को 1:2 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर आबंटित किए अर्थात प्रत्येक दो पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए 2 रुपये का एक पूर्ण प्रदत्त नया बोनस इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूप, शेयरों की कुल संख्या 244.76 करोड़ से बढ़कर 367.14 करोड़ हो गई।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने 18,93,36,645 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों का बाय बैक किया, जो रिकॉर्ड तिथि (यानी मंगलवार, 6 नवंबर, 2018) के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों से कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूँजी का 5.16% है । आनुपातिक आधार पर "निविदा प्रस्ताव" प्रक्रिया के माध्यम से 86 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर नकद में देय 1,628.30 करोड़ के कुल प्रतिफल के लिए। परिणामस्वरुप, शेयरों की कुल संख्या 367.14 करोड़ से घटकर 348.21 करोड़ हो गई है।

3. यदि किसी शेयरधारक ने पिछले सात वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिए लाभांश का दावा नहीं किया है /प्राप्त नहीं किया है और इसे अभी तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो वह कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर अपलोड की गई प्रक्रिया का पालन करके इस अवैतनिक लाभांश का दावा कर सकता है। वर्ष 2015-16 (अंतिम) और 2016-17 (अंतरिम) के लिए दावा न किए गए लाभांश को वर्ष 2023-24 के दौरान पहले ही IEPF में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 (अंतिम) और 2017-18 (अंतरिम) के लिए दावा न किए गए लाभांश क्रमशः 22.10.2024 और 09.03.2025 को IEPF में स्थानांतरित किए जाने हैं। वर्ष 2017 में बोनस शेयर जारी करने से संबंधित आंशिक शेयरों की दावा न की गई बिक्री आय भी 01.11.2024 को IEPF में स्थानांतरित की जानी है।

4. आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए लाभांश/शेयरों के संबंध में, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से इसका दावा कर सकते हैं। ये नियम आईईपीएफ की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर उपलब्ध हैं।

vi. **क) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता और स्टॉक कोड**

बीएचईएल के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिनके लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है:

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र भी बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हैं।

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
1. बीएसई लिमिटेड फ़िरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	500103
2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं. सी/1, ब्लॉक - जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	बीएचईएल

ख) डिपॉजिटरी को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

vii. वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक माह के दौरान बीएसई और एनएसई पर बीएचईएल शेयरों और बाजार सूचकांक का उच्च, निम्न, बंद और संख्या को नीचे दर्शाया गया है:

बाजार मूल्य डेटा: वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न, बंद										
महीने	बीएसई				एनएसई				बाजार सूचकांक (बंद)	
	उच्च	निम्न	बंद	संख्या	उच्च	निम्न	बंद	संख्या	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स	एनएसई निफ्टी
	(रु. में)			शेयरों की संख्या (करोड़ में)	(रु. में)			शेयरों की संख्या (करोड़ में)		
अप्रैल-23	78.60	67.63	78.36	1.89	78.65	67.60	78.40	31.61	61112.44	18065.00
मई-23	87.90	77.30	81.85	4.98	87.95	77.25	81.90	57.84	62622.24	18534.40
जून-23	90.05	81.80	87.69	2.67	90.15	81.80	87.65	41.47	64718.56	19189.05
जुलाई-23	105.40	86.65	104.07	3.66	105.45	86.65	104.05	60.59	66527.67	19753.80
अगस्त-23	122.00	94.80	121.30	5.33	122.00	94.80	121.25	78.55	64831.41	19253.80
सितम्बर-23	148.95	121.35	130.95	7.27	148.90	121.40	131.00	103.98	65828.41	19638.30
अक्टूबर-23	133.70	113.50	120.90	2.37	133.75	113.50	120.85	36.43	63874.93	19079.60
नवम्बर-23	176.50	120.70	170.45	5.36	176.50	120.70	170.45	74.90	66988.44	20133.15
दिसम्बर-23	199.70	166.00	193.45	5.58	199.70	165.80	193.55	64.67	72240.26	21731.40
जनवरी-24	234.40	191.90	228.25	7.19	234.45	191.85	228.25	92.60	71752.11	21725.70
फ़रवरी-24	243.30	201.50	227.45	5.29	243.25	201.35	227.55	71.60	72500.30	21982.80
मार्च-24	271.90	207.20	247.20	4.17	275.85	207.10	247.30	83.11	73651.35	22326.90

स्रोत: : www.bseindia.com / www.nseindia.com

viii. इनसाइडर ट्रेडिंग नीति

बीएचईएल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 के अनुरुप, कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को "इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता" को अपनाया था, जिसे बाद में 29 जनवरी, 2009 से संशोधित किया गया था।

निदेशक मंडल ने 6 अप्रैल, 2015 को आयोजित 469वीं बैठक में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुरुप "इनसाइडर ट्रेडिंग को विनियमित करने एवं रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता, 2015" को मंजूरी दी थी। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2015 के अनुरूप 'इनसाइडर्स द्वारा ट्रेडिंग और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग के लिए आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण, 2015'को मंजूरी दी । सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के लिए निदेशक मंडल ने 01.04.2019 से प्रभावी नामित व्यक्तियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 (संशोधित) के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करना है । संहिता अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धतियों और प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करती है । इस कोड के तहत कंपनी के कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन विभाग प्रमुख कंपनी के मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी हैं ।

ix. (ए) इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए))

कंपनी ने बीएचईएल के इक्विटी शेयरों (भौतिक और डीमैट दोनों ही प्रकार) से संबंधित सभी मामलों को संभालने के लिए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) नियुक्त किया है। कंपनी के इक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामले जैसे कि समेकन, शेयर प्रमाणपत्रों का खो जाना, हस्तांतरण, डीमैटरियलाइजेशन, लाभांश, पते में परिवर्तन आदि और संबंधित पत्राचार और प्रश्नों को निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है: -

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
यूनिट: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055
टेलीफ़ोन नंबर: 011-42541234
फैक्स नं.: 011-23552001
ईमेल: rta@alankit.com
वेबसाइट: www.alankit.com

(बी) वाणिज्यिक पत्रों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:

मैसर्स NIFK टेक्नोलॉजी लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी,
प्लॉट नं. 31 और 32, वित्तीय जिला,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500 032
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

शेयरधारकों को सेवा प्रदान करने में आरटीए का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया है।

x. शेयर अंतरण पद्धत्ति

भौतिक खंड के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण गतिविधियाँ जैसे दस्तावेजों की प्राप्ति/प्रेषण और उनका सत्यापन मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार, 01.04.2019 से, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (संचरण या स्थानांतरण के मामले को छोड़कर) के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को डीमैट रुप में नहीं रखा जाता है। सूचीकरण विनियमों के अनुरूप, शेयर प्रमाणपत्र/पुष्टि पत्र ट्रांसपोजिशन, ट्रांसमिशन, उप-विभाजन और समेकन के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किए जा रहे हैं।

xi. शेयरधारिता का वितरण

क. होल्डिंग के आकार के अनुसार 31 मार्च 2024 को शेयरों का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1 - 500	1404817	91.54	114249621	3.28
501 - 1000	67462	4.40	53007607	1.52
1001 - 2000	35310	2.30	52043571	1.49
2001 - 3000	10641	0.69	27255162	0.78
3001 - 4000	4266	0.28	15255893	0.44
4001 - 5000	3364	0.22	15856312	0.46
5001 - 10000	4990	0.33	36695874	1.05
10001 और अधिक	3726	0.24	3167699315	90.98
कुल	**1534576**	**100.00**	**3482063355**	**100.00**

ख. 31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता पैटर्न

वर्ग	2024		2023	
	मतदान संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या	मतदान संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रमोटर्स होल्डिंग				
भारतीय प्रमोटर-				
भारत के राष्ट्रपति (POI)	63.17	2199650402	63.17	2199650402
कुल प्रमोटर होल्डिंग	63.17	**2199650402**	63.17	**2199650402**
गैर-प्रवर्तक होल्डिंग				
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियाँ, योग्य संस्थागत खरीदार, वैकल्पिक निवेश कोष	10.26	357584062	11.50	400542743
विदेशी संस्थागत निवेशक (योग्य विदेशी निवेशक सहित)	8.75	304940320	8.58	298734941
म्यूचुअल फंड और यूटीआई	5.75	200053800	4.02	139820242
अन्य				
व्यक्ति, एचयूएफ, कर्मचारी	10.70	372317681	11.48	399645637
कॉर्पोरेट निकाय	0.63	21908106	0.65	22462202
एनआरआई और विदेशी नागरिक/ संस्था	0.50	17368702	0.51	17837995
विन्यास (ट्रस्ट)	0.03	1077273	0.01	300464
समाशोधन सदस्य	0.19	6607282	0.07	2559156
आईईपीएफ	0.02	554027	0.01	494773
निदेशक एवं संबंधी	0	200	0	300
राज्य सरकार	0	1500	0	14500
कुल गैर-प्रवर्तक होल्डिंग	**36.83**	**1282412953**	**36.83**	**1282412953**
कुल योग	**100**	**3482063355**	**100**	**3482063355**

ग. शेयरधारकों की सूची जिनके पास 1% से अधिक हिस्सेदारी है 31 मार्च 2024 तक कंपनी

श्रेणी एवं शेयरधारक नाम	31 मार्च, 2024	
	मतदान संख्या	धारित शेयरों की संख्या
प्रमोटर		
भारत के राष्ट्रपति	63.17	2199650402
गैर-प्रमोटर		
भारतीय जीवन बीमा निगम	8.18	284734170

xii. शेयरों और इक्विटी का डी मैटीरियलाइजेशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए बीएचईएल के शेयरों की डीमैट फॉर्म में ट्रेडिंग 5 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दी गई है। बीएचईएल ने अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट मोड में स्वीकार करने के लिए देश की दोनों डिपॉजिटरीज यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। 31 मार्च, 2024 तक, बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 99.98% (एनएसडीएल: 93.95%, सीडीएसएल: 6.03%) शेयरधारकों द्वारा डीमैट मोड में रखा जा रहा है। शेयरधारकों द्वारा भौतिक रुप में रखे गए शेयर 0.02% हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति (कंपनी के प्रमोटर होने के नाते कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 63.17% हिस्सा रखते हैं) की शेयरधारिता भी डीमैट रुप में है। कंपनी को आबंटित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE257A01026 है।

xiii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

शून्य

xiv. चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची निदेशक मंडल की मुख्य रिपोर्ट में बताई गई है।

xv. विदेशी मुद्रा जोखिम या कमोडिटी मूल्य जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हेजिंग गतिविधियाँ/लेनदेन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरुप हैं।

सूचीबद्ध संस्था का कमोडिटी एक्सपोजर तथा वर्ष भर संस्था द्वारा उठाए गए कमोडिटी जोखिम

क) सूचीबद्ध इकाई का वस्तुओं में कुल जोखिम (रुपये में): 12,651 करोड़ (लगभग)

ख) सूचीबद्ध इकाई का विभिन्न वस्तुओं में जोखिम

वस्तु का नाम	किसी विशेष वस्तु के प्रति रु. में निवेश (लगभग 1 करोड़ में)	विशेष वस्तु के प्रति मात्रा के संदर्भ में जोखिम (मीट्रिक टन में) (लगभग)	कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से हेज किए गए जोखिम का %				
			घरेलू बाजार		अंतरराष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	अदला-बदली	ओटीसी	अदला-बदली	
इस्पात	2040	271883			-		
ताँबा	496	5679			-		
एल्युमीनियम	88	2963			-		
निकिल	21	120			-		
टिन	6	24			-		

ग) स्टील, ताँबा, एल्युमीनियम आदि जैसी प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं को विभिन्न बीएचईएल इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुसार, मूल्य लाभ प्राप्त करने के लिए, पहचान की गई इकाइयों में से एक द्वारा केंद्रीय रुप से खरीदा जा रहा है। कंपनी को मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, उपयुक्त पीवीसी के साथ फ्रेमवर्क समझौतों को समय-समय पर अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अलावा, जनवरी, 2024 में एक एकीकृत खरीद सेल (यूपीसी) बनाया गया है, जो वस्तुओं की खरीद लागत को कम करने के सभी पहलुओं पर ध्यान देगा।

xvi. संयंत्र अवस्थिति

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयाँ	
बेंगलुरु	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (ईडीएन)
	2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन (ईएसडी)
	3. सौर व्यवसाय प्रभाग (एसबीडी)
भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट(एचईपी)
गोइंदवाल	5. औद्योगिक वाल्व संयंत्र (आईवीपी)
हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट (HEEP)
	7. सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट(एचपीईपी)
जगदीशपुर	9. फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग और इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
झांसी	10. ट्रांसफार्मर प्लांट (टीपी)
रुद्रपुर	11. कंपोनेंट फैब्रीकेशन प्लांट(सीएफपी)
रानीपेट	12. बॉयलर ऑक्जलरी प्लांट(बीएपी)
तिरुचिरापल्ली	13. हाईप्रेशरबॉयलरप्लांट(एचपीबीपी)
	14. सीमलेसस्टीलट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
थिरुमायम	15. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
विशाखापत्तनम	16. हेवी प्लेट्स एंडवेसल्स प्लांट(एचपीवीपी)
बीएचईएल- मरम्मतइकाइयाँ	
मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट(ईएमआरपी)
वाराणसी	2. हेवी इक्विवपमेंट रिपेयर प्लांट(HERP)

xvii. पत्राचार का पता

शेयरधारक कंपनी के शेयरों से संबंधित अपने प्रश्न और कोई अन्य पत्राचार निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

यूनिट: बीएचईएल

4ई/2, अलंकित हाउस
झंडेवालान एक्सटेंशन
नई दिल्ली – 110055
फ़ोन: 011-42541234 फ़ैक्स: 011-23552001
ई-मेल: rta@alankit.com

या

डॉ. योगेश आर छाबड़ा
कंपनी सचिव
बीएचईएल रजि. कार्यालय:
बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट,
नई दिल्ली – 110 049
फ़ोन: 011-26001046
ईमेल: shareholderquery@bhel.in

नोट: इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सभी पत्राचार करना चाहिए।

घोषणा: लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, यह घोषित किया जाता है कि सभी निदेशक मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीएचईएल की "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

Ashu Gupta & Co.
COMPANY SECRETARIES

204A, Second Floor, 23, S.B.I. Building
Opp. DLF Tower, Shivaji Marg
New Delhi-110 015
Tel. : 011- 45700331 Mob. : 9899021740
E-mail : ashugupta.cs@gmail.com

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS
(pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members of
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Bharat Heavy Electricals Limited** having CIN: L74899DL1964GOI004281 and having registered office at BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications {including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in} as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its Directors/ officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on **31st March, 2024** have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities & Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

Sr. No.	Name of Director (as per DIN)	DIN	Date of appointment in Company
1.	Koppu Sadashiv Murthy	09184201	01.11.2023
2.	Arti Bhatnagar	10065528	14.02.2023
3.	Vijay Mittal	09548096	25.03.2022
4.	Sivaprasad Kodungallur	09392812	09.11.2021
5.	Lekhasri Samantsinghar	09392192	09.11.2021
6.	Ramesh Patlya Mawaskar	10194932	08.06.2023
7.	Jai Prakash Srivastava	09703643	12.08.2022
8.	Krishna Kumar Thakur	10172666	04.07.2023
9.	Tajinder Gupta	10327530	20.09.2023
10.	Bani Varma	10337787	09.10.2023

Ensuring the eligibility of the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: New Delhi
Date: 30.05.2024

For Ashu Gupta & Co.

ASHU GUPTA Digitally signed by ASHU GUPTA Date: 2024.05.30 12:39:09 +05'30'

Ashu Gupta
Company Secretary in Practice
FCS No.: 4123 | CP No.: 6646
PR No.: 730/2020

UDIN: F004123F000492754

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

We have examined the compliance of conditions of corporate governance by Bharat Heavy Electricals Limited ("BHEL"/ "the Company") for the year ended March 31, 2024, as stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by the Department of Public Enterprise (DPE), Government of India.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management of the Company. Our examination has been limited to review of procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in the said Regulations and Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with all the applicable conditions of corporate governance as stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and DPE Guidelines on Corporate Governance during FY 2023-24 except that during the period under review the number of independent directors on the Board was less than half of the total strength of the Board as required under Regulation 17(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance.

The Company has explained that BHEL, being a Government Company, all the directors are appointed by the President of India, acting through administrative ministry and as such appointment of requisite number of independent directors is beyond the control of the Company. Further, the Company has been in constant communication with its administrative ministry requesting for appointment of independent directors on its Board so as to ensure compliance with corporate governance norms enunciated under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and DPE Guidelines on Corporate Governance.

We further state that such compliance certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries

Akhil Rohatgi & Co. Company Secretaries 21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi-54

CS Akhil Rohatgi
FCS: 1600, COP:2317
ICSI Unique Regn Code No: P1995DE072900
Peer Review No.1152/2021
UDIN No: F001600F000512352

Place: Delhi
Date: 31.05.2024

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

Secretarial Audit Report
For the Financial Year ended on 31st March 2024

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort,
New Delhi-110049

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by the Bharat Heavy Electricals Limited (CIN: L74899DL1964GOI004281) (hereinafter called 'BHEL'/ 'the Company'). Secretarial audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records or registers maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2024,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on **31st March 2024** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

Akhil Rohatgi & Company Secretaries, 21 Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi-54

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
(c) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; [Not applicable on the Company during the audit period];
(e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; [Not applicable on the Company during the audit period];
(f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-convertible Securities) Regulations, 2021;
(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; [The Company was not engaged in the activities relating to Registrar to an Issue and was also not acting as Share Transfer Agent, Hence the aforesaid Regulations were not applicable to the Company during the audit period];
(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; [Not applicable on the Company during the audit period];
(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; [Not applicable on the Company during the audit period];

(vi) Other labour, environment and specific applicable Acts/ Laws to the Company for which secretarial audit was conducted including as listed below (being verified on the basis of periodic certificate under internal compliance system submitted to the Board of Directors of the Company):
a) Factories Act, 1948 and other Labour Laws (to the extent as applicable);
b) Right to Information Act, 2005;
c) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013;
d) Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
e) Batteries (Management and Handling) Rules, 2001;
f) Indian Boilers Act, 1923; and
g) Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
a. Mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI); and
b. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India;

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

Akhil Rohatgi & Co. Company Secretaries, 21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi-54

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except that during the period under review the number of independent directors on the Board was less than half of the total strength of the Board as required under Regulation 17(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance.

The Company has explained that BHEL, being a Government Company, all the directors are appointed by the President of India, acting through administrative ministry and as such appointment of requisite number of independent directors is beyond the control of the Company. Further, the Company has been in constant communication with its administrative ministry requesting for appointment of independent directors on its Board so as to ensure compliance with corporate governance norms enunciated under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and DPE Guidelines on Corporate Governance.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. However, as mentioned above, the company did not have requisite number of Independent Director on its Board during the period under review. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Generally, adequate notice is given to all directors to schedule the Board & Committee meetings as per the statutory provisions and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance, except those which were sent at shorter notice, were taken up after obtaining requisite permission as required under Secretarial Standard-1 of ICSI. Further, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions made at the Board and Committee meetings were carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or respective Committee of the Board, as the case may be.

There was no prosecution initiated during the year under review against/ on the Company, its Directors and Officers. However, during the year under review, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited each have levied fine of Rs. 21,59,400 for non-compliance of Regulation 17 (1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in respect of non-appointment of requisite numbers of independent directors. In response to the notices, the Company has clarified to the Exchanges that the shortfall in Independent Directors was not due to any negligence/ default of the Company, as the appointment is not within its control. In view thereof, the Company has requested the Exchanges to waive-off the fine under their carve-out policies.

Akhil Rohatgi & Co. Company Secretaries 21 Shamnath Marg Civil Lines Delhi-54

We further report that based on the information received and records maintained, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, no specific events/ actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above has occurred in the Company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries

CS Akhil Rohatgi
FCS: 1600, COP:2317
Peer Review No. 1152/2021
ICSI Unique Firm Regn Code No: P1995DE072900
UDIN No: F001600F000575074

Place: New Delhi
Date: 15/06/2024

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **"Annexure-A"** and forms an integral part of this report].

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

To,

Annexure –"A"

The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort,
New Delhi-110049

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, based on our audit.

2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed, provide a reasonable basis for our opinion.

3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

4) Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5) The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries

CS Akhil Rohatgi
FCS: 1600, COP:2317
Peer Review No. 1152/2021
ICSI Unique Firm Regn Code No: P1995DE072900
UDIN No: F001600F000575074

Place: New Delhi
Date: 15/06/2024

अनुलग्नक-III: निदेशक मंडल रिपोर्ट:

सीईओ और सीएफओ प्रमाणपत्र

(सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार

To,

The Board of Directors
Bharat Heavy Electricals Ltd.,
New Delhi.

(a) We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow statement of Bharat Heavy Electricals Ltd for the year ended 31st March, 2024 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with the applicable Ind AS, laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the company during the year 2023-24 which are fraudulent, illegal or violative of the Company's Code of Conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the Auditors and to the Audit Committee.

(i) Significant changes, if any, in internal control over financial reporting during the year 2023-24;

(ii) Significant changes, if any, in the accounting policies during the year 2023-24 and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

21/05/24

(K Sadashiv Murthy)
Chairman & Managing Director
Additional charge Director (Finance) & CFO

Place: New Delhi
Date: 21.05.2024

बीएचईएल -सीआईएल का संयुक्त उद्यम –
कोयले से रसायन व्यवसाय में प्रवेश

बीएचईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) की स्थापना के साथ कोल टू केमिकल बिजनेस क्षेत्र में कदम रखा है। ओडिशा में स्थित, 21 मई 2024 को निगमित, यह कंपनी उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए उपयुक्त बीएचईएल के इन-हाउस विकसित प्रेशराइज्ड फ्लूडाइज्ड बेड गैसीकरण (पीएफबीजी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन (टीपीडी) अमोनियम नाइट्रेट बनाने का संयंत्र स्थापित कर रही है। बीएचईएल के पास इस संयुक्त उद्यम कंपनी में 49% की इक्विटी हिस्सेदारी है।

हमारी पीएफबीजी प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए,बीएचईएल ने त्रिची में 168 टीपीडी कोयला गैसीकरण संयंत्र और हैदराबाद में उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टीपीडी मेथनॉल के उत्पादन के लिए 1.2 टीपीडी कोयला गैसीकरण पायलट संयंत्र की स्थापना की। विशेष रुप से, उच्च राख वाले भारतीय कोयले का मेथनॉल में रुपांतरण गैसीकरण के माध्यम से भारत में अपनी तरह का पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है।

बीएचईएल ने बिजली उत्पादन के लिए लिग्नाइट-आधारित गैसीकरण पायलट संयंत्र की स्थापना की खोज के लिए एनएलसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं

संधारणीयता और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बीएचईएल का मिशन वाक्य- 'ऊर्जा, उद्योग और अधोसंरचना के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना' प्रकृति की देखरेख के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को स्वयं में समाहित किए है। **"हरित बीएचईएल" बीएचईएल द्वारा शुरु की गई एक पहल है जिसका लक्ष्य वर्ष 2047** तक नेट जीरो प्राप्त करना है। मुझे विश्व आर्थिक मंच की "1t.org" पहल से जुड़ने पर गर्व है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति बीएचईएल की प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करता है।

कृष्ण कुमार ठाकुर

निदेशक, मानव संसाधन, बीएचईएल

1t.org

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-IV

संधारणीयता और सीएसआर

4.1 संधारणीयता निष्पादन – पर्यावरण

विश्व के व्यावसायिक परिदृश्य में एक विशेष बदलाव देखा गया है, जहाँ व्यवसाय परिचालन के हर क्षेत्र में संधारणीयता के सिद्धांतों के अनुरुप बनने और इनका अनुपालन करने की आवश्यकता है। कंपनी पर्यावरण और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सदैव समर्पित रही है और यह सुनिश्चित करती रही है कि संधारणीयता हमारे परिचालन के मूल में बनी रहे।

निम्नलिखित बातें पर्यावरणीय संधारणीयता और जलवायु संबंधी गतिविधियों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की गई प्रमुख पहलों की रुपरेखा प्रस्तुत करती हैं:

4.1.1 सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग

संसाधन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग योजना बनाने और समीक्षा प्रक्रियाओं तथा लागत को इष्टतम बनाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 12 (एसडीजी 12) - जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग(Sustainable Development Goal 12 (SDG 12) - Responsible Production and Consumption) के भी अनुरुप है।

विनिर्माण प्रक्रियाओं में ओष्टिमैजेशन,अपशिष्ट न्यूनीकरण और अपशिष्ट को कम करने हेतु धातु की चादरों एवं सेक्शन्स को काटने के लिए नेस्टिंग योजनाओं के माध्यम से संधारणीय सामग्री खपत, उत्पादित कटबिट्स या ऑफकट की रि -साइकलिंग / उपयोग संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं।

4.1.2 ऊर्जा प्रबंधन

बीएचईएल अपने ग्राहकों को अधिक ऊर्जा कुशल उपस्कर और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के साथ विद्युत संयंत्र उपलब्ध करा रहा है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 7 (एसडीजी 7) - किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के अनुरुप ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान दे रहा है।

ऊर्जा पर ज़ोर देने वाली विनिर्माण इकाइयों ने आईएसओ 50001 प्रमाणन के साथ ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। ऊर्जा की खपत में निरंतर कमी के लिए ऊर्जा संरक्षण/दक्षता के अवसरों की पहचान करने के लिए समय-समय पर ऊर्जा ऑडिट आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 51 ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं की पहचान की गई और इसके कार्यान्वयन से वर्ष के दौरान विनिर्माण इकाइयों में बिजली की खपत में 23.92 मिलियन यूनिट की कमी आई।

हमारे परिसर में स्थापित कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 8% बढ़कर 29.78 मिलियन यूनिट से 32.17 मिलियन यूनिट हो गया, जिससे पिछले सात वर्षों में 192.17 मिलियन यूनिट का संचयी उत्पादन प्राप्त हुआ।

4.1.3 जल एवं जैव विविधता प्रबंधन

कंपनी जल की खपत को कम करने, जहाँ भी संभव हो, रीसाइकलिंग और पुनः उपयोग की पद्धतियों को लागू करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। जल संरक्षण उपायों में छत पर वर्षा जल संचयन की प्रणाली, भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए चेकडैम और जैव विविधता संरक्षण पहल शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3, 6, 11 और 14 के अनुकूल हैं।

बीएचईएल ने भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए अपने परिसरों में विभिन्न आकारों और क्षमताओं के 140 से अधिक वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ स्थापित की हैं। इस वर्ष 9 नई जल संचयन संरचनाएँ जोड़ी गई हैं। भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए, वर्ष के दौरान 8 नए जल निकाय भी बनाए गए।

जल प्रदूषण की रोकथाम और अपशिष्ट जल के सतत प्रबंधन के लिए, कंपनी ने 20 अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) और 19 सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए हैं। एसबीडी बेंगलुरु और एचपीवीपी वाईजेग इकाइयों में नए एसटीपी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चालू किए गए। उल्लेखनीय है कि 11 विनिर्माण इकाइयाँ अपने परिसर के बाहर कोई अपशिष्ट नहीं बहा रही हैं।

हरित क्षेत्र

बीएचईएल की सभी इकाइयों के परिसर पेड़ों, झाड़ियों और जल निकायों से ढके हुए हैं, जो https://restor.eco.की मदद से अनुमान के अनुसार बीएचईएल परिसर में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% तक फैला हुआ है।

हमारे आंतरिक अनुमान के अनुसार, हमारे परिसर में झाड़ियों और पेड़ों की कुल संख्या लगभग 30 लाख है। 03 बीएचईएल इकाइयों अर्थात्; झांसी, हैदराबाद और त्रिची ने 15,000 वर्ग मीटर से अधिक संचयी कवरेज के साथ मियावाकी वन विकसित किए हैं।

सभी बीएचईएल इकाइयों में, खास तौर पर मानसून के मौसम में, बड़ी संख्या में पौधे लगाने की एक अच्छी परंपरा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों में 3.10 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इनमें से 81,608 पौधे वर्ष 2023-24 के दौरान लगाए गए।

हरित क्षेत्र के अलावा, बड़ी विनिर्माण इकाइयों के परिसरों में जल निकाय भी हैं। जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वर्ष के दौरान विभिन्न बीएचईएल इकाइयों में आठ नए जल निकाय बनाए गए।

वित्त वर्ष 2023-24 में, बीएचईएल वन ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव ('1t.org') का हिस्सा बन गया, जिसका उद्देश्य वन संरक्षण समुदाय को सशक्त बनाना और एक ट्रिलियन पेड़ों का संरक्षण और बहाली सुनिश्चित करना है। बीएचईएल ने अपने परिसरों में 3 मिलियन मौजूदा पेड़ों को संरक्षित करने और अधिक पौधे लगाकर इसे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

बीएचईएल इकाइयों में 15,000 वर्ग मीटर से अधिक संचयी कवरेज वाले मियावाकी वन विकसित किए गए

4.1.4 कार्बन प्रबंधन

2047 तक नेट-जीरो स्थिति प्राप्त करने के लिए बीएचईएल की कार्बन प्रबंधन रणनीतियां एक स्थायी ऊर्जा मिश्रण की ओर परिवर्तन और इसके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, हमारी अधिकांश विनिर्माण इकाइयां पहले से ही हीटिंग प्रयोजनों के लिए कोयला/एफओ/एचएसडी/एलडीओकेस्थानपर एलपीजी/सीएनजी/आरएलएनजी जैसे हरित ईंधन पर स्विच कर चुकी हैं।

हमारी विनिर्माण इकाइयों में 35 मेगावाट से अधिक की ऑनसाइट कैप्टिव सौर पीवी प्रणाली है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कार्बन पदचिह्नों (फुटप्रिंट) से बचने में 8% की वृद्धि हुई है।

कंपनी का ग्रीन कवर प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है, जो कार्बन कटौती प्रयासों का पूरक है। चल रही ऊर्जा संरक्षण (एनकॉन) और ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाएं निरंतर आधार पर स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देती हैं, जो कार्बन प्रबंधन और स्थिरता के लिए बीएचईएल की प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं।

4.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन

कंपनी ने 3आर (Reduce, Recycle, Reuse) के सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए नीचे उल्लिखित उपायों का पालन करते हुए अच्छी तरह से प्रणालियां निर्धारित की हैं।

- सभी धात्विक कचरे को स्क्रैप के रूप में अधिकृत एजेंसियों को बेचने से पहले अधिकतम सीमा तक पुन: उपयोग के लिए स्रोत पर अलग किया जाता है।

- खतरनाक अपशिष्ट, ई-कचरा और बैटरी अपशिष्ट को सुरक्षित रुप से संग्रहित किया जाता है और अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है तथा संबंधित नियामक एजेंसियों को निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत किया जाता है।
- बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग यथासंभव खाद बनाने के लिए किया जाता है । एचईपी, भोपाल में कैंटीन के कचरे का उपयोग बायो डाइजेस्टर में बायो-गैस बनाने के लिए किया जाता है।
- निष्क्रिय (गैर-खतरनाक) अपशिष्ट, जिनका कोई पुनर्विक्रय मूल्य नहीं है, का उपयोग निर्माण में बैक फिलिंग के लिए किया जाता है या हमारे परिसर के भीतर निचले क्षेत्रों को भरने के लिए किया जाता है।
- स्क्रैप के संग्रह और निपटान पर ध्यान केंद्रित करते हुए अक्टूबर 2023 के दौरान बीएचईएल में स्वच्छता पर एक विशेष अभियान 3.0 शुरु किया गया था।
- सभी पंद्रह बीएचईएल टाउनशिप को " एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त" टाउनशिप के रूप में प्रमाणित किया गया है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा आयोजित स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता में बीएचईएल के पीईएम नोएडा को प्रथम स्थान मिला

4.2 हरित बीएचईएल– बीएचईएल को हरित कंपनी में बदलना

हरित बीएचईएल - बीएचईएल को "ग्रीन कंपनी" और एक मॉडल "ग्रीन पीएसयू" बनाने की पहल को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री द्वारा 10 जुलाई, 2023 को बीएचईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसके अलावा, एक अवधारणा पत्र, जिसमें हरित बीएचईएल के प्रमुख पहलुओं को रेखांकित किया गया है बीएचईएल पहल का उद्घाटन माननीय भारी उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर, 2023 को बीएचईएल की झांसी इकाई में किया गया।

हरित बीएचईएल पहल में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं:

1. **2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य:** बीएचईएल ने 2047 तक स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन के लिए शुद्ध शून्य स्थिति प्राप्त करने का संकल्प लिया है। यह मूल्य श्रृंखला में स्कोप-3 उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ सहयोग और सहायता की भावना के साथ काम करेगा। इसके अलावा, इसने वित्त वर्ष 2022-23 के बेसलाइन उत्सर्जन के संबंध में 2030 तक स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन में 50% की कमी का मध्यवर्ती लक्ष्य रखा है।

2. विनिर्माण इकाइयों के लिए ग्रीन कंपनी रेटिंग: 2047 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के रोड मैप के एक भाग के रूप में और बीएचईएल का लक्ष्य विनिर्माण इकाइयों के लिए सीआईआई -सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा ग्रीनको रेटिंग प्राप्त करना है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ग्रीनको रेटिंग के मूल्यांकन के लिए 05 इकाइयों की पहचान की गई थी। उनके द्वारा प्राप्त ग्रीनको रेटिंग नीचे दी गई है।

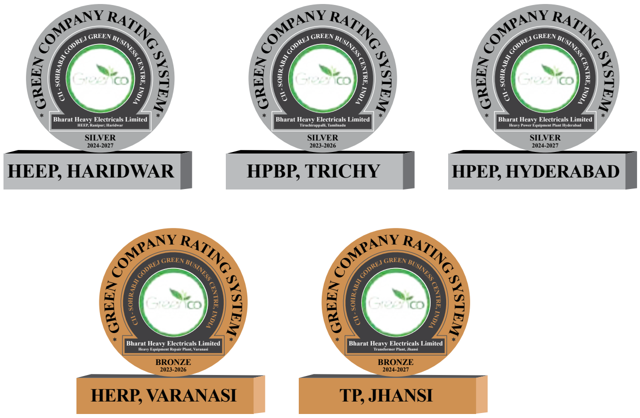

3. वर्ष 2023-24 के लिए संधारणीयता पर केन्द्रित पहल: वर्ष 2023-24 के लिए, 09 संधारणीयता पर केन्द्रित पहलों की पहचान की गई और उन्हें बीएचईएल में लागू किया गया। वर्ष की 09 पहल और उपलब्धियाँ नीचे दी गई

i. विनिर्माण इकाइयों में कैप्टिव उपयोग के लिए सौर पीवी संयंत्र की क्षमता में वृद्धि

ii. बीएचईएल परिसर में 75,000 पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 81,608 पौधे लगाए गए

iii. भूजल पुनर्भरण के लिए 9 वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ जोड़ी जाएंगी

iv. जैव विविधता को बढ़ावा देने और भूजल पुनर्भरण निकायों को सहायता देने के लिए 8 जल निकायों का निर्माण

v. हरित बीएचईएल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बीएचईएल (हरित बीएचईएल) की 5 विनिर्माण इकाइयों ने जल संरक्षण के अवसरों की पहचान करने के लिए व्यापक जल ऑडिट कराया

vi. 16 विनिर्माण इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के अवसरों की पहचान करने के लिए ऊर्जा ऑडिट पूरा हो चुका है।

vii. दिन के समय प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था को सक्षम करने के लिए छत की शीटिंग को बदलने/मरम्मत करके कंपनी में दिन के उजाले के उपयोग को बढ़ावा देना। यह कार्य पूरी कंपनी में पूरा हो चुका है।

4.3 संधारणीयता निष्पादन – सामाजिक

बीएचईएल ने अपनी सीएसआर पहलों को क्रियान्वित करने के लिए 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। इन सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बीएचईएल की सीएसआर नीति में विस्तार से बताया गया है और ये कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों और क्षेत्रों के अनुरूप हैं।

वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्वच्छ भारत- हरिद्वार और ऋषिकेश, उत्तराखंड में बायो-डाइजेस्टर शौचालयों के 23 समूहों का निर्माण ।

शिक्षित भारत- "आप खुश रह सकते हैं" श्रृंखला की पुस्तकों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता, इसके बाद इस्कॉन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में केवीएस छात्रों के लिए स्वास्थ्य और कैरियर परामर्श।

स्वस्थ भारत

- "हील-ए-सोल IV" के लिए वित्तीय सहायता - अपनी सीएसआर पहल के तहत भारत के विभिन्न आकांक्षी जिलों में हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों और बच्चों (पीएंडसीडब्ल्यूएच) को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स (एएचएफ) प्रदान करना।

हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों और बच्चों को एंटी हीमोफीलिक फैक्टर (एएचएफ) प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता

- उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली में 11 चिन्हित स्थानों पर सुलभ शौचालय परिसरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को वित्तीय सहायता ।
- हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में लगभग 100 लोगों के लिए सराय भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
- 36 जिम स्थापित करने के लिए सूर्यपेट , तेलंगाना के जिला कलेक्टर को वित्तीय सहायता ।

सूर्यापेट में ओपन जिम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता

समावेशी भारत

- वाराणसी में 100 हेरिटेज स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए नगर आयुक्त, वाराणसी को वित्तीय सहायता।
- "विकास कार्य हेतु व्यावसायिक सहायता परियोजना" को वित्तीय सहायता: कंधमाल (ओडिशा) के कृषि समुदायों को उनके आर्थिक विकास के लिए प्रेरित करना।

ओडिशा के कंधमाल जिले में एफपीओ के माध्यम से टमाटर के विपणन के लिए वित्तीय सहायता

4.4 सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रुपरेखा। (अनुलग्नक-ए के रुप में संलग्न)

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्रम	निदेशक का नाम	पद का नाम / प्रकृति निदेश	सीएसआर समिति की वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने की संख्या
1	डॉ. के. शिवप्रसाद स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
2	निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
3	निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	1	1

कॉर्पोरेट कार्यालय के प्रमुख (सीएसआर) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों।

   वेब-लिंक : --- **https://www.bhel.com/csr**

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का वेब-लिंक सहित सारांश प्रदान करें।

   लागू नहीं

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

   ₹(-) 940.77 करोड़

   (ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।

   ₹(-) 18.82 करोड़

   (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष। **शून्य**

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो। **शून्य**

   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) - (घ)]। **शून्य**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा दोनों)। **₹1382.25 लाख**

   (ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि **₹19.11 लाख**

   (ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो। **शून्य**

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क) + (ख) + (ग)]

   *** ₹1401.36 लाख**

   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या शेष सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	शेष राशि (₹ में)				
	धारा 135 की धारा (6) के अनुसार सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल शेष राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	मात्रा (लाख में)	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(f) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रम	**विवरण**	**राशि (₹ लाख में)**
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**(-)1,882.00**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि*	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)- (i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)]	शून्य

* वित्त वर्ष 2020-21 की शेष सीएसआर राशि ₹12126.95 लाख कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 30.04.2021 को एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। इसमें से ₹1911.08 लाख, ₹1600.50 लाख और ₹1401.36 लाख क्रमशः वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में खर्च किए गए। शेष राशि 29.04.2024 को पीएमएनआरएफ में स्थानांतरित कर दी गई।

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए शेष सीएसआर राशि का ब्यौरा

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सीएसआर खाते में हस्तांतरित शेष राशि (लाख में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सीएसआर खाते में शेष राशि (लाख में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट ए फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (लाख में	कमी, यदि कोई हो
					राशि (लाख में)	स्थानांतरण की तिथि		
1	2020-21#	2,126.95	2,126.95	1,441.99	लागू नहीं		2,126.95	शून्य
2	2021-22	शून्य	2,126.95	911.08	लागू नहीं		1,215.87	शून्य
3	2022-23	शून्य	1,215.87	600.50	लागू नहीं		615.37	शून्य

वित्त वर्ष 2020- 21:- पिछले वर्ष से आगे बढ़ाया गया फंड = ₹1,550.94 लाख और वर्ष के लिए सीएसआर बजट = ₹ 2,018.00 लाख, वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध कुल फंड था ₹3,568.94 लाख

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है: नहीं

   यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: N/A

   वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या

   अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें, जिन पर राशि व्यय की गई: लागू नहीं

क्रम	संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या संपत्तियों का पिनकोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर की राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
-	-	-	-	-	-	-	-

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

   धारा 135(5) के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत ।(-) 18.82 करोड़ था। इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर बजट शून्य था।

   वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च किया गया सीएसआर पिछले वर्ष से जारी सीएसआर परियोजनाओं से बाहर था।

10. हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुरूप है ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष
(सीएसआर समिति)

नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 27,2024

कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए बीएचईएल हरिद्वार में 5 मेगावाट की इन-हाउस सौर पीवी स्थापना

अनुलग्नक – क

बीएचईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति रुपरेखा सीएसआर विजन:

एक बेहतर कल के लिए काम करने वाला एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना।

सीएसआर मिशन:

कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध सीएसआर प्रमुख क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में कंपनी की जिम्मेदारी का ईमानदारी और प्रभावी ढंग से निर्वहन करना।

नीति के उद्देश्य:

- उन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को परिभाषित करना जिन्हें बीएचईएल शुरु करने की योजना बना रहा है और जो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और प्रचलित डीपीई दिशानिर्देशों के दायरे में आते हैं।
- ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की रुपरेखा।
- ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रक्रिया की निगरानी करना।
- बीएचईएल में सीएसआर प्रथाओं के बारे में हितधारकों को जागरुक करना।
- व्यवसाय के संचालन और सीएसआर एजेंडे के अनुसरण में सतत विकास के बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

- इसमें कंपनी अधिनियम-2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम-2014 और सीएसआर एवं स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित अपेक्षाओं को शामिल किया गया है;
- यह सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों पर आधारित हैं।
- इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा।
- कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि का कम से कम 75% खर्च करने में स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।
- एक करोड़ या उससे अधिक के कुल मूल्य वाली परियोजना को मेगा परियोजना कहा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रुप से किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा।
- किसी भी आपदा/विपत्ति के लिए राहत गतिविधियों के लिए वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपातकालीन निधि के रुप में आरक्षित करने का प्रावधान है।
- इसमें प्रावधान है कि वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय का 5% प्रशासनिक ओवरहेड्स सहित क्षमता निर्माण के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- यह बीएचईएल में सीएसआर के लिए संगठनात्मक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सीएसआर नीति का वेब-लिंक:

बीएचईएल सीएसआर नीति www.bhel.com पर सीएसआर अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है तथा इसे https://www.bhel.com/csr लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-V

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

खंड A: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L74899DL1964GOI004281
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	13 नवंबर 1964
4.	पंजीकृत कार्यालय पता	बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049
5.	कॉर्पोरेट पता	बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049
6.	ईमेल	shareholderquery@bhel.in
7.	टेलीफ़ोन	011-66337598
8.	वेबसाइट	**www.bhel.com**
9.	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	वित्त वर्ष 2023-24
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
11.	प्रदत्त पूंजी	696.41 करोड़ रुपए
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	संदीप सिंह बैरठ (डीजीएम- कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक) प्रबंधन), ईमेल: s.baraith@bhel.in, 011-66337
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण एकल आधार पर किया गया है (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात एक साथ, इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	स्टैंडअलोन आधार
14.	क्या कंपनी ने BRSR कोर का उचित आश्वासन लिया है?	हाँ, प्रमाण पत्रअंत में
15.	आश्वासन प्रदाता का नाम	ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
16.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II . उत्पाद / सेवाएं

17. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1	पावर सेक्टर	पावर सेक्टर में तापीय, गैस, जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, तथा कलपुर्जे एवं सेवा व्यवसाय के अलावा कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और गैर-बीएचईएल सेटों के लिए कलपुर्जे के नए व्यवसाय शामिल हैं।	77%
2	उद्योग क्षेत्र	रक्षा , एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर प्लांट, प्रोसेस उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, और ऊर्जा भंडारण सहित कई उद्योगों के लिए काम करता है।	23%

18. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल योगदान कारोबार का %
1	जल विद्युत संयंत्रों के अलावा अन्य विद्युत संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव	45207	27%
2	केंद्रीय हीटिंग बॉयलरों के अलावा भाप या अन्य वाष्प उत्पन्न करने वाले बॉयलरों और गर्म पानी बॉयलरों का विनिर्माण	28131	26%
3	भाप इंजन और टर्बाइन का निर्माण	29111	9%
4	सभी आकार और प्रकार के ट्रांसफार्मरों का निर्माण और इलेक्ट्रिक मोटरों की रिवाइंडिंग	31102	7%
5	विद्युत वितरण और नियंत्रण उपकरणों का विनिर्माण [1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए विद्युत परिपथों (जैसे स्विच, फ्यूज, वोल्टेज लिमिटर, सर्ज सप्रेसर, जंक्शन बॉक्स इत्यादि) को स्विच करने या उनकी सुरक्षा करने के लिए विद्युत उपकरण; 1000 वोल्ट से अनधिक वोल्टेज के लिए समान उपकरण (रिले, सॉकेट इत्यादि सहित); विद्युत नियंत्रण या विद्युत संधारित्रों सहित विद्युत वितरण के लिए उपर्युक्त दो या अधिक उपकरणों से सुसज्जित निदेशक मंडल, पैनल, कंसोल, कैबिनेट और अन्य आधार।]	31200	8%
6	जनरेटर/जनरेटिंग सेट का निर्माण	31101	5%
7	विद्युत मोटरों का निर्माण: यूनिवर्सल एसी/डीसी मोटर और डीसी मोटर या जनरेटर	31103	3%
8	अन्य मूवर्स का विनिर्माण जैसे हाइड्रोलिक टर्बाइन, जल चक्र और उनकी विनियामक मशीनरी; समुद्री प्रणोदन के लिए गैस टर्बाइन या विद्युत जनरेटर या पंप के प्राइम मूवर्स के रूप में उपयोग; बॉयलर-टरबाइन सेट या इंटीग्रल बॉयलर के साथ स्थिर भाप इंजन।	29119	4%
9	आसवन और सुधार संयंत्रों का विनिर्माण; ताप विनिमायक; वायु या गैस को द्रवीकृत करने के लिए मशीनरी; उत्पादक गैस या जल गैस और एसिटिलीन गैस जनरेटर	29198	2%

III. संचालन

19. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रो की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	16	29	45
अंतरराष्ट्रीय	0	1	1

कंपनी की 16 विनिर्माण इकाइयाँ (या संयंत्र), 2 मरम्मत इकाइयाँ, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र और 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र हैं । संयंत्र के नामों के लिए, ' अखिल भारतीय उपस्थिति' देखें।

20. इकाई द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले बाजार:

स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28 (राज्य), 8 (केंद्र शासित प्रदेश)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	89

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

कुल कारोबार में निर्यात का योगदान लगभग 3.02% है।

ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

बीएचईएल के ग्राहकों में सरकार, सरकारी मंत्रालय, अर्ध-सरकारी एजेंसियां, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) और निजी कंपनियां शामिल हैं।

IV. कर्मचारी

बीआरएसआर प्रारुप के दिशानिर्देशों के अनुसार औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2 (आई) के तहत 'कर्मचारी' और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2 (जेडआर) के तहत 'कामगार' की परिभाषा देखें। बीआरएसआर प्रारुप के दिशानिर्देशों में 'स्थायी कर्मचारी', 'स्थायी कामगार', 'स्थायी कर्मचारी के अलावा' और 'स्थायी कामगार के अलावा अन्य' की परिभाषा भी देखें। परिभाषा के मूल्यांकन के अनुसार, 'कर्मचारियों' में नीचे दिए गए डेटा बिंदुओं में 'स्थायी' और 'स्थायी के अलावा अन्य' श्रेणी के लिए 'कर्मचारी' के साथ-साथ 'कामगार' भी शामिल हैं।

21. वित्तीय वर्ष के अंत तक का विवरण:

क. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांग सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	सं. (ग/क)
			कर्मचारी			
1.	स्थायी (घ)	28673	26996	94.15%	1677	5.85%
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	17361	15764	90.80%	1597	9.20%
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	46034	42760	92.89%	3274	7.11%
			कामगार			
4.	स्थायी (च)	14207	13846	97.46%	361	2.54%
5.	स्थायी के अलावा (छ)*	17244	15648	90.74%	1596	9.26%
6.	**कुल कामगार (च + छ)**	31451	29494	93.78%	1957	6.22%

ख. दिव्यांग कर्मचारी एवं श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	सं. (ग/क)
			दिव्यांग कर्मचारी			
1.	स्थायी (घ)	821	799	97.32%	22	2.68%
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	51	40	78.43%	11	21.57%
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	872	839	96.22%	33	3.78%
			दिव्यांग कामगार			
4.	स्थायी (च)	383	380	99.22%	3	0.78%
5.	स्थायी के अलावा (छ)*	51	40	78.43%	11	21.57%
6.	**कुल कामगार (च + छ)**	434	420	96.77%	14	3.23%

*बीएचईएल अपनी विभिन्न इकाइयों/डिवीजनों/विभागों में संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार ठेकेदारों को नौकरी/कार्य अनुबंध प्रदान करता है। ठेकेदारों के पास काम करने वाले कामगारों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है।

22. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	9	3	33.33%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	1	0	0%

31 मार्च 2024 तक की स्थिति

23. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

वर्ष के लिए टर्नओवर दर को 'वर्ष में रोज़गार (जॉब) छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या*100/श्रेणी में कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या' के रूप में परिभाषित किया गया है।

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	3.34%	4.59%	3.42%	4.01%	4.97%	4.15%	5.45%	3.77%	5.29%
स्थायी कामगार	2.55%	4.43%	2.60%	3.21%	7.66%	3.41%	3.71%	6.51%	3.78%

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

24. (क) होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक कंपनी/सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम (ए)	बताएं कि क्या यह स्वामित्व/ सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
1.	बीएचईएल-जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49.99%	नहीं
2.	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00%	नहीं
3.	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	22.14%	नहीं

निदेशक मंडल रिपोर्ट - फॉर्म AOC - I के अनुलग्नक - IX का संदर्भ लें

VI. सीएसआर विवरण

25. सीएसआर विवरण

(i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: हां, सीएसआर बीएचईएल के लिए लागू है।

(ii) कारोबार: 22,920.52 करोड़ रुपये

(iii) कुल संपत्ति: 24,850.59 करोड़ रुपये

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

26. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/शिकायतें:

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है (हां/नहीं) (यदि हां, तो कृपया शिकायत निवारण नीति प्रदान करें	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हां https://pgportal.gov.in/	186	1	अप्रैल में बंद 2024	218	0	-

निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	नहीं	0	0	-	0	0	-
शेयरधारक	हाँ संपर्क विवरण www.bhel.com पर उपलब्ध है	8	0	-	13	0	-
कर्मचारी और कामगार	हाँ (आंतरिक प्रणाली)	74	35	-	196	175	-
ग्राहक*	हाँ (आंतरिक प्रणाली)	330	74	-	466	219	-
वैल्यू चेन पार्टनर्स	हां https://suvidha.bhel.in/	61	11	-	92	09	-
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

* ग्राहक शिकायतों को एकल प्रणाली के अंतर्गत समेकित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयरधारक समिति के अनुलग्नक-II का संदर्भ लें

निदेशक मंडल रिपोर्ट, सतर्कता तंत्र के अनुलग्नक-VIII का संदर्भ लें

27. कंपनी के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण संबंधी मुद्दों का विवरण

क्र. सं.	वास्तविक मुद्दे की पहचान की गई	जोखिम है या अवसर (अवसर/ जोखिम)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में इष्टतम या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक इंगित करे)
1.	ऊर्जा प्रबंध और कार्बन पदचिह्न (फुट प्रिंट)	अवसर	ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर, ईंधन परिवर्तन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, हरित आवरण में वृद्धि, तथा लागत में कमी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेहतर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण। सिद्धांत 6 देखें	-	सकारात्मक प्रभाव
2.	जल और अपशिष्ट प्रबंधन	अवसर	परिचालन के दौरान उत्पन्न जल और अपशिष्ट जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग करके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव में कमी लाना	-	सकारात्मक प्रभाव
3.	कुशल जनशक्ति	जोखिम	नए उत्पादों/व्यवसाय के लिए नए कौशल सेट और दक्षताओं की कमी भविष्य के व्यावसायिक राजस्व के लिए जोखिम पैदा करती है	कार्यबल का पुनः कौशलीकरण तथा आवश्यक कौशल की पार्श्विक भर्ती। सिद्धांत 3 देखें	नकारात्मक प्रभाव
4.	स्वास्थ्य और सुरक्षा	जोखिम	सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन हमारे व्यवसाय का अभिन्न अंग है। कार्यस्थल(ओं), परियोजना स्थल(ओं), दुकान(ओं) पर खतरे और जोखिम, कर्मचारियों, कामगारों और अन्य हितधारकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे परिचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।	कर्मचारी और कामगार नियमित आधार पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) से संबंधित प्रशिक्षण से प्राप्त करते हैं। ये प्रशिक्षण प्रारम्भिक स्तर पर भी प्रदान किए जाते हैं। एचएसई टीम द्वारा लगातार सुरक्षा मूल्यांकन और तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। सिद्धांत 3 देखें	नकारात्मक प्रभाव

27. **कंपनी के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण संबंधी मुद्दों का विवरण (जारी)**

क्र. सं.	वास्तविक मुद्दे की पहचान की गई	जोखिम है या अवसर (अवसर/ जोखिम)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में इष्टतम या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक इंगित करे)
5.	मानवाधिकार एवं श्रम स्थितियां	जोखिम	मानवाधिकार मुद्दों की पहचान करने और उनका प्रबंधन करने तथा संचालन और आपूर्ति श्रृंखला में श्रम मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी। मानवाधिकार और श्रम मानकों पर विनियमों का अनुपालन न करने से जोखिम और परिणामी क्षति जुड़ी हुई है।	बीएचईएल की नीतियां मानवाधिकारों, भारत के संविधान और लागू कानूनों के सिद्धांतों के अनुरुप हैं। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास विशेष प्रावधान हैं। बीएचईएल श्रम कानून के सभी प्रावधानों का अनुपालन करता है। कंपनी ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, इंडिया (जीसीएनआई) के संस्थापक सदस्यों में से एक है और भारत में पहल का एक हिस्सा है। सिद्धांत 3 और 5 का संदर्भ लें	नकारात्मक प्रभाव
6.	कर्मचारी सहभागिता, विविधता और समावेशन	अवसर	• कर्मचारी सहभागिता से उत्पादकता बढ़ती है और इससे मुनाफे पर प्रभाव पड़ता है । • विविधता/समान अवसर समग्र रुप से नागरिक समाज के उत्थान में मदद करते हैं। कंपनी एक समान अवसर नियोक्ता है और भर्ती और रोजगार संबंधों में लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषाई, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, जो भारत सरकार की नीतियों द्वारा निर्देशित है, जिससे विविध संस्कृति और प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है।	-	सकारात्मक प्रभाव
7.	सामाजिक जुड़ाव और प्रभाव	अवसर	सीएसआर समाज और उन समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कमजोर और हाशिए पर हैं। यह कंपनी की ब्रांड धारणा, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के लिए आकर्षण और समग्र व्यावसायिक सफलता में भी सुधार करता है।	-	सकारात्मक प्रभाव

क्र. सं.	वास्तविक मुद्दे की पहचान की गई	जोखिम है या अवसर (अवसर/ जोखिम)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में इष्टतम या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक इंगित करे)
8.	डेटा और साइबर सुरक्षा	जोखिम	साइबर खतरे से उत्पन्न जोखिम परिचालन समय की हानि, महत्वपूर्ण डेटा हानि (संगठन और ग्राहक) के कारण राजस्व की हानि होती है, जिससे व्यवसाय प्रभावित होता है।	कंपनी ने साइबर सुरक्षा को कंपनी के शीर्ष जोखिमों में से एक के रूप में पहचाना है। तदनुसार, जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे कि कंपनी को ISO/IEC 27001 के लिए प्रमाणित किया गया है और इसने पूरे संगठन में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) को लागू किया है ; एंडपॉइंट सुरक्षा, Next-Gen साइबर सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत समाधान का कार्यान्वयन ऑपरेशन सेंटर (साइबर एसओसी), सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स (एसओएआर) और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल (डब्ल्यूएएफ)। बाहरी स्रोतों से खतरे की खुफिया जानकारी को वास्तविक समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (एसआईईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। निदेशक मंडल रिपोर्ट के खंड 1.12 में आगे के विवरण शामिल किए गए हैं।	नकारात्मक प्रभाव
9.	उत्पाद सुरक्षा	जोखिम	उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षित कार्यप्रणाली में कमी से कंपनी की ब्रांड छवि, देयता दावों पर प्रभाव पड़ता है और लागत (पुनर्निर्माण लागत) आदि बढ़ जाती है।	विनिर्माण सुविधाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती हैं। बीएचईएल द्वारा पेश किए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद में उत्पाद मैनुअल होते हैं और अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों और आवश्यकताओं के अनुसार विस्तृत उत्पाद लेबल/नाम प्लेट/परीक्षण प्रमाणपत्र के साथ लेबल किए जाते हैं। ग्राहकों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार उत्पादों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है।	नकारात्मक प्रभाव

क्र. सं.	वास्तविक मुद्दे की पहचान की गई	जोखिम है या अवसर (अवसर/ जोखिम)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में इष्टतम या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक इंगित करे)
10.	कॉरपोरेट अभिशासन और व्यावसायिक नैतिकता	जोखिम	मूल्य/ नैतिक व्यवहार उन तरीकों से कार्य करना है जो कंपनी के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को देखने के तरीके के अनुरूप है। इसका पालन न करने से ईमानदारी, कार्यस्थल पर अंतर-कर्मियों के संबंधों, हितों के टकराव और व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।	बीएचईएल अपने कारोबार को कॉर्पोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिता के अनुपालन में संचालित करने में विश्वास रखता है, प्रत्येक कोर मूल्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ग्राहकों को अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों को आकर्षक अवसर, आपूर्तिकर्ताओं को समाज की प्रगति और समृद्धि में कंपनी के साथ भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है। बीएचईएल कोड/प्रक्रिया लागू है जैसे कि व्हिसलब्लोअर नीति, धोखाधड़ी रोकथाम नीति, सीडीए नियम आदि। सिद्धांत 1 देखें।	नकारात्मक प्रभाव
11.	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	जीएचजी उत्सर्जन करने वाले पूंजीगत श्रेष्ठ उत्पादों की मांग में कमी। मांग में कमी देश/वैश्विक स्तर पर नीतिगत बदलावों का प्रत्यक्ष परिणाम है	नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना और कम उत्सर्जन वाले उत्पादों के साथ उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना।	नकारात्मक प्रभाव
12.	संधारणीय उत्पाद एवं सेवाएँ	अवसर	हमारे ग्राहकों द्वारा ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों के कारण नए व्यावसायिक अवस	-	सकारात्मक प्रभाव
13.	सामग्री सोर्सिंग	जोखिम	भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, अन्य क्षेत्रों से एक ही प्रकार की सामग्री की बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति जोखिम और सामग्री की कीमत में अस्थिरता होती है, जिससे उत्पाद की डिलीवरी में देरी होती है और साथ ही उत्पाद मूल्य निर्धारण में चुनौती भी आती है।	'मेक इन इंडिया'/वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना आदि।	नकारात्मक प्रभाव
14.	ईंधन अर्थव्यवस्था एवं उत्सर्जन उपयोग-चरण (उत्पाद का परिचालन काल)	अवसर	बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विनियमन और उत्सर्जन को सीमित करने की ग्राहक प्राथमिकताओं के कारण उद्योग में ऊर्जा कुशल और कम उत्सर्जन वाले उत्पादों की मांग बढ़ रही है।	वैधानिक मानदंडों का अनुपालन करते हुए बेहतर सुविधाओं वाले नए उत्पादों के साथ उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना।	नकारात्मक प्रभाव

खंड-ख: प्रबंधन और प्रक्रिया संबंधी विवरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7*	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं#	हां	हां
ख. क्या नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं/लागू नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं#	हां	हां
सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो।@	i, ii, iii, iv	-	v	vi	vii	v	-	vi	-
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं/लागू नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं/लागू नहीं)	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4. निकाय द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए। *	ई, एफ	ए, बी, सी	बी, सी, ई, एफ	एफ	ई, एफ	बी, डी	एफ	एफ	ए
5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और टारगेट, परिभाषित समयसीमा के साथ, यदि कोई हो।	लागू नहीं	गैर फॉसिल क्षेत्र (वित्त वर्ष 23-27) से 50% ऑर्डर बुक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	• 75,000 पौधे रोपे जाएंगे • पांच विनिर्माण इकाइयों का ग्रीन-को रेटिंग मूल्यांकन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और टारगेट के प्रति इकाई का प्रदर्शन और इनके पूरा न होने की स्थिति का कारण।	लागू नहीं	वित्त वर्ष 24के दौरान 32%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	• **81,608 पौधे रोपे गए** • ग्रीनको रेटिंग के लिए पांच विनिर्माण इकाइयों का मूल्यांकन किया गया। तीन को सिल्वर रेटिंग और दो को ब्रॉन्ज़ रेटिंग प्राप्त हुई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

शासन, नेतृत्व और निगरानी

7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों को उजागर करते हुए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा दिए गए विवरण, जिसमें (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है) हो।

जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और जलवायु कार्रवाई की अनिवार्यता व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बन गया है। बीएचईएल हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति जागरुक संगठन रहा है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए पहले से ही कई उत्पाद और समाधान पेश कर रहा है और आगे भी कई संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। यह एक सुव्यवस्थित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपने स्वयं के संचालन के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

उभरती स्थिति से निपटने के लिए, बीएचईएल ने खुद को ग्रीन कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए ' हरित बीएचईएल' पहल शुरु की है। इसमें ईएसजी सिद्धांतों पर अधिक ध्यान देना भी शामिल है, जो बदले में कंपनी को पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

8. व्यवसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	नाम: कृष्ण कुमार ठाकुर पद: निदेशक (मानव संसाधन) डीआईएन: 10172666 टेलीफोन: 011- 26001003 ईमेल आईडी: dhr@bhel.in
9. क्या संस्था के पास संधारणीयता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	नाम: कृष्ण कुमार ठाकुर पद: निदेशक (मानव संसाधन) डीआईएन: 10172666 टेलीफोन: 011- 26001003 ईमेल आईडी: dhr@bhel.in

समीक्षा का विषय	**क्या निदेशक / निदेशक मंडल समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी?**									**आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)**								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:																		
उक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	जहां भी लागू हो, बीआरएसआर के खंड सी में समीक्षाएं और आवृत्ति प्रदान की गई हैं।																	

उपरोक्त नीतियों के अनुरूप कार्य निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अन्य समिति का विवरण	जहां भी लागू हो, बीआरएसआर के खंड सी में समीक्षाएं और आवृत्ति प्रदान की गई हैं।
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन की समीक्षा और आवृत्ति बीआरएसआर के खंड सी में दी गई है।
सिद्धांतों और सुधार से संबंधित वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अन्य समिति का विवरण	वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन की समीक्षा और आवृत्ति बीआरएसआर के खंड सी में दी गई है।
11. क्याकंपनीने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन करवाया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	संगठन की नीतियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 27001, सीएजी, संसदीय समितियों, प्रशासनिक मंत्रालय आदि द्वारा ऑडिट/समीक्षा के अधीन हैं।

*क. आईएसओ 9001; ख. आईएसओ 14001; ग. आईएसओ 45001; घ. आईएसओ 50001; ङ. मानवाधिकार, श्रम , पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध पर यूएनजीसी के दस सिद्धांत; च. डीपीई दिशानिर्देश@

i. https://www.bhel.com/code-business-conduct-ethics-board-members-senior-management-personnel

ii. https://www.bhel.com/code-conduct-prevention-insider-trading

iii. https://www.bhel.com/bhel-fraud-prevention-policy-0

iv. https://www.bhel.com/whistle-blower-policy-0

v. https://www.bhel.com/sites/default/files/HSEPOLICY.pdf

vi. https://www.bhel.com/sites/default/files/BHEL_CSR_Policy_2022.pdf

vii. https://www.bhel.com/commitment-ungc-programme

नोट्स:

हमारे पास इन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित प्रथाएं और प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनमें से किसी के संबंध में हमारे पास कोई औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं है।

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी में शामिल नहीं किए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
कंपनी सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू कर सकें (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानवीय एवं प्रौद्योगिकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

पॉलिसी एडवोकेसी से संबंधित सिद्धांत 7 के संबंध में, हालांकि कंपनी के पास कोई नीति नहीं है, लेकिन वह 'जिम्मेदार तरीके से पॉसिली एडवोकेसी' के आधार पर स्थापित पद्धतियों का पालन करती है।

खंड ग: सिद्धांतवार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

आवश्यक संकेतक

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के कवरेज का प्रतिशत::

बीएचईएल अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं और इनमें कई विषय शामिल होते हैं (जो किसी न किसी रुप में नौ सिद्धांतों को कवर करते हैं)।

खंड	आयोजित प्रशिक्षणों और जागरूकता कार्यक्रम की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	9	परियोजना की गतिविधियों एवं प्रगति से परिचय; विनिर्माण एवं ईपीसी में बीएचईएल की क्षमताएं; अभिशासन, स्वतंत्र निदेशकों की प्रभावशीलता, निदेशकमंडलगतिशीलता और प्रबंधन संबंध; प्रभावी निर्णय लेने के लिए वित्त; अर्थव्यवस्था के रणनीतिक और प्रमुख क्षेत्रों में बीएचईएल का योगदान; भविष्य के लिए रोडमैप - सामरिक योजना 2022-27; बड़े आकार के टर्बो जेनरेटर असेंबली की मशीनिंग, परीक्षण और हैंडलिंग के लिए सुविधाएं; कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक और नियामक प्रावधान, लिस्टिंग (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम , 2015; डीपीई दिशानिर्देश और सचिवीय मानक; कार्यकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण; सीपीएसई में सतर्कता प्रबंधन	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (निदेशक मंडल के अतिरिक्त)	3	इसमें डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, वैकल्पिक विवाद समाधान और मानव संसाधन जैसे विषयों को शामिल किया गया, जो उस कानूनी ढांचे का हिस्सा हैं जिसके तहत कंपनी काम करती है।	100%
निदेशक मण्डल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के अतिरिक्त अन्य कर्मचारीगण	1690	नौ सिद्धांतों के अनुरुप तकनीकी, कार्यात्मक, सुरक्षा, प्रबंधकीय और व्यवहारिक विषय	72.8%
कामगार	1690		48.4%

2. निम्नलिखित प्रारुप में नियामकों/ विधि प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा) में वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए जुर्माना/ दंड/ पुरस्कार/ शमन शुल्क/ समाधान राशि का विवरण (नोट: कंपनी सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के विनियमन 30 में विनिर्दिष्ट और कंपनी की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर दिया गया है:

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थाएँ	राशि (रुपये में)	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/ नहीं)
जुर्माना	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य
चक्रवृद्धि शुल्क	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य

गैर मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थाएँ	मामले का सार	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/ नहीं)
कैद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में उल्लिखित मामलों में से प्रस्तुत अपील/ संशोधन मामलों का विवरण, जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है-

विवरण	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्थाएँ
लागू नहीं	लागू नहीं

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हाँ, बीएचईएल की भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी विरोधी नीति है। बीएचईएल द्वारा उच्च स्तर का आचरण करने के प्रयासों के लिए अपने कर्मचारियों (स्थायी आदेशों से शासित कर्मचारियों को छोड़कर) के लिए बीएचईएल आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1975 नीति है, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है। यह धोखाधड़ी निवारण नीति और व्हिसल ब्लोवर नीति द्वारा संवर्धित है। कंपनी 'सूचना का अधिकार अधिनियम' 2005, संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट लेखा-परीक्षण एवं कंपनी अधिनियम-2013 के खंड 139 के तहत नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परीक्षणाधीन है।

https://www.bhel.com/bhel-fraud-prevention-policy-0
https://www.bhel.com/whistle-blower-policy-0

व्यवसाय के क्षेत्र में विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के साथ डीलिंग के लिए बीएचईएल ने क्रय एवं अनुबंध गतिविधियों क्रियाकलापों में दोनों पक्षों के नैतिक आचरण में अत्यधिक पारदर्शिता व ईमानदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 'ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एमओयू किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उचित अनुमोदन के आधार पर बीएचईएल में 'पारदर्शिता एवं ईमानदारी नीति' के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु दो स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों (आईईएम) के पैनल को नियुक्त किया गया है।

5. उन निदेशकों / प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों / कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा घूस / भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की गई:

	वित्तीय वर्ष 2023- 24	वित्तीय वर्ष 2022- 23
निदेशक	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	0	0
कर्मचारी	1	4
कामगार	0	0

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2023- 24		वित्तीय वर्ष 2022- 23	
	संख्या	**टिप्पणी**	**संख्या**	**टिप्पणी**
निदेशकों के हितों के टकराव के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	--	0	--
निदेशकों के अतिरिक्त केएमपी के हितों के टकराव के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	--	0	--

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों / विधि प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/ की गई कार्रवाई से संबंधित सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें-

कृपया निदेशक मंडल रिपोर्ट की सतर्कता प्रणाली, अनुलग्नक-VIII देखें।

8. देय खाते के दिनों की संख्या ((देय खाते * 365) / खरीदी गई वस्तुओं / सेवाओं की लागत) का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें:

	वित्तीय वर्ष 2023- 24	वित्तीय वर्ष 2022- 23
देय खाते x 365 दिन	4,18,83,75,00,00,000	3,98,65,30,00,00,000
खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत (रु. में)	1,72,55,00,00,000	1,64,80,00,00,000
देय खातों के दिनों की संख्या	243	242

9. **व्यवसाय का खुलापन: व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ क्रय और विक्रय की मात्रा का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

मापदंड	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
क्रय की मात्रा/प्रतिशत	क. i) ट्रेडिंग कंपनियों से क्रय (रु. में)	0	0
	ii) कुल क्रय (रु. में)	97,00,00,00,000	1,05,00,00,00,000
	iii) कुल क्रय के % के रूप में ट्रेडिंग कंपनियों से क्रय	0%	0%
	ख. उन ट्रेडिंग कंपनियों की संख्या जहां से क्रय किया जाता है।	0	0
	ग. i) शीर्ष 10 ट्रेडिंग कंपनियों से क्रय (रु. में)	0	0
	ii) ट्रेडिंग कंपनियों से कुल क्रय (रु. में)	0	0
	iii) शीर्ष 10 ट्रेडिंग कंपनियों से क्रय, ट्रेडिंग कंपनियों से कुल क्रय के % के रूप में (रु. में)	0%	0%
विक्रय की मात्रा/प्रतिशत	क. i) डीलर / वितरकों को विक्रय (रु. में)	0	0
	ii) कुल विक्रय (रु. में)	2,29,20,52,00,000	2,21,36,30,00,000
	iii) डीलर/वितरक को कुल विक्रय के % के रूप में विक्रय	0%	0%
	ख. डीलरों/वितरकों की संख्या जिनको विक्रय किया जाता है	0	0
	ग. i) शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को विक्रय (रु. में)	0	0
	ii) डीलर / वितरकों को कुल विक्रय (रु. में)	0	0
	iii) शीर्ष डीलर/वितरक को कुल विक्रय के प्रतिशत के रूप में 10 डीलरों/वितरकों को विक्रय	0%	0%
आरपीटी में शेयर	क. i. क्रय (संबंधित पक्षों के साथ क्रय) (रु.)	1,25,00,000	87,00,000
	ii. कुल क्रय (रु.)	1,72,55,00,00,000	1,64,80,00,00,000
	iii. कुल क्रय के % के रूप में संबंधित पक्षों के साथ क्रय	0.01%	0.01%
	ख. i. विक्रय (संबंधित पक्षों को विक्रय) (रु.)	3,15,83,00,000	2,50,87,00,000
	ii. कुल विक्रय (रु.)	2,29,20,52,00,000	2,21,36,30,00,000
	iii. कुल विक्रय के % के रूप में संबंधित पक्षों को विक्रय	1.38%	1.13%
	ग. i. संबंधित पक्षों को दिया गया ऋण एवं अग्रिम (रु.)	0	0
	ii. कुल ऋण एवं अग्रिम (रु.)	25,08,00,00,000	21,50,00,00,000
	iii. कुल ऋण एवं अग्रिम के प्रतिशत के रूप में संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम	0%	0%
	घ. i) संबंधित पक्षों में निवेश (रु.)	0	0
	ii) कुल निवेश (रु.)	0	0
	iii) कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में संबंधित पक्षों में निवेश	0%	0%

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
43	1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर जागरूकता – एमएसई के लिए आदेश (एमएसएमई मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा जारी) 2. ऑनलाइन आपूर्तिकर्ता पंजीकरण पोर्टल 3. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) 4. बीएचईएल अनुबंध की सामान्य शर्तें 5. स्थानीय स्रोतों की पहचान करने और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग के साथ बीएचईएल संवाद	20%

2. क्या कंपनी के पास निदेशक मंडल के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने / उसका प्रबंधन करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं?

जी हां, कंपनी का निदेशक मंडल के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने / उसका प्रबंधन करने के लिए एक विस्तृत विधिक ढांचा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 में विस्तृत प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत, समय-समय पर और यदि पहले से प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो निदेशक मंडल के निदेशकों को किसी भी कंपनी (कंपनियों) / निकायों / कॉर्पोरेट / फर्मों / व्यक्तियों के अन्य एसोसिएशनों में अपने हित (उनकी शेयरधारिता सहित) का खुलासा करना अपेक्षित होता है। निदेशक इस बात का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल को एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी के व्यवसाय के संबंध में उनके हितों का कोई टकराव नहीं है और जब भी ऐसा कोई विरोध/हित उत्पन्न होता है तो वे तुरंत निदेशक मंडल को सूचित करेंगे।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशकों ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता को मंजूरी दे दी है। संहिता में (i) सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं (ii) विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां और साथ ही (iii) निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और निदेशक मंडल को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल का एक चार्टर निर्धारित किया है।

इन प्रक्रियाओं के अलावा, निदेशक मंडल के सदस्यों के हितों के टकराव से बचने / प्रबंधन करने के लिए, निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों को कुछ अतिरिक्त प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है, जैसे कि उनकी स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत करना (अर्थात वे स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें ऐसी किसी भी परिस्थिति या स्थिति के मौजूद होने या उसकी संभावना होने की जानकारी नहीं है, जो उन्हें निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय लेने और बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने दायित्वों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है) और कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV का अनुपालन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) व्यावसायिक आचार दिशानिर्देश (ii) भूमिका और कार्य (iii) स्वतंत्र निदेशकों के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

सिद्धांत 2: उत्पाद जीवन चक्र धारणीयता

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में।

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	विवरण
अनुसंधान एवं विकास	2.09%	3.59%	50 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की गईं
कैपेक्स	5.57%	10%	रिपोर्ट किए गए प्रमुख व्यय इस प्रकार हैं: रीहीट फर्नेस में पुनर्योजी बर्नर आधारित दहन प्रणाली की स्थापना, 2x30 kWp सौर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) पावर प्लांट की स्थापना और चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) विनिर्माण सुविधा की स्थापना

निदेशक मंडल के अनुलग्नक-VI और अनुलग्नक-VII देखें

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)

ख . यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट संधारणीय तरीके से प्राप्त किए गए?

हां, बीएचईएल ने व्यवसाय सुधार और संधारणीय व्यवसाय अभ्यास के रूप में ई-प्रोक्योरमेंट/जीईएम को लागू किया है। साथ ही आपूर्तिकर्ता पंजीकरण केवल ऑनलाइन मोड में किया जाता है। बीएचईएल अपने

कई मूल्य श्रृंखला भागीदारों से विभिन्न इनपुट सामग्री और घटक प्राप्त करता है जो आईएसओ 14001, आईएसओ 45001 आदि जैसे मानकों के अनुरूप प्रमाणित और अनुपालन योग्य हैं।

हमारे 100% इनपुट स्थायी स्रोत से प्राप्त होते हैं।

3. **अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट।**

   बीएचईएल उत्पाद पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, जहां अधिकांश मामलों में उत्पाद का जीवन 25 वर्ष से अधिक होता है। बाजार की आवश्यकता नवीनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादों या प्रणालियों के जीवन को बढ़ाने की है। पूंजीगत वस्तुओं के वांछित जीवन की समाप्ति के बाद, वे पुनः उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं और इसलिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादों के मालिक द्वारा उन्हें कबाड़ के रूप में निपटाया जाता है।

4. **क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम बताएं।**

   विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बीएचईएल की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

   नहीं, कंपनी ने उत्पादों के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन नहीं किया है।

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।**

   लागू नहीं

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

   कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाओं में काफी मात्रा में धातु स्क्रैप उत्पन्न होता है, फिर भी अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए इंजीनियरिंग उपाय किए जाते हैं। स्क्रैप को बाद में कंपनी के भीतर रि - साइकल किया जाता है और उसका पुनः उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, हरिद्वार में सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (CFFP) स्टील फोर्जिंग और कास्टिंग का निर्माण करता है जिसके लिए स्टील स्क्रैप एक प्रमुख कच्चा माल है। पुनः प्रयोज्य सामग्री का उपयोग निर्मित वस्तुओं की पैकेजिंग में भी किया जाता है।

   इस समय ऐसी रि – साइकल्ड /पुनःप्रयुक्त वस्तुओं का मूल्य नहीं आंका जा रहा है।

4. **उत्पादों और पैकेजिंग की जीवन अवधि के अंत में पुनः प्राप्त, पुनः उपयोग, रि – साइकल्ड और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में), निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार:**

   बीएचईएल का व्यवसाय B2B प्रकृति का है और हम जिन उत्पादों/प्रणालियों की आपूर्ति करते हैं, वे पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, जिनका जीवनकाल लंबा (25 वर्ष और उससे अधिक) होता है। आपूर्ति के लिए सभी संबंधित पैकेजिंग सामग्री हमारे ग्राहकों की संपत्ति बन जाती है, जो देश और विदेश में फैले हुए हैं। इस स्थिति में, ग्राहक से उत्पाद (जीवन का अंत) या पैकेजिंग सामग्री को वापस लेना संभव नहीं है।

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

   जैसा कि बिंदु 4 (पिछले बिंदु) में बताया गया है।

सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए जा रहे उपायों का विवरण:

वर्ग	सम्मिलित / कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (A)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व हितलाभ		पितृत्व हितलाभ		डे केयर सुविधा	
		संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)	संख्या (D)	% (D / A)	संख्या (E)	% (E / A)	संख्या (F)	% (F / A)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	26996	26996	100%	26996	100%	0	0%	26996	100%	0	0%
महिला	1677	1677	100%	1677	100%	1677	100%	0	0%	1677	100%
कुल	28673	28673	100%	28673	100%	1677	5.85%	26996	94.15%	1677	5.85%
स्थायी कर्मचारियों के अलावा*											
पुरुष	15764	15648	99.26%	15648	99.26%	0	0%	0	0%	0	0%
महिला	1597	1596	99.94%	1596	99.94%	1596	99.94%	0	0%	258	16.16%
कुल	17361	17244	99.33%	17244	99.33%	1596	9.19%	0	0%	258	1.49%

बीएचईएल अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर कर्मचारियों/जीवनसाथी को भी प्रदान की जाती है। बीएचईएल के विनिर्माण संयंत्रों सहित कई परिसरों में डे केयर सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

*'स्थायी कर्मचारियों से भिन्न श्रेणी में, बीएचईएल परामर्शदाताओं/एफटीए को चिकित्सा बीमा/दुर्घटना बीमा पर प्रीमियम की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।

ख. कामगारों के कल्याण के उपायों का विवरण:

वर्ग	सम्मिलित / कवर किए गए कामगारो का प्रतिशत										
	कुल (A)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व हितलाभ		पितृत्व हितलाभ		डे केयर सुविधा	
		संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)	संख्या (D)	% (D / A)	संख्या (E)	% (E / A)	संख्या (F)	% (F / A)
स्थायी कामगार											
पुरुष	13846	13846	100%	13846	100%	0	0%	13846	100%	0	0%
महिला	361	361	100%	361	100%	361	100%	0	0%	361	100%
कुल	14207	14207	100%	14207	100%	361	2.54%	13846	97.46%	361	2.54%
स्थायी कामगारो के अलावा*											
पुरुष	15648	15648	100%	15648	100%	0	0%	0	0%	0	0%
महिला	1596	1596	100%	1596	100%	1596	100%	0	0%	258	16.17%
कुल	17244	17244	100%	17244	100%	1596	9.26%	0	0%	258	1.50%

बीएचईएल अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर कर्मचारियों/जीवनसाथी को भी प्रदान की जाती है। बीएचईएल के विनिर्माण संयंत्रों सहित कई परिसरों में डे केयर सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। 'स्थायी कामगारो' के अलावा, बीमा कार्य अनुबंध में अन्य के लिए बीमा अंतर्निहित है।

ग. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय:

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
i) कल्याण संबंधी उपायों पर होने वाली लागत (कल्याण उपायों का अर्थ है कर्मचारियों और कामगारों का कल्याण (पुरुष, महिला, स्थायी और स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के अतिरिक्त अन्य सहित) (रु.)	1,69,41,00,000	1,59,99,00,000
ii) कंपनी की कुल आय (रु.)	2,44,80,70,00,000	2,38,79,75,00,000
iii) कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.69%	0.67%

2. वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्ति हितलाभ का विवरण:

हितलाभ	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
भविष्य निधि	100%	100%	जी हाँ	100%	100%	जी हाँ
ग्रेच्युटी	100%	100%	जी हाँ	100%	100%	जी हाँ
ईएसआई*	-	-	-	-	-	-
अन्य (बीएचईएल पेंशन योजना)	100%	100%	जी नहीं	100%	100%	जी नहीं

पीएफ और ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में सभी कर्मचारियों और कामगारों को बीएचईएल पेंशन योजना के अंतर्गत भी कवर किया जाता है।

* ईएसआई लागू नहीं है क्योंकि बीएचईएल सभी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा योजना प्रदान करता है।

3. कार्यस्थलों पर पहुंचने की सुविधा

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

हां, बीएचईएल के परिसर और कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ है। संरचनात्मक संशोधन और अन्य परिवर्तन (नीतियों आदि में) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार किए गए हैं।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, कंपनी भारत सरकार के निर्देशानुसार समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग कर्मियों और महिला कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिए भर्ती और पदोन्नति में सकारात्मक कार्रवाई करती है। कंपनी एक समान अवसर नियोक्ता है, और भर्ती और रोजगार संबंध में लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती है।

यदि कोई कर्मचारी अस्वस्थता के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्त होता है, तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता के लिए स्थानांतरण और जॉब रोटेशन नीति अनिवार्य है।

5. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की पितृत्व / मातृत्व अवकाश लेने के बाद काम पर वापसी और प्रतिधारण दर

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
लिंग	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण**
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।

दो योजनाओं के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को अच्छी तरह से तैयार किया गया है - एक कामगारों के लिए और दूसरी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए। योजना के उद्देश्य के लिए शिकायत का अर्थ है कंपनी की नीतियों/नियमों या प्रबंधन निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत कर्मचारी की शिकायत। ये दोनों योजनाएँ तीन-स्तरीय समाधान प्रदान करती हैं। प्रत्येक चरण में शिकायत के समाधान के लिए निर्धारित समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण योजना के मामले में योजना के तहत एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान किया गया है, और यदि कोई कर्मचारी शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह संपर्क कर सकता है। 'स्थायी कर्मचारियों/कामगारों के अलावा' के लिए, शिकायतों का निपटारा केस-टू-केस आधार पर या ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी कामगार	हाँ
स्थायी कामगार के अतिरिक्त अन्य	हाँ
स्थायी कर्मचारी	हाँ
स्थायी कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य	हाँ

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (A)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (B)	% (B / A)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (C)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (D)	% (D / C)
कुल स्थायी कर्मचारी	28673	28673	100.00%	29536	29536	100.00%
- पुरुष	26996	26996	100.00%	27790	27790	100.00%
- महिला	1677	1677	100.00%	1746	1746	100.00%
कुल स्थायी कामगार	14207	14207	100.00%	14986	14986	100.00%
- पुरुष	13846	13846	100.00%	14592	14592	100.00%
- महिला	361	361	100.00%	394	394	100.00%

बीएचईएल में 29 सहभागी ट्रेड यूनियनें हैं, जो शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय निकाय, अर्थात् कामगारों और कंपनी के हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त समिति में प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सहभागी प्रबंधन के सिद्धांत पर आधारित है।

कर्मचारियों की तीनों श्रेणियों अर्थात कार्यपालक, पर्यवेक्षक और कामगारों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित एशोसिएशनों/ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाता है। हालाँकि, कार्यपालक/पर्यवेक्षक एशिसिएशनों और कामगार संघों की सटीक सदस्यता का पता लगाने के लिए कोई चेक-ऑफ सुविधा नहीं है, इसलिए कोई निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है।

8. **कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:**

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2023- 24					वित्तीय वर्ष 2022- 23				
	कुल (A)	स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (D)	स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (B)	% (B/A)	सं. (C)	% (C/A)		सं. (E)	% (E/D)	सं. (F)	% (F / D)
कर्मचारी										
पुरुष	26996	3733	13.8%	11466	42.5%	27790	3869	13.9%	12182	43.8%
महिला	1677	405	24.2%	1118	66.7%	1746	452	25.9%	1029	58.9%
कुल	**28673**	**4138**	**14.4%**	**12584**	**43.9%**	**29536**	**4321**	**14.6%**	**13211**	**44.7%**
कामगार										
पुरुष	13846	1289	9.3%	3842	27.7%	14592	1462	10.0%	4031	27.6%
महिला	361	96	26.6%	181	50.1%	394	128	32.5%	168	42.6%
कुल	**14207**	**1385**	**9.7%**	**4023**	**28.3%**	**14986**	**1590**	**10.6%**	**4199**	**28.0%**

9. **कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:**

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2023- 24			वित्तीय वर्ष 2022- 23		
	कुल (A)	सं. (B)	% (B / A)	कुल (C)	सं. (D)	% (D / C)
कर्मचारी						
पुरुष	26996	26996	100%	27990	27990	100%
महिला	1677	1677	100%	1746	1746	100%
कुल	**28673**	**28673**	**100%**	**29736**	**29736**	**100%**
कामगार						
पुरुष	13846	13846	100%	14592	14592	100%
महिला	361	361	100%	394	394	100%
कुल	**14207**	**14207**	**100%**	**14986**	**14986**	**100%**

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हां/नहीं) यदि हां, तो इस प्रणाली का कवरेज क्या है?

हां, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OHSMS) पूरी कंपनी में लागू है। कंपनी का हर कर्मचारी OHSMS के अंतर्गत आता है और यह प्रणाली सभी कार्यस्थलों पर लागू होती है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

कंपनी के पास कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और नियमित तथा गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए मजबूत प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

HIRA (खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन) - HIRA को सभी कार्यस्थलों पर लागू किया गया है। इसमें सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ हर विभाग स्तर पर व्यापक तरीके से प्रत्येक प्रक्रिया और गतिविधि के लिए खतरों और जुड़े जोखिम की पहचान करना शामिल है।

JSA (Job Safety Analysis) - यह आवश्यक है कि रखरखाव वाले जॉब और दुर्घटना की संभावना वाले अन्य दोहराव वाले कामों का खतरों के लिए विश्लेषण किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाएं। यह जॉब/प्रक्रिया की योजना बनाने के चरण में किया जाता है। कार्यस्थल पर जेएसए आयोजित करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की जा रही हैं। जॉब सुरक्षा विश्लेषण के दौरान, प्रक्रिया यह है कि बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं, चोट की गंभीरता और नए जॉब जिसमें दुर्घटना की संभावना

अज्ञात हो, के आधार पर जॉब का चयन किया जाए, फिर जॉब को क्रमिक चरणों में विभाजित किया जाए, फिर प्रत्येक चरण में खतरों की पहचान की जाए और खतरों को खत्म करने तथा दुर्घटना की संभावनाओं को रोकने के तरीके विकसित किए जाएं।

कार्यविधि विवरण (Method Analysis)– यह एक विशिष्ट कार्य को करने या किसी परियोजना को पूरा करने के सुरक्षित तरीके को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसमें शामिल लोगों को आवश्यक सावधानियाँ या नियंत्रण उपाय सूचित किए जाएं। कार्यविधि विवरण यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों की पहचान की गई है और सुरक्षा प्रणालियाँ स्थापित हैं।

ग. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से खुद को दूर रखने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हां, कामगारों के लिए कार्य संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर रखने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं। कार्यस्थलों पर समय-समय पर आयोजित व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान कामगारों को असुरक्षित कृत्यों/असुरक्षित स्थितियों की पहचान करने के लिए जागरूक किया जाता है। इसकी रिपोर्ट उनके संबंधित कार्यस्थल पर उपलब्ध ऑफ़लाइन/ऑनलाइन मोड के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा, सिस्टम में रिपोर्ट किए गए मामलों को कम करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं।

परियोजना स्थलों पर कार्य-संबंधी खतरों/असुरक्षित कृत्यों/असुरक्षित स्थितियों के पंजीकरण के लिए ऐप आधारित प्रणाली 'एचएसई ऑब्जर्वर' लागू की गई है। उपयोगकर्ता एप्लिकेशन के माध्यम से एचएसई उल्लंघन/मुद्दों, घटनाओं/निकट चूकों और अच्छे अभ्यासों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी कर्मचारी ऐप के माध्यम से एचएसई समस्या दर्ज कर सकता है और सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका मुद्दों की रिपोर्ट करना और उन्हें उजागर करना है। साथ ही, गंभीर मुद्दों के लिए, काम को रोकना होगा और उसके बाद रिपोर्ट करना और समाधान करना होगा। सुरक्षा टीम से अपेक्षा की जाती है कि वह सुरक्षा समीक्षाओं में मुद्दे को उजागर करे और समापन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करे।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं ? (हां/नहीं)

हां, कर्मचारियों और कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कंपनी द्वारा संचालित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ-साथ बाहरी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिनका भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार उचित रूप से किया जाता है। बीएचईएल ने दूरस्थ कार्य स्थलों पर भी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्तीय वर्ष 2023- 24	वित्तीय वर्ष 2022- 23
एलटीआइएफआर (LTIFR) (प्रति दस लाख कार्य घंटे)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0.444	0.475
काम से संबंधित कुल रिकॉर्ड करने योग्य चोट लगने की घटनाएं	कर्मचारी	0	0
	कामगार	43	47
मृत्यु संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	2	2
गंभीर कार्य-संबंधित चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	41	45

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

बीएचईएल का मानना है कि कर्मचारी और अन्य भागीदार संस्थाओं से जुड़े लोग महत्वपूर्ण हितधारक हैं और इसलिए उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी कार्यबल को "शून्य हानि" प्राप्त करने के लिए प्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके अलावा, बीएचईएल संगठन में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

बीएचईएल में, व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सुरक्षा समीक्षा, वर्क टू परमिट प्रणाली, एचआईआरए और जेएसए, मेगा टूल बॉक्स टॉक, आंतरिक और बाह्य ऑडिट आदि के माध्यम से सभी स्तरों पर कार्यबल में सुरक्षा मूल्यों को विकसित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। एचएसई अभियानों यानी बीएचईएल सुरक्षा पखवाड़ा-2024 (4-17 मार्च, 2024), विशेष अभियान 3.0 (2-31 अक्टूबर 2023), स्वच्छता पखवाड़ा-2023 (16-31 अगस्त, 2023), बीएचईएल पर्यावरण जागरूकता माह-2023 (5-4 जून, 2023) की मदद से जागरूकता और संवेदनशीलता में काफी वृद्धि हुई है। वरिष्ठ प्रबंधन की भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के लिए इन अभियानों में अंतर-इकाई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

कंपनी द्वारा किए गए प्रयास बीएचईएल के लिए तथा उसके साथ काम करने वाले कर्मियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की मंशा को स्पष्ट करते हैं।

13. **निम्नलिखित के बारे में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या:**

हितलाभ	वित्तीय वर्ष 2023- 24			वित्तीय वर्ष 2022- 23		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत तक समाधान लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत तक समाधान लंबित	टिप्पणी
कार्यस्थल की स्थिति	0	0	-	0	0	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	-	0	0	-

सुरक्षा से संबंधित असुरक्षित स्थितियों के पंजीकरण के लिए बीएचईएल के संबंधित परिसरों में व्यवस्थाएं मौजूद हैं। संबंधित विभागों द्वारा इसका तुरंत समाधान किया जाता है, और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियाँ	100%
कार्य स्थल की स्थिति	100%

15. **सुरक्षा से संबंधित (यदि कोई हो) तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पद्धतियों और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

नियमित अंतराल पर नियमित सुरक्षा निरीक्षण और सुरक्षा आंतरिक एवं बाह्य ऑडिट करने के लिए प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। लेखा परीक्षकों (आंतरिक एवं बाह्य) द्वारा दी गई सभी टिप्पणियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा-संबंधी सभी घटनाओं के लिए मूल कारण विश्लेषण (RCA) किया जा रहा है, और इसके लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह BHEL में एक सतत प्रक्रिया / गतिविधि है।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या संस्था (ए) कर्मचारियों (बी) कामगारों की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।(हां/नहीं)**

हां, बीएचईएल कर्मचारियों और कामगारों को मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा या प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करता है।

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करें।**

बीएचईएल के मूल्य श्रृंखला भागीदार पीएफ अधिनियम और ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो उन्हें वैधानिक बकाया जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। बीएचईएल और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में पीएफ, ईएसआई आदि जैसे आवश्यक वैधानिक भुगतान के लिए 'भुगतान शर्तों' का खंड शामिल है।

3. **ऐसे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर कार्य-संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु हुई है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:**

शून्य. वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान गंभीर कार्य संबंधी चोट/अस्वस्थता/मृत्यु से प्रभावित कर्मचारियों और कामगारों के संबंध में कोई पात्र मामले नहीं हैं।

	कुल प्रभावित कर्मचारी / कामगार		उन कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कर्मचारी	0	0	0	0
कामगार	43	47	0	0

4. **क्या कंपनी निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरुप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण (transition) सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)**

हां, बीएचईएल निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के परिणामस्वरुप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण (transition) सहायता प्रदान करता है।

5. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:

बीएचईएल के सभी वैल्यू चेन पार्टनर्स संगत श्रम कानूनों और अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं। जिसके कारण केंद्रीय और राज्य श्रम विभाग वैल्यू चेन पार्टनर्स के परिसर में स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियों और कार्य स्थितियों से संबंधित समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। पाई गई किसी कमी को भागीदारों द्वारा समुचित रुप से दूर किया जाता है।

	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा पद्धतियां	100%
कार्य करने की दशाएं	100%

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बिंदु 5 (पिछला बिंदु) देखें।

सिद्धांत 4: हितधारक सहभागिता

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

ऐसे हितधारक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से बीएचईएल की राजस्व अर्जन क्षमता, लाभ साझा करने की इसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं, उन्हें प्रमुख हितधारक के रुप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, आपूर्तिकर्ता या मूल्य श्रृंखला भागीदार खरीद के संबंध में हितधारक हैं और उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया और खुली निविदाओं में पूर्व-योग्यता आवश्यकताओं के माध्यम से पहचाना जाता है।

2. आपकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति ।

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और मुद्दे शामिल हैं
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंजों और बीएचईएल वेबसाइट पर प्रकटीकरण उपलब्ध	सहभागिता की आवृत्ति तिमाही, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक होती है साथ ही किसी घटना के घटित होने के समय भी होती है ।	कंपनी को प्रभावित करने वाली सभी प्रत्यक्ष घटनाएं तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण
आपूर्तिकर्ता	नहीं	ईमेल, विज्ञापन, वेंडर मीट, वेबसाइट आदि।	नियमित	आपूर्तिकर्ताओं को जागरुक करना: • सार्वजनिक खरीद नीति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) • आयात प्रतिस्थापन • GeM पोर्टल पर जारी निविदाओं में भाग लेना • BHEL के शिकायत निवारण पोर्टल, SUVIDHA पर शिकायत दर्ज करना और उन पर नज़र रखना • BHEL के गुणवत्ता उद्देश्य

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर पड़े समूह के रुप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	सहभागिता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और मुद्दे शामिल हैं
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, मासिक समाचार पत्र, नोटिस बोर्ड, इंट्रानेट वेबसाइट, शॉप फ्लोर, शॉप काउंसिल, प्लांट काउंसिल और संयुक्त परिषद की बैठकें	मासिक	कंपनी और व्यवसायिक क्षेत्रों की मासिक प्रगति, लक्ष्य, उपलब्धियां और विभाग/अनुभाग स्तर की समस्याओं आदि को साझा करना
ग्राहक	नहीं	ईमेल, विज्ञापन, टेलीफोन कॉल, बैठकें, वेबसाइट आदि	नियमित	ग्राहकों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन, मौजूदा पूंजीगत संपत्ति की तुलना में उनकी आवश्यकता, शिकायत निवारण, व्यावसायिक पूछताछ आदि
समुदाय	हाँ	बैठकें, स्थानीय गैर सरकारी संगठन	केस-टू-केस आधार पर	उनकी उन समस्याओं का आकलन करना जो उन्हें असुरक्षित बनाती हैं और जो उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में बाधक हैं

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।

बीएचईएल के शेयरधारकों के लिए निदेशक मंडल तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण मंच कंपनी की वार्षिक आम बैठक है। इन बैठकों के दौरान, शेयरधारक कंपनी के निष्पादन, रणनीतियों और दृष्टिकोण के बारे में विभिन्न प्रश्न उठाते हैं, अपनी शिकायतें साझा करते हैं और साथ ही कंपनी के निष्पादन में सुधार के बारे में न केवल व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य से बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों/क्षेत्रों पर भी बहुमूल्य फीडबैक देते हैं।

बीएचईएल के मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) तक पहुंच है, जिन्हें परामर्श के लिए सीवीसी द्वारा नामित किया जाता है। वे विक्रेता बैठकों आदि के दौरान भी कंपनी के सतर्कता विभाग के साथ अपने मुद्दों को साझा कर सकते हैं। बीएचईएल के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत के लिए बिजनेस एसोसिएट्स की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें प्राप्त फीडबैक की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को उन मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाती है जिन पर उनका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श लिया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

जी हां। हितधारकों ने बीएचईएल के विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक प्रयासों को अपना समर्थन प्रदान किया है, जैसे 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत विभिन्न उत्पादों का स्वदेशीकरण, बीएचईएल के कारखानों और परियोजना स्थलों में सौर ऊर्जा और जल संचयन क्षमता का उपयोग, महिला कर्मचारियों का सशक्तीकरण आदि। चर्चाओं के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया का ध्यान रखा जाता है, जैसे ईएमडी की छूट, खरीद वरीयता, पीक्यूआर छूट आदि के माध्यम से एमएसई को लाभ।

3. कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

समुदाय के वंचित वर्ग के लिए, बीएचईएल स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण किए जाने के बाद सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय करता है। ये स्थानीय गैर सरकारी संगठन अपने आधारभूत सर्वेक्षणों के दौरान समुदायों से संपर्क करते हैं और उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझते हैं। कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के साथ जुड़ाव के हिस्से के रूप में, बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित 43 आपूर्तिकर्ता बैठकें आयोजित की हैं।

सिद्धांत 5: मानवाधिकार

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगार जिन्हें इकाई के मानवाधिकार मुद्दों और नीति के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है का विवरण निम्नलिखित प्रारुप में दर्शाया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023- 24			वित्तीय वर्ष 2022- 23		
	कुल (A)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (B)	% (B / A)	कुल (C)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (D)	% (D / C)
कर्मचारी						
स्थायी	28673	5187	18.09%	29536	3332	11.28%
स्थायी के अलावा	17361	570	3.28%	15638	534	3.41%
कुल कर्मचारी	46034	5757	12.51%	45174	3866	8.56%
कामगार						
स्थायी	14207	2036	14.33%	14986	1083	7.23%
स्थायी के अलावा	17244	570	3.31%	15638	534	3.41%
कुल कर्मी	31451	2606	8.29%	30624	1617	5.28%

टिप्पणी: कंपनी नीति से संबंधित कार्यक्रम के लिए, यहाँ पर केवल मा.सं. (नीति) से संबंधित कार्यक्रम को शामिल किया गया है ।

2. कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारुप में दर्शाया गया है:

श्रेणी कुल	वित्तीय वर्ष 2023- 24					वित्तीय वर्ष 2022- 23				
	कुल	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
	सं. (A)	सं. (B)	% (B /A)	सं. (C)	% (C / A)	सं. (D)	सं. (E)	% (E / D)	सं. (F)	% (F / D)
कर्मचारी										
स्थायी	28673	0	0%	28673	100%	29536	0	0%	29536	100%
पुरुष	26996	0	0%	26996	100%	27790	0	0%	27790	100%
महिला	1677	0	0%	1677	100%	1746	0	0%	1746	100%
स्थायी के अलावा	17361	7477	43.07%	9884	56.93%	15705	6225	39.64%	9480	60.36%
पुरुष	15764	6862	43.53%	8902	56.47%	14495	5778	39.86%	8717	60.14%
महिला	1597	615	38.51%	982	61.49%	1210	447	36.94%	763	63.06%
कामगार										
स्थायी	14207	0	0%	14207	100%	14986	0	0%	14986	100%
पुरुष	13846	0	0%	13846	100%	14592	0	0%	14592	100%
महिला	361	0	0%	361	100%	394	0	0%	394	100%
स्थायी के अलावा	17244	7477	43.36%	9767	56.64%	15639	6225	39.80%	9414	60.20%
पुरुष	15648	6862	43.85%	8786	56.15%	14430	5778	40.04%	8652	59.96%
महिला	1596	615	38.53%	981	61.47%	1209	447	36.97%	762	63.03%

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

औसत पारिश्रमिक/ वेतन

बीएचईएल कर्मचारियों और कामगारों का वेतन/मजदूरी ढांचा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी में औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी में औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (BoD)*^	4	₹ 56,00,000	1	₹ 86,00,000
मुख्य प्रबंधक कार्मिक^	1	₹ 49,00,000	0	0
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधक कार्मिक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी ^	26991	₹ 12,00,000	1676	₹ 18,00,000
कामगार^	13846	₹ 10,00,000	361	₹ 11,00,000

* स्वतंत्र निदेशकों पर विचार नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई कुल सिटिंग फीस ₹20,40,000 थी। वित्त वर्ष 2023-24 में स्वतंत्र निदेशक को भुगतान की गई औसत सिटिंग फीस ₹7,20,000 थी।

^ भुगतान में पीपी/एसआईपी/पीआरपी (प्रदर्शन से जुड़े भुगतान) और प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है। डेटा 31 मार्च 2024 तक कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित है।

ख. महिलाओं को दिया जाने वाला सकल वेतन, संस्था द्वारा दिए जाने वाले कुल वेतन का %, जो निम्न प्रारूप में है

	वित्तीय वर्ष 2023- 24	वित्तीय वर्ष 2022- 23
महिलाओं को दिया जाने वाला सकल वेतन (रु.)	3,96,46,00,000	3,87,61,00,000
कुल वेतन (रु.)	56,40,17,00,000	53,19,44,00,000
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	7.03%	7.29%

4. क्या आपके व्यवसाय द्वारा उत्पन्न मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान कि लिए जिम्मेदार कोई (व्यक्ति/समिति) है? (हां/नहीं)

हां। मानव अधिकार संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्येक बीएचईएल परिसर में शिकायत निवारण अधिकारी मौजूद हैं।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायत निवारण के लिए एक औपचारिक और सुव्यवस्थित तंत्र है। यह तंत्र त्रि-स्तरीय समाधान प्रदान करता है। पहले स्तर पर नियंत्रण अधिकारी, दूसरे स्तर पर विभागाध्यक्ष और तीसरे स्तर पर शिकायत निवारण समिति है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा दर्ज की की गई शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2023- 24		वित्तीय वर्ष 2022- 23	
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लम्बित	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लम्बित
यौन उत्पीड़न	3	1	0	0
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0
बाल श्रम	0	0	0	0
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	0	0	0	0
मजदूरी	0	0	0	0
अन्य मानव अधिकार संबंधी	0	0	0	0

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2023- 24	वित्तीय वर्ष 2022- 23
i) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम, 2013 (HSOP) के तहत दर्ज कुल शिकायतें	3	0
ii) महिला कर्मचारी / कामगार	1677	1746
iii) POSH पर महिला कर्मचारियों/कामगारों की शिकायतों का प्रतिशत	0.18%	0
4) POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	2	0

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

निवारक कदम के रूप में, शिकायतकर्ता की पहचान केवल आंतरिक शिकायत समिति को ही बताई जाती है, तथा उसे सुरक्षित रखा जाता है। जांच (शिकायतकर्ता और प्रतिवादी) की सभी बैठकें कभी भी आमने-सामने नहीं होती हैं।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

जी हां, मानवाधिकार आवश्यकताएँ व्यावसायिक समझौते या अनुबंध का एक हिस्सा होती हैं। बीएचईएल और सेवा प्रदाता के बीच सेवा अनुबंध में एक खंड शामिल है, जो बाल श्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि जैसे मानवाधिकार आवश्यकताओं को पूरा करता है।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

सभी बीएचईएल परिसरों का समय-समय पर केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, पीएफ और ईएसआई विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों या विभागों द्वारा प्रासंगिक कानून/अधिनियम/क़ानून से संबंधित अनुपालन और खामियों की पहचान के लिए निरीक्षण किया जाता है।

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिसका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. मानव अधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरुप संशोधित/ प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

मानवाधिकारों का पालन करना कंपनी की मूल्य प्रणाली का केंद्र है, और यह निष्पक्ष और नैतिक व्यापार और रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों का समर्थन, संरक्षण और प्रचार करने का प्रयास करती है। कंपनी जाति, रंग, धर्म, लिंग, दिव्यांगजन आदि के बावजूद सभी के लिए एक सुरक्षित समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में भी यही सुनिश्चित किया जाता है।

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण।

निवारक/वैधानिक लेखापरीक्षा के दौरान संयंत्रों और कार्यालयों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि सभी वैधानिक कानूनों/नियामक आवश्यकताओं और उनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/संवेदनशीलता सत्र भी आयोजित करती है।

3. क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हाँ। सिद्धांत 3, आवश्यक संकेतक, बिंदु 3 देखें।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:

बीएचईएल के मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन मानव अधिकार मानदंडों पर किया जाता है क्योंकि वे श्रम संबंधी कानूनों/अधिनियमों/संविधि के अंतर्गत आते हैं और इनका मूल्यांकन या निरीक्षण संबंधित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा किया जाता है।

	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
बाल श्रम	100%
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	100%
मजदूरी	100%

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 6: पर्यावरण

आवश्यक संकेतक

1. **कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणांकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:**

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्त्रोतों से		
कुल बिजली खपत (A) (गीगा जूल में)	115816.82	107216.00
कुल ईंधन खपत (B) (गीगा जूल में)	0	0
अन्य स्त्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (C) (गीगा जूल में)	0	0
नवीकरणीय स्त्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (A+B+C) (गीगा जूल में)	115816.82	107216.00
गैर-नवीकरणीय स्त्रोतों से		
कुल बिजली खपत (D) (गीगा जूल में)	879106.76	893815.00
कुल ईंधन खपत (E) (गीगा जूल में)	1642736.83	1758770.00
अन्य स्त्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (F) (गीगा जूल में))	0	0
गैर-नवीकरणीय स्त्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (D+E+F) (गीगा जूल में)	**2521843.59**	**2652585.00**
कुल ऊर्जा खपत (A+B+C+D+E+F)	**2637660.41**	**2759801.00**
प्रति रुपया टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (किलोजूल में प्रति रुपया टर्नओवर) (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व)	11.04	11.55
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए में ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति डॉलर किलो जूल में) (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/ संचालन से राजस्व)	252.61	264.30
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हां, मूल्यांकन/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

मुद्रा रुपांतरण की पीपीपी दरें ओईसीडी डेटा वेबसाइट से ली गई हैं।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो।

बीएचईएल की किसी भी सुविधा को प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट, 7.1 ऊर्जा संरक्षण का अनुलग्नक-VII देखें

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
स्त्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0	0
(ii) भूजल	4584022	5407690
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	13772049	12961712
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
निकाले गए जल की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	18356071	18369402
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	18356071	18369402
टर्नओवर के प्रति रुपए पर पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत / संचालन से राजस्व - लीटर प्रति रुपए)	0.077	0.079
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए में जल की तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/ परिचालन से राजस्व - पीपीपी के लिए समायोजित कारोबार के प्रति डॉलर लीटर)	1.758	1.799
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	--	--

हां, मूल्यांकन/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

4. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
गंतव्य और शोधन के स्तर के अनुसार जल छोड़ना (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
- कोई शोधन नहीं	-	-
- शोधन के साथ - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(ii) भूजल में		
- कोई शोधन नहीं	-	-
- शोधन के साथ – कृपया शोधन का स्तर बताएं	-	-
(iii) समुद्री जल		
- कोई शोधन नहीं	-	-
- शोधन के साथ - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(चतुर्थ) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई शोधन नहीं	-	-
- शोधन के साथ - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) अन्य		
- कोई शोधन नहीं	-	-
- शोधन के साथ - कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	142621	106680
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	142621	106680

हमारी इकाइयों में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और ऑक्सीकरण तालाब स्थापित हैं जो हमारे सीवेज/व्यापारिक अपशिष्ट को वांछित स्तर का शोधन प्रदान करते हैं। अधिकांश स्थानों पर, इसका उपयोग परिसर के अंदर किया जाता है और इसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। हालाँकि, हमारे कुछ परिसरों में, उपचारित अपशिष्ट को निर्वहन मानदंडों को पूरा करने के बाद नगरपालिका के सीवर, नाले, धारा आदि में छोड़ दिया जाता है।

हाँ, आकलन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

5. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

हाँ। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रुप में, BHEL ने 19 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 20 अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे परिसर से निकलने वाला पानी वैधानिक आवश्यकता के अनुसार अपशिष्ट मानकों के अनुरुप हो और इसकी मात्रा यथासंभव कम से कम हो। इस संबंध में, हमारी 11 विनिर्माण इकाइयाँ अपने परिसर के बाहर कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ रही हैं। हमारे परिसर के अंदर हरित क्षेत्र को बनाए रखने के लिए उपचारित अपशिष्ट/सीवेज का उपयोग संयंत्र के अंदर बागवानी के लिए किया जाता है।

6. कृपया निम्नलिखित प्रारुप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अतिरिक्त) का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	2023-24	2022-23
NOx	मीट्रिक टन	105.06	136.59
SOx	मीट्रिक टन	103.38	164.28
पार्टिक्यूलेट मैटर्स (MP)	मीट्रिक टन	203.8	344
लगातार जैविक प्रदूषक (COP)	मीट्रिक टन	-	-
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (COV)	मीट्रिक टन	2.45	5.17
खतरनाक वायु प्रदूषक (PAH)	मीट्रिक टन	7.35	9.4
अन्य – कार्बन मोनोआक्साइड	मीट्रिक टन	18.53	0.02

हाँ, मूल्यांकन / मूल्य निर्धारण / आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारुप में प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	2023-24	2022-23
कुल दायरा 1 उत्सर्जन (GHG का विघटन- CH4 N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, यदि उपलब्ध है)	मीट्रिक टन CO2 के बराबर	111681.13	115744.00
कुल दायरा 2 उत्सर्जन* (GHG का विघटन- CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 के बराबर	174844.57	176528.46
प्रति रुपया टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	प्रति रुपए कारोबार पर उत्सर्जित ग्राम CO2	1.199	1.25

क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से राजस्व	प्रति डॉलर टर्नओवर पर उत्सर्जित CO2 ग्राम को PPP में समायोजित किया गया	27.44	28.62
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-

जी हां, मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

मुद्रा रूपांतरण की पीपीपी दरें ओईसीडी डेटा वेबसाइट से ली गई हैं।

* स्कोप 2 उत्सर्जन गणना में, पहले परियोजना स्तर उत्सर्जन पद्धति का उपयोग किया जा रहा था जिसे कॉर्पोरेट स्तर उत्सर्जन में बदल दिया गया है जिसके परिणामस्वरुप स्कोप-2 उत्सर्जन का पुनर्कथन हुआ है।

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

हाँ। बीएचईएल ने छतों पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्रों सहित लगभग 35 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे संगठन को अपने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है। इस बड़े पैमाने पर सौरीकरण ने हमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 23,033 MTCO2-समतुल्य कार्बन फुटप्रिंट से बचने में मदद की है।

इसके अतिरिक्त , सीएफएफपी हरिद्वार में रीहीट भट्टियों के पारंपरिक बर्नर को पुनर्योजी आधारित दहन प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया है। इसे 6 रीहीट भट्टियों में लागू किया गया है, जिससे ईंधन की खपत में 30% की वार्षिक बचत की संभावना है (~ 27.60 लाख m3)

ऊर्जा संरक्षण/दक्षता से संबंधित परियोजनाएं हमारी इकाइयों में नियमित रुप से शामिल हैं, जो हमें ऊर्जा के मांग पक्ष प्रबंधन में मदद करती हैं और परिणामस्वरुप संबंधित कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, जो अन्यथा बढ़े हुए स्तर पर होता।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट, 4.1.2 ऊर्जा प्रबंधन का अनुलग्नक-IV देखें

निदेशक मंडल की रिपोर्ट, 4.1.4 कार्बन प्रबंधन का अनुलग्नक-IV देखें

निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अनुलग्नक – VII, 7.1 ऊर्जा संरक्षण देखें

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारुप में उपलब्ध कराएं:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट **(A)***	91.29	68.98
ई - कचरा **(B)**	36.36	42.17
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट **(C)**	16.34	6.51
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट **(D)**	157.20	0
बैटरी अपशिष्ट **(E)**	77.59	88.10
रेडियोधर्मी अपशिष्ट **(F)**	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया विवरण दें। **(G)**	1187.71	1278.90
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट **(H)**। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार)	51011.95	45944.15
कुल (H+G+F+E+D+C+B+A)	52578.44	47428.81
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व) – प्रति रुपया ग्राम	0.22	0.20
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से राजस्व) - पीपीपी में प्रति डॉलर ग्राम	5.034	4.645
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	-	-
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रीय	311.98	94.06
(ii) पुनः-प्रयोज्य	465.83	669.37
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	777.81	763.43
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) भस्मीकरण	10.72	6.92

(ii) लैंडफिलिंग	157.26	1359.29
(iii) अन्य निपटान कार्य	38773.65	27615.08
कुल	38941.63	28981.29

*वर्ष के दौरान अधिकृत एजेंसी को निपटाए गए प्लास्टिक कचरे की मात्रा।

उपर्युक्त टेबल में, 'अन्य निपटान कार्य' में ई-नीलामी/अन्य माध्यमों से स्क्रैप की बिक्री के साथ-साथ रीसाइकिल/पुनः उपयोग/पुनर्प्राप्ति के लिए बाहरी एजेंसियों का डेटा शामिल है। जब स्क्रैप की पर्याप्त मात्रा जमा हो जाती है, तो उसे अंतिम निपटान के लिए एजेंसी को विक्रय किया जाता है।

हां, मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

मुद्रा रुपांतरण की पीपीपी दरें ओईसीडी डेटा वेबसाइट से ली गई हैं।

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV, 4.1.1 जिम्मेदार सामग्री और प्राकृतिक उपभोग देखें

निदेशक मंडल रिपोर्ट, 4.1.3 जल एवं जैव विविधता प्रबंधन का अनुलग्नक-IV देखें

निदेशक मंडल रिपोर्ट, 4.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन का अनुलग्नक-IV देखें

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें।

हमारी विनिर्माण गतिविधि में, अपशिष्ट उत्पादन में कमी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जाता है, और धातु शीट की कटाई के लिए हमारी नेस्टिंग योजना तदनुसार तैयार की जाती है। हालाँकि, एक बार स्क्रैप उत्पन्न होने के बाद, इसका उपयोग या तो स्थानीय फाउंड्री शॉप में कास्टिंग/फोर्जिंग बनाने के लिए किया जाता है या नए कच्चे माल की खपत से बचने के लिए भट्टी में पिघलाने के लिए अधिकृत रीसाइकिलर को भेजा जाता है।

पूरे बीएचईएल में, पुनर्विक्रय मूल्य वाले ठोस अपशिष्ट/स्क्रैप को एकत्रित किया गया, अलग किया गया, संग्रहीत किया गया और अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को विक्रय किया गया। इनमें से कुछ, जिनका कोई पुनर्विक्रय मूल्य नहीं है, का उपयोग निचले इलाकों को भरने के लिए किया जाता है। खतरनाक अपशिष्ट/ई-कचरे का निपटान संबंधित क़ानूनों में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है।

इकाइयों में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट का निपटान विनियामक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और प्राधिकरण की जांच के लिए आवश्यक रिकॉर्ड विधिवत बनाए रखा जाता है। खतरनाक अपशिष्ट, जिसका उपयोग बाहर किया जा सकता है, को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है। शेष खतरनाक अपशिष्ट, जिसे जलाया जाना है या सुरक्षित लैंडफिल में दबाया जाना है, ऐसे खतरनाक अपशिष्टों के अंतिम निपटान के लिए उनके संबंधित राज्यों के उपचार भंडारण और निपटान सुविधा (TSDF) को भेजा जाता है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV को देखें, 4.1.1 जिम्मेदार सामग्री और प्राकृतिक उपभोग

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV को देखें, 4.1.3 जल और जैव विविधता प्रबंधन

निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV को देखें, 4.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन

11. यदि संस्था के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

लागू नहीं

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरु की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारुप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

हां, बीएचईएल भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और छोड़ना (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

i क्षेत्र का नाम: शून्य

ii परिचालन की प्रकृति: शून्य

iii जल निकासी, खपत और छोड़ना- लागू नहीं

हां, मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

2. कृपया निम्नलिखित प्रारुप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO_2 समतुल्य	-	-
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन		-	-
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-

स्कोप 3 उत्सर्जन से संबंधित डेटा को फिलहाल मात्राबद्ध नहीं किया जा रहा है।

हालांकि, कंपनी निम्नलिखित तरीकों से स्कोप 3 उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही है:

i कई ऊर्जा गहन इकाइयों में, हमने एलपीजी से आरएलएनजी पर स्विच कर लिया है, जिसकी आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जा रही है और इस प्रकार सड़क मार्ग से ईंधन के परिवहन से जुड़े स्कोप-3 उत्सर्जन से उस सीमा तक बचा जा रहा है।

ii कर्मचारियों को ऊर्जा बचाने और स्कोप-3 उत्सर्जन से बचने के लिए यात्रा के दौरान कार पूल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

हां, मूल्यांकन/मूल्य निर्धारण/आश्वासन ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ-साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

4. यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार करने अथवा उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है अथवा नवीन प्रौद्योगिकी अथवा समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारुप के अनुसार उसका विवरण तथा ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:

क्रम	शुरु की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1.	सीएफएफपी हरिद्वार में पारंपरिक से पुनर्योजी बर्नर-आधारित दहन प्रणाली में उन्नयन	6 रिहीट भट्टियों पर कार्यान्वित किया गया	ईंधन खपत में 30% की संभावित वार्षिक बचत (लगभग 27.60 लाख घन मीटर)
2.	आंतरिक रुप से विकसित औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनिर्माण सुविधाओं की केंद्रीकृत निगरानी	100 से अधिक मशीनों/संयंत्रों पर कार्यान्वित	संभावित बिजली बचत: 4% तक पूर्वानुमानित रखरखाव: ब्रेकडाउन समय में 10% तक की कमी।

क्रम	शुरु की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
3.	शून्य तरल छोड़ना (ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज)	जल प्रदूषण की रोकथाम और अपशिष्ट जल के सतत प्रबंधन के लिए कंपनी ने 20 अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी) और 19 सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए हैं। इन ईटीपी/एसटीपी के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है और प्रक्रिया, शौचालय फ्लशिंग, बागवानी आदि के लिए हमारे परिसर के अंदर पुनः उपयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरुप हमारी 11 इकाइयाँ शून्य तरल निर्वहन इकाई बन गई हैं।	परिसर के बाहर अपशिष्ट का छोड़ना न करने के कारण, कंपनी ने भूमि और जल प्रदूषण से बचा लिया है
4.	एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त टाउनशिप (SUPF टाउनशिप)	बीएचईएल टाउनशिप को थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। सभी टाउनशिप में आंतरिक ऑडिट और एसयूपीएफ की स्थिति का वार्षिक ऑडिट किया जा रहा है, जिससे निवासियों को प्लास्टिक के खतरे के बारे में जागरुक किया जा रहा है।	बीएचईएल टाउनशिप को टिकाऊ आवास के रूप में विकसित किया गया है और नागरिकों ने एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने की आदत विकसित की है, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक कचरे के कारण भूमि और जल प्रदूषण से बचा जा सका है।
5.	मौजूदा हरियाली के संरक्षण और इसे और बढ़ाने की शपथ	2023-24 के दौरान, BHEL 1t.org पर शपथ लेकर विश्व आर्थिक मंच (WEF) की एक ट्रिलियन वृक्ष पहल का हिस्सा बन गया। यह विश्व आर्थिक मंच (WEF) की पहल है जिसका उद्देश्य वनीकरण समुदाय को सशक्त बनाना और एक ट्रिलियन वृक्षों का संरक्षण और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना है। BHEL ने अपने परिसरों में 3 मिलियन मौजूदा वृक्षों के संरक्षण और अधिक पौधे लगाकर उन्हें और बढ़ाने का संकल्प लिया है। कंपनी ने इस संबंध में विनिर्माण इकाइयों में 3 मियावाकी वन बनाए हैं।	इस पहल से बीएचईएल परिसर में सुन्दर हरियाली विकसित हुई है। परिणामस्वरूप, बीएचईएल परिसर में आसपास के क्षेत्र की तुलना में कम तापमान देखा गया है और जैव विविधता में वृद्धि हुई है।

एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में, संगठन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंध को स्वीकार करता है। इस वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए, बीएचईएल अपने उत्पादों और सेवाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे ग्राहकों को संयंत्र के जीवन चक्र में कम पर्यावरणीय फुटप्रिंट के साथ एक स्थायी तरीके से बिजली पैदा करने में सक्षम बनाया जा सके। आंतरिक परिचालन में भी, संगठन ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर एक बड़ा जोर दे रहा है। कंपनी ने विभिन्न बीएचईएल स्थानों पर कुल 35 मेगावाट के सौर फोटो वोल्टेइक (ग्राउंड माउंटेड और रूफ-टॉप) प्लांट स्थापित किए हैं, जिससे कंपनी को अपने ऊर्जा मिश्रण को और अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिली है। कंपनी के नवीकरणीय अनुप्रयोग की सूची में सौर वॉटर हीटर, सौर स्ट्रीट लाइटिंग आदि भी शामिल हैं। कंपनी ने जल और ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण आदि से संबंधित कई परियोजनाएँ भी ली हैं।

निदेशक मंडल रिपोर्ट, संधारणीयता निष्पादन - पर्यावरण के लिए अनुलग्नक - IV देखें

निदेशक मंडल रिपोर्ट, ऊर्जा संरक्षण का अनुलग्नक-VII देखें

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

हां, बीएचईएल के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इसी पर काम किया गया। व्यवसाय निरंतरता योजना और/या आपदा प्रबंधन योजना इंटरनेट पर प्रकाशित नहीं की गई।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नज़र नहीं आया।

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

पर्यावरण संबंधी कानूनों/अधिनियमों/संविधि के अंतर्गत आने के कारण 100% मूल्य श्रृंखला भागीदारों का पर्यावरणीय प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया गया था और इनका मूल्यांकन या निरीक्षण संबंधित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा किया जाता है। मूल्य श्रृंखला भागीदार के साथ बीएचईएल के अनुबंध दस्तावेज़ में पर्यावरण के संबंध में अपनाई जाने वाली पद्धतियों का उल्लेख है, और बीएचईएल इस संबंध में उनसे वचन लेता है। हालाँकि, बीएचईएल ने अभी तक पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्य श्रृंखला भागीदार का सीधे मूल्यांकन करने की पद्धति को नहीं अपनाया है।

सिद्धांत 7: पॉलिसी एडवोकेसी (नीति समर्थन)

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या

दस (10) संबद्धता.

ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्रम सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडल/एसोसिएशन का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	CIGRE इंडिया	अंतरराष्ट्रीय
2	भारतीय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संघ (IEEMA)	राष्ट्रीय
3	भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)	राष्ट्रीय
4	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI)	राष्ट्रीय
5	स्टेंडिंग कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (SCOPE)	राष्ट्रीय
6	भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC)	राष्ट्रीय
7	भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (PEPC)	राष्ट्रीय
8	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राष्ट्रीय
9	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (CBIP)	राष्ट्रीय
10	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बीएचईएल में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का कोई मामला सामने नहीं आया है

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीतियों का विवरण:

क्र. सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	इस समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है? (हां/नहीं)	निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध है
1.	'बीएचईएल संवाद 3.0 - देश में 'आत्मनिर्भर भारत' और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बीएचईएल के व्यावसायिक साझेदारों के साथ संवाद (अनुसंधान से आत्मनिर्भरता की ओर बीएचईएल की एक और पहल)	भारी उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन में बीएचईएल ने 9 नवंबर 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया।	हां	-	-
2.	**"मंथन - लोकल से ग्लोबल: भारत-विनिर्माण से आत्मनिर्भरता"कार्यक्रम** भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।	उद्योग संघ ने 22 नवंबर 2023 को यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग जगत की ओर से चुनौतियों/विकास पर प्रस्तुति दी।	हां	-	-
3.	पूंजीगत सामान क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम परिषद आदि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी / इनपुट	औद्योगिक निकायों (सीआईआई, फिक्की), सरकारी मंत्रालयों जैसे भारी उद्योग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय आदि के साथ बातचीत के माध्यम से।	नहीं	-	-
4.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सहयोग को सुविधाजनक बनाना	एफटीए आदि के लिए उद्योग निकायों/सरकारी एजेंसियों को इनपुट।	नहीं	-	-
5.	सीमा शुल्क, निर्यात संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन जैसे मामलों पर इनपुट	बजट 2024-25 के लिए बजट पूर्व ज्ञापन	नहीं	-	-

सिद्धांत 8: समावेशी विकास

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्त वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरु की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

   - लागू नही

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:**

   लागू नहीं

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।**

समुदाय अपनी शिकायतें केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)/लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराते हैं, जिन्हें बाद में बीएचईएल में लोक शिकायत अधिकारी को सौंप दिया जाता है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट का प्रतिशत) :**

	वि.व. 2023-24	वि.व. 2022-23
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	32.18%	32.55%
जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त	10%	10%

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें**

स्थान	वि.व. 2023-24	वि.व. 2022-23
ग्रामीण		
i) नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें	3297773379	3060520693
ii) कुल मजदूरी लागत	56401700000.00	53194400000.00
iii) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	5.85%	5.75%
अर्ध-शहरी		
i) नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित)को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा करें।	13713313292	12734123081
ii) कुल मजदूरी लागत	56401700000.00	53194400000.00
iii) अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	24.31%	23.94%
शहरी		
i नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें।	14102494878	13238100930
ii) कुल मजदूरी लागत	56401700000.00	53194400000.00
iii) शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	25.00%	24.89%
महानगरीय		
i) नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें।	24435039231	23274957187
ii) कुल मजदूरी लागत	56401700000.00	53194400000.00
iii) महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	43.32%	43.75%

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**

   लागू नहीं

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नामित आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)
1	उत्तर प्रदेश	चंदौली, वाराणसी	1,00,07,037
2	उड़ीसा	कंधमाल	52,58,790
3	पूरे भारत में (उपर्युक्त के अलावा)	पूरे भारत में (उपर्युक्त के अलावा)	15,64,000

3. **(क) क्या आपकी अधिमान्य क्रय नीति है, जहाँ आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)**

   हां

   (ख) आप किन हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीददारी करते हैं ?

   कंपनी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) का समर्थन करती रही है क्योंकि ये कार्यबल के कमजोर कड़ियों जैसे महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लोगों के बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं। बीएचईएल इकाइयों द्वारा विशेष रुप से एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं सहित) के साथ-साथ एससी/एसटी के लिए नियमित विक्रेता बैठकें और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो पारस्परिक लाभ के लिए आवश्यकताओं की पहचान और कार्य योजना तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (एमएसई-भारत सरकार के एमएसई मंत्रालय द्वारा जारी) में अनिवार्य प्राथमिकताओं का पालन किया जाता है।

   इसके अलावा, बीएचईएल ने टीआरईडी से संबंधित डीपीई के प्रावधानों का अनुपालन किया और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के 100%बिलों का निपटान किया।

   (ग) यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

   बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में एमएसएमई से अपनी खरीद का 32.18% हिस्सा खरीदा।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदाओं से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):**

   कंपनी पारंपरिक ज्ञान के आधार पर बौद्धिक संपदा का स्वामित्व या अधिग्रहण नहीं करती है। हालाँकि, कंपनी ने उत्पादों/प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश किया है और वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बौद्धिक संपदा अर्जित की है।

   निदेशक मंडल की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसंधान और विकास और तकनीकी उपलब्धियों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-VI देखें।

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर किए गए या चल रहे सुधारात्मक कार्यों का विवरण, जहाँ पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

   वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के संबंध में कोई बौद्धिक संपदा विवाद नहीं है क्योंकि बीएचईएल पारंपरिक ज्ञान के आधार पर बौद्धिक संपदा का स्वामित्व या अधिग्रहण नहीं करता है।

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	वाराणसी और चंदौली में 11 स्थानों पर सुलभ शौचालय परिसर के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल लखनऊ, को वित्तीय सहायता।	190000	100%
2	“Professional Assistance for Development Action (PRADAN), नोएडा को उनके प्रोजेक्ट “कंधमाल (ओडिशा) के कृषि समुदायों को उनके आर्थिक परिवर्तन हेतु प्रेरणा” के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	9070	100%

सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के तंत्र का वर्णन करें।

ग्राहक मूल्य बीएचईएल की संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है और यह हमारे विज़न, मिशन और मूल्यों में परिलक्षित होता है। कंपनी लगातार उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

ग्राहकों की शिकायतें विभिन्न चैनलों जैसे पत्र, ईमेल, फोन कॉल के माध्यम से और बैठकों के दौरान प्राप्त की जाती हैं। शिकायतों को बाद में समाधान के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

रिपोर्ट किए गए सभी प्रमुख गुणवत्ता मुद्दों को मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) के लिए लिया जा रहा है और आरसीए समितियों के माध्यम से हल किया जा रहा है। शिकायतों के अलावा, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, ग्राहकों की बैठकों, आमने-सामने बातचीत, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और प्रशंसा पत्रों के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया ली जाती है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उन उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर जिसमें "उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंडों", "सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग" और "रीसाइक्लिंग और/या सुरक्षित निपटान" के बारे में जानकारी होती है।

बीएचईएल उत्पाद, पूंजीगत सामान हैं और इसलिए इनका परिचालन जीवन 25 वर्ष है। उत्पाद/प्रणाली ग्राहकों को सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूल तरीके से संचालन आदि को कवर करने वाले मैनुअल के साथ प्रदान की जाती है। बीएचईएल द्वारा ग्राहक कर्मियों के प्रशिक्षण में भी यही पहलू शामिल किए जाते हैं।

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वि.व. 2023-24		अभियुक्तियां	वि.व. 2022-23		अभियुक्तियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	
डेटा गोपनीयता	0	0	-	0	0	-
विज्ञापन	0	0	-	0	0	-
साइबर सुरक्षा	0	0	-	0	0	-
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति	लागू नहीं					
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0	-	0	0	-
अनुचित व्यापार व्यवहार	0	0	-	0	0	-
अन्य	-	-	-	-	-	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाने का कोई मामला नहीं हुआ है।

5. **क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रुपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

   हां, बीएचईएल के पास एक स्वीकृत साइबर सुरक्षा नीति है, जो संगठन के लिए आंतरिक है। इसके अलावा, बीएचईएल बी2बी व्यवसाय में है और व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ व्यवहार नहीं करता है। इसलिए, किसी भी व्यक्तिगत ग्राहक का डेटा संग्रहीत नहीं किया जाता है।

   निदेशक मंडल की रिपोर्ट में 'डेटा और साइबर सुरक्षा' देखें

6. **आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी और प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई दंड/कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   लागू नहीं

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   क. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या:

   वर्ष के दौरान डेटा उल्लंघन का एक मामला हुआ।

   ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत:
   शून्य (0%)

   ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो

   5-6 जनवरी, 2024 की रात को बीएचईएल आईटी सिस्टम पर रैनसमवेयर की घटना हुई। इस घटना की सूचना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन), नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) को दी गई और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई गई। रैनसमवेयर घटना का प्रभाव मुख्य रुप से ई-ऑफिस (फाइल मूवमेंट सिस्टम), ई-मेल और फाइल शेयरिंग सर्वर जैसी कुछ सेवाओं में देखा गया। मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और आपदा रिकवरी तंत्र की वजह से, प्रभावित सेवाओं को बिना किसी डेटा हानि और वित्तीय प्रभाव के सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया।

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

   बीएचईएल के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी www.bhel.com से प्राप्त की जा सकती है।

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

   ग्राहकों को अनुबंध संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों या प्रणालियों पर संचालन मैनुअल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की गई मशीनों के सुरक्षित संचालन एवं रखरखाव के लिए ग्राहकों को केस -टू- केस आधार पर तकनीकी सलाह जारी की जाती है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।**

   बीएचईएल अपने ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क में रहता है और किसी भी व्यवधान (जैसे हाल के दिनों में महामारी के कारण) के बारे में ईमेल, पत्र और अनुबंध/खरीद आदेश में सहमत किसी अन्य संचार माध्यम से सूचित किया जाता है। इसके अलावा, स्थापित मशीनों की प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट या ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर ग्राहकों के साथ सक्रिय बातचीत से ग्राहक परिसर में परिचालन में व्यवधान को रोकने में मदद करती है। ग्राहकों को उन मशीनों के बारे में जिनका ओवरहाल या अनिवार्य निरीक्षण होना है, पत्र या अन्य डिजिटल माध्यमों से समय-समय पर सूचित किया जाता है।

4. **क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा उत्पाद पर उत्पाद संबंधी कोई अन्य जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रुप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)**

   हाँ। बीएचईएल द्वारा भेजे गए उत्पादों पर सभी आवश्यक और मानक जानकारी प्रदर्शित की जाती है।

   हाँ। BHEL प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

Independent Assurance Statement

To

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049 (India)

Introduction and Objective of Work

BUREAU VERITAS has been engaged by Bharat Heavy Electricals Limited (hereinafter abbreviated as "BHEL") to conduct an independent assurance of the Business Responsibility and Sustainability Report Core (hereinafter abbreviated as "BRSR Core"), consisting of the Key Performance Indicators (KPIs) under Environment, Social and Governance (ESG) attributes, which are mentioned in Annexure I, as prescribed under the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated 12th July, 2023.

Intended User

The assurance statement is made solely for "BHEL and its stakeholders" as per the governing contractual terms and conditions of the assurance engagement contract between "BHEL" and "Bureau Veritas". To the extent that the law permits, we owe no responsibility and do not accept any liability to any party other than "BHEL" for the work we have performed for this assurance report or our conclusions stated in the paragraph below.

Reporting Criteria

Reporting Framework based on BRSR Core, Business Responsibility and Sustainability Report as per Annexure 1 of the SEBI circular (SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122,) dated July 12, 2023) BRSR Core KPIs.

The reported information of BRSR core based on following nine ESG attributes:

1. Green-house gas (GHG) footprint
2. Water footprint
3. Energy footprint
4. Embracing circularity - details related to waste management by the entity
5. Enhancing Employee Wellbeing and Safety
6. Enabling Gender Diversity in Business
7. Enabling Inclusive Development
8. Fairness in Engaging with Customers and Suppliers
9. Open-ness of business

Assurance Standards Used

Bureau Veritas conducted reasonable assurance of BRSR Core in accordance with the requirements of the International Federation of Accountants (IFAC), International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3000 (Revised) Reasonable Assurance & GHG as per "Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements" ISAE 3410. Under this standard, Bureau Veritas has reviewed the information presented in the report against the characteristics of relevance, completeness, materiality, reliability, neutrality, and understandability.

Scope and Boundary of Assurance

The scope of assurance involves evaluating the sustainability performance of non-financial disclosures for the period from 1st April 2023 to 31st March 2024, based on BRSR Core requirements.

Reporting Boundary: Only the standalone operations of BHEL.

As part of its independent reasonable assurance, we assessed the appropriateness and robustness of underlying reporting systems and processes, used to collect, analyse and review the information reported.

Independent Assurance Statement

The Scope of Assurance for BRSR Core includes:

- An assessment of the procedures or approaches followed for data compilation and reporting of the sustainability performance non-financial disclosures for specific operations.
- Testing, on a sample basis, of evidence supporting the data.
- Verification of the sample data evidence and information on selected material topics reported at the above-mentioned operations for the defined reporting period.
- Assessment of the suitability between the backup data for the selected sustainability performance non-financial disclosures and the information presented as per BRSR Core requirements.
- The General and topic-specific sustainability non-financial standard disclosures are subject to limited assurance based on the extent of information available for assurance.
- Completion of assurance statement for inclusion in the report reflecting the verification, findings, and conclusion of the disclosure’s assurance.

The Methodology Adopted for Assurance

Bureau Veritas' sustainability assurance process involves specified procedures to obtain evidence regarding the accuracy and reliability of the data provided related to BRSR core disclosures. The nature, timing, and extent of procedures selected depend on the data and evidence provided, including the verification of the associated risks with the material topics of the selected sustainability non-financial disclosures and their relevance for the reporting period.

As per the scope of the assurance, sample evidence, information, and explanations that were considered necessary in relation to the assurance scope and following conclusions have been made:

- Assessed the report preparation in accordance with BRSR Core parameters applicable to BHEL operations.
- Evaluated the appropriateness of various assumptions used for data estimation and reviewed the report to ensure no misrepresentation of disclosures within the scope of assurance.
- Assessed adherence to the BRSR framework for Reasonable Assurance of Core parameters, including the principles of materiality, inclusivity, and responsiveness, and evaluated the systems used for data compilation and reporting.
- Verified systems and procedures for quantification, collation, and analysis of sustainability performance disclosures included in the report through site visits.
- Discussed with corporate office officials to understand sustainability risks and opportunities, BHEL's strategy to address them, and assessed the month-wise data for similarity, reliability, and accuracy.
- Evaluated the stakeholder engagement process through interactions with relevant internal stakeholders and review of related documentation. Reviewed the materiality assessment process and the processes for collection, compilation, and reporting of sustainability performance disclosures at the corporate and operational levels.
- Reviewed claims and data streams to determine the accuracy of statements in the report and the reliability of specified sustainability performance – Non-Financial Disclosure Assurance. Executed an audit trail of claims and data streams to determine the accuracy of data collection, transcription, and aggregation.
- Reviewed plans, policies, and practices pertaining to Environmental, Social, and Governance aspects to assess and evaluate the adequacy and fairness of BRSR Core reporting. Ensured the

reports provide a balanced and reasonable representation of the organization's positive and negative contributions toward sustainable development.

- Assessed the reporting procedures for GHG emissions evaluated the appropriateness and reliability of various assumptions and calculations adopted for data estimation.
- Reviewed the report, supporting evidence, and documented data to ensure no misrepresentation of disclosures within the scope of assurance and findings.
- Discussed data presented in the report and the associated backup data with concerned personnel at BHEL Headquarters Corporate Level and operational level.
- Reviewed sustainability performance non-financial disclosures data based on data provided for respective units, including related backup, site visits to BHEL's operations and discussions with the concerned personnel.

Limitations and Exclusions

The assurance is limited to the above-mentioned scope of work and excludes the information relating to:

- Data related to the Company's financial performance disclosures.
- Activities and practices followed outside the defined assurance period stated hereinabove.
- Positional statements, expressions of opinion, belief, aim, or future intention by "BHEL" and statements of future commitment.
- The assurance does not extend to the activities and operations of "BHEL" outside of the scope and geographical boundaries mentioned in the report as well as the operations undertaken by any other entity that may be associated with or have a business relationship with "BHEL".
- Compliance with any Environmental, Social, and legal issues related to the regulatory authority.
- Any of the statements related to company aspects or reputation.

Our Findings

On the basis of our methodology and the activities described above,

- Nothing has come to our attention to indicate that the BRSR disclosures are inaccurate or that the information included therein is not fairly stated.
- It is our opinion that Company has established appropriate systems for the collection, aggregation, and analysis of data on Sustainability/Non-Financial performance disclosures in the BRSR.
- The BRSR disclosure on core parameter provides a fair representation of the Company's activities as included therein.
- The information is presented in a clear, understandable, and accessible manner, and allows readers to form a balanced opinion over the Company and status during the reporting period.
- BHEL's data and information on BRSR core disclosures for the period of 01 April 2023 to 31 March 2024 included in the Report, is, in all material respects, in accordance with the SEBI's BRSR guidelines.

Management Responsibility

BHEL is completely responsible for the report contents, identification of material topics, and data reporting structure. The selection of reporting criteria, reporting period, reporting boundary, monitoring, and measurement of data, preparation, and presentation of information for the report are the sole responsibility of the management of "BHEL". Bureau Veritas (BV) was not involved in the drafting or preparation of the report and any other backup data for the reporting period. The

Independent Assurance Statement

responsibility of BV was to provide reasonable independent assurance for the sustainability of non-financial disclosures as described in the scope of assurance.

The said assessment is properly based on the assumption that the data and information provided in the report are proper and without any discrepancy. Bureau Veritas shall not be held liable or responsible for any type of decision a person or entity would make based on this assurance statement. While reading the assurance statement, stakeholders shall recognize and accept the limitations and scope as mentioned above.

Uncertainty

The reliability of assurance is subject to uncertainty(ies) that is inherent in the assurance process. Uncertainties stem from limitations in quantification models used, assumptions, or data conversion factors used or may be present in the estimation of data used to arrive at results. Our conclusions with respect to this assurance are naturally subject to any inherent uncertainty(ies) involved in the assurance process.

Statement of Independence, Impartiality, and Competence

Bureau Veritas is an independent professional services company that specializes in Quality, Health, Safety, Social, and Environmental Management with almost 195 years of history in providing independent assurance services. Bureau Veritas has implemented a Code of Ethics across the business to maintain high ethical standards among staff in their day-to-day business activities. We are particularly vigilant in the prevention of conflicts of interest.

No member of the assurance team has a business relationship with “BHEL”, its Directors, Managers, or officials beyond that required of this assignment. We have conducted this verification independently and there has been no conflict of interest.

Competence

The assurance team has extensive experience in conducting assurance over environmental, social, ethical, and health & safety information, systems and processes an excellent understanding of Bureau Veritas standard methodology for the Assurance of Sustainability Reports.

Restriction on use of Our Report

Our Reasonable assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Company at the request of the company solely to assist the company in reporting on the Company’s Sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Company. Our deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our deliverables. The Firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

Amit Kumar
Lead Assurer
Bureau Veritas India Private Limited

New Delhi, India
Date: July 19, 2024

Munji Rama Mohan Rao
Technical Reviewer
Bureau Veritas India Private Limited

Hyderabad, India
Date: July 19, 2024

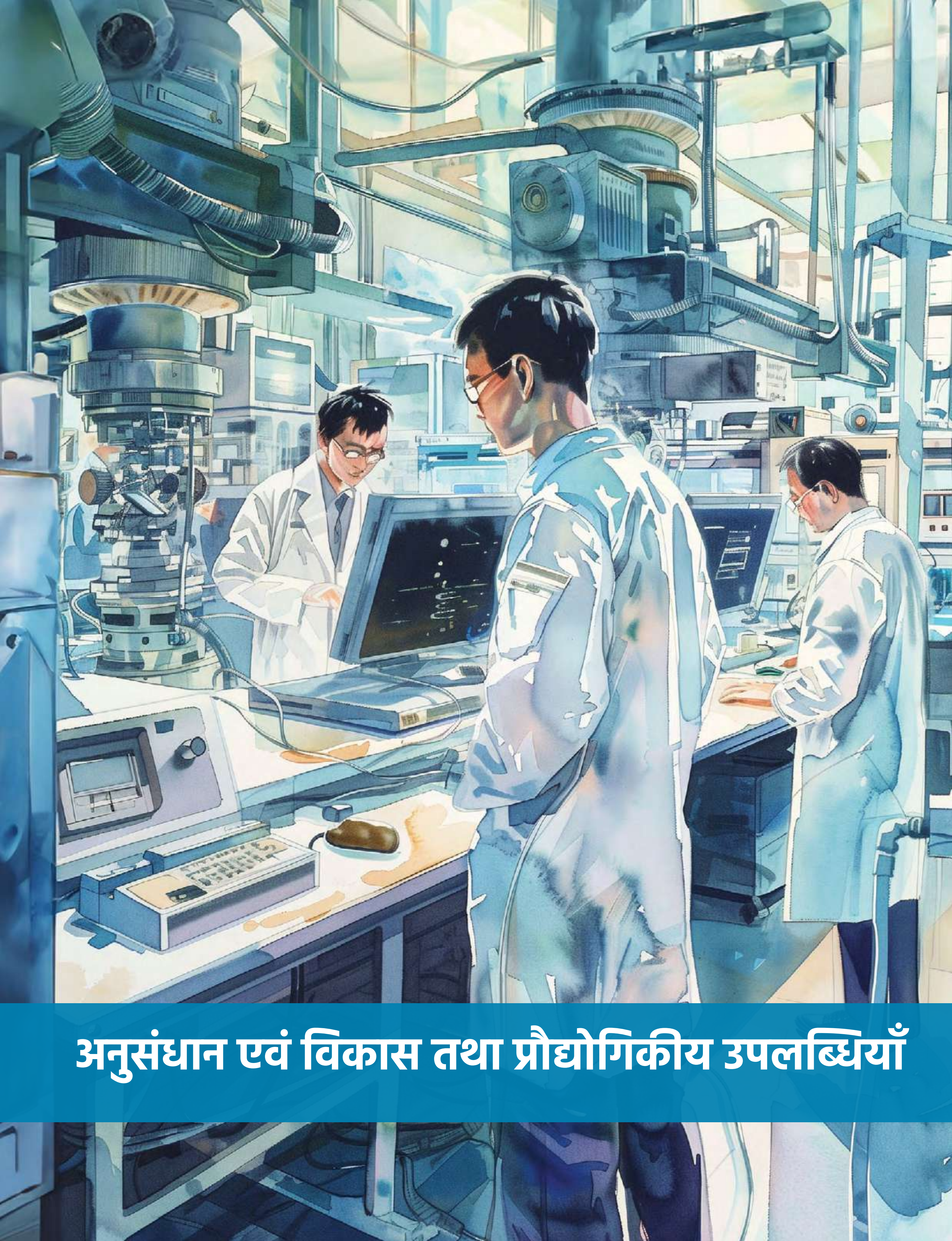

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-VI

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ

6.1 अनुसंधान एवं विकास रणनीति

बीएचईएल,नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बौद्धिक संपदा के निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त निवेश करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 700 करोड़ का निवेश अनुसंधान एवं विकास में किया गया, जो राजस्व के 2.5% से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप 543 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किए गए, जिससे 31 मार्च, 2024 तक कुल आईपीआर पूंजी 5,650 (संख्या) से अधिक हो गई। साथ ही, वर्ष में, कंपनी के राजस्व का लगभग 18% इन-हाउस विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से उत्पन्न हुआ।

महत्वपूर्ण पहल और उपलब्धियाँ

- **उच्च दक्षता वाले थर्मल पावर प्लांट**- ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता को संतुलित करने और स्वच्छ और अधिक कुशल कोयला आधारित बिजली उत्पादन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए कोयला गैसीकरण और एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर बीएचईएल का ध्यान केंद्रित है।

- **स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी**- बीएचईएल ने हैदराबाद में 1.2 टीपीडी कोयला से 0.25 टीपीडी मेथनॉल उत्पादन संयंत्र के स्वदेशी डिजाइन, स्थापना और प्रदर्शन के माध्यम से स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है, जिसमें उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण के लिए बीएचईएल की इन-हाउस विकसित प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (पीएफबीजी) तकनीक का उपयोग किया गया है।

  स्वच्छ प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण करने के लिए, बीएचईएल ने कोल-टू-अमोनियम नाइट्रेट प्लांट स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड रखा गया है।

- **रेल परिवहन**- रेल परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बीएचईएल की सक्रिय खोज भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण अभियान के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- **रक्षा और एयरोस्पेस**- प्रतिष्ठित ग्राहकों और उद्योग निकायों के साथ बीएचईएल का सहयोग भारत की रक्षा तैयारियों, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक स्वायत्तता का समर्थन करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **प्रौद्योगिकी सहयोग**- बीएचईएल उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और स्थापित वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से विकास को गति देने के लिए रणनीतिक रूप से खुद को तैयार कर रहा है। (बीएचईएल के पास 31 मार्च 2024 तक 13 सक्रिय टीसीए हैं)

कंपनी संगठन के भीतर मजबूत ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के साथ-साथ अपने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को निरंतर कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएचईएल के लिए फोकस का विशिष्ट क्षेत्र इंजीनियरिंग अनुकूलन है, जिसे डिज़ाइन अनुकूलन और उत्पाद साइकल टाइम को सुव्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य बीएचईएल उत्पादों के लागत में कमी लाना और समग्र दक्षता में सुधार करना है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप नए/उन्नत उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विकास की दिशा में निम्नलिखित प्रमुख प्रगति हुई है:

- ओएनजीसी को 15,000 पीएसआई रेटिंग के वेल हेड और एक्स-मस ट्री वाल्व सिस्टम के दो सेट की आपूर्ति जो अब तक ओएनजीसी द्वारा आयात की जा रही थीं।

- ऑइल रिग अनुप्रयोगों के लिए सकर रॉड पंप (जिसे बीम पंपिंग यूनिट भी कहा जाता है) की सतह इकाइयाँ (160डी, 456डी, 640डी (नए प्रकार)। इसके लिए एपीआई प्रमाणन भी प्राप्त किया गया है।

- मेथनॉल से डीएमई (डाय-मिथाइल ईथर) रूपांतरण तकनीक और कॉर्पोरेट आरएंडडी में पायलट प्लांट के माध्यम से उच्च शुद्धता का डीएमई उत्पन्न करने वाले संयंत्र का प्रदर्शन किया गया है जिससे उत्पन्न डीएमई एलपीजी के साथ मिश्रण के लिए उपयुक्त है।

- सबसे बड़े आकार का गिलोटिन गेट (डक्ट का आकार 14 मीटर (ऊंचाई) x 7 मीटर (चौड़ाई)) जिसने 99.95% (सील एयर के बिना) और 100% (सील एयर के साथ) की लीक टाइटनेस दक्षता हासिल की।

- ई-मोबिलिटी अनुप्रयोगों के लिए डायरेक्ट ड्राइव ट्रेन सिस्टम जिसमें (i) 145kW, 6-फेज लिक्विड कूल्ड परमानेंट मैग्नेट मोटर और (ii) 360kVA,

बीएचईएल रानीपेट में गिलोटिन गेट और डैम्पर के परीक्षण के लिए स्थापित 50 मीटर ऊंचा टेस्टिंग स्टैन्ड

6-फेज ट्रैक्शन कंट्रोलर शामिल हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) में इस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मोटर को 227 kW की अधिकतम शक्ति और 2900 RPM की अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- बीएचईएल ने उच्च ऊर्जा अंतरिक्ष ग्रेड ली-आयन सेल्स के उत्पादन के लिए एक ग्रीन फील्ड पायलट स्केल सुविधा स्थापित की है। वित्त वर्ष 2023-24 में, बीएचईएल ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी -इसरो) में आयोजित सफल योग्यता परीक्षणों के बाद 5Ah ली-आयन सेल्स का विनिर्माण और आपूर्ति की है।
- ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) - कवच के लिए क्षमता सह सामर्थ्य मूल्यांकन (सीसीए) सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए आरडीएसओ, बेंगलुरु से स्वीकृति मिल गई है, जिससे बीएचईएल को भारतीय रेलवे से कवच सिस्टम के लिए विकासमूलक ऑर्डर प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- खतरनाक क्षेत्र में उपयोग के लिए 1250 किलोवाट, 6.6 केवी, 4 पोल फ्लेमप्रूफ मोटर का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण किया गया।
- तेल के बिना संचालन की व्यापक रेंज (40% लोड तक) के लिए बॉयलर के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बर्नर का डिजाइन, विकास और सफल क्षेत्र परीक्षण किया गया।
- एफजीडी इकाइयों में गीले चूना पत्थर आधारित घोल को संभालने के लिए स्लरी री-सर्कुलेशन पंप (एसआरपी) का सफलतापूर्वक डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति की गई।
- निम्नलिखित डिजाइन ऑटोमेशन पहल पूरी हो चुकी हैं:
  - एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से चार पोल टर्बो जेनरेटर का डिजाइन स्वचालन।
  - संपूर्ण हाइड्रो जेनरेटर का डिजाइन स्वचालन।

6.2. अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए दृष्टिकोण

भविष्य में बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास के लिए फोकस क्षेत्र:

- कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के सफल विकास और प्रदर्शन के बाद, विशेष रूप से उच्च राख वाले भारतीय कोयले के लिए, कंपनी सिनगैस से रसायन और हरित ईंधन (मेथनॉल, हाइड्रोजन, आदि) उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए काम कर रही है।
- इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू), उच्च शक्ति वाले लोकोमोटिव और हाई स्पीड ट्रेनसेट के लिए तीन-चरण एसी ड्राइव सिस्टम के क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए संपूर्ण समाधान।
- हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद और प्रणालियाँ।
- समुद्री गैस टर्बाइन, ली-आयन बैटरी सिस्टम, हीट एक्सचेंजर्स आदि के लिए उत्पादों और प्रणालियों का विकास।
- डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र के लिए उत्पादों का विकास।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए उत्पादों और प्रणालियों का विकास।
- ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम (पावर ट्रेन, चार्जिंग स्टेशन आदि सहित) और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए समाधानों का विकास।
- डिजिटल सबस्टेशन और उन्नत पावर ट्रांसमिशन के लिए उत्पाद और सिस्टम।

बीएचईएल अपने R&D प्रक्रियाओं के गतिशील पुनर्संरेखण के माध्यम से नवाचार और प्रौद्योगिकी नेतृत्व के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार की जरुरतों के प्रति उत्तरदायी बने रहने, अपने R&D प्रयासों को अनुकूलित करने और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के द्वारा, बीएचईएल तेजी से विकसित हो रहे कारोबारी माहौल में सफल होने के लिए अच्छी स्थिति में है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक- VII

7.1. ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी अपने संचालन के अभिन्न अंग के रूप में ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण पर केंद्रित पहलों के प्रति निरंतर समर्पित है। बीएचईएल की ऊर्जा-गहन इकाइयों के पास आईएसओ 50001 प्रमाणन है, जो कठोर ऊर्जा प्रबंधन मानकों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इकाइयों में किए गए व्यवस्थित ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से, विभिन्न संरक्षण परियोजनाओं को लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप ऊर्जा लागत में ठोस कमी आई है। बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 में पूरे संगठन में सामूहिक रूप से लगभग 3.2 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित किए, जिससे पिछले सात वर्षों में लगभग 19.2 करोड़ यूनिट का संचयी उत्पादन हुआ। ऊर्जा प्रबंधन पहल के रूप में, दस विनिर्माण इकाइयाँ (हीपऔर सीएफएफपीहरिद्वार, एचपीबीपीऔर एसएसटीपी त्रिची, तिरुमयम, रानीपेट, भोपाल, हैदराबाद, वाराणसी और गोइंदवाल) ISO 50001:2018 प्रमाणित हैं। प्रमुख इकाइयों के ऊर्जा ऑडिट के दौरान चिन्हित की गई लगभग 51 ऊर्जा संरक्षण (ENCON) परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बीएचईएल में कार्यान्वित किया गया है।

7.2. प्रौद्योगिकी समावेशन और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया गया	}	निदेशक मंडल रिपोर्ट में अनुलग्नक-VI “अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां” के अंतर्गत विवरण दिया गया है
2.	उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ		
3.	भविष्य के फोकस क्षेत्र		
4.	**अनुसंधान एवं विकास पर व्यय**		
कुल		--	₹697.6 करोड़
a)	आवर्ती	--	₹687 करोड़
b)	पूंजीगत	--	₹10.6 करोड़
राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यय		--	2.9%

प्रौद्योगिकी समावेशन

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण:

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	समावेशन की स्थिति
नई पीढ़ी का सी एंड आई ऑटोमेशन	2020	प्रौद्योगिकी समावेशन प्रगति पर है।
अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM)	2021	
सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (CFBC) बॉयलर	2022	
गैस टर्बाइन के अपग्रेडेड और नए मॉडल	2023	

7.3 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	1,564	1,530
अर्जित विदेशी मुद्रा	1,062	1,565

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-VIII

8.1. राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल राजभाषा 'हिंदी' के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की त्रैमासिक बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा 'हिंदी' के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख प्रयास / गतिविधियां:

- भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत 'ग' क्षेत्र में गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर हिंदी प्रशिक्षण।
- राजभाषा के प्रयोग में प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए 16 इकाइयों/प्रभागों का निरीक्षण।
- माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने बीएचईएल की 5 इकाइयों/प्रभागों का निरीक्षण किया और राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सदैव प्रयासरत रहने की सलाह दी।
- 16 जून, 2023 को मसूरी में आयोजित भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की सातवीं बैठक का समन्वय।
- हिंदी दिवस, 2023 के अवसर पर, बीएचईएल ने सितंबर माह के दौरान दिल्ली-एनसीआर स्थित कार्यालयों में 'राजभाषा उल्लास पर्व' के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 1,211 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा पुणे में आयोजित हिंदी दिवस समारोह और वर्ष 2023-24 के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीएचईएल के 22 पदाधिकारियों ने भाग लिया।
- भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रमों के 25 नवस्थापित/नवीनीकृत पुस्तकालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएचईएल झांसी इकाई से उद्घाटन किया गया। इनमें से 18 पुस्तकालय बीएचईएल के हैं।
- 10 जनवरी, 2024 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, जनवरी-फरवरी 2024 की अवधि के दौरान दिल्ली-एनसीआर स्थित कार्यालयों के लिए 5 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें 211 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- बीएचईएल विभिन्न नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संबंधित नगरों में स्थित इकाइयों/प्रभागों के प्रमुख इसके सदस्य हैं। बीएचईएल नराकास की प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान नराकास (उपक्रम-1),दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिल्ली-एनसीआर स्थित कार्यालयों के 9 कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते।
- बीएचईएल में 17 हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। 30 कर्मचारियों को पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लिए नकद पुरस्कार दिए गए। जनवरी 2024 में आयोजित न.रा.का.स. (उपक्रम-1) दिल्ली की 58वीं बैठक में बीएचईएल की हिंदी पत्रिका 'अरुणिमा' को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- हिंदी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया गया जिसमें 4,500 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।
- 'अंतर इकाई राजभाषा शील्ड' योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की 18 इकाइयों/प्रभागों को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

14 सितंबर, 2023 को राजभाषा उल्लास पर्व के भाग के रूप में हिंदी दिवस मनाया गया

'भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों' थीम के साथ सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2023 पूरे बीएचईएल में मनाया गया

- कंपनी की 'मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन योजना' के अंतर्गत दो कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
- बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया।
- बीएचईएल राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर "कंठस्थ 2.0" एवं इसके मोबाइल ऐप की परीक्षण समिति में सदस्य के रुप में योगदान दे रहा है।

8.2. सतर्कता तंत्र

कंपनी ने सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित एक पूर्ण रूप से कार्यरत सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। बीएचईएल के सतर्कता कार्य का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। बीएचईएल की प्रत्येक विनिर्माण इकाई और पावर सेक्टर क्षेत्रों में एक सतर्कता व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व एक सतर्कता कार्यपालक करते हैं जो सीवीओ को रिपोर्ट करते हैं।

निवारक सतर्कता हमेशा बीएचईएल की सतर्कता टीम का फोकस क्षेत्र रहा है। निवारक सतर्कता के दृष्टिकोण में सिस्टम, नियमों और नीतियों की समीक्षा, विशेष रूप से खरीद और भर्ती से संबंधित और जागरुकता बढ़ाने के उपायों का संयोजन शामिल है, जो हितधारकों को शामिल करके विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों/मुद्दों को लक्षित करते हैं, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश को धीरे-धीरे खत्म किया जा सके।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट सतर्कता टीम द्वारा विभिन्न विनिर्माण इकाइयों/पावर सेक्टर क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा, इकाई के सतर्कता विभागों द्वारा यूनिट स्तर पर नियमित निरीक्षण, औचक जांच, सिस्टम अध्ययन, सीटीई प्रकार के निरीक्षण आदि भी किए गए। इन निरीक्षणों और अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की गई और प्रबंधन को सिस्टम में सुधार के सुझाव दिए गए। सीवीसी के अधिदेश के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट (आंतरिक, वैधानिक और सीएजी रिपोर्ट) की भी जांच की जाती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ऐसी रिपोर्टों में सामने आई अनियमितताओं के संबंध में कोई सतर्कता जांच का विषय शामिल है या नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 3,007 कर्मचारियों (सीडीए नियमों के तहत कवर किए गए कर्मचारियों का लगभग 21%) के वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 25 मामलों की जांच की गई। मानदंडों और प्रक्रियाओं से विचलन के लिए 35 कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके अलावा, 197 शिकायतों (वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त 192) में से,179 का जांच के बाद निपटारा कर दिया गया और शेष निपटान के विभिन्न चरणों में हैं। सतर्कता विभाग की सलाह पर, विभिन्न एजेंसियों, कर्मचारियों, विक्रेताओं और ठेकेदारों से ₹100.27 लाख (लगभग) की वसूली की गई है।

बीएचईएल में सीवीसी द्वारा परिपत्र संख्या 08/09/2023 दिनांक 11 सितंबर, 2023 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सतर्कता जागरुकता सप्ताह (VAW) 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक "भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" थीम के साथ मनाया गया। VAW का पालन कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ के साथ शुरु हुआ। 'सत्यनिष्ठा शपथ' का लिंक https://pledge.cvc.nic.in बीएचईएल इंटरनेट होमपेज और विभिन्न विनिर्माण इकाइयों/क्षेत्रों/कार्यालयों की सभी इंट्रानेट वेबसाइटों पर प्रदान किया गया था, और सभी हितधारकों को सत्यनिष्ठा शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

नियमों, विनियमों और नीतियों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए, कर्मचारियों और उनके परिजनों (संबंधित इकाइयों में) के लिए सतर्कता जागरुकता सप्ताह की थीम पर विभिन्न प्रकार की 153 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में 4,023 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। संगठन की खरीद नीतियों, नैतिकता, साइबर स्वच्छता, प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर कुल 90 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 4,346 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सतर्कता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए बीएचईएल ने विक्रेताओं और छात्रों जैसे विभिन्न हितधारकों से भी संपर्क किया। सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा उद्धरण वाले ई-मेल भी भेजे गए। इसके अलावा, सप्ताह के दौरान बीएचईएल के सभी आउटगोइंग ई-मेल में पीआईडीपीआई

जागरुकता के लिए एक सिस्टम जनरेटेड फुटनोट भी डाला गया। इंट्रानेट और इंटरनेट वेबसाइटों पर वीएडब्ल्यू-2023 थीम पर स्क्रॉलिंग संदेश होस्ट किए गए। सभी कर्मचारियों के पीसी पर वीएडब्ल्यू-2023 थीम वाले स्क्रीन सेवर प्रदर्शित किए गए। वीएडब्ल्यू-2023 थीम वाले सेल्फी फ्रेम और सीवीसी और बीएचईएल के लोगो बीएचईएल इकाइयों/कार्यालयों में लगाए गए।

8.3. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

कंपनी में सुस्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) है, जिसे एचएसई प्रबंधन प्रणाली नामक एकल प्रबंधन प्रणाली में एकीकृत किया गया है। चूंकि विभिन्न इकाइयों और प्रभागों के उत्पादों, सेवाओं और गतिविधियों में व्यापक भिन्नताएं हैं, इसलिए उन सभी के पास अपनी एचएसई प्रबंधन प्रणाली है। एचएसई प्रबंधन प्रणाली कंपनी की एचएसई नीति पर आधारित हैं। सभी विनिर्माण इकाइयां, पावर सेक्टर क्षेत्र, टीबीजी और आईएसजी (उनके अधीन परियोजना स्थल हैं) और नोएडा टाउनशिप के पास आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 का प्रमाणन है। ये सभी प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2024 तक वैध हैं।

कंपनी कर्मचारियों के साथ-साथ हमारे लिए काम करने वाले सभी लोगों के लिए "शून्य हानि" की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। विनिर्माण इकाइयों और अन्य प्रभागों ने सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा निरीक्षण, चिन्हित आपात स्थितियों के लिए मॉक ड्रिल, प्रचार अभियान, प्रचार के साथ बैनर/पोस्टर/बोर्ड के रूप में प्रदर्शन पर अपना जोर जारी रखा। सभी इकाइयों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं और सभी जगहों पर कर्मचारियों का व्यावसायिक स्वास्थ्य चेक – अप नियोजित रुप से किया गया।

परियोजना स्थलों पर कार्य की परिस्थितियाँ अधिक जोखिमपूर्ण और बहुत गतिशील होने के कारण और अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। श्रमिकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, काम में लगाने से पहले उनके स्वास्थ्य की जाँच और फिटनेस परीक्षण,टूलबॉक्स वार्ता, सामूहिक टूलबॉक्स वार्ता, सुरक्षा निरीक्षण, मॉक ड्रिल, सुरक्षा अवलोकन, जोखिम पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए), नौकरी सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए) और नौकरियों के लिए विधि विवरण (एमएस), कार्य परमिट प्रणाली का ईमानदारी से कार्यान्वयन, विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा समीक्षा, प्रचार अभियान, श्रमिकों के बीच अच्छे सुरक्षा प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कृत और मान्यता देने पर अधिक जोर दिया जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में, इकाइयों ने अपने परिचालन के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को समाप्त करने और कम करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। हमारा जोर पानी सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग, मौजूदा हरित आवरण को बनाए रखने और नए पौधे लगाने की दिशा में प्रयास करने पर जारी रहा।वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बीएचईएल को हरित कंपनी में बदलने के लिए हरित बीएचईएल पहल भी शुरु की गई।

वर्ष के दौरान कई प्रचार अभियान आयोजित किए गए। बीएचईएल सुरक्षा पखवाड़ा-2024, 4 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह के साथ शुरु होकर 17 मार्च, 2024 तक पूरे कंपनी में मनाया गया। बीएचईएल पर्यावरण जागरुकता माह-2023, 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के साथ शुरु होकर 4 जुलाई, 2023 तक पूरे कंपनी में मनाया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा-2023 16-31 अगस्त, 2023 के दौरान मनाया गया और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 3.0 02-31 अक्टूबर, 2023 के दौरान मनाया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी को "इंजीनियरिंग क्षेत्र" में एपेक्स इंडिया व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पुरस्कार 2023 के तहत "गोल्ड अवार्ड" और "पर्यावरण उत्कृष्टता" श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 23वें वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-IX

फॉर्म एओसी -1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताएं :

भाग "क": सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी का विवरण करोड़ रुपये की राशि में)

1	क्रम सं.	लागू नहीं
2	सहायक कंपनी का नाम	
3	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	
4	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर।	
6	शेयर पूंजी	
7	रिजर्व और अधिशेष	
8	कुल परिसंपत्तियाँ	
9	कुल देयताएं	
10	निवेश	
11	टर्नओवर	
12	कर पूर्व लाभ	
13	कराधान के लिए प्रावधान	
14	कर पश्चात लाभ	
15	प्रस्तावित लाभांश	
16	शेयरधारिता का %	

1	उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरु नहीं हुआ है	शून्य
2	उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन हो चुका है या जिन्हें बेच दिया गया है।	शून्य

भाग "ख": सहयोगी और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

(करोड़ में)

	संयुक्त उद्यम का नाम	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
1	नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट की तिथि	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023
2	वह तिथि जिस दिन एसोशिएट या संयुक्त उद्यम को संबद्ध किया गया या अधिग्रहित किया गया	5th May, 1997	28th April, 2008	15th April, 2009
3	वर्ष के अंत में बीएचईएल द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर			
	सं.	2379999	50000000	664040000
	निवेश की राशि	2.38	50.00	664.04
	धारिता का विस्तार %	50% minus one share	50%	22.14%
4	इसका वर्णन कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं		
5	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम समेकित क्यों नहीं है इसका कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	232.29	शून्य	शून्य
7	वर्ष के लिए लाभ/हानि	इक्विटी पद्धति के अनुसार		
	i) समेकन में विचार किया गया	63.98	शून्य	शून्य
	ii) समेकन में विचार नहीं किया गया	-	(2.08)	(338.53)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकारात्मक हैं। आरपीसीएल में, बीएचईएल द्वारा अपने नामिती के नाम पर 300 शेयर रखे गए हैं।

मैसर्स पावर प्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड परिसमापन के अधीन है और इसलिए इसे समेकन में नहीं लिया गया है। इस संयुक्त उद्यम में 2.00 करोड़ की निवेश राशि का पूर्णतः प्रावधान किया गया है।

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
DIN: 09184201

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

फॉर्म एओसी - II

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं /व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ आर्म्स लेंथ लेन-देन भी शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्यौरा जो कि आर्म्स लेंथ आधार पर न हो::

1	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
2	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	
3	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	
4	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य, यदि कोई हो, शामिल है	
5	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन में प्रवेश करने का औचित्य	
6	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां)	
7	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	
8	वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रावधान के तहत सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था	

2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्यौरा आर्म्स लेंथ के आधार पर:

(क)	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	
(ग)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	
(घ)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो उसका मूल्य सहित	
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि(तिथियाँ)	
(छ)	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-X
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी"), के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और एकल वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "एकल वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें हमारे द्वारा ऑडिट की गई 19 शाखाओं और कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई 10 शाखाओं के लिए उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित आवश्यक जानकारी देते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरुप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की स्थिति, लाभ तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह के बारे में सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एएस) के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुभाग में आगे किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

1. हम एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 44 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट घाटे की गणना करते समय धन के समय मूल्य को फैक्टरिंग करने के संबंध में आईसीएआई से वर्ष के दौरान प्राप्त विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुरुप अपनी लेखांकन नीति (वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में) बदल दी है। 1 अप्रैल 2022 तक अनुबंध परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रदान किया गया प्रभाव कुल इक्विटी में 2,626.50 करोड़ की कमी है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईसीएल के लिए प्रावधान में वापसी 236.17 करोड़ है और चालू वर्ष 2023-24 के लिए ईसीएल के लिए प्रावधान में वापसी 1,093.50 करोड़ है।

2. हम एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38 पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले संविदात्मक दायित्व के प्रावधान के संबंध में लेखांकन अनुमान और निर्णय में बदलाव हुआ है। यह परिवर्तन इंडएएस 8 के अनुरुप भावी रुप से लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरुप राजस्व में 92.47 करोड़ की कमी आई है, तथा प्रावधानों में 1,356.12 करोड़ की कमी आई है।

3. हम एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 06 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने गृहयुद्ध के कारण प्राप्ति में देरी का हवाला देते हुए सूडान परियोजना पर 211 करोड़ की राशि के प्रावधान के निर्माण को स्थगित कर दिया है।

4. हम 05, 06 जनवरी 2024 की रात को हुई रैनसमवेयर घटना के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 45 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी के अनुसार, प्रभावित सेवाओं को बिना किसी डेटा हानि और वित्तीय प्रभाव के सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया।

उपर्युक्त पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर हमारी राय को सूचित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

मुख्य लेखापरीक्षा विषय	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
भारतीय लेखा मानक 115 के तहत "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संबंध में राजस्व और अन्य संबंधित शेष राशि की पहचान, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता	**प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ**
इस राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए प्रदर्शन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता और वित्तीय विवरणों में शेष राशि की प्रस्तुति सहित प्रकटीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। अनुमानित प्रयास राजस्व निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुमान है, क्योंकि इसमें अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण का **नोट 39 देखें।**	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का निम्नानुसार परीक्षण शामिल था: • पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों का एक नमूना चुना गया और अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। • भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड करने और प्रकट करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी, लेखांकन प्रणाली और अनुबंधों से संबंधित परिवर्तन और संबंधित जानकारी का परीक्षण किया गया। • माइलस्टोन हासिल करने में संभावित देरी की पहचान करने के लिए अनुबंधों के एक नमूने की समीक्षा की गई, जिसके लिए शेष निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुमानित प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता होती है। • तर्कसंगतता और अन्य संबंधित सामग्री मदों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और विवरणों का परीक्षण किया गया।
व्यापार प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और वसूली	**प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ**
31 मार्च, 2024 के अंत में कंपनी के पास **8,010.07 करोड़** की बकाया व्यापार प्राप्य (शुद्ध) और **26,747.54 करोड़** की अनुबंध परिसंपत्तियां (शुद्ध) हैं। ये शेष राशि चल रहे अनुबंधों और पूर्ण हो चुके अनुबंधों के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुरूप मान्यता प्राप्त राजस्व से संबंधित हैं। इसकी वसूली का मूल्यांकन इसके आकार, भेजे गए पत्रों की लंबित शेष राशि की पुष्टि और प्रबंधन के उच्च स्तर के निर्णय के कारण लेखापरीक्षा में एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है। एकल वित्तीय विवरण का नोट **6, 9, 39 देखें।**	हमने राजस्व को चिन्हित करने और व्यापार प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा तंत्र के लिए कंपनी की आंतरिक प्रक्रिया का मूल्यांकन किया है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था, जैसा कि नीचे दिया गया है: • ग्राहकों की बिलिंग प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। • प्रबंधन द्वारा परियोजनावार बकाया विवरणों और इसकी समीक्षा तंत्र की सूची प्राप्त की। • व्यापार प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों की हानि पर कंपनी के दिशा-निर्देशों और नीतियों की समीक्षा की। • नमूना आधार पर वर्ष के अंत में व्यापार प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों की आयु की सटीकता का परीक्षण किया। तर्कसंगतता, वसूली और अन्य संबंधित सामग्री मदों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और विवरणों का परीक्षण किया।

आकस्मिक देयता का आकलन	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ
कंपनी के खिलाफ विभिन्न फोरम में कई मुकदमें लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दु शामिल थे: • दावों या विवादों के संबंध में प्रबंधन की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की विस्तृत समझ प्राप्त करना। • चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना।
हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल निर्णयों/कानून की व्याख्या का विश्लेषण करने पर केंद्रित था। एकल वित्तीय विवरण का **नोट 32 देखें।**	• पत्राचार, संचार, प्रबंधन बैठक के मिनट्स को पढ़कर मामलों को समझना। • अद्यतन स्थिति, आधार के साथ परिणामों की अपेक्षा, और कंपनी द्वारा विचारित भविष्य की कार्रवाई सहित प्रबंधन कर्मियों के उचित स्तर के साथ पुष्टि पूछताछ करना, और प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय, यदि कोई हो, का अवलोकन करना। • कंपनी के कानूनी वकीलों से प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त करना और परिणामों के बारे में उनकी राय / संभाव्यता मूल्यांकन पर विचार करना। • संभावित परिणामों और अनुमानों की तर्कसंगतता के बारे में प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करना। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

एकल वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, निदेशक मंडल रिपोर्ट, निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्रक, व्यवसाय जिम्मेदारी और संधारणीयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इन रिपोर्टों को इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हमें उपलब्ध कराई गई ऐसी अन्य जानकारी को हम पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानक और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं और भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी का प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों को प्रकट करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि कंपनी का प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल

वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रुप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार एक लेखापरीक्षक के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण ग़लतबयानों के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरुप होने वाली गलतबयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन में प्रभावशीलता है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन।

- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू व्यवसाय के रुप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

भौतिकता (Materiality) एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का स्तर है जो व्यक्तिगत रुप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई किसी भी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हो, वहां सुरक्षा संबंधी उपाय यदि लागू हों, उन्हें सम्प्रेषित करते हैं।

अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को बताए गए मामलों में, हम मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम होंगे और इस तरह के ज़िक्र से लोकहित प्रभावित होगा।

अन्य विषय:

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 10 (दस) शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखापरीक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 तक **₹38,063 करोड़** की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **₹13,343 करोड़** का कुल राजस्व दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-जोखा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक क" प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. जहां तक हमें जानकारी और विश्वास है, हमने लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं विवरण प्राप्त कर लिए हैं।

   ख. हमारी राय में, कंपनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि हमें इन बहियों की जांच में मिला है और हमारे द्वारा इस दौरान की गई शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गई है।

   ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और रिपोर्ट करते समय हमारे साथ सही तरीके से विचार-विमर्श किया गया है।

   घ. इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा इक्विटी लेन – देन में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण बही - खाते (Books of Account) के अनुसार हैं।

   ङ. हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   च. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2)जो इस बारे में है कि किसी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है,अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05-06-2015, कंपनी पर लागू नहीं है।

   छ. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **"अनुलग्नक ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

   झ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अंतर्गत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित बिन्दु सामने आए हैं:

      i) कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों के **नोट 32** का संदर्भ लें ।

      ii) कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंध पर,सामग्री के संभावित नुकसान (यदि कोई हो) के लिए लागू कानून और लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं। वित्तीय विवरणों के **नोट 38** का संदर्भ लें।

      iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली राशि को हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

      iv) (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

      ख. प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी।

      ग. इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा

कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई सामग्री विवरण गलत है।

v. क. पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जैसा कि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है, उसे वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया है।

ख. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

ग. जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों के **टिप्पणी 31** में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लाभांश की घोषणा पर लागू होती है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच, शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने खाता - पुस्तकों को बनाए रखने के लिए कई अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करना) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, सिवाय एक शाखा के जहां डीबेस अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया गया था, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी। 06-01-2024 से 15-01-2024 तक (क्योंकि मैलवेयर हमले के कारण कोई लेनदेन रिकॉर्ड नहीं किया गया था) के अलावा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए ऑडिट ट्रेल पूरे वर्ष संचालित हुआ है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। ऑडिट ट्रेल की हमारी जांच ऑडिटिंग के मानक के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संदर्भ में थी और केवल कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) द्वारा आवश्यक सीमा तक थी।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. हमारे द्वारा उचित समझे गए कंपनी के खातों और रिकार्ड की जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, इस अधिनियम की धारा 143(5) के आधार पर, **अनुलग्नक 'ग'** में दिए गए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

एबीपी एवं एसोसिएट्स के लिए	**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**	**एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E	**FRN – 008567C**	**FRN – 000709C/C400277**
(निरंजन अग्रवाला)	(सुहासबसु)	(विजित वैदमुथा)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
M. No. 087939	M. No. 052684	M. No. 406044
UDIN: 24087939BKCZTR9651	UDIN: 24052684BKCRUE7758	UDIN: 24406044BKBEOV1119

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समान दिनांक रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैरा-1 में यथा उल्लिखित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांचे गए खाता बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम निम्नलिखित विवरण दे रहे हैं:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

(क) अ. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ब. कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी मदों को तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए सत्यापन का कार्यक्रम है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय इसके कि नोट 3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अतिरिक्त प्रकटीकरण में जिनका खुलासा किया गया है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

च. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरु नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (अ) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री (तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री के संबंध में, उनके द्वारा इनकी पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई है। स्टोर और स्पेयर्स की सूची के संबंध में, प्रबंधन के पास तीन वर्षों की अवधि में वस्तुओं को कवर करने के लिए उचित प्रक्रियाओं के साथ एक सत्यापन कार्यक्रम है, जो हमारी राय में उचित है। पुस्तकों के रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और प्रस्तुत प्रासंगिक रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों / वित्तीय संस्थान से कंसोर्टियम फाइनेंस के तहत 60,000 करोड़ (फंड आधारित सीमा 9,000 करोड़, गैर-फंड आधारित सीमा लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) 3,000 करोड़ और बैंक गारंटी (बीजी) 48,000करोड़) की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। हमारे द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों / वित्तीय संस्थानों के साथ दायर तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (ए-ए, बी), (iii) (बी), (iii) (सी), (iii) (घ), (iii) (ङ) और (iii) (एफ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निदेशकों को ऋण के संबंध में अधिनियम की धारा 185, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण और किए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए गए हैं। हालांकि, हमें ऐसे खातों और अभिलेखों की कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है और हमने ऐसा नहीं किया है।

vii) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सीईं सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया नियमित रूप में जमा कर रही है।

ख. माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में कोई निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार देय होने की तिथि के छह महीने से अधिक समय के लिए बकाया नहीं है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के विवरण, जो विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	बकाया राशि	प्रोटेस्ट के तहत भुगतान की गई राशि	जमा नहीं की गई राशि	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, मूल्य वर्धित कर और विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर, वैट	119.81	11.50	108.31	मूल्यांकन अधिकारी
			461.57	47.29	414.29	उप आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (अपील)
			280.98	135.67	145.31	अपील न्यायाधिकरण
			44.98	4.13	40.85	उच्च न्यायालय
			4.84	4.84	-	सर्वोच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	43.79	-	43.79	मूल्यांकन अधिकारी
			12.29	0.06	12.23	आयुक्त (अपील)
			94.02	5.18	88.84	अपील न्यायाधिकरण
			27.49	-	27.49	सर्वोच्च न्यायालय
3	वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर	सेवा कर	43.71	1.06	42.65	आयुक्त (अपील)/अन्य अपीलीय प्राधिकारी
			628.07	14.31	613.76	अपील न्यायाधिकरण
			1.56	-	1.56	उच्च न्यायालय
4	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	16.18	1.04	15.15	आयुक्त (अपील)/अन्य अपीलीय प्राधिकारी
			24.02	0.55	23.47	अपील न्यायाधिकरण
			5.80	5.80	0.00	उच्च न्यायालय
5	जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	12.63	0.23	12.40	आयुक्त (अपील)
			0.96	0.18	0.78	अपील न्यायाधिकरण
6	आयकर	आयकर	0.84	0.84	-	आयुक्त (अपील)
7	आयकर (विदेशी)	आयकर	17.74	2.66	15.08	रवांडा अपील न्यायालय
8	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	0.62	0.62	-	आरपीएफसी कानपुर

viii. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खातों की पुस्तकों में कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

x. क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(x) (क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3(x) (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xi. क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार की गई, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले की जानकारी दी गई।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।

ग. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार का निर्धारण करते समय हमने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

xii. चूंकि कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड संख्या 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां भी लागू हो और लागू लेखा मानक द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण में विवरण का खुलासा किया गया है।

xiv.(क) हमारी राय में और जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरुप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi) (ए),(बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को चालू वित्त वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है और पिछले वित्त वर्ष में भी नकद घाटा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(d) के प्रावधान लागू नहीं होते।

xviii. वर्ष के दौरान, किसी भी वैधानिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा|

xx. हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि को उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

एबीपी एवं एसोसिएट्स के लिए	**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**	**एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E	**FRN – 008567C**	**FRN – 000709C/C400277**
(निरंजन अग्रवाला)	(सुहासबसु)	(विजित वैदमुथा)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
M. No. 087939	M. No. 052684	M. No. 406044
UDIN: 24087939BKCZTR9651	UDIN: 24052684BKCRUE7758	UDIN: 24406044BKBEOV1119

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक दिनांक को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख":

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने समसंख्यक तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार की और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षण के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रुप से संचालित हुए थे। हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रुप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रुप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का प्रतिशत खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

एबीपी एवं एसोसिएट्स के लिए	**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**	**एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E	**FRN – 008567C**	**FRN – 000709C/C400277**
(निरंजन अग्रवाला)	(सुहासबसु)	(विजित वैदमुथा)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
M. No. 087939	M. No. 052684	M. No. 406044
UDIN: 24087939BKCZTR9651	UDIN: 24052684BKCRUE7758	UDIN: 24406044BKBEOV1119

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ग"

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एकल) के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश:

क्र. सं.	जांचे गए क्षेत्र	उत्तर
1	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई सिस्टम है। यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का खातों की यथार्थता पर प्रभाव तथा इसके वित्तीय प्रभाव,यदि कोई हो तो बताएं।	हां, कंपनी के पास प्रत्येक शाखा में आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है। हालांकि, प्रत्येक शाखा अलग-अलग लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। हमारे ऑडिट और शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, जहां भी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के बाहर कामकाज पर आधारित हैं, खातों की सत्यनिष्ठा की कमी और वित्तीय दुष्परिणाम का कोई मामला नहीं देखा गया है/रिपोर्ट नहीं किया गया है।
2	क्या कंपनी द्वारा किसी ऋण का पुनर्भुगतान न करने के कारण ऋणदाता द्वारा किसी वर्तमान ऋण की रिस्ट्रक्चरिंग की गई है या किसी ऋण/कर्ज/ब्याज को माफ किया गया / बट्टे खाते में डाला गया है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का समुचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/उधार/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालने जैसा कुछ नहीं किया गया है।
3	क्या केन्द्र/किसी राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान / सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया है ? जिन मामलों में भिन्नता हो उसका उल्लेख करें।	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब रखा गया /उपयोग किया गया है।

एबीपी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाला)
भागीदार
M. No. 087939
UDIN: 24087939BKCZTR9651

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहासबसु)
भागीदार
M. No. 052684
UDIN: 24052684BKCRUE7758

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044
UDIN: 24406044BKBEOV1119

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल के खातों, एकल और समेकित खातों का लेखा-परीक्षण किया है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

एबीपी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाला)
भागीदार
M. No. 087939
UDIN: 24087939BKCZTR9651

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहासबसु)
भागीदार
M. No. 052684
UDIN: 24052684BKCRUE7758

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044
UDIN: 24406044BKBEOV1119

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

DGA(E)/Rep/01-67/Acs-BHEL-SFS/2024-25/182

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)

नई दिल्ली

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Director General of Audit (Energy)

New Delhi

Dated: 25.07.2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरि।

एस. ए. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)

महानिदेशक

पांचवा, छठा, सातवाँ, एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of ~~Audit~~ (Energy)

Place: New Delhi
Date: 25.07.2024

वित्तीय विवरण

स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरण....168

बी एच ई एल BHEL

स्टैन्डअलोन तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2024 को

(रु. करोड़ में)

विवरण	नोट	पृ. सं	31 मार्च 2024 को		31 मार्च, 2023 को (पुनः घोषित)*		31 मार्च, 2022 को (पुनः घोषित)*	
परिसंपत्तियां								
1. गैर -चालू परिसंपत्तियाँ								
क) परिसंपत्तियाँ, संयंत्र और उपस्कर	3a	182		2510.69		2408.74		2336.34
ख) पूंजीगत चालू कार्य	3b	182		282.32		344.59		422.32
ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	4a	189		63.35		67.24		62.12
घ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	4b	189		26.04		9.26		8.66
ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां								
(i) निवेश	5	191	667.60		669.54		669.71	
(ii) व्यापार प्राप्य	6	192	3224.69		3415.54		3203.84	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	194	206.10	4098.39	142.69	4227.77	86.73	3960.28
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (देनदारियों को छोड़कर)	8	195		4201.26		4246.54		4413.44
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	196		13689.69		16955.50		15833.50
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां				**24871.74**		**28259.64**		**27036.66**
2. चालू परिसंपत्तियां								
क) माल सूची	10	197		7220.57		6755.90		6560.21
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां								
(i) व्यापार प्राप्य	6	192	4785.38		3128.35		3024.75	
(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	11	198	1835.04		1561.34		732.62	
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस	12	198	4322.43		5136.73		6421.07	
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	194	239.82	11182.67	186.44	10012.86	211.56	10390.00
ग) चालू कर परिसंपत्तियां(शुद्ध)	13	198		229.07		226.38		119.24
घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	196		15913.38		12099.36		9975.71
कुल चालू परिसंपत्तियां				**34545.69**		**29094.50**		**27045.16**
कुल परिसंपत्तियां				**59417.43**		**57354.14**		**54081.82**
इक्विटी एवं देयता								
3. इक्विटी								
क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	199		696.41		696.41		696.41
ख) अन्य इक्विटी	15	199		24154.18		24115.98		23648.25
कुल इक्विटी				**24850.59**		**24812.39**		**24344.66**
4. देयताएं								
गैर चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं								
(i) पट्टा देयताएं	16	200	23.55		33.75		35.12	
(ii) व्यापार देय	17	200						
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			-		-		-	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया राशि			2292.76		2065.92		2004.48	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	202	325.88	2642.19	255.70	2355.37	215.10	2254.70
ख) प्रावधान	19	202		2489.08		4101.02		3771.21
ग) अन्य गैर- चालू देयताएं	20	202		4102.77		2605.81		2212.65
कुल गैर वर्तमान देनदारियां				**9234.04**		**9062.20**		**8238.56**

स्टैन्डअलोन तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2024 को

(रु. करोड़ में)

विवरण	नोट	पृ. सं	31 मार्च 2024 को		31 मार्च, 2023 को (पुन: घोषित)*		31 मार्च, 2022 को (पुन: घोषित)*	
4.2. चालू देयताएं								
(क) वित्तीय देयताएं								
(i) ऋण	21	203	8808.00		5385.00		4745.00	
(ia) (क) पट्टा देयताएं	16	200	24.91		34.76		49.81	
(ii) व्यापार देय	17	200						
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			1157.45		1211.53		745.82	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया राशि			7538.79		8684.30		7003.77	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	202	1418.44	18947.59	1405.04	16720.63	1251.54	13795.94
(ख) प्रावधान	19	202		2318.27		2796.63		3066.70
(ग) अन्य चालू देयताएं	20	202		4066.94		3962.29		4635.96
कुल चालू देयताएं				**25332.80**		**23479.55**		**21498.60**
कुल देयताएं				**34566.84**		**32541.75**		**29737.16**
कुल इक्विटी एवं देयताएं				**59417.43**		**57354.14**		**54081.82**

तैयारी का आधार, मापन और सामग्री लेखांकन नीतियां	2	176

साथ में दिए गए नोट्स [1-56] इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है

*कंपनी ने पूर्ववर्ती अवधि के आरंभ में वित्तीय स्थिति का तीसरा विवरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि लेखांकन नीति में परिवर्तन (नोट संख्या 44 देखें) का वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

स्टैन्डअलोन लाभ–हानि विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

विवरण	नोट	पृ. सं	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)	
आय						
परिचालनों से राजस्व	22	204		23892.78		23364.94
अन्य आय	23	204		587.92		514.81
कुल आय				**24480.70**		**23879.75**
व्यय						
खपत किए गए कच्चे माल की लागत				6116.27		5875.28
बॉट आउट वस्तुओं की खरीद				5868.46		4657.33
सिविल, इरेक्शन एवं इंजीनियरिंग व्यय				4908.84		5421.08
स्टोर एवं स्पेयर की खपत				350.28		404.18
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रैप की माल सूची में परिवर्तन	24	205		(436.74)		(57.15)
कर्मचारी लाभ व्यय	25	205		5628.84		5700.63
अन्य व्यय	26	206		844.23		410.86
वित्त लागत	27	209		731.29		521.43
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	3.1 4.1	184 189		248.90		260.34
कुल व्यय				**24260.37**		**23193.98**
कर पूर्व लाभ				**220.33**		**685.77**
कर व्यय	28	209				
क) वर्तमान कर			(112.56)		(111.22)	
ख) आस्थगित कर			73.00	(39.56)	172.71	61.49
वर्ष के दौरान लाभ (क)				**259.89**		**624.28**

स्टैन्डअलोन लाभ–हानि विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

विवरण	नोट	पृ. सं	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
अन्य व्यापक आय	29	209		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया (कर को छोड़कर)				
- निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन			(82.41)	(17.27)
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (ख)			**(82.41)**	**(17.27)**
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय (क+ख)			**177.48**	**607.01**
प्रतिइक्विटी शेयर आय	30	210		
(1)मूल [प्रत्येक का अंकित मूल्य2 रुपये]			0.75	1.79
(2)मिश्रित [प्रत्येक का अंकित मूल्य2 रुपये]			0.75	1.79

तैयारी का आधार, मापन और सामग्री लेखांकन नीतियां 2 176

साथ में दिए गए नोट्स [1-56] इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है ।

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव कालड़ा) कंपनी सचिव निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार M. No. 14567	(के. सदाशिव मूर्ति) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट FRN – 315104E	**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए** चार्टर्ड एकाउंटेंट FRN – 008567C	**एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए** चार्टर्ड एकाउंटेंट FRN – 000709C/C400277
(निरंजन अग्रवाल) भागीदार M. No. 087939	(सुहास बसु) भागीदार M. No. 052684	(विजित वैदमुथा) भागीदार M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैन्डअलोन विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. करोड़ में)

2 प्रत्येक के जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	शेयरों की संख्या		राशि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष की शुरुआत में शेष	**3482063355**	3482063355	**696.41**	696.41
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3482063355**	**3482063355**	**696.41**	**696.41**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

विवरण	कोष एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी कोष	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल 2023 को शेष राशि	35.18	37.87	30476.66	(6098.20)	(335.53)	24115.98
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	35.18	37.87	30476.66	(6098.20)	(335.53)	24115.98
जोड़ें: वर्ष की कुल आय	-	-	-	259.89	(82.41)	177.48
घटाएँ :अंतिम लाभांश	-	-	-	(139.28)	-	(139.28)
31 मार्च 2024 को शेष	35.18	37.87	30476.66	(5977.59)	(417.94)	24154.18

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःघोषित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	कोष एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी कोष	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल 2022 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(3956.70)**	**(318.26)**	**26274.75**
जोड़ें:लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां (**नोट संख्या 44** देखें)	-	-	-	(2626.50)	-	(2626.50)
01 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6583.20)**	**(318.26)**	**23648.25**
जोड़ें : वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	624.28	(17.27)	607.01
घटाएँ : अंतिम लाभांश	-	-	-	(139.28)	-	(139.28)
31 मार्च 2023 को शेष	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6098.20)**	**(335.53)**	**24115.98**

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

नकदी प्रवाह का स्टैन्डअलोन विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क.परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**220.33**	**685.77**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
प्रावधान और राइट ऑफ	(1188.18)	(630.96)
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	248.90	260.34
वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित)	731.29	521.43
ब्याज एवं लाभांश आय	(535.43)	(447.30)
अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)	56.03	(401.85)
सरकारी अनुदान का परिशोधन	(15.62)	(8.90)
(अन्य में निवेश और पीपीई की बिक्री पर लाभ एवं निवेश की हानि शामिल है)	(7.78)	(33.02)
कार्यशील पूंजीपरिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त / खर्च नकद	**(490.46)**	**(54.49)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
व्यापार प्राप्य	(2469.24)	92.04
अनुबंध परिसंपत्तियां	(13.70)	(2370.65)
मालसूची	(503.04)	(192.40)
ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	(740.80)	(206.79)
उप योग	**(3726.78)**	**(2677.80)**
व्यापार देयताएं	(962.56)	1975.57
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम,जमा, एवं अन्य प्रावधान	1244.73	(94.40)
उप योग	**282.17**	**1881.17**
कार्यशील पूंजी से प्राप्त / (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	**(3444.61)**	**(796.63)**
परिचालन से उत्पन्न/(प्रयुक्त) नकदी	**(3935.07)**	**(851.12)**
आयकर भुगतान	(158.48)	(155.54)
आयकर वापसी	380.65	265.96
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त / (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	**(3712.90)**	**(740.70)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
बैंक जमा की पुनःप्राप्ति / परिपक्वता (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक होने पर)	1112.69	1358.78
प्राप्त ब्याज	399.30	250.72
निवेश से प्राप्त आय	0.80	25.42
संयुक्त उपक्रम से प्राप्त लाभांश	41.65	26.18
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री	8.92	7.76
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(232.50)	(188.40)
निवेश गतिविधियों से प्राप्त / (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	**1330.86**	**1480.46**

नकदी प्रवाह का स्टैन्डअलोन विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि उधार से आय	3423.00	640.00
पट्टे की बाध्यता (मूल धन) से प्राप्त आय / (चुकौती)	(34.32)	(49.77)
पट्टे की बाध्यता (ब्याज) से प्राप्त आय / (चुकौती)	(4.73)	(7.27)
लाभांश भुगतान	(139.45)	(139.18)
ब्याज भुगतान	(588.76)	(354.82)
वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त / (प्रयुक्त) शुद्ध नकदी (देखें बिंदु 4)	**2655.74**	**88.96**
घ. नकदी व नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(ह्रास)	**273.70**	**828.72**
नकदी व नकदी समकक्ष का प्रारंभिक शेष	**1561.34**	**732.62**
नकदी और नकदी समकक्षों का जमा शेष [नोट 11 देखें]	**1835.04**	**1561.34**

1. इंड एएस 7 - नकदी प्रवाह का विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है ।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े जहाँ भी लागू हैं उन्हें फिर से एकत्र / पुनर्गठित किया गया है ।
3. नकद और नकद समकक्षों में शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है।
4. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट [21 (vi)] और नोट [35] बी] पर उपलब्ध हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी को 380.65 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड मिला है, जिसमें 112.30 करोड़ रुपये की ब्याज आय भी शामिल है। इसे लेखा में शामिल किया गया है।

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट (1) – कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ('बीएचईएल' या 'कंपनी') भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस सीरी फोर्ट नई दिल्ली – 110049 में है।

यह कंपनी विद्युत संयंत्र उपस्करों की एकीकृत विनिर्माता है और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों, जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस के लिए उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, इरेक्शन, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग का कार्य करती है।

नोट (2) – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

क) अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधन तथा कंपनी अधिनियम,2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

क) माप का आधार

वित्तीय विवरण गोइंग कन्सर्न आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक और प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

क) अनुमान और निर्धारण का उपयोग

इंड एएस के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तवित परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार है।

i) राजस्व

कंपनी निर्माण ठेकों /अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए कुल अपेक्षित लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एव इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती है । हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए है।

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को चिन्हित करने में किए गए आकलन, वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार किए गए हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का लेखांकन लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित इंपेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के भाग को बदलने की लागत और पात्र परिसंपत्तियों पर उधार लेने की लागत शामिल है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को समय अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग से मूल्यह्रास करती है। इसी तरह, जब एक बड़ा निरीक्षण किया जाता

है, तो मान्यता मानदंड पूर्ण होने पर इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में पहचाना जाता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव लागतों को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (विदेश में संविदा के तहत उपयोग किए गए के अलावा) पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोग लाभप्रदता काल-खंड के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि द्वारा की जाती है, इसमें से तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी काल-खंड के आकलन के आधार पर उपयोगी काल –खंड वाली निम्नलिखित मदों को छोड़कर यह गणना की जाती है-

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष)
प्लाट एवं उपकरण	15-30
बिल्डिंग	5-60
विद्युत अधिष्ठापन एवं उपकरण	10-30
इरेक्शन उपकरण, कैपिटल टूल्स एवं टैकल	5
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्वास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन यदि कोई हो, को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है। प्रॉपर्टी, प्लांट और उपकरण जिनकी लागत रु 10,000/- या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य 10,000/- रुपये या उसे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्वास होता है।

इरेक्शन / परियोजना स्थलों पर: सडकों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित होती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य समान सहयोगी कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) को अनुबंध के कार्यकाल में अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, को बरकरार रखते हुए मूल्यह्वास किया जाता है।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों, के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्वास प्रारंभिक अनुबंध की अवधि में होता है।

निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और कोई भी महत्वपूर्ण भाग जिसे शुरु में मान्यता दी गई थी, उसे निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

क) राइट ऑफ यूज़ परिसंपत्तियाँ

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि और उनके उपयोगी जीवन इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है, जब तक कि यह यथोचित रुप से निश्चित न हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

क) पट्टा देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद लीज/पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर परिसंपत्ति के राइट-ऑफ-यूज़ के तहत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर लीज देयता का प्रारंभिक निर्धारण, प्रोत्साहन के बिना प्रारंभिक पट्टा भुगतान, निहित परिसंपत्ति को नष्ट किए जाने और हटाने की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल है।

पट्टों के तहत किए गए पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया लीज देयता में की गई कमी के मध्य सेट/स्थिर किया जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व/देयता के अधिशेष पर लगातार आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके। वित्त पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है।

ग) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों (यानी, वे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है) पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है।

यह कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे मान्यता छूट को भी लागू करती है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ) वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए पट्टा अवधि के दौरान वित्त को मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्य के प्रारंभिक निर्धारण में शामिल है और पट्टे की अवधि में मान्य आय को कम करती है। पट्टा परिचालन से होने वाली आय को स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय रूप में जाना जाता है, जहां पट्टे के किराये में अपेक्षित आवधिक वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरुप है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियां

रु 10000/- से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन, परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है। अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

सॉफ्टवेयर	3 साल
अन्य	10 साल

वर्ष की शुरुआत में रु 10000/- या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का

पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन यदि कोई हो, का लेखा-जोखा संभावित रुप से किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय लाभ और हानि के रुप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रुप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन है। व्यय की गई पूंजी में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल है जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार है।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा गया है।

जिस परिसंपत्ति में उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रुप से अधिक समय लगता है, जैसे कि बारह महीने से ज्यादा उसे इस प्रयोजन के लिए अर्हक परिसंपत्ति माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में दर्शाया गया है, जिसमें वे व्यय हुए हैं।

6. संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश की गणना ह्रास हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर की जाती है।

यदि प्रबंधन का इरादा निकट भवष्य में निवेश का निपटान करना है तो इसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसकी धारित राशि और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है।

7. मालसूची

मालसूची (इन्वेंटरी) की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, ढीले उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

8. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व तब प्राप्त होता है जब ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा निष्पादन दायित्व की पूर्ति की जाती है।

समय के साथ पूरे किए गए निष्पादन दायित्व के लिए, राजस्व मान्यता निष्पादन दायित्व की पूर्ण प्राप्ति की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है। प्रगति को प्रदर्शन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक किए गए वास्तविक लागत के अनुपात के रुप में मापा जाता है, यानि कि इनपुट विधि।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इस प्रकार एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है तथा एक समयावधि में राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

ग्राहक एक साथ कंपनी के निष्पादन का लाभ उठाता है या

ग्राहक परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है क्योंकि यह कंपनी के प्रदर्शन द्वारा बनाई/बढ़ाई जा रही है या

परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी के पास कानूनी उदाहरणों पर विचार करते हुए भुगतान का स्पष्ट या निहित अधिकार है,

अन्य सभी मामलों में, निष्पादन दायित्व को एक समय बिंदु पर पूरा हुआ माना जाता है।

राजस्व को निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। लेनदेन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसके लिए कंपनी को किसी ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

अन्य आय

जिस दिन कंपनी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है, उस दिन लाभ और हानि विवरण में लाभांश आय मान्य हो जाता है।

ब्याज आय, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग द्वारा मान्य है।

निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी और बीमा का हिसाब बीमांकिक आधार पर किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा अंतरण/ लेनदन (विनिमय)

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को लेन-देन को प्रारंभ में उस तिथि को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर –मौद्रिक देनदारियों और गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर (अदल-बदल) किया जाता है।

10. कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित अंशदान योजनाएँ

कंपनी द्वारा कर्मचारयों हेतु पेंशन एवं फैमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा-काल हेतु लाभ एवं हानि विवरण में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती है।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपर्युक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर –संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि संबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है।

11. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के दावों को, समान लेन-देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को व्यय करने की जरुरत पड़े।

तथापि जहां धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो (जहाँ कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है)। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दिखाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर किया जाता है और उन्हें आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर आवश्यक अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है ताकि उनका मिलान उन संबंधित लागतों से किया जा सके जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें रखा गया है।

13. आय –कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है।

चालू आयकर

आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर ।

चालू कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर बैंलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जो बैलेंस –शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थागित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रानीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना नहीं रह जाती कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सम्पूर्ण या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

14. परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार, अनुबंध और पट्टा की प्राप्त राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी अर्जित करने वाली इकाइयों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि का आकलन हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जहां कैरींग राशि नकदी अर्जित करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है । यदि संकेतों से पता चलता है कि हानि में कमी आई है अथवा अब हानि नहीं हो रही है,तो पूर्व कालावधि में नुकसान से हुई हानि का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथिको किया जाता है। यदि वसूली राशि को इंगित करते हुए लागत में परिवर्तन हो तो, इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

यदि कोई इम्पेयरमेंट लॉस होना नहीं पाया गया है तथा संपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का शुद्ध है तो इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारिण खंड विशेष परिचालन गतिधियों के साथ उनके संबंध के आधार किया जाता है। जो राजस्व व्यय,परिसंपत्तियों और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती है उन्हें अनावंटित राजस्व/व्यय/संपत्ति / देनदारियों के तहत शामिल किया गया है।

16. नॉन- डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

नॉन- डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन ए) परिशोधित लागत पर और (बी) लाभ एवं हानि (“FVTPL”) के माध्यम से उचित मूल्य पर

परिशोधन लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियाँ।

प्रारंभ में सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नही किया जाता है तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो अंतरित किए जाते हैं और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि-रेकॉग्नाइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि–रेकॉग्नाइज किया जाता है।

बाद में नॉन डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है।

परिशोधित लागत-

परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी-

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय लिखत बाद में लाभ-हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लेनदेन लागत को लाभ –हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रूप में दर्शाया जाता है।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, नॉन – डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है।

17. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में शेष, और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल है जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रूप में परिवर्तनीय है और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

18. लाभांश

वितरण अधिकृत होने पर कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के दायित्व को मान्यता देती है, और वितरण अब कंपनी के विवेक पर नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब अधिकृत होता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राशि को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

19. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, तथा साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित किया जाता है, जो सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रुपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

नोट [3क]- गैर चालू परिसंपत्तियां

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर,

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 2 को देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
सकल ब्लॉक	6897.00	6620.97
घटाएँ:संचित मूल्यह्रास	4386.31	4212.23
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.1 देखें)	**2510.69**	**2408.74**

आरओयू परिसंपत्तियों के संबंध में निवल ब्लॉक में 142.17 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 155.26 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार इंड एएस ट्राजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है।

नोट [3ख]- गैर चालू परिसंपत्तियां

चल रहे पूंजीगत कार्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)	
संयंत्र एवं मशीनरी और अन्य उपस्कर :				
इरेक्शन/फेब्रिकेशन के अंडर /इरेक्शन के लिए प्रतीक्षारत	81.86		82.41	
मार्गस्थ	48.86	130.72	6.95	89.36
चल रहा निर्माण कार्य –सिविल		151.16		253.96
निर्माण भंडार – (मार्गस्थ सहित)		0.44		1.27
कुल		**282.32**		**344.59**

सीडबल्यूआईपी कालप्रभावन सूची –31मार्च2024	सीडबल्यूआईपी में निम्नलिखित अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2वर्ष	2-3वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	152.55	43.02	14.91	59.28	269.76
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	0.59	11.97	12.56

(रु. करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है) -31 मार्च 2024 को	निम्नलिखित अवधि में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं					
नई बिल्डिंग - नोएडा	106.62	-	-	-	106.62
10 करोड़ रुपए से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या-14)	2.58	0.09	0.48	-	3.15
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
उपस्कर फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
1 करोड़ रुपये से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या-4)	0.28	-	-	1.60	1.88

(रु. करोड़ में)

सीडबल्यूआईपी समय सूची –31 मार्च 2023	सीडबल्यूआईपी में निम्नलिखित अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	115.98	53.36	73.56	89.13	332.03
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	0.59	-	11.97	12.56

(रु. करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है) -31 मार्च 2023 को	निम्नलिखित अवधि में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं					
नई बिल्डिंग - नोएडा	224.76	-	-	-	224.76
ट्रांसफार्मर डबल बॉटलनेकिंग	10.27	-	-	-	10.27
10 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 18)	16.99	0.09	-	0.34	17.42
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
उपस्कर फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
1 करोड़ रुपये से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या-4)	-	0.28	-	1.60	1.88

नोट 3.1 - संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2024 को अंतिम शेष	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2024 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2024 को निवल ब्लॉक	31.03.2023 को निवल ब्लॉक
भूमि – फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	27.73	0.00	0.00	**27.73**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**27.73**	27.73
भवन – फ्रीहोल्ड भवन	1824.08	160.46	(5.63)	**1978.91**	720.15	48.86	(5.14)	**763.87**	**1215.04**	1103.93
सड़कें, पुल और पुलियां	16.10	0.19	0.00	**16.29**	14.76	0.29	(0.00)	**15.05**	**1.24**	1.34
जल निकासी, सिवरेज एवं जल-आपूर्ति	36.21	3.07	0.00	**39.28**	9.37	1.40	(0.00)	**10.77**	**28.51**	26.84
प्लांट व मशीनरी	3325.63	100.68	(0.56)	**3425.75**	2504.39	119.30	(0.55)	**2623.14**	**802.61**	821.25
रेलवे साइडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	5.75	0.42	(0.00)	**6.17**	**2.68**	3.10
लोकोमोटिव और वेगन	28.33	0.00	0.00	**28.33**	19.23	1.56	0.00	**20.79**	**7.54**	9.10
फ़र्निचर व फिक्स्चर	70.01	13.40	(1.41)	**82.00**	47.82	5.60	(1.25)	**52.17**	**29.83**	22.19
वाहन	14.90	1.73	(0.03)	**16.60**	11.45	0.95	(0.03)	**12.37**	**4.24**	3.45
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	147.36	10.83	(2.05)	**156.14**	128.57	8.55	(1.96)	**135.16**	**20.97**	18.79
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	165.25	3.67	6.07	**174.99**	160.36	1.59	6.07	**168.02**	**6.97**	4.89
इलेक्ट्रॉनिक अधिष्ठापन	286.28	24.84	0.00	**311.12**	188.06	9.14	0.00	**197.20**	**113.91**	98.21
निर्माण उपस्कर	71.89	0.26	(1.18)	**70.97**	70.24	0.47	(1.18)	**69.53**	**1.44**	1.65
10,000/- तक की लागत वाली अचल संपत्तियां	22.92	2.50	(1.08)	**24.34**	22.92	2.49	(1.07)	**24.34**	**-**	-
सोलर पावर जेनरेशन	143.46	0.28	0.00	**143.74**	32.45	5.48	0.00	**37.93**	**105.81**	111.01
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां	431.97	14.62	(54.63)	**391.96**	276.71	27.51	(54.43)	**249.80**	**142.17**	155.26
कुल	6620.97	**336.53**	**(60.51)**	**6897.00**	**4212.23**	**233.66**	**(59.53)**	**4386.31**	**2510.69**	**2408.74**
पिछला वर्ष	6330.90	319.60	(29.53)	**6620.97**	3994.55	246.25	(28.57)	**4212.23**	**2408.74**	2336.35

नोट:

सकल ब्लॉक (पूर्ववर्ती आईजीएएपीके अनुसार) 31.03.2024 को ₹13965.56 करोड़ और 31.03.2023 को ₹13756.12 करोड़ था।

31.03.2024 को सकल ब्लॉक में ₹5.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14.90 करोड़) की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग मे न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

31.03.2024 तक निवल ब्लॉक में ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.12 करोड़) अनुपयोगी और सक्रिय उपयोग मे न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में भारत सरकार से अनुसंधान के लिए प्राप्त अनुदान से ख़रीदी गई संपत्ति की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति ₹242.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹239.93 करोड़) कंपनी की नहीं है।

वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है।

टेबल 3.1 (क): राइट-ऑफ-यूज़ परिसंपत्तियां निम्नलिखित हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2024 को अंतिम शेष	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2024 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2024 को निवल ब्लॉक	31.03.2023 को निवल ब्लॉक
भूमि (विकास व्यय सहित)	119.84	4.75	(0.90)	**123.69**	17.51	4.25	(0.90)	**20.86**	**102.83**	102.33
भवन	1.63	1.03	0.00	**2.66**	0.41	0.09	(0.00)	**0.50**	**2.16**	1.22
प्लांट व मशीनरी	40.01	4.95	(24.06)	**20.91**	27.46	6.94	(24.06)	**10.34**	**10.57**	12.55
कार्यालय व अन्य उपस्कर	16.51	0.00	(0.09)	**16.42**	15.13	0.39	(0.09)	**15.43**	**0.99**	1.38
ईडीपी उपस्कर	225.76	2.44	(25.18)	**203.02**	203.06	10.02	(25.18)	**187.89**	**15.13**	22.70
वाहन	6.42	1.45	(0.62)	**7.25**	1.68	1.52	(0.42)	**2.78**	**4.47**	4.74
अन्य	21.80	0.00	(3.78)	**18.02**	11.46	4.32	(3.78)	**12.00**	**6.02**	10.34
कुल	**431.97**	**14.62**	**(54.63)**	**391.96**	**276.71**	**27.51**	**(54.43)**	**249.80**	**142.17**	**155.26**
पिछला वर्ष	429.75	33.59	(31.37)	**431.97**	274.92	33.00	(31.21)	**276.71**	**155.26**	154.83

नोट [3.1] –परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के विषय में अतिरिक्त जानकारी

1.(क)अचल संपत्ति जिनका स्वामित्व लिखत बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31.03.2024 तक)

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	धारित लीज/स्वामित्व विलेख जिसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीईः-					
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (टाइटल डीड) प्राप्त किया जाना बाकी है
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथियां	क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या दर्शाने वाले भूमि हस्तांतरण दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड अभी तक जारी नहीं किया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से	टाइटल डीड के स्थानांतरण का कार्य चल रहा है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	वर्ष 1961 और 63 में भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। (संदर्भ संख्या:171,192,92-ए,61,202)
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.08	बच्चा लाल पुत्र स्वर्गीय राम किशोर	नहीं	08-06-1983	बढ़े हुए मुआवजे में विवाद के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। अपील संख्या 659- 1995.
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0022	बी सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	श्रीमती बी सरोजा देवी और मेसर्स बीएचईएल के बीच उच्चतम न्यायालय में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटाने के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया है और यह लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0002	म्यूटेशन बीएचईएल के नाम पर हो गया है। हालाँकि, खतौनी में बीएचईएल झाँसी नहीं दिखाया गया है। इसे दोहरी रेलवे भूमि के रूप में दिखाया गया है।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने खतौनी प्रविष्टि करते समय टाइपोग्राफिकल त्रुटि की है। संपदा विभाग, टीपी झांसी द्वारा जिला राजस्व प्राधिकरण के समक्ष नाम परिवर्तन करके बीएचईएल के नाम पर करने का मामला उठाया गया था।
भूमि- लीजहोल्ड (राइट-ऑफ-यूज ऑफ असेट्स)	68.38	464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर,9.0688 एकड़भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम पर,2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	35 Years	4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद चल रहा है
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटी	नहीं	35 Years	सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है।
बिल्डिंग - लीज़ होल्ड (राइट-ऑफ-यूज़ ऑफ असेट्स)	2.56	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 2 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।

नोट [3.1] –परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के विषय में अतिरिक्त जानकारी

1.(क) अचल संपत्ति जिनका स्वामित्व लिखत बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31.03.2023 तक)

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	धारित लीज/स्वामित्व विलेख जिसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई:-					
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (टाइटल डीड) प्राप्त किया जाना बाकी है
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथियां	क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या दर्शाने वाले भूमि हस्तांतरण दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड अभी तक जारी नहीं किया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से	टाइटल डीड के स्थानांतरण का कार्य चल रहा है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	वर्ष 1961 और 63 में भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। (संदर्भ संख्या:171,192,92-ए,61,202)
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.08	बच्चा लाल पुत्र स्वर्गीय राम किशोर	नहीं	08-06-1983	बढ़े हुए मुआवजे में विवाद के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। अपील संख्या 659- 1995.
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0022	बी सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	श्रीमती बी सरोजा देवी और मेसर्स बीएचईएल के बीच उच्चतम न्यायालय में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटाने के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया है और यह लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0002	म्यूटेशन बीएचईएल के नाम पर हो गया है। हालाँकि, खतौनी में बीएचईएल झाँसी नहीं दिखाया गया है। इसे दोहरी रेलवे भूमि के रूप में दिखाया गया है।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने खतौनी प्रविष्टि करते समय टाइपोग्राफिकल त्रुटि की है। संपदा विभाग, टीपी झांसी द्वारा जिला राजस्व प्राधिकरण के समक्ष नाम परिवर्तन करके बीएचईएल के नाम पर करने का मामला उठाया गया था।
भूमि- लीजहोल्ड (राइट ऑफ यूज ऑफ असेट्स)	68.38	464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर,9.0688 एकड़भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम पर,2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	34 Years	4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद चल रहा है
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी	नहीं	34 Years	सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है।
बिल्डिंग-लीज़ होल्ड (राइट- ऑफ- यूज़ ऑफ असेट्स)	2.56	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 2 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।

नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के विषय में अतिरिक्त जानकारी

विवरण				31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
2.		**भूमि एवं भवन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं**			
क.	i)	जमीन, जिसके लिए औपचारिक अंतरण / लीज डीड नहीं किया गया है	(एकड़ में)	8441.47	8441.47
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	64.24	64.96
	ii)	फ्लैटों की संख्या जिनके लिए औपचारिक अंतरण / लीज डीड नहीं किया गया है	(संख्या में)	12	12
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	0.97	1.01
	iii)	जमीन जिसके लिए प्रदत्त लागत अनंतिम है;[पंजीकरण प्रभार एवं स्टांप शुल्क, (प्रावधान को छोड़कर), जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी।	(एकड़ में)	480.04	480.04
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	60.54	61.26
ख.		रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्य को पट्टे पर दी गई जमीन	(एकड़ में)	20.47	20.47
ग.		जमीन, जो प्रतिकूल कब्जे/अनधिकृत कब्जे में है	(एकड़ में)	947.40	873.48

घ. हरिद्वार संयंत्र में 1297.86 एकड़ (पिछले वर्ष 1297.86 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है जिसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें 934 एकड़ (पिछले वर्ष 934 एकड़) भूमि ऐसी है जो बीएचईएल के कब्जे में है लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में उत्तराखंड सरकार के सिडकुल के नाम पर गलत तरीके से म्यूटेशन की गई है।

इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार के दिनांक 01.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हरिद्वार संयंत्र में 8 एकड़ भूमि का आईओसीएल/राज्य सरकार को हस्तांतरण हेतु लंबित है।

(उपर्युक्त (ए से डी) की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है)

विवरण			31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
3.	i)	भूमि का कुल क्षेत्रफल एकड़ में	16660.72	16660.72
	ii)	3(i) में से फ्री होल्ड भूमि (सेल डीड) / कब्ज़ा / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में)	15987.38	15987.38
	iii)	3(i) में से लीजहोल्ड भूमि (एकड़ में)	673.34	673.34

4. कंपनी ₹10000/- तक की लागत/ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले किसी PPE मद पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की एक वस्तु पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
₹10,000/- तक की पीपीई पर 100% मूल्यह्रास चार्ज ऑफ	4.48	7.21
घटाएँ: उपरोक्त पर सामान्य मूल्य ह्रास	(1.37)	(4.39)
वर्ष के लिए मूल्यह्रास के रुप में प्रभारित अतिरिक्त राशि	3.11	2.82

5. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत आवश्यक अनुमोदन के अधीन इन संपत्तियों (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौरा आवासीय फ्लैट, नागपुर - भूमि और भवन और (iii) वड़ोदरा टाउनशिप - भूमि और भवन, जिन सबका निवल ब्लॉक मूल्य ₹1.42 करोड़ है, को बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है।

6. पूंजीगत व्यय की स्थिति का सारांश:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि	347.89	338.82
सीडबल्यूआईपी में वृद्धि/(कमी)	(62.27)	(77.73)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	16.78	0.60
पूंजी अग्रिम में वृद्धि/(कमी)	(14.99)	0.25
कुल	**287.41**	**261.94**

नोट[4क]- गैर चालू परिसंपत्तियां
अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 4 देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
सकल ब्लॉक	339.23	327.88
घटाएं: संचित परिशोधन	275.88	260.64
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 4.1देखें)	63.35	67.24

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को मानित कीमत माना गया है।

नोट 4.1- अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2024 को अंतिम शेष	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2024 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2024 को निवल ब्लॉक	31.03.2023 को निवल ब्लॉक
आंतरिक स्रोतों से विकसित										
-अन्य	71.46	4.44	0.00	**75.90**	69.25	1.78	0.00	**71.03**	**4.88**	2.21
आंतरिक स्रोतों से विकसित के अलावा अन्य										
-सॉफ़्टवेयर	56.26	4.84	0.00	**61.10**	52.03	2.98	(0.00)	**55.01**	**6.09**	4.23
-तकनीकी ज्ञान	200.16	2.07	0.00	**202.23**	139.36	10.48	0.00	**149.85**	**52.38**	60.80
कुल	**327.88**	**11.35**	**0.00**	**339.23**	**260.64**	**15.24**	**(0.00)**	**275.88**	**63.35**	**67.24**
पिछले वर्ष	308.92	19.21	(0.25)	**327.88**	246.80	14.09	(0.25)	**260.64**	**67.24**	62.12

सकल ब्लॉक (पिछले आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2024 को ₹606.94 करोड़ एवं 31.03.2023 को ₹598.12 करोड़ था। परिसंपत्तियों में कोई ह्रास हानि नहीं हुई।

नोट [4बी] - गैर चालू परिसंपत्तियां
विकसित हो रही अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
विकसित हो रही अमूर्त परिसंपत्तियां	26.04	9.26
कुल	**26.04**	**9.26**

(रु. करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की समय अनुसूची - 31 मार्च 2024 को	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1- 2वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	20.03	3.47	-	2.54	26.04
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(रु. करोड़ में)

विकसित हो रही अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है)-31 मार्च, 2024 को	निम्नलिखित अवधि में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	20.03	3.47	-	2.54	26.04
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(रु. करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की कालप्रभावान अनुसूची - 31 मार्च 2023 को	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	5.67	1.05	-	2.54	9.26
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(रु. करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) - 31 मार्च, 2023 को	निम्नलिखित अवधि में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

नोट [5]- गैर चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

संयुक्त उपक्रमों में निवेश पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 6 देखें एवं डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए नोट [2] का बिंदु 16 (बी) देखें।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति			31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*		
	शेयरों की संख्या (फ़ेस वैल्यू ₹ में)	राशि		शेयरों की संख्या (फ़ेस वैल्यू ₹ में)	राशि	
I कोटेड इक्विटी लिखत			-			-
II अनकोटेड इक्विटी लिखत (पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर)						
(क) **संयुक्त उद्यमों में निवेश (लागत पर)**						
(i) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.	664040000 (10)		664.04	664040000 (10)		664.04
(ii) बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि.	2379999 (10)		2.38	2379999 (10)		2.38
(iii) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	50000000 (10)	50.00		50000000 (10)	50.00	
घटाएँ : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		50.00	-		50.00	-
(iv) पावरप्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट लि.	1999999 (10)	2.00		1999999 (10)	2.00	
घटाएँ : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		2.00	-		2.00	-
			666.42			**666.42**
(ख) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी लिखतों में निवेश **(एफवीटीपीएल में)**						
(i) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
जोड़ें / (घटाएँ) : उचित मूल्य समायोजन		0.28	1.19		2.22	3.13
(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	1892 (10)	**		1892 (10)	**	
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी #						
कुल			**667.60**			**669.54**
**** ₹1 लाख से कम मूल्य						
अनकोटेड निवेश की कुल राशि			**719.33**			719.33
निवेश के मूल्य में कुल हानि की सकल राशि			**51.73**			49.79

विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य ₹1 लाख से कम हो।

संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी

विवरण	देश जहां निगमन हुआ	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*
संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल)		22.14%	22.14%
पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)		एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम

i. एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 50.00 करोड़ रुपये) तक किया गया है। 08 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के समापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने अगस्त 2019 में एनटीपीसी को बीएचईएल की हिस्सेदारी ख़रीदने पर विचार करने और इसे इन-हाउस ईपीसी शाखा के रूप में जारी रखने या वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे बंद करने का निर्णय लेने की सलाह दी थी।इसके बाद, विद्युत मंत्रालय में 3.10.2022 को आयोजित बैठक में, ऊंचाहार टीपीपी (1×500 मेगावाट) पर चल रहे शेष कार्यों के पूरा होने के बाद एनबीपीपीएल को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

ii. पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान 2.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.00 करोड़ रुपये) किया गया है, क्योंकि जेवीसी परिसमापन के तहत एवं इक्विटी के रूप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

iii. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में निवेश का निपटान वित्त वर्ष 2022-23 में किया गया है और ₹26.22 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है (वित्त वर्ष 2022-23 में ₹25.39 करोड़ + टीडीएस ₹0.03 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 में ₹0.80 करोड़)।

नोट [6]- वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 को देखें (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
असुरक्षित, शोध्य	3601.58	5344.68	3743.94	3433.95
क्रेडिट का मूल्यह्रास (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल)	11682.32	544.70	11176.04	367.08
	15283.90	**5889.38**	**14919.98**	**3801.03**
कम: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	12059.21	1104.00	11504.44	672.68
कुल व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	**3224.69**	**4785.38**	**3415.54**	**3128.35**
व्यापार प्राप्य के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरुप किया जाता है।				
व्यापार प्राप्य में शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट (i): व्यापार प्राप्य में ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी सूडान) से 211 करोड़ रुपये (25.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की अतिदेय राशि शामिल है, जो गृहयुद्ध के कारण अटकी हुई थी, लेकिन इसे शोध्य माना गया और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (बोर्ड द्वारा अनुमोदित)।

(ii):उपरोक्त में व्यापार प्राप्तियों में ₹67.23 करोड़ का समायोजन और अन्य आय में ₹23.18 करोड़ की ब्याज आय शामिल है (नोट 23)। यह राशि बीएचईएल के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय (मुंबई) के निर्देश पर अंतरिम राहत के रूप में बीजी के लिए बीपीसीएल (तत्कालीन बीओआरएल बीना) से प्राप्त की गई है।

गैर-चालू व्यापार प्राप्य समय अनुसूची - 31 मार्च 2024 की स्थिति

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	80.11	202.23	251.34	154.46	1173.65	-	-	1861.79
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य -शोध्य	65.26	37.02	10.28	5.34	1621.89	-	-	1739.79
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण ह्रासित (क्रेडिट इंपेयर्ड)	173.55	83.73	281.82	305.34	10837.88	-	-	11682.32

चालू व्यापार प्राप्य समय अनुसूची - 31 मार्च 2024 की स्थिति

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	4009.53	638.13	387.24	142.68	167.10	-	-	5344.68
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य -शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट इंपेयर्ड	2.72	1.42	9.65	19.58	511.33	-	-	544.70

गैर-चालू व्यापार प्राप्य समय अनुसूची - 31 मार्च 2023 की स्थिति

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	50.85	100.34	116.08	78.12	1410.59	-	-	1755.98
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य -क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य -शोध्य	1.72	0.01	3.56	21.61	1961.06	-	-	1987.96
IV) विवादित व्यापार प्राप्य -क्रेडिट इंपेयर्ड	95.54	91.62	283.17	340.39	10365.32	-	-	11176.04

चालू व्यापार प्राप्य समय अनुसूची - 31 मार्च 2023

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	2395.97	331.70	281.11	107.69	317.48	-	-	3433.95
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य -शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट इंपेयर्ड	2.72	0.81	23.33	14.67	325.55	-	-	367.08

नोट [7]- वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 को देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के पास जमा				
असुरक्षित, शोध्य	100.83	58.27	106.39	25.19
क्रेडिट का मूल्यह्रास	3.40	12.93	3.59	11.32
	104.23	**71.20**	**109.98**	**36.51**
घटाएँ: डूबे एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	3.40	12.93	3.59	11.32
	100.83	**58.27**	**106.39**	**25.19**
जारी किए गए बीजी हेतु मार्जिन मनी के लिए सावधि जमा	**105.27**	**-**	**36.30**	-
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	**-**	**122.86**	-	**140.68**
कर्मचारियों को अग्रिम	-	59.00	-	20.61
घटाएँ:डूबे एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	-	0.31	-	0.04
	-	**58.69**	**-**	**20.57**
कुल	**206.10**	**239.82**	**142.69**	**186.44**
प्रतिभूति जमा में निम्नलिखित शामिल हैं:				
निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
अधिकारियों से प्राप्य	-	0.01	-	0.01

नोट [8] -गैर चालू परिसंपत्तियां
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 को देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	2614.51	2477.94
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	520.72	549.35
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई एवं अमूर्त परिसंपत्ति)	(24.86)	12.13
कर योग्य हानि पर	1012.04	1105.79
अन्य	78.85	101.33
उप योग	**4201.26**	**4246.54**
घटाएँ: आस्थगित कर देयताएं	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	**4201.26**	**4246.54**

आस्थगित कर शेषों का संचालन

(रु. करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2023 को शेष राशि*	प्रतिधारित आय में स्वीकृत	लाभ और हानि खाते में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	01 अप्रैल 2024 को शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान	2477.94	-	136.57	-	**2614.51**
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	549.35	-	(56.35)	27.72	**520.72**
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई एवं अमूर्त परिसंपत्ति)	12.13	-	(36.99)	-	**(24.86)**
कर योग्य हानि पर	1105.79	-	(93.75)	-	**1012.04**
अन्य	101.33	-	(22.48)	-	**78.85**
उप योग	**4246.54**	**-**	**(73.00)**	**27.72**	**4201.26**
घटाएँ: आस्थगित कर देयताएं	-	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	**4246.54**	**-**	**(73.00)**	**27.72**	**4201.26**

नोट [9]- अन्य परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों के इम्पेयरमेन्ट पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 का संदर्भ लें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
अप्रतिभूत, शोध्य	14585.00	14342.73	18928.58	10811.45
क्रेडिट का मूल्यह्रास	3635.34	441.72	2773.38	584.87
	18220.34	**14784.45**	**21701.96**	**11396.32**
घटाएँ : दोषयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4924.61	1332.64	5095.59	1,536.35
उप योग (क)	**13295.73**	**13451.81**	**16606.37**	**9859.97**
प्रतिभूत जमा				
कर प्राधिकरणों एवं अन्य के पास जमा				
अप्रतिभूत ,शोध्य	65.54	340.71	80.66	378.58
अप्रतिभूत, संदिग्ध	39.88	72.04	31.19	71.19
	105.42	**412.75**	**111.85**	**449.77**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	39.88	72.04	31.19	71.19
उप कुल (ख)	**65.54**	**340.71**	**80.66**	**378.58**
ऋण एवं अग्रिम				
अप्रतिभूत, शोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (विक्रेता एवं सब कोंट्रैक्टर)	128.33	37.55	41.14	128.69
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	1293.31	-	1079.97
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	197.79	790.00	210.04	652.15
पूंजी अग्रिम	2.30	-	17.29	-
अप्रतिभूत, अशोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (विक्रेता एवं सब कोंट्रैक्टर)	11.10	27.92	11.92	9.65
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	7.66	-	6.44
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	372.60	161.00	90.29	149.02
पूंजी अग्रिम	-	-	-	-
	712.12	**2317.44**	**370.68**	**2025.92**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों व अग्रिम के लिए प्रावधान	383.70	196.58	102.21	165.11
उप योग (ग)	**328.42**	**2120.86**	**268.47**	**1860.81**
कुल (क+ख+ग)	**13689.69**	**15913.38**	**16955.50**	**12099.36**

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
II) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-
III) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – शोध्य	2992.50	-	3908.29	-
IV) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड	3635.34	441.72	2773.38	584.87
कुल	**18220.34**	**14784.45**	**21701.96**	**11396.32**
ऋण एवं अग्रिम में शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट [10]– चालू परिसंपत्तियाँ माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 7 को देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुन: घोषित)*	
कच्चा माल एवं घटक	2866.04		2900.92	
मार्गस्थ सामग्री	203.29	3069.33	127.98	3028.90
चल रहा कार्य		3917.74		3482.75
(उप-ठेकेदारों वाली मदों सहित)				
तैयार माल	414.31		422.57	
इंटर- डिविजन ट्रांसफर इन ट्रांसिट	89.18	503.49	89.20	511.77
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स				
उत्पादन	150.51		149.68	
ईंधन स्टोर	5.49		6.14	
विविध	58.64	214.64	47.37	203.19
अन्य माल सूची				
फैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री	105.00		85.43	
खुले औजार	19.20		24.35	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	173.33	297.53	163.30	273.08
		8002.73		**7499.69**
घटाएँ: अचल माल सूची के लिए प्रावधान		782.16		743.79
कुल		**7220.57**		**6755.90**
नोट:				
माल सूची का राइट डाउन		105.78		59.72
घटाएँ: इसकी वापसी		67.41		63.01
शुद्ध		38.37		(3.29)

नोट [11]– चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकद और नकद समकक्ष

नकदी और नकदी समकक्ष पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 17 देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुन: घोषित)*	
बैंकों में शेष				
ईईएफ़सी खाता	284.68		226.21	
चालू/ नकत क्रेडिट खाता#	1547.21	1831.89	1206.04	1432.25
चेक, डिमांड ड्राफ्ट ऑन हैंड नकदी एवं		3.08		128.99
स्टाम्प ऑन हैंड		0.07		0.08
मार्गस्थ रेमिटेंसेज		-		0.02
कुल		**1835.04**		**1561.34**

विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एस्क्रो (एस्करो) खाते में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹116.18 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹112.23 करोड़ शामिल हैं।

नोट[12]- चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकद एवं नकद के समकक्षों के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुन: घोषित)*	
3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से अधिक कम की परिपक्वता अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट		3739.65		4852.34
जारी बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे फिक्स डिपॉजिट		462.06		174.37
बैंक में बकाया राशि (निर्धारित):				
सीईएफ़सी खाता	9.70		7.99	
लावारिस लाभांश खाता	1.74		1.91	
अप्रत्यावर्तनीय खाता	0.65		0.37	
बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय	0.03		0.03	
संरचना खाता	0.14		0.14	
बीएचईएल खाते में न्यायालय के पास फिक्स डिपॉजिट	106.07		91.79	
सीएसआर	2.39	120.72	7.79	110.02
उप योग		**4322.43**		**5136.73**
कुल नकदी और बैंक में जमा राशि [11+12]		**6157.47**		**6698.07**

नोट[13]- चालू परिसंपत्तियाँ
चालू कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएँ)(शुद्ध)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुन: घोषित)*
अग्रिम कर एवं टीडीएस	254.20	285.80
घटाएँ: कराधान के प्रावधान	25.13	59.42
कुल	**229.07**	**226.38**

नोट [14]- इक्विटी

इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत	10000000000 (2)	2000.00	10000000000 (2)	2000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः प्रदत्त	3482063355 (2)	696.41	3482063355 (2)	696.41
क) **बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान**				
वर्ष की शुरुआत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
ख) **वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण**				
भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	2199650402	63.17%	2199650402	63.17%
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में प्रतिशत परिवर्तन		Nil		Nil
भारतीय जीवन बीमा निगम	284736920	8.18%	350770257	10.07%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (I)		2.00		2.00

इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम /अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के - ₹2 प्रति शेयर (पिछले वर्ष ₹2 प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है।

शेयर बायबैक (31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों में)

कंपनी ने 25 अक्टूबर, 2018 को अपने बोर्ड की मंजूरी के जरिए, ₹2 अंकित मूल्य के अपने 18,93,36,645 पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जो कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारकों से कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 5.16% प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वित्त वर्ष 2018-19 में ₹86 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर ₹1628,29,51,470 की राशि के लिए है। नतीजतन, चुकता शेयर पूंजी वित्त वर्ष 2017-18 में ₹734.28 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2018-19 में ₹696.41 करोड़ हो गई।

नोट [15]-इक्विटी

अन्य इक्विटी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*
पूंजीगत कोष	35.18	35.18
पूंजी मोचन कोष	37.87	37.87
सामान्य कोष	30476.66	30476.66
प्रतिधारित आय	(5977.59)	(6098.20)
ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन)	(417.94)	(335.53)
कुल	**24154.18**	**24115.98**

उपर्युक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के तहत जोड़ने और कटौती के लिए, SOCIE (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) देखा जा सकता है।

कोष का स्वरूप एवं उद्देश्य:

क) **पूंजी कोष**: यह मुख्य रूप से बीएचईएल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

ख) **पूंजी मोचन आरक्षित निधि**: कंपनी ने अपने सामान्य रिज़र्व से इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद पर पूंजी मोचन रिज़र्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन रिज़र्व में राशि, पुनर्खरीद किए गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर होती है।

ग) सामान्य आरक्षित निधि: यह भविष्य के (ज्ञात/अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय को प्रतिनिधित्व करता है।

घ) प्रतिधारित आय: प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने आज तक अर्जित किया है, जिसमें से सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण, लाभांश या शेयरधारकों को अन्य वितरण को घटाया जाता है।

ड.) शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन: योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में प्राप्त प्रतिफल के बीच अंतर, तथा योजनाओं के भीतर बीमांकिक धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान देयताओं में हुए किसी भी परिवर्तन को 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता दी जाती है और इन्हें बाद में लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

नोट [16]– वित्तीय देयताएँ –पट्टा देयताएँ

पट्टे पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 3 को देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
पट्टा देयताएं	23.55	24.91	33.75	34.76
कुल	**23.55**	**24.91**	**33.75**	**34.76**

पट्टे के संबंध में / और अधिक विवरण नोट [35] में दिया गया है ।

नोट [17]-वित्तीय देयताएँ -व्यापार देय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि	-	1157.45	-	1211.53
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया राशि	2292.76	7502.15	2065.92	8558.03
(iii) स्वीकृत	-	36.64	-	126.27
कुल	**2292.76**	**8696.24**	**2065.92**	**9895.83**

(रु. करोड़ में)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*
लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया के रूप में आपूर्तिकर्ता का मूलधन #	1170.68	1231.30
लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया, देय ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ, धारा 16 के संदर्भ में दिए गए ब्याज की राशि	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय एवं देने योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना।	-	-
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि एवं वर्ष के अंत में अदत्त शेष ।	-	-
कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए बाद के वर्षों में भी बकाया एवं देय ब्याज की राशि जब तक कि, उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती।	-	-

यहां बकाया के रूप में दिखाई गई राशि में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की नोट 17 और 18 में दर्शाई गई राशि शामिल है। यहाँ दिखाई गई राशि 31 मार्च, 2024 को अनुबंधित भुगतान के लिए देय नहीं है।

गैर-चालू व्यापार देय समय अनुसूची– 31 मार्च, 2024 को

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) अन्य	0.01	0.04	0.14	-	7.81	1863.77	1871.77
II) विवादग्रस्त बकाया - अन्य^	9.24	0.30	0.58	231.73	0.09	179.05	420.99

चालू व्यापार देय समय अनुसूची– 31 मार्च, 2024 को

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	4.01	-	-	-	149.80	1002.50	1156.31
II) अन्य	495.55	18.32	15.13	19.48	1781.67	5198.29	7528.44
III) विवादग्रस्त बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	1.15	1.15
IV) विवादग्रस्त बकाया - अन्य^	-	-	-	7.00	-	3.35	10.35

गैर-चालू व्यापार देय समय अनुसूची– 31 मार्च, 2023 को

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) अन्य	-	-	-	-	0.36	1710.97	1,711.33
II) विवादग्रस्त बकाया - अन्य^	1.51	59.06	9.86	271.70	0.09	12.37	354.59

चालू व्यापार देय समय अनुसूची– 31 मार्च, 2023 को

(रु. करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	0.02	-	-	-	196.38	1010.60	1207.00
II) अन्य	581.83	0.58	0.27	2.10	1534.73	6455.49	8575.00
III) विवादग्रस्त बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	4.53	4.53
IV) विवादग्रस्त बकाया - अन्य^	-	-	-	6.98	-	102.32	109.30

$भुगतान के लिए अभी देय नहीं वह राशि है जो संविदात्मक रुप से रोक कर रखी गई है और जिसका निपटारा माइलस्टोन पूर्ण होने पर किया जाएगा।

^ बकाया का विवरण संविदात्मक रुप से नियत तिथि के आधार पर दिया जाता है, लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

नोट [18] –वित्तीय देयताएं –अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनर्कथित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
ठेकेदारों तथा अन्य से जमा राशि	315.02	548.62	247.10	544.77
देयताएं:				
- कर्मचारियों का बकाया	-	353.32	-	384.33
- पूंजीगत व्यय~	10.86	114.90	8.60	111.50
- अन्य#	-	374.89	-	354.33
भुगतान नहीं किया गया लाभांश**	-	1.74	-	1.91
उधार पर ब्याज	-	24.97	-	8.20
योग	**325.88**	**1418.44**	**255.70**	**1405.04**

~एमएसएमई के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 13.23 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रु. 19.77 करोड़ शामिल हैं।

#अन्य में बोनस शेयरों के कारण आंशिक शेयरों की बिक्री आय रु. 0.03 करोड़ शामिल है।

**वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

नोट [19] –प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 10 और 11 देखें।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनर्कथित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
संविदागत दायित्व	1373.26	448.91	2990.16	784.26
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान^	903.47	1228.15	878.37	1383.68
दूसरे प्रावधान	212.35	639.07	232.49	622.54
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**	-	2.14	-	6.15
योग	**2489.08**	**2318.27**	**4101.02**	**2796.63**

^कर्मचारी लाभों पर अधिक प्रकटीकरण नोट[25]में उपलब्ध है।

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय पर नोट [26 (vii)]के अनुसार प्रकटीकरण।

नोट [20] –अन्य देयताएं

सरकारी अनुदान के लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 12 देखें।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनर्कथित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
संविदागत देयताएं (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जिसमें राजस्व से अधिक बिलिंग भी शामिल है)	4063.35	3070.10	2585.67	3049.34
वैधानिक बकाया के लिए देयताएं	-	993.41	-	908.32
आस्थगित आय –सरकारी अनुदान#	39.42	3.43	20.14	4.63
योग	**4102.77**	**4066.94**	**2605.81**	**3962.29**

#सोलर पीवी संयंत्र लगाने, मॉड्यूल विनिर्माण एवं कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर योजना के तहत न्युक्लियर पंपटेस्ट फैसिलिटी के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है।

नोट [21] –चालू देयताएं
वित्तीय देयताएं –उधार

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनर्कथित)
प्रतिभूति		
बैंकों से ऋण (सावधि जमा द्वारा प्रतिभूत)	-	1115.00
बैंकों से ऋण	8808.00	4270.00
(कच्चे माल, घटकों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल एवं भंडार के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत)		
उप कुल (क)	**8808.00**	**5385.00**
अप्रतिभूत (ख)	-	-
कुल उधार (क+ख)	**8808.00**	**5385.00**

(i) संस्वीकृत सीमाओं का विवरण

विवरण	स्वीकृत सीमा	उपयोग		स्वीकृत सीमा	उपयोग	
		31 मार्च 2024 की स्थिति			31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनर्कथित)	
		मूल्य (रु./करोड़)	% उपयोग		मूल्य (रु./करोड़)	% उपयोग
नॉन फंड आधारित सीमाएं	**51000**	**35096**	**68.82%**	**54000**	**33602**	**62.23%**
बैंक गारंटी#	48000	32828	68.39%	51000	30853	60.50%
साख पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित)	3000	2268	75.60%	3000	2749	91.63%
फंड आधारित सीमाएं	**9000**	**8808**	**97.87%**	**6000**	**4270**	**71.17%**
डब्ल्यूसीडीएल		8808			4270	
पीसीएफसी		NIL			NIL	
वाणिज्य पत्र	**5000**	**NIL**		**5000**	**NIL**	

रु. 60000 करोड़ की कुल सहायता संघ सीमा (फंड आधारित + नॉन फंड आधारित) कच्चे माल, कंपोनेन्ट्स, चल रहे कार्य, तैयार माल, स्टोर, व्यापार, प्राप्य राशि एवं अन्य वर्तमान और भविष्य दोनों संपत्ति के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत।

वाणिज्यिक पत्र अप्रतिभूत अल्पावधि उधार की प्रकृति के होते हैं।

बकाया बैंक गारंटियों में 31 मार्च 2024 को पहले से ही बदले गए लेकिन वेकेशन के लिए लंबित बीजी खाते पर रु. 33 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4 करोड़) शामिल हैं। इसे छोड़कर, 31.03.2024 तक बकाया बीजी रु.32795 करोड़ (पिछले वर्ष रु 30849 करोड़) है।

(ii) वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों से रु. 8808 करोड़ का ऋण WCDL (कार्यशील पूंजी मांग ऋण) को दर्शाता है। पिछले वर्ष के लिए, रु. 4270 करोड़ का ऋण WCDL और रु. 1115 करोड़ का ऋण सावधि जमा को दर्शाता है।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों को दाखिल तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों का विवरण लेखा बहियों के अनुरुप है।

(v) 31.03.2024 को बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी रु.328 करोड़ (पिछले वर्ष रु.403 करोड़) है।

(vi) वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न ऋण में परिवर्तन।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनर्कथित)*
प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	5385.00	4745.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	3423.00	640.00
अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	**8808.00**	**5385.00**

वित्तपोषण गतिविधियों के कारण पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए, नोट संख्या [35 (बी)] देखें

नोट [22] परिचालनों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 8 देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)*
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
निर्माण और परियोजना से संबंधित गतिविधि से राजस्व	15888.42	16083.09
उत्पाद एवं अन्य सेवाओं की बिक्री	7032.10	6053.21
योग (क)	**22920.52**	**22136.30**
अन्य परिचालन आय		
भाड़ा व बीमा	163.78	187.84
स्क्रेप की बिक्री	249.20	299.90
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली	220.12	131.33
राइट बैक की गई देयताएं	161.16	406.22
बीमा दावे	28.83	47.94
निर्यात प्रोत्साहन	10.20	19.63
अन्य	138.97	135.78
योग (ख)	**972.26**	**1228.64**
परिचालन से राजस्व (क+ख)	**23892.78**	**23364.94**
परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल एवं सेवा कर शामिल नहीं है:	3786.00	3566.00

नोट [23] अन्य आय

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 8 का संदर्भ ग्रहण करें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
ब्याज से आय *		
बैंकों से	345.35	302.35
अन्य	148.43	118.77
उप कुल (क)	**493.78**	**421.12**
लाभांश आय		
संयुक्त उद्यमों में निवेश पर लाभांश (दीर्घकालिक व्यापार)	41.65	26.18
उप कुल (ख)	**41.65**	**26.18**
अन्य आय		
निवेश की बिक्री से लाभ	0.80	25.42
कैप्टिव उपयोग के लिए सोलर पीवी प्लांट पर सरकारी अनुदान / सीईएफसी योजना	15.62	8.90
पीपीई और पूंजी भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	8.92	7.76
अन्य	27.15	25.43
उप कुल (ग)	**52.49**	**67.51**
योग (क+ख+ग)	**587.92**	**514.81**
*टीडीएस शामिल है	5.28	13.44

नोट [24]

तैयार माल, जारी कार्य एवं स्क्रैप की माल सूची में परिवर्तन [(वृद्धि) / कमी]

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
कार्य प्रगति पर				
अंतिम शेष	3917.74		3482.75	
प्रारंभिक शेष	3482.75	**(434.99)**	3349.47	**(133.28)**
तैयार माल				
अंतिम शेष	414.31		422.57	
प्रारंभिक शेष	422.57	**8.26**	518.09	**95.52**
स्क्रैप				
अंतिम शेष	173.33		163.30	
प्रारंभिक शेष	163.30	**(10.03)**	143.26	**(20.04)**
मार्गस्थ अंतर प्रभागीय अंतरण		**0.02**		**0.65**
(वृद्धि)/कमी		**(436.74)**		**(57.15)**

नोट [25] कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 का संदर्भ ग्रहण करें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ	4802.44	4859.69
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	451.80	473.56
कर्मचारी कल्याण व्यय	248.10	244.69
उपदान (ग्रेच्युटी) फंड में अंशदान	120.52	114.14
समूह बीमा	5.98	8.55
योग	**5628.84**	**5700.63**

नोट: कर्मचारी लाभ व्यय को तीन वर्षों में एक बार होने वाली आवधिक वेतन समीक्षा के लिए समायोजित किया गया है (दिनांक 23.11.2023 के एमएचआई निर्देशों के अनुरूप), जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्यय में 183.50 करोड़ रुपये की कमी आई है।

नोट [26] अन्य व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
विद्युत व ईंधन		452.20		487.67
अन्य उप-अनुबंधों पर व्यय		262.63		243.91
कैरिज आउटवर्ड		199.95		249.55
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		155.22		153.97
मरम्मत एवं रखरखाव:				
भवन	43.15		33.00	
प्लांट व मशीनरी	34.26		32.41	
अन्य	95.51	172.92	77.55	142.96
बीमा		139.72		108.03
यात्रा व वाहन		105.22		110.59
बैंक प्रभार		96.35		90.76
अनुसंधान व विकास संबंधी व्यय		9.95		12.81
भाड़ा व्यय		55.01		51.01
कोलाबोरेशन एवं रॉयल्टी पर व्यय		60.41		54.61
दर एवं कर		25.21		36.62
कार्यालय व्यय		29.83		29.32
कौशल विकास पर व्यय		13.49		11.47
विधि, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय		55.15		47.67
ईडीपी, सॉफ्टवेयर व लीज लाइन व्यय		16.64		17.61
जल प्रभार		23.39		22.83
गैर आवासीय किराया		2.59		9.85
निर्यात से संबंधित व्यय		14.12		8.64
मनोरंजन एवं शिष्टाचार पर व्यय		3.54		3.14
पर्यावरण संरक्षण		5.53		5.14
सेमिनार, विकास और प्रशिक्षण व्यय		4.47		2.90
इक्विटी शेयर के निवेश में अप्राप्त हानि		1.94		0.16
प्रचार एवं जनसंपर्क व्यय		3.08		3.62
विविध व्यय		78.01		49.29
मुद्रा विनिमय परिवर्तन [शुद्ध (लाभ) / हानि]		(105.20)		(459.93)
प्रावधान एवं बट्टे खाते (विवरण, नीचे बिंदु संख्या **vi** पर)		(1037.14)		(1083.34)
योग		**844.23**		**410.86**

नोट [26] अन्य व्यय (जारी)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
आगे की जानकारी:		
(i) कानूनी, लेखा परीक्षा और प्रमाणन व्यय में शामिल हैं:		
सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान:		
लेखा परीक्षा शुल्क	1.07	1.01
कर लेखा परीक्षा	0.24	0.22
तिमाही सीमित समीक्षा एवं अन्य	0.65	0.60
लेखा परीक्षा व्यय	0.16	0.12
लागत लेखापरीक्षकों को शुल्क का भुगतान:	0.16	0.16
(ii) निदेशकों का शुल्क	0.20	0.26
(iii) विभागीय मरम्मत एवं अनुरक्षन पर व्यय:		
प्लांट व मशीनरी	175.27	175.59
भवन	28.01	31.41
अन्य	28.60	33.34
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	126.08	128.49
(v) विदेश यात्राओं पर व्यय		
दौरों की संख्या	220	302
व्यय	5.10	5.57

(vi) प्रावधान एवं बट्टे खाते:

(परिसंपत्तियों के प्रावधान और इम्पेयरमेंट पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 11 और 14 देखें)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाना एवं ऋण, अग्रिम तथा जमा				
वर्ष के दौरान सृजित	3271.76		885.10	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	1819.13	1452.63	1348.46	(463.36)
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	109.43		313.68	
घटाएं:वर्ष के दौरान निकासी	2693.53	(2584.10)	881.27	(567.59)
अन्य प्रावधान				
वर्ष के दौरान सृजित	320.56		171.95	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	292.40	28.16	372.24	(200.29)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण		19.94		30.62
निर्णीत हर्जाने और वसूला गया संविदात्मक प्रभार		29.59		113.55
बट्टे खाते डाली गई हानि		16.64		3.73
योग		**(1037.14)**		**(1083.34)**

(vii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा डीपीई से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का कम से कम 2% व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः प्रस्तुत)
क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	-	-
ख. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	6.15	12.16
ग. योग (क+ख)	**6.15**	**12.16**
घ. वर्ष के दौरान निम्न पर व्यय राशि-		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
(ii) उक्त (i) के अलावा अन्य मदों पर	4.01	6.01
योग	**4.01**	**6.01**
अग्रेनीत राशि:	2.14	6.15
चालू	2.14	6.15
गैर चालू	-	-

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः प्रस्तुत)	
	नकद में	नकद भुगतान किया जाना है	नकद में	नकद भुगतान किया जाना है
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-
(ii) उक्त (i) के अलावा अन्य कार्यों पर	3.97	0.04	4.69	1.32
योग	**3.97**	**0.04**	**4.69**	**1.32**
सीएसआर गतिविधियों के प्रकार	स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, उत्तरदायित्व और समावेशिता, आपदा राहत, जल, जैव विविधता, कार्बन और अपशिष्ट प्रबंधन			

चल रही परियोजनाओं पर व्यय न की गई राशि रु. 21.27 करोड़ को कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 2020-21 में एक अलग बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।

नोट [27] वित्तीय लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 5 और 11 देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
वाणिज्यिक पत्रों पर छूट		8.77		51.17
प्रावधानों की समाप्ति		121.38		160.50
ब्याज लागत:				
बैंक / वित्तीय संस्थान	595.05		296.55	
विदेशी वित्तीय संस्थान	-		1.45	
पट्टा दायित्व पर	4.38		7.03	
अन्य	1.67	601.10	4.24	309.27
वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य व्यय		0.04		0.49
उप-कुल		**731.29**		**521.43**
घटाएं: पूंजीकृत उधार लागत		**-**		-
योग		**731.29**		**521.43**

नोट [28] कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
चालू कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	30.72		47.88	
पहले के वर्षों के लिए	(143.28)	(112.56)	(159.10)	(111.22)
आस्थगित कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	59.69		173.46	
पहले के वर्षों के लिए	13.31	73.00	(0.75)	172.71
योग		**(39.56)**		**61.49**

नोट [29] अन्य व्यापक आय / (व्यय)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
आय/(व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभों का पुन:परिकलन	(110.13)	(23.08)
घटाएं: उक्त मदों से संबंधित आयकर*	(27.72)	(5.81)
योग	**(82.41)**	**(17.27)**
* शामिल है		
चालू कर	-	-
आस्थगित कर	(27.72)	(5.81)

आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा करने के बाद समायोजन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
कर पूर्व कुल व्यापक आय / (हानि) (टीसीआई) (क)	110.20	662.69
सांविधिक आयकर की दर (ख)	25.168%	25.168%
कर व्यय [ग = (कxख)]	27.74	166.79
के कारण अंतर: (घ)		
कर के लिए न कटौती योग्य व्यय	34.95	48.74
विशेष दर पर कर योग्य आय के कारण कर में अंतर	-	-
कर व्यय में परिवर्तन–पहले के वर्ष	(129.97)	(159.85)
उप-कुल (घ)	**(95.02)**	**(111.11)**
शुद्ध कर व्यय [ङ = (ग+घ)]	**(67.28)**	**55.68**

नोट [30] प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 19 का संदर्भ लें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
इक्विटी शेयरधारकों के लाभ/(हानि)	259.89	624.28
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	348.21	348.21
प्रति शेयर मूल एवं मिश्रित आय (प्रत्येक का सममूल्य 2 रुपये)	**0.75**	**1.79**

नोट [31] प्रति शेयर लाभांश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिसे देयता के रूप में नहीं माना गया है		
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश रु. 0.25 प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 0.40 प्रति शेयर)	87.05	139.28

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंस शीट की तारीख में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट [32] आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क. आकस्मिक देनदारियां		
कंपनी के विरुद्ध दावे, जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए:		
(क) बिक्री कर के मामले	1243.96	1227.09
(ख) सेवा कर के मामले	700.83	606.56
(ग) कोर्ट और मध्यस्थता के मामले	883.87	711.81
(घ) उत्पाद शुल्क के मामले	174.03	166.39
(ङ) सीमा शुल्क एवं अन्य मामले	897.19	934.51
(च) वस्तु एवं सेवा कर	13.63	4.14
(छ) अन्य मामले (विवादित स्टाफ मामलों सहित)	105.40	59.69
(ज) निर्णीत हर्जाने (एलडी) के अंतर्गत दावे	3926.30	3596.61
योग	**7945.21**	**7306.80**

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, इस स्तर पर संसाधनों के बहिर्वाह का पता लगाना संभव नहीं है। आमतौर पर, न्यायालय और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं अवार्ड/न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है और आकस्मिक देयता की मामले दर मामले आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों के लंबित होने के कारण मद (क) से (छ), यदि कोई हो, के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकदी के बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है।

(iii) निर्णीत हरजाना, परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोके गए संभावित दावों या राशि को दर्शाता है, जिसका निपटान देरी विश्लेषण के आधार पर परियोजना के चालू होने और परीक्षण संचालन के बाद किया जाएगा और इसका खुलासा भारतीय लेखा मानक-37 के अनुरुप किया जा रहा है।

(iv) आकस्मिक देनदारियों में परिवर्तन:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	7306.80	6755.70
घटाएं: प्रारंभिक शेष में कमी	1308.15	727.70
जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि (शुद्ध)	1946.55	1278.81
वर्ष के अंत में शेष	**7945.21**	**7306.80**

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ख. प्रतिबद्धताएं		
(क) अनुबंधों की अनुमानित राशि, अग्रिम को छोड़कर व्यय होने वाली राशि, जिसे पूंजी खाते खर्च किया गया और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था।	298.77	282.05
(उपर्युक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं)	59.43	32.71
(ख) संयुक्त उद्यम इकाई (एनबीपीपीएल) में निवेश जिसके लिए कंपनी के पास निगमन / परियोजना के वाणिज्यिक संचालन / परियोजना की पहली इकाई / पहले ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों तक उनके निपटान पर प्रतिबंध है, जैसा भी मामला हो। इस निवेश के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है।	50.00	50.00
(ग) बीएचईएल ने संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन के लिए 28 फरवरी 2024 को मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेवीए के अनुसार, बीएचईएल का 4 वर्षों की अवधि (एक वर्ष की पूर्व-निर्माण अवधि के बाद) में जेवीसी में 1732 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान देगा	1732.00	-

(घ) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, चूंकि यह दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध है, इसलिए सामग्री की खरीद आदि के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं भी होंगी, जिन्हें सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।

नोट [33]

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 30 वर्ष की अवधि पर एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), गुड़गांव को पट्टे पर लिया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अभी अंतिम रुप दिया जाना बाकी है।

नोट [34]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और स्टॉक/सामग्री, उप-ठेकेदारों/फैब्रिकेटरों के पास दर्शाई गई शेष राशि की पुष्टि, सुलह और अनुवर्ती समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, ग्राहक द्वारा अनुमोदित बिलिंग शेड्यूल के अनुरुप अनुबंध के अनुसार ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं और समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है और जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है (परीक्षण संचालन और पीजी परीक्षण पूरा होने पर)। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की व्यापार प्राप्य राशि रु. 7906 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 7963 करोड़) है। पूर्ण हो चुके अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ समाधान की गई परियोजनाओं पर रु. 4943 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 6185 करोड़) का बकाया व्यापार प्राप्य है।

नोट [35] पट्टों पर प्रकटीकरण - इंड एएस 116

पट्टों पर प्रतिबद्धताएं - पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे समझौते भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के संबंध में हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और सहायक उपकरणों के पट्टा व्यवस्था के लिए दर अनुबंध किया है। पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोग के अधिकार का संपत्ति के रूप में अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। पट्टा किराए को ब्याज, रखरखाव और मूल मूल्य के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क लाभ और हानि के विवरण पर लगाए जाते हैं और मूल राशि को पट्टा देयताओं में समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं:

(i) 12 माह से कम पट्टा अवधि के पट्टों पर अल्पकालिक छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50000 से कम की परिसंपत्ति) की आधारभूत परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छूट।

(क) पट्टा देयताओं का आयु-वार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	भविष्य के न्यूनतम पट्टे के भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य (पीवी)	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
एक वर्ष के भीतर#	26.33	36.62	2.72	3.52	23.61	33.10
एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के भीतर	23.04	34.60	0.99	2.78	22.05	31.82
5 वर्ष के बाद	4.46	2.14	2.96	0.21	1.50	1.93

#उन पट्टों के संबंध में भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि, जहां 31 मार्च, 2024 के अंत तक शेष पट्टा अवधि 12 महीने से कम है, वहाँ 9.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु.6.70 करोड़ रुपये) है।

ख) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पट्टा देनदारियों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	के अनुसार	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*	68.50	84.93
जोड़ें: परिवर्धन	14.62	33.58
जोड़ें: ब्याज की वृद्धि	4.38	7.03
घटाएं: भुगतान/समायोजन	39.05	57.04
31 मार्च की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*	48.45	68.50

* इसमें क्रमशः 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को क्रमश: रु 1.29 करोड़ (पूर्व वर्ष रु 1.66 करोड़) और रु 1.66 करोड़ (पूर्व वर्ष रु 1.90 करोड़) का अर्जित ब्याज शामिल है

(ग) लाभ और हानि विवरण में मान्य राशियाँ:

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	2.10	4.91
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय	1.11	1.26
उपयोग की गई परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रभार	27.51	33.00
ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	4.38	7.03

(घ) कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इन रद्द नहीं करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भावी पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	के अनुसार	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अधिकतम एक वर्ष तक	1.20	0.04
एक वर्ष से अधिक एवं पांच वर्ष के भीतर	4.81	0.06
पांच वर्ष से अधिक	-	-

नोट [36] 'कर्मचारी लाभ' का विवरण - भारतीय लेखा मानक 19:

कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्नलिखित योजनाएं हैं

i) उपदान (ग्रेच्युटी) योजना

ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना

iii) भविष्य निधि योजना

iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

(i) उपदान (वित्त पोषित योजना)

कंपनी के पास एक परिभाषित हित लाभ उपदान (ग्रेच्युटी) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पाँच वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 20 लाख है। उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं भविष्य के भुगतानों के लिए होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में देने की आवश्यकता होती है। देयता का आकलन इकाई क्रेडिट बीमांकक (यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल) विधि का उपयोग करके किया गया है।

ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयताओं में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ देयताएं		नियोजित संपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयताएं	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारंभिक शेष	**1850.22**	**1933.60**	**1453.48**	1581.44	**396.74**	352.16
वर्ष के लाभ में सम्मिलित:						
वर्तमान सेवा लागत	91.16	89.49	-	-	91.16	89.49
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/(आय)	136.92	135.35	107.56	110.70	29.36	24.65
वर्ष के लाभ में स्वीकृत कुल राशि	**228.08**	**224.84**	**107.56**	**110.70**	**120.52**	**114.14**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित पुन: परिकलन हानि/(लाभ):						
बीमांकित हानि (लाभ) से उत्पन्न:						
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन	-	(19.36)	-	-	-	(19.36)
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	29.74	(74.88)	-	-	29.74	(74.88)
अनुभव समायोजन	(25.66)	23.95	9.72	(0.73)	(35.38)	24.68
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**4.08**	**(70.29)**	**9.72**	**(0.73)**	**(5.64)**	**(69.56)**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान	-	-	**125.00**	-	**(125.00)**	-
लाभ, जिसका भुगतान किया गया	**(161.31)**	**(237.93)**	**(161.31)**	**(237.93)**	-	-
लाभ, जिसका भुगतान नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**1921.07**	**1850.22**	**1534.45**	**1453.48**	**386.62**	**396.74**

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि*		81.69%	79.03%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (उद्धृत)		15.38%	16.52%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (उद्धृत)		2.84%	3.00%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (उद्धृत)		0.09%	1.45%
बैंक शेष			
योग		**100.00%**	**100.00%**

* भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकर्ता है।

बीमांकिक अनुमान रिपोर्टिंग दिनांक तक निम्नलिखित मुख्य अनुमान थे :

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आर्थिक अनुमान:		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों तक 6.50% प्रतिवर्ष , उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	पहले 4 वर्षों तक 6.50% प्रतिवर्ष , उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के कारण परिभाषित लाभ की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी			
	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में बदलाव (0.50% संचलन)	(96.30)	104.67	(91.64)	99.80
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	31.29	(37.52)	36.56	(42.09)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन वृद्धि दर और जीवन की आशा के रुप में संवेदनशीलता नहीं लागू होती हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली मूल मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का अनुमान लगाता है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से संबद्ध हो सकते हैं

आगामी वर्षों में उपदान (ग्रेच्युटी) योजना की अपेक्षित परिपक्वता का विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
एक वर्ष के भीतर	158.20	160.65
1-2 वर्ष के बीच में	125.81	135.51
2-3 वर्ष के बीच में	111.49	113.15
3-4 वर्ष के बीच में	98.46	100.52
4-5 वर्ष के बीच में	89.43	88.94
5-6 वर्ष के बीच में	78.90	80.57
6 वर्ष के बाद	1258.78	1170.88
योग	**1921.07**	**1850.22**

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान रुपये 120.01 करोड़ होगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना देयताओं की भारित औसत अवधि 14.83 वर्ष (31 मार्च 2023: 14.60 वर्ष) है।

जोखिम विवरण (एक्स्पोजर)

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होते हैं, जो गतिशील प्रकृति के हैं और समय के साथ परिवर्तनशील हैं। इस प्रकार, कंपनी को वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूटदर, मृत्युदर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में कंपनी के चिकित्सा नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा में बाह्य-रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए देयता का अनुमान वार्षिक रूप से एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।.

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयताओं में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ देयताएं		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देनदारी	
	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**2249.60**	**2210.85**	**1831.92**	**1919.34**	**417.68**	**291.51**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित :						
वर्तमान सेवा लागत	44.73	40.29	-	-	44.73	40.29
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज दर/ (आय)	166.47	154.76	135.56	134.36	30.91	20.40
वर्ष के लाभ में शामिल कुल राशि	**211.20**	**195.05**	**135.56**	**134.36**	**75.64**	**60.69**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल:						
पुनर्मापन हानि/ (लाभ):						
बीमांकिक हानि/ (लाभ) से उत्पन्न:						
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	18.72	-	-	-	18.72
वित्तीय अनुमान	34.69	(96.85)	-	-	34.69	(96.85)
अनुभव समायोजन	81.94	109.13	12.58	(34.48)	69.36	143.61
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**116.63**	**31.00**	**12.58**	**(34.48)**	**104.05**	**65.48**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए अंशदान	**-**	**-**	**125.00**	**-**	**(125.00)**	**-**
भुगतान किए गए लाभ	**(201.29)**	**(187.30)**	**(201.29)**	**(187.30)**	**-**	**-**
अंतिम शेष	**2376.14**	**2249.60**	**1903.77**	**1831.92**	**472.37**	**417.68**

कंपनी की नियोजित परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, जिसका प्रबंधन कंपनी द्वारा कंपनी के दायित्वों को वित्तपोषित करने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के रूप में किया जाता है।

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे:

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
आर्थिक अनुमान:		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों तक 6.50% प्रतिवर्ष , उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	पहले 4 वर्षों तक 6.50% प्रतिवर्ष , उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता निम्नानुसार है: (रु. करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में बदलाव (0.50% परिवर्तन)	(124.67)	129.20	(105.76)	104.84
लागत में परिवर्तन (0.50% परिवर्तन)	131.61	(125.77)	106.07	(104.21)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से संबद्ध हो सकते हैं।

भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
एक वर्ष के भीतर	201.18	183.29
1-2 वर्ष के बीच में	218.72	198.87
2-3 वर्ष के बीच में	224.64	203.84
3-4 वर्ष के बीच में	232.96	210.98
4-5 वर्ष के बीच में	243.93	220.47
5-6 वर्ष के बीच में	252.98	228.18
6 वर्ष के बाद	1001.73	1003.97
योग	**2376.14**	**2249.60**

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान रु. 60.69 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.53 वर्ष (31 मार्च 2023: 12.34 वर्ष) है।

जोखिम विवरण (एक्सपोजर)

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैं, जो प्रकृति में परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार कंपनी को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है जैसे चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूटदर, मृत्युदर, विकलांगता और निकासी।

(iii) भविष्य निधि

कंपनी पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर वापसी सुनिश्चित करना कंपनी की देयता है। तदनुसार, कंपनी ने एक्चुअरी की रिपोर्ट प्राप्त की है। एक्चुअरी मूल्यांकन प्रमाणपत्र देयताओं के अनुसार जहां भी संभावित ब्याज की कमी उत्पन्न हो, उसके लिए, लेखों में इसका प्रावधान किया गया है।

भविष्य निधि न्यास में ब्याज की कमी का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत तक	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताओं में अधिकता/(कमी)	9.97	(14.90)
एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताओं में कमी के लिए संचित प्रावधान	18.13	28.10
पुन: परिकलन लाभ/(हानि) अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(9.17)	(24.20)
ब्याज की कमी / (अधिशेष) लाभ और हानि विवरण के माध्यम से हिसाब	(19.14)	(9.30)

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर पीएफ ट्रस्ट हैं जो कंपनी के कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और इनका प्रबंधन अलग से किया जाता है, नियोजित परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

स्थान	निर्धारित लाभ देयताएं		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष / (कमी)	
	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
बीएचईएल ईपीएफ न्यास, रानीपुर, हरिद्वार	1824.36	1764.84	1841.54	1776.01	17.18	11.17
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि –तिरुची	988.93	916.65	986.19	906.77	(2.74)	(9.88)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि – भोपाल	1629.83	1493.84	1625.11	1487.41	(4.72)	(6.43)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	1493.90	1433.99	1491.75	1433.50	(2.15)	(0.49)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि –हैदराबाद	901.38	843.58	917.02	871.94	15.64	28.36
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ न्यास, चेन्नई	955.03	907.95	946.51	896.65	(8.52)	(11.30)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि –बेंगलुरु	637.68	614.87	653.29	626.89	15.61	12.02
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ न्यास, रानीपेट	322.00	332.24	323.44	332.46	1.44	0.22
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास, झांसी	494.82	476.99	508.78	491.52	13.96	14.53
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि – विशाखापत्तनम	152.27	148.74	192.31	186.84	40.04	38.10
योग	**9400.20**	**8933.69**	**9485.94**	**9009.99**	**85.74**	**76.30**

भविष्य निधि पर शुद्ध निर्धारित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ दायित्व		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारंभिक शेष	**8933.68**	**8626.88**	**9009.99**	**8727.09**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:				
वर्तमान सेवा लागत	369.63	353.89	-	-
ब्याज लागत /(आय)	724.70	683.04	760.00	683.04
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1094.33**	**1036.93**	**760.00**	**683.04**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल:				
पुनर्मापन हानि / (लाभ):				
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ) :				
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	0.86	(1.22)	(0.28)	-
अनुभव समायोजन	29.61	(4.04)	4.88	(29.15)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**30.47**	**(5.26)**	**4.60**	**(29.15)**
अन्य				
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	**-**	**-**	**369.63**	**353.89**
कर्मचारी अंशदान	**710.44**	**717.79**	**710.44**	**717.79**
भुगतान किया गया हितलाभ	**(1658.60)**	**(1862.90)**	**(1658.60)**	**(1862.90)**
निपटारा / स्थानांतरण	**289.88**	**420.24**	**289.88**	**420.24**
अंतिम शेष	**9400.20**	**8933.68**	**9485.94**	**9009.99**

टिप्पणी: वर्ष के दौरान घाटे वाले पीएफ ट्रस्टों के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है।

उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी से संचयी रुप से 53.17 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि भी हुई है ।

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	796.78	905.49
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	4678.27	4451.33
कॉर्पोरेट बांड [उद्धृत]	3259.15	3017.93
विशेष जमा [उद्धरण नहीं]	344.65	364.71
लिक्विड फंड [उद्धृत]	3.76	17.19
अल्पावधि जमा [उद्धरण नहीं]	85.76	33.46
म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर [उद्धृत]	317.58	219.88
कुल	**9485.94**	**9009.99**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आर्थिक अनुमान:		
छूट दर	7.25%	7.40%
खाता बही पर अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.15%
निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी	0.05%	0.05%
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50%उतार-चढ़ाव)	(1.80)	1.89	(1.67)	1.83

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

आगामी वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अगले 12 महीनों के भीतर	787.86	860.93
2-5 वर्ष के बीच	1755.71	1706.54
5-10 वर्ष के बीच	1554.56	1396.90
10 वर्ष से अधिक	5302.07	4969.31
कुल	**9400.20**	**8933.68**

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी में वृद्धि जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा - (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व परिजनों एवं सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों की गृह नगर या इच्छानुसार भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा व सामान के परिवहन के व्यय की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय निपटान भत्ता (सेटलमेंट अलाउंस) है।

निपटान भत्ता देनदारी में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	निपटान भत्ता देयता	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आरंभिक शेष	**13.43**	**11.63**
वर्तमान सेवा लागत	0.89	0.81
ब्याज लागत / (आय)	0.99	0.81
वर्ष के लाभ में सम्मिलित	**1.88**	**1.62**
बीमांकिक हानि / (लाभ)	2.55	2.97
वर्ष के लिए टीसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**4.43**	**4.59**
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-
लाभ का भुगतान	(2.80)	(2.79)
अंतिम शेष	**15.06**	**13.43**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं।

विवरण	निपटान भत्ता देयता	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14) का 100%	आईएएलएम (2012-14) का 100%
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ख. दीर्घावधि छुट्टी देयताएं (अर्जित छुट्टी –ईएल / अर्धवैतनिक अवकाश-एचपीएल) - (गैर वित्तपोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और 10 दिन का अर्ध वैतनिक अवकाश प्रदान करती है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण कुछ शर्तों के अधीन सेवा के दौरान होता है। कंपनी नीतियों व नकदीकरण नियमों के अधीन, सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्धवैतनिक अवकाश को एक साथ मिलाकर अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। अवकाश देयताओं को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना गया है और अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारंभिक शेष	**1037.18**	**1030.72**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:		
वर्तमान सेवा लागत	138.96	130.91
ब्याज लागत / (आय)	76.75	72.15
बीमांकिक हानि / (लाभ)	(23.73)	(61.60)
वर्ष के लाभ के रुप में मान्य कुल राशि	**191.98**	**141.46**
लाभ का भुगतान	164.14	135.00
अंतिम शेष	**1065.02**	**1037.18**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14) का 100%	आईएएलएम (2012-14) का 100%
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

पेंशन निधि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में पेंशन योजना [परिभाषित अंशदान योजना] के लिए 278 करोड़ रुपए [पिछले वित्त में वर्ष 247 करोड़] का योगदान किया।

नोट [37]
इंड एएस-24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित पक्ष

A) संबंधित पक्षों की सूची

i)

संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)
रोजगारोत्तर लाभ योजनाएं	भविष्य निधि ट्रस्ट ग्रेच्युटी ट्रस्ट पीआरएमबी ट्रस्ट पेंशन ट्रस्ट
अन्य	केंद्र सरकार नियंत्रित संस्थाएं भारतीय जीवन बीमा निगम

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेन-देन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे आदि के साथ है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। ऐसी संस्थाओं के साथ आर्म्स लेंथ प्राइस पर बाजार संचालित दरों पर आधारित सामान्य लेन-देन है।

ii) अन्य संबंधित पक्ष:

a. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक [केएमपी]

विवरण	पद का नाम	धारित पद [से प्रभावी / तक]
कार्यात्मक निदेशक		
श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(01.11.2023 से)
डॉ. नलिन सिंघल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(31.10.2023 तक)
श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव	निदेशक (ई, आर एण्ड डी)	(12.08.2022 से)
श्री सुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	(17.04.2023 तक)
सुश्री बानी वर्मा	निदेशक (आईएस एण्ड पी)	(09.10.2023 से)
सुश्री रेणुका गेरा	निदेशक (आईएस एण्ड पी)	(31.08.2023 तक)
श्री कृष्ण कुमार ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	(04.07.2023 से)
श्री तजिंदर गुप्ता	निदेशक (पावर)	(20.09.2023 से)
श्री उपिंदर सिंह मथारू	निदेशक (पावर)	(31.08.2023 तक)
कंपनी सचिव		
श्री राजीव कालड़ा	कंपनी सचिव	

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान		
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	4.31	2.85
- सेवोपरांत लाभ	0.64	0.50
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
- सेवामुक्ति के समय लाभ	-	-
- शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**4.95**	**3.35**

सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

नाम		धारित पद [से प्रभावी / तक]
श्री विजय मित्तल	सरकारी निदेशक	(25.03.2022 से)
श्रीमती आरती भटनागर	सरकारी निदेशक	(14.02.2023 से)
श्री (डॉ) के शिवप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	(09.11.2021 से)
श्रीमती (डॉ) लेखाश्री सामंतसिंघर	स्वतंत्र निदेशक	(09.11.2021 से 12.04.2024 तक)
रमेश पटल्या मावस्कर	स्वतंत्र निदेशक	(08.06.2023 से)

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बैठक शुल्क -- स्वतंत्र निदेशक	0.20	0.26

सेवोपरांत लाभ योजनाएं जिनका प्रबंधन अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है के साथ लेन-देन

(रु. करोड़ में)

ट्रस्ट का नाम	सेवोपरांत लाभ योजना	नियोक्ता द्वारा अंशदा	
		निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पीआरएमबी ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	125.00	-
ग्रेच्युटी ट्रस्ट	ग्रेच्युटी	125.00	-
कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि	पेंशन निधि	457.47	246.95
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर ,हरिद्वार	भविष्य निधि	60.18	57.81
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	भविष्य निधि	59.60	56.00
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	भविष्य निधि	59.71	56.25
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	भविष्य निधि	45.64	44.01
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि- हैदराबाद	भविष्य निधि	44.24	42.45
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	भविष्य निधि	32.24	30.67
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि- बेंगलुरु	भविष्य निधि	29.47	28.60
बीएचईएल (बीएपी इकाई) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	भविष्य निधि	17.68	17.83
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झांसी	भविष्य निधि	14.14	13.77
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–विशाखापट्टनम	भविष्य निधि	6.73	6.50

संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण और शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री		
बीजीजीटीएस	305.92	239.24
आरपीसीएल	9.30	9.42
एनबीपीपीएल	0.61	2.21
लाभांश आय		
बीजीजीटीएस	41.65	26.18
रॉयल्टी आय		
बीजीजीटीएस	2.03	1.85
उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय		
बीजीजीटीएस	1.18	0.87
आरपीसीएल	0.07	-
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि		
बीजीजीटीएस	138.05	112.07
आरपीसीएल	643.84	636.90
एनबीपीपीएल	277.02	225.17
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि		
बीजीजीटीएस	0.38	0.44
आरपीसीएल	8.55	20.90
एनबीपीपीएल	41.69	23.58
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		
बीजीजीटीएस	10.52	10.27
आरपीसीएल	20.73	20.81
एनबीपीपीएल	222.12	190.15

टिप्पणी: निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान के लिए नोट [5] देखें

नोट [38]
प्रकटीकरण [प्रावधानों में संचलन] – इंड एएस - 37

(रु. करोड़ में)

क	परिनिर्धारित हर्जाना	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	आरंभिक शेष	**8234.67**	**8559.20**
	जोड़ें: परिवर्धन	1165.80	259.62
	घटाएं: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान	21.72	86.73
	घटाएं: निकासी/समायोजन	212.21	497.42
	अंतिम शेष	**9166.53**	**8234.67**

कंपनी के लेखांकन नीति के अनुरुप परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्य खातों में उपयुक्त तरीके से समाहित किया जाता है। परिनिर्धारित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 32 के पैरा क (ज) में दिखाया गया है।

(रु. करोड़ में)

ख	संविदात्मक दायित्व	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	आरंभिक शेष				
	नोट (19) के अनुसार	**3774.42**		**3855.48**	
	नोट (6) के अनुसार	**552.05**		**708.05**	
	नोट (9) के अनुसार	**462.40**	**4788.87**	**632.23**	**5195.76**
	जोड़ें: ऋण लागत		121.38		160.11
	जोड़ें: परिवर्धन		118.15		409.04
	घटाएं: पीवी समायोजन		3.81		94.65
	घटाएं: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान		106.97		192.24
	घटाएं: निकासी/समायोजन		2587.80		688.44
	जोड़ें/(कम करें): अनुमान और दरों में परिवर्तन		(4.91)		(0.71)
	अंतिम शेष				
	नोट (19) के अनुसार	**1822.17**		**3774.42**	
	नोट (6) के अनुसार	**105.45**		**552.05**	
	नोट (9) के अनुसार	**397.29**	**2324.91**	**462.40**	**4788.87**

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए, नोट [2] में उल्लिखित सामग्री लेखा नीति संख्या 10 के अनुरुप मुद्रा के समय मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है। संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा जाता है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय अनुबंध दर अनुबंध एवं संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकते हैं। पूरी तरह से प्रदान की गई परियोजनाओं से बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व नोट 6 और 9 में बी एंड डी ऋणों के लिए गैर चालू भत्ते में दर्शाया गया है।

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2021 से लागू अनुबंध दायित्वों के लिए अपनी नीति की समीक्षा की थी, जिसमें कंपनी के प्रावधान पर 1 प्रतिशत की संभावित दर से विचार किया जाना था और 2.5 प्रतिशत और मौजूदा (31 मार्च, 2021 तक) के प्रावधानों को अवकाश तक बनाए रखना था। ऐतिहासिक अनुभव/तकनीकी आकलन के आधार पर कंपनी ने अब यह निर्णय लिया है कि सभी परियोजनाओं के लिए संचयी वारंटियों (व्यावहारिक दायित्व) का प्रावधान 1 प्रतिशत रखा जाए। इस परिवर्तन का कुल प्रभाव 1263.65 करोड़ रुपये है, जो इस प्रकार है:

1.	कंपनी प्रावधान में कमी	₹2439.70 करोड़	(प्रभाव- लाभ में वृद्धि)
2.	राजस्व में कमी	₹92.47 करोड़	(प्रभाव- लाभ में कमी)
3.	एलडी/बीडी प्रावधानों का निर्माण	₹1041.37 करोड़	(प्रभाव- लाभ में कमी)
4.	होल्ड प्रोजेक्ट पर इन्वेंट्री का प्रावधान	₹5.97 करोड़	(प्रभाव- लाभ में कमी)
5.	घाटे में चल रहे प्रावधान को वापस लेना	₹19.55 करोड़	(प्रभाव- लाभ में वृद्धि)
6.	कंपनी प्रावधान छूट का प्रभाव	₹55.79 करोड़	(प्रभाव- लाभ में कमी)
7.	लाभ पर कुल प्रभाव	₹1263.65 करोड़	(प्रभाव- लाभ में वृद्धि)

नोट [39]
प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व – इंड एएस- 115

क. क्षति प्रावधानों में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023- 24		2022-23	
	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां
प्रारंभिक शेष	**4322.46**	**4652.34**	**4314.79**	**4700.40**
जोड़ें: परिवर्धन	1519.23	254.95	279.02	271.45
घटाएं: बट्टा	26.55	1.26	57.46	-
घटाएं: लौटाया /समायोजन किया गया	622.48	926.80	213.90	319.51
अंतिम शेष	**5192.66**	**3979.22**	**4322.46**	**4652.34**

ख. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का विभाजन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पावर		उद्योग		कुल
	भारत के अंदर	भारत के बाहर	भारत के अंदर	भारत के बाहर	
2023-24					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3324.43	61.58	3603.94	42.14	7032.10
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	13737.26	586.36	1562.54	2.25	15888.42
2022-23					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	2640.50	32.82	3335.32	44.57	6053.21
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	13903.36	922.29	1181.90	75.54	16083.09

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	पावर	उद्योग	पावर	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	6888.04	2096.72	5581.63	1639.38
टीएसजेनको	2834.77	-	3112.02	-

ग. अनुबंध शेष (प्रावधानों को छोड़कर)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार प्राप्य	8010.07	6543.89
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल किए हुए राजस्व सहित)	26747.54	29740.03
अनुबंध देयताएं	7133.45	5635.01

घ. प्राप्त किया गया अनुबंध राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अनुबंध देनदारियों पर प्राप्त राजस्व (वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का समायोजन एवं मूल्यांकन समायोजन)	3011.15	3024.72
पिछले वर्ष पूर्ण किए गए निष्पादन दायित्व के लिए प्राप्त राजस्व (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव)	163.16	892.15

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घचक्रीय व्यवसाय है, जहाँ कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी अनुबंध (अभियांत्रिकी, खरीद और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (अर्थात बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर पैकेज) होते हैं। विद्युत परियोजनाएँ लंबी अवधि की परियोजनाएँ होती हैं, जिनमें अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। बीएचईएल की सेवाओं के दायरे में उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र कार्यक्षेत्र में कई घटक हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं को आम तौर पर एक निष्पादन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि के बाद एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि परियोजना जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तभी वह निष्पादन कर सकती है और इसलिए प्रगति की माप (इनपुट लागत विधि) के आधार पर समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है।

नोट [40]

इंड एएस107- के अनुपालन में प्रकटीकरण [वित्तीय लिखित – लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन]

क. नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रतिभूति जमा और अन्य का उचित मूल्य उनके युक्तिसंगत धारित मूल्य को दर्शाता है। व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रुप से (अर्थात, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रुप से (अर्थात, कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताएं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाज़ार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं है।

(रु. करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप	स्तर 3 पदानुक्रम	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को
वित्तीय परिसंपत्तियां:		
गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	1.19	3.13

ख. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकें

अनकोटेड इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशित कंपनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल होते हैं।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत अनकोटेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का समाधान

(रु. करोड़ में)

31 मार्च, 2023 तक	**3.13**
उचित मूल्य में परिवर्तन	1.94
31 मार्च, 2024 तक	**1.19**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियों के समक्ष कई जोखिम हैं जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी के समक्ष स्वाभाविक रुप से आती है। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा से कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की ज़रुरतों और अपेक्षाओं के अनुरुप वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए समय-समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय लिखत के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

a. क्रेडिट जोखिम

b. लिक्विडिटी जोखिम

c. बाजार ज़ोखिम

यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में, जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में मात्रात्मक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति लागू है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रुपरेखा प्रदान करती है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों की उचित पहचान, आकलन और उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाना है। कंपनी के पास 3-स्तरीय जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देश, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी का संयोजक होने के नाते बोर्ड/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण इकाई स्तर से शुरु करके उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि जोखिम शमन योजनाएं तैयार की जा सकें तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

क) क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताएँ, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सम्मिलित है। परियोजनाओं को आम तौर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किए जाते हैं। परियोजना की अवधि 3 से 5 साल तक होती है और भुगतान आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान (इंटर्मीडियट सहित) भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में प्राप्त किया जाता है। अधिकांश ग्राहकों की प्रोफ़ाइल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है और कुल व्यापार प्राप्य का 80% इनसे ही आता है और यह देखते हुए कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रुप से एलसी के माध्यम से है। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्यों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुरुप प्राप्य राशि के प्राप्त होने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(i) क्रेडिट जोखिम की संभावना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम संभावना निम्नानुसार थी:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
नकद और नकद समकक्ष	1835.04	1561.34
अन्य बैंक शेष	4322.43	5136.73
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	445.92	329.13
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को क्षति हानि सहित आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	8010.07	6543.89

ऋण जोखिम का घनत्व - भौगोलिक	कुल प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भारत के भीतर	95%	94%
भारत के बाहर	5%	6%
कुल	**100%**	**100%**

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और प्रतिपक्ष के प्रकार द्वारा अन्य प्राप्य के लिए कंपनी का ऋण जोखिम निम्नानुसार है -

नोट	कुल व्यापार प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
रेलवे और सरकारी विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	43%	39%
राज्य विद्युत बोर्ड	40%	41%
निजी ग्राहक एवं अन्य	13%	14%
निर्यात	5%	6%
कुल	**100%**	**100%**

(ii) इंपेयरमेंट हानि

1. वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है ।

वर्ष के दौरान ऋणों के संबंध में हानि भत्ते में संचलन इस प्रकार था:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**14.91**	**14.56**
मान्य क्षति ह्रास / बट्टे खाते में डाली गई / निकासी	1.41	0.35
31 मार्च को शेष	**16.32**	**14.91**

2. मूल्यह्रास प्रावधानों का पुनर्मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्तों में संचलन निम्नानुसार रहा:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**8974.80**	**9015.19**
मान्य क्षति ह्रास	1774.18	550.47
बट्टाकृत / आहरित राशि	(1577.09)	(590.86)
31 मार्च को शेष	**9171.88**	**8974.80**

कंपनी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित और डीपीईई दिशानिर्देशों के अनुरुप कंपनी की निवेश नीति के अनुसार अधिशेष निधियों से निवेश करती है। नकद और नकद समकक्षों तथा सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आम तौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि में निवेश करती है।

ख) लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर और जब भी देय हो, दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को पूरे वर्ष अपनी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं। कंपनी अपनी सभी फंड आवश्यकताओं को आंतरिक संसाधनों अर्थात परिचालन से उत्पन्न धन और बेहतर ट्रेज़री प्रबंधन परिचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम से अपनी सभी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय देयताएं गैर - व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक
व्यापार देयताएं	8696.24	2292.76	9895.83	2065.92
ठेकेदारों और अन्य से जमा राशि	548.62	315.02	544.77	247.10
वित्त पट्टा दायित्व	24.90	23.55	34.76	33.75
अन्य देय/देयताएं				
कर्मचारी बकाया	353.32	-	384.33	-
अन्य बकाया	401.60	-	364.44	-
पूंजीगत व्यय बकाया	114.90	10.86	111.50	8.60
लघु अवधि की उधारी	8808.00	-	5385.00	-
कुल	**18947.58**	**2642.19**	**16720.63**	**2355.37**

ग) बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी को अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रा, कमोडिटी, ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी को प्रमुख कमोडिटी मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला के दावों सहित फ्रेमवर्क समझोते नियमित रुप से दर्ज किए जा रहे हैं। परिचालन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम की कोई भी संभावना कम हो जाती है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर :- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(i) दिनांक 31.03.2024 को रुके हुए और बकाया व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछले वर्ष भी शून्य) है

(ii) विदेश मुद्रा एक्सपोजर जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा रुके हुए नहीं हैं, वे निम्नानुसार हैं:

विदेशी मुद्रा - दस लाख

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	अन्य (रुपए में)	अन्य (रुपए में)
परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्य	53.64	484.16	55.50	496.43	1.86	3.44
अनुबंध परिसंपत्तियां	235.03	2112.15	332.04	2959.08	39.52	11.92
अन्य परिसंपत्तियां	0.61	5.50	1.24	10.29	154.98	75.49
उप-योग (क)	**289.29**	**2601.82**	**388.78**	**3465.80**	**196.36**	**90.84**
देयताएं						
ग्राहक से अग्रिम	35.46	238.77	36.15	240.84	22.65	22.65
व्यापार देय और अन्य	29.79	272.79	34.70	315.32	308.96	579.03
उप – योग (ख)	**65.25**	**511.56**	**70.85**	**556.15**	**331.61**	**601.68**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**224.04**	**2090.26**	**317.93**	**2909.64**	**(135.25)**	**(510.83)**

विवरण	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया
परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	77.52	644.22	70.72	579.07
अनुबंध परिसंपत्तियां	234.62	1948.28	322.62	2640.15
अन्य परिसंपत्तियां	0.36	2.41	0.36	2.41
उप-कुल (क)	**312.50**	**2594.91**	**393.70**	**3221.63**
देयताएं				
ग्राहक से अग्रिम	50.09	253.59	58.00	326.40
व्यापार देय और अन्य	132.79	1114.42	97.39	806.03
उप-कुल (ख)	**182.88**	**1368.01**	**155.40**	**1132.43**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**129.62**	**1226.90**	**238.31**	**2089.21**

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों, यदि कोई हों, को छोड़कर हैं

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपए के अमरीकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत/कमजोर होने के प्रभाव को वर्ष के अंत में लाभ या हानि के रुप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव पर आधारित है, जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रुप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया गया है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव भिन्न था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
1% के संचलन पर लाभ/(हानि) पर प्रभाव	**चढ़ाव / मजबूती**	**कमजोर/उतार**	**चढ़ाव / मजबूती**	**कमजोर/उतार**
यूरो	20.90	(20.90)	29.10	(29.10)
अमेरिकी डॉलर	12.27	(12.27)	20.89	(20.89)
अन्य	(1.35)	1.35	(5.11)	5.11

पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके, और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाई रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है। कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा कि उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नोट [41]
परिचालन खंड

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डर के आधार पर खंडों की पहचान 'पावर' और 'उद्योग' के रूप में की गई है। इन खंडों के कार्यों को तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाता है।

पावर खंड में मुख्य रूप से थर्मल, गैस हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अतिरिक्त कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर और गैर-बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय सम्मिलित हैं।

उद्योग खंड प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति करता है और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईपीसी आधार पर काम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किया गया ऑर्डर, ऑर्डर के प्रकार के हिसाब से, पावर या उद्योग खंड को सौंप दिया जाता है।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

(रु करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**खंड राजस्व**						
	परिचालन राजस्व- बाह्य	17709.64	5210.88	22920.52	17498.98	4637.32	22136.30
II.	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	1657.03	137.08	1794.11	1585.11	483.91	2069.02
ख.	गैर-आवंटित व्यय (आय को छोड़कर)			842.49			861.82
ग.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क) - (ख)			951.62			1207.20
घ.	वित्त लागत (ब्याज छूट सहित)			731.29			521.43
ड.	आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (ग) - (घ)			220.33			685.77
च.	आयकर			(39.56)			61.49
छ.	आयकर के पश्चात शुद्ध लाभ /हानि (ड.)- (च)			259.89			624.28
III	**परिसंपत्तियां और देयताएं**						
क.	खंड परिसंपत्तियां	39561.83	8418.14	47979.97	37117.35	7876.15	44993.50
ख.	सामान्य परिसंपत्तियां			11437.46			12360.64
ग.	कुल परिसंपत्तियां			59417.43			57354.14
घ.	खंड देयताएं	20670.89	6081.21	26752.10	22366.53	5140.86	27507.39
ड.	सामान्य देयताएं			7814.74			5034.36
च.	कुल देयताएं			34566.84			32541.75
IV	**अन्य सूचनाएं**						
क.	पूंजीगत व्यय	158.93	91.86		121.75	80.26	
ख.	अवमूल्यन और परिशोधन	138.73	76.90		167.99	63.96	
ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त)	(815.40)	147.31		(507.61)	(296.77)	

भौगोलिक खंड

(रु करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)		
		भारत के अंदर	भारत के बाहर	सकल	भारत के अंदर	भारत के बाहर	सकल
1	कुल बिक्री / परिचालन से राजस्व	22228.18	692.34	22920.52	21061.08	1075.22	22136.30
2	गैर- वर्तमान परिसंपत्तियां (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियां)	2880.44	1.96	2882.40	2826.69	3.14	2829.83
3	पूंजीगत व्यय	286.57	0.85	287.41	261.79	0.15	261.94

(रु करोड़ में)

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से प्राप्ति का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)		
	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	6888.04	2096.72	8984.76	5581.63	1639.38	7221.01
टीएसजेनको	2834.77	-	2834.77	3112.02	-	3112.02

टिप्पणी [42]
अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

क)	आयात की श्रेणी	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	सीआईएफ आधार पर आयात		
	कच्चा माल	568.77	734.51
	घटक और स्पेयर पार्ट्स	833.42	674.48
	पूंजीगत माल	42.18	6.21
	कुल आयात	**1444.38**	**1415.20**

(रु करोड़ में)

ख)	व्यय के प्रकार (विदेशी मुद्रा में व्यय)	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	i) रॉयल्टी	58.00	51.36
	ii) तकनीकी जानकारी	21.55	13.72
	iii) पेशेवर परामर्श शुल्क	15.70	17.83
	iv) ब्याज और अन्य विदेशी साइटों पर (सहित)	24.49	31.68

(रु करोड़ में)

ग)	खपत का वर्गीकरण [कच्चा सामग्री, घटक, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे]	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	i) आयातित (सीमा शुल्क सहित)	1522.25	1609.95
	ii) स्वदेशी	10812.76	9326.84
	iii) **कुल खपत का प्रतिशत**		
	आयातित	12.34	14.72
	स्वदेशी	87.66	85.28

(रु करोड़ में)

घ.	विदेशी मुद्रा में कमाई	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	भौतिक माल का निर्यात (एफओबी आधार पर)	351.19	395.58
	इरेक्शन एवं अन्य सेवाएं	268.71	596.38
	मानित निर्यात पर विदेशी मुद्रा विनिमय (घरेलू संविदाओं और एसईजेड सहित)	442.14	592.61
	कुल	**1062.04**	**1584.57**

(रु करोड़ में)

च.	कच्चा सामग्री और खपत किए गए घटकों का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	कच्चा सामग्री		
	i) लौह सामग्री	2211.26	2575.80
	ii) अलौह सामग्री	466.12	476.47
	iii) इन्सुलेटिंग सामग्री	108.30	136.75
	iv) इंसुलेटेड केबल और चुंबकीय तार	8.98	6.34
	v) अन्य अवयव	2973.24	2533.30
	vi) अन्य	348.37	146.62
	कुल	**6116.27**	**5875.28**
	खरीदा बाहर सामग्री		
	i) लौह सामग्री	52.62	38.39
	ii) अलौह सामग्री	42.61	43.10
	iii) इन्सुलेटिंग सामग्री	109.14	105.15
	iv) इंसुलेटेड केबल और चुंबकीय तार	50.43	31.47
	v) अन्य अवयव	3715.71	3190.16
	vi) अन्य	1897.95	1249.06
	कुल	**5868.46**	**4657.33**

टिप्पणी [43]
अनुपात

विवरण	न्यूमरेटर	डेनोमिनेटर	2023- 24	2022-23	% विचलन	विचलन के लिए कारण
(i) वर्तमान अनुपात	कुल मौजूदा संपत्ति	कुल मौजूदा देयताएं	1.36	1.24	-10.05	
(ii) ऋण-इक्विटी अनुपात	कंपनी के पास कोई है दीर्घकालिक ऋण नहीं है और इसलिए ये अनुपात लागू नहीं होते।					
(ii) ऋण सेवा कवरेज अनुपात						
(iv) दीर्घ अवधि ऋृण और कार्यशील पूंजी का अनुपात						
(v) ब्याज सेवा कवरेज अनुपात						
(vi) कुल ऋृण और कुल संपत्ति का अनुपात	कुल उधारी	कुल परिसंपत्ति	0.15	0.10	-56.76	उच्च कार्यशील पूंजी तीव्रता
(vii) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	औसत भंडार (शुद्ध)	3.28	3.32	-1.35	
(viii) व्यापार प्राप्तियों और टर्नओवर का अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	3.15	3.47	-9.13	
(क) अशोध्य ऋृण और प्राप्य खाता अनुपात	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया	कुल व्यापार प्राप्तियां	0.00	0.00	-57.21	वास्तविक शर्तों में अमहत्वपूर्ण परिवर्तन
(ix) वर्तमान देयता अनुपात	मौजूदा देयताएं	कुल देयताएं	0.73	0.72	1.57	
(x) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	खरीदारी और उपठेका	औसत व्यापार देय	1.50	1.51	-0.35	
(xi) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	कुल मौजूदा संपत्ति - कुल मौजूदा देयताएं	2.49	3.94	-36.89	उच्च कार्यशील पूंजी तीव्रता
(xii) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	वर्ष के दौरान लाभ (PAT)	औसत कुल हिस्सेदारी - ओसीआई	1.03%	2.51%	-58.87	निम्न ERV लाभ और अधिक वित्तीय लागत के कारण
(xiii) ऑपरेटिंग लाभ अनुपात	कर, ब्याज और मूल्यह्रास से पहले लाभ - अन्य कमाई	संचालन से आय	2.56%	4.08%	-37.12	कम ईआरवी लाभ के कारण
(xiv) शुद्ध लाभ अनुपात	वर्ष के दौरान लाभ (PAT)	संचालन से आय	1.09%	2.67%	-59.29	निम्न ERV लाभ और अधिक वित्तीय लागत के कारण
(xv) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	कर और ब्याज को छोड़कर आय	नियोजित पूंजी = कुल इक्विटी - सीडब्ल्यूआईपी - विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां -आस्थगित कर परिसंपत्तियां	4.68%	5.97%	-21.67	कम ईआरवी लाभ के कारण
(xvi) निवेश पर रिटर्न	लागू नहीं					
(xvii) नेट वर्थ (रु./करोड़)	शेयर पूंजी + रिजर्व और अधिशेष		24850.59	24812.39	0.15	
(xviii) कर पश्चात लाभ (रु./करोड़)	कर पश्चात लाभ		259.89	624.28	-58.37	कम ईआरवी लाभ के कारण
(xix) प्रति शेयर आय (रु.)	वर्ष के दौरान लाभ (PAT)	भारित शेयरों की औसत संख्या	0.75	1.79	-58.37	
(xx) पूंजी रिडेंपशन रिजर्व (रु./करोड़)			37.87	37.87	0.00	

नोट [44]
लेखांकन नीति में परिवर्तन – वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना करते समय मुद्रा के समय मूल्य के प्रभाव के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) से प्राप्त राय के अनुरूप अपनी लेखा नीति (वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में) में परिवर्तन किया है। नीति में यह परिवर्तन आज की तारीख तक अनुबंध परिसंपत्तियों के बेहतर चित्रण को दर्शाता है और इसलिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति में परिवर्तन 1 अप्रैल, 2022 से पूर्वव्यापी रुप से प्रभावी किया गया है।

यह परिवर्तन पूर्वव्यापी रुप से लागू किया गया है और इसका समेकित वित्तीय विवरणों पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ा है:

(रु करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2024 को (लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार किए बिना)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2024 को (लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार करने के बाद)	31 मार्च, 2023 को (जैसा कि पूर्व में वर्णित है)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2023 को (पुनः घोषित)	1 अप्रैल, 2022 को (जैसा कि पूर्व में वर्णित है)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	1 अप्रैल, 2022 को (पुनः घोषित)
अन्य चालू परिसंपत्तियां (संविदा परिसंपत्तियां)	16804.30	(890.92)	15913.38	13050.84	(951.48)	12099.36	10792.53	(816.82)	9975.71
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (संविदा परिसंपत्तियां)	14978.96	(1289.27)	13689.69	19277.71	(2322.21)	16955.50	18526.54	(2693.04)	15833.50
अस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	3652.55	548.71	4201.26	3422.62	823.92	4246.54	3530.08	883.36	4413.44
कुल परिसंपत्तियां	61048.91	(1631.48)	59417.43	59803.91	(2449.77)	57354.14	56708.32	(2626.50)	54081.82
अन्य इक्विटी	25785.66	(1631.48)	24154.18	26565.75	(2449.77)	24115.98	26274.75	(2626.50)	23648.25
कुल इक्विटी	26482.07	(1631.48)	24850.59	27262.16	(2449.77)	24812.39	26971.16	(2626.50)	24344.66
कुल इक्विटी और देयताएं	61048.91	(1631.48)	59417.43	59803.91	(2449.77)	57354.14	56708.32	(2626.50)	54081.82

(रु करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार किये बिना)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखा नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार करने के बाद)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (जैसा कि पूर्व में वर्णित है)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
अन्य खर्च (प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई)	1937.73	(1093.50)	844.23	647.03	(236.17)	410.86
कर पूर्व लाभ	(873.17)	1,093.50	220.33	449.60	236.17	685.77
कर खर्च – आस्थगित कर	(202.21)	275.21	73.00	113.27	59.44	172.71
वर्ष के लिए लाभ	(558.40)	818.29	259.89	447.55	176.73	624.28

लेखांकन नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरुप चालू वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (मूल और निश्रित आय) में 2.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा पिछले वर्ष में 0.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नोट [45]

दिनांक 05 जनवरी एवं 06 जनवरी 2024 की रात को बीएचईएल आईटी सिस्टम पर रैनसमवेयर की घटना हुई। इस घटना की सूचना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन), नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) को दी गई और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई। रैनसमवेयर घटना का असर मुख्य रुप से ई-ऑफिस (फाइल मूवमेंट सिस्टम), ई-मेल और फाइल शेयरिंग सर्वर जैसी कुछ सेवाओं पर देखा गया। मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और आपदा रिकवरी तंत्र के कारण, प्रभावित सेवाओं को बिना किसी डेटा हानि और वित्तीय प्रभाव के सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया।

नोट [46]

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिमों का अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है:

कोई भी ऋण (कर्मचारियों को दिए गए ऋण के अलावा) नहीं दिया गया है, जिसमें कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है या पुनर्भुगतान सात वर्षों से अधिक है; तथा

ऐसी फर्मों/कंपनियों को ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि नहीं दी गई है, जिनमें निदेशकों की रुचि / हिस्सेदारी हो।

नोट [47]

परिचालन चक्र के रुप में 12 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच वर्गीकृत किया गया है।

नोट [48]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

नोट [49]

वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए कोई चार्ज या सैटिस्फैक्शन नहीं था।

नोट [50]

कंपनी, कंपनी नियम, 2017 (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन कर रही है।

नोट [51]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी योजना / व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है।

नोट [52]

कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो।

नोट [53]

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट [54]

आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए करोड़ के निकटतम पूर्णांकित किया गया है।

नोट [55]

जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नोट [56]

निदेशक मंडल ने 21 मई, 2024 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरण 2023-24 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाला)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहासबसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण 240

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद यहाँ इसे "धारक कंपनी के रूप में लिखा जाएगा) एवं तीन संयुक्त नियंत्रित इकाइयों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 को समेकित तुलनपत्र, इस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण एवं वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और सामग्री लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है, (इसके पश्चात इसे "समेकित वित्तीय विवरण" लिखा जाएगा)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनी (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (इंड एएस) एवं भारत में सामान्य रुप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2024 को कंपनी के समेकित लाभ एवं कुल समेकित व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति को यथार्थ व उचित रुप से प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां खंड में वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी आचार संहिता के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इससे आधारित नियमों के प्रवधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उचित हैं।

ध्यान देने योग्य प्रमख विषय:

1. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 44 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कि कंपनी ने अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना के दौरान धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए, आईसीएआई से वर्ष के दौरान प्राप्त विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुरुप अपनी लेखा नीति (वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में) में बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2022 तक अनुबंध परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रदान किया गया प्रभाव कुल इक्विटी में ₹2,626.50 करोड़ की कमी, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईसीएल के लिए प्रावधान में ₹ 236.17 करोड़ की कमी और चालू वर्ष 2023-24 के लिए ईसीएल के लिए प्रावधान में ₹1,093.50 करोड़ की कमी है।

2. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले संविदात्मक दायित्व के प्रावधान के संबंध में लेखांकन अनुमानों और निर्णय में बदलाव हुआ है। यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुरुप भावी रुप से लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरुप राजस्व में ₹92.47 करोड़ की कमी आई है, और प्रावधानों में ₹1,356.12 करोड़ की कमी आई है।

3. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 06 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कि कंपनी ने सूडान में गृहयुद्ध के कारण प्राप्ति में देरी का हवाला देते हुए सूडान परियोजना पर ₹211 करोड़ की राशि के प्रावधान के निर्माण को स्थगित कर दिया है।

4. हम 05-06 जनवरी 2024 की रात को हुई रैनसमवेयर घटना के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 46 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी के अनुसार, प्रभावित सेवाओं को बिना किसी डेटा हानि और वित्तीय प्रभाव के सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वे हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान कालखंड के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। अपनी राय बनाते हुए और समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समग्र रुप से समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों के अंतर्गत नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
इंड एएस 115 के अंतर्गत 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' के सम्बंध में राजस्व एवं अन्य शेषों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति की सटीकता। इन राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों को चिह्नित करना, चिह्नित विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्य राजस्व के मापन के आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतिकरण सहित प्रकटीकरण से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं। आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्त्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है। समेकित वित्तीय विवरण के नोट 41 को देखें।	**लेखा परीक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं** आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: • पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई जानकारी रचना प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट निष्पादन दायित्व और लेन-देन मूल्य का निर्धारण से संबधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • इंडएएस 115 के अनुरुप राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में अनुप्रयुक्त लेखांकन प्रणालियों और अनुबंधों एवं इससे संबद्ध सूचनाओं में परिवर्तन के संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया। • महत्वपूर्ण उपलब्धियां (माइलस्टोन) प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है। • तर्क संगतता और अन्य संबंधित प्रत्यक्ष मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।
व्यापार प्राप्य एवं अनुबंध संपत्तियों का मूल्यांकन एवं वसूली की संभावना 31 मार्च, 2024 के अंत में कंपनी के पास ₹26,747.54 करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा ₹8,010.07 करोड़ के व्यापार प्राप्य बकाया है। यह शेष इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधों के लिए मान्य राजस्व से संबंधित है। इसके आकार और प्रबंधकीय निर्णय के उच्च स्तरीय होने कारण इसकी वसूली की संभावना का आकलन एक मुख्य लेखा विषय है। समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 6, 9, 41 को देखें।	**लेखा परीक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं** अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व मान्यता और समीक्षा तंत्र के लिए हमने कंपनी की आतंरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: • ग्राहकों के साथ चालान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। • प्रबंधन द्वारा परियोजनावार बकाया विवरणों और इसकी समीक्षा तंत्र की सूची प्राप्त की। • व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों की हानि पर कंपनी के दिशा-निर्देशों और नीतियों की समीक्षा की। • नमूना आधार पर वर्ष के अंत में व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों की आयु की सटीकता का परीक्षण किया। • तर्कसंगतता, वसूली और अन्य संबंधित भौतिक वस्तुओं के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और विवरणों का परीक्षण किया।
आकस्मिक देयता का आकलन कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रुप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रुप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों के विश्लेषण और शामिल कानून के निर्णय / व्याख्या पर केंद्रित थी। (समेकित विवरण के लिए **नोट 33 देखें**)	**लेखा परीक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं** लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: • दावों या विवादों के संबंध में प्रबंधन की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की विस्तृत समझ प्राप्त करना। • चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं का निष्पादन करना। • पत्राचार, संचार, प्रबंधन बैठक के मिनटों को पढ़कर मामलों को समझना। • प्रबंधन कर्मियों के उचित स्तर के साथ पुष्टि पूछताछ करना, जिसमें स्थिति अद्यतन, आधार के साथ परिणामों की अपेक्षा, और कंपनी द्वारा विचारित भविष्य की कार्रवाई, और प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय, यदि कोई हो, का अवलोकन करना शामिल है। • कंपनी के कानूनी वकीलों से प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त करना और परिणामों के बारे में उनकी राय / संभाव्यता मूल्यांकन पर विचार करना। • संभावित परिणामों और अनुमानों की तर्कसंगतता के बारे में प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करना। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधकीय परिचर्चा व विश्लेषण में सम्मिलित की गई जानकारी, निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्त्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन तथा शेयरधारकों की सूचना आती है परंतु समेकित वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होती है। ये रिपोर्टें हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करायी जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं सारतः असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखा परीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से अनुचित प्रतीत तो नहीं हो रही है।

जब हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो हम उसे पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासकीय प्रभारी व्यक्तियों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और इंड एएस के अनुरुप कंपनी के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तनों तथा समेकित नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने हेतु उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित्त और विवेकपूर्ण आकलन और निर्णय लेनेएवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के मूर्त अनुचित कथन से मुक्त तथा वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत कराने वाले वित्तीय विवरणों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु प्रासंगिक हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह को एक क्रियाशील इकाई के रूप में बनाए रखाने के लिए समूह की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जानकारियां यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने और जब तक प्रबंधन समूह के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनियों के निदेशक मण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं।

समूह में सम्मिलित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले सारतः त्रुटिपूर्ण कथन से समग्र रुप से मुक्त हैं और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्ववासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः त्रुटिपूर्ण कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो तो। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि एकल रुप में या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रुप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण के भाग के रुप में पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक रुप से निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारतः मिथ्याकथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और इसके जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना एवं निष्पादित करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारी राय का आधार बनाने लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सारतः मिथ्या कथन को न पहचानने का जोखिम, गलती से किए गए सारतः मिथ्या कथन से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल-साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी (override) किया जाता है।

- परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की क्या प्रभावशीलता है।

- अनुप्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के क्रियाशील इकाई को लेखांकन का आधार की तरह उपयोग करने उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर एक क्रियाशील इकाई के रूप में बने रहने की समूह की क्षमता पर सार्थक संदेह उत्पन्न करने हेतु साक्ष्य या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता पर निष्कर्ष प्राप्त करना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता व्याप्त है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर इस संबंध में उल्लेख करना होगा, यदि यह प्रकटीकरण अपर्याप्त लगे तो हमें अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, इस दिनांक तक हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां समूह को क्रियाशील इकाई के रूप में न बने रहने का कारण बन सकती है।

- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक

लेनदेनों और घटनाओं का इस प्रकार वर्णन करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करता हो।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामले शीर्षक वाले खंड के पैरा 1 से पैरा 4 में आगे वर्णित किया गया है।

प्रत्यक्षता (Materiality) समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनी की मात्रा है जो. व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय वितरणों में पाई गई किसी मिथ्या कथनी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता (Materiality) और गुणात्मक कारकों (Qualitative factors) पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ ही लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र एवं समय सीमा के निर्धारण और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में अभिशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हमने अभिशासन के प्रभारियों को स्वतंत्रता की प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन संबंधी एक विवरण प्रदान किया है और हमारी स्वतंत्रता के साथ, और जहां लागू हो संगत सुरक्षा से तर्कसंगत रूप से लगाने वाले उन सभी रिश्तों एवं अन्य विषयों के बारे में उन्हें बता दिया है।

अभिशासन के प्रभारियों को वर्णित विषयों में से, हमने उन विषयों का निर्धारण किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण/ उल्लेखनीय है और इसलिए की प्रधान लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन इन विषयों के प्रकटीकरण को निषेध ना करता हो, और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जब हमें यह प्रतीत हो की इस विषय के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए है क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस सूचना के जनहित लाभों पर हावी होने की यथोचित संभावना है।

अन्य विषयः

1. हमने बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की (संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई) संलग्न बयानों में इस सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम / विवरण शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण / परिणाम 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के ₹63.98 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ और ₹(0.14) करोड़ रुपये की अन्य व्यापक आय को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित में माना गया है। इस संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह, इस संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट जहां तक यह पूर्वोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई से संबंधित है, पूरी तरह से इस प्रकार के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

2. हमने रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की। समेकित वित्तीय विवरणों में इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के शुद्ध नुकसान और अन्य व्यापक नुकसान के समूह के हिस्से को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि समूह ने इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों में निवेश की लागत के बराबर संचित हानियों को पहले ही मान्यता दे दी है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहाँ तक यह इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और उनके संदर्भ में हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की धारा (3) और (11) जहां तक यह उपरोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थानों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

3. बीएचईएल के एक संयुक्त उद्यम पावर प्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड के खातों को समेकित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी निवेश की पूरी राशि का प्रावधान किया गया।

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा पूर्व वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपरोक्त विषयों के सापेक्ष संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम के खंड 143 (3) के अनुसार आवश्यक हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और 'अन्य विषय' पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट सहायक कंपनी, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा पूर्व वित्तीय विवरण पर विचार करने पर, यथा संभव तक, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर हमने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं.

ख) हमारे विचार से, कंपनी ने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरण बनाने के संबंध में विधि के अनुसार लेखा बहिया बनाई है, जहां तक हमारे द्वारा इन बहियों की जांच से और अन्य प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय रिपोर्टों से प्रतीत होता है;

ग) इस रिपोर्ट के साथ व्यवहृत समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय/हानि सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई संगत लेखा पुस्तिकाओं के अनुबंध में है;

घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं,

ड)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.: जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 कंपनी पर लागू नहीं है;

च)	भारत में निगमित धारक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में 'अनुलग्नक क' में हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें;

घ)	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है;

ज)	कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों को हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुरूप और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में पृथक वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर विचार सहित "अन्य विषय" पैराग्राफ में उल्लेखित किया गया है:

i.	समेकित वित्तीय विवरण समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित/संयुक्त उद्यम इकाइयों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 देखें:

ii.	व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों में मूर्त निकटवर्ती हानि, यदि हो तो, के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है जैसा कि लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक है, ऐसे मदों के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40 देखें क्योंकि इनका संबंध समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित/ संयुक्त उद्यम इकाइयों से है;

iii.	भारत में निगमित धारक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित/ संयुक्त उद्यम इकाइयों के द्वारा इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

iv.	(क) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित/संयुक्त उद्यम इकाइयां जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित/संयुक्त उद्यम इकाइयों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित/संयुक्त उद्यम संस्थाएं जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी भी संयुक्त रूप से नियंत्रित/संयुक्त उद्यम संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) से, विदेशी संस्थाओं ("वित्तपोषण पक्ष") सहित, कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) परिस्थितियों में उचित एवं समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खण्ड (i) एवं (ii) के अन्तर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

v.	(क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(ग) जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होती है।

vi.	हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए कई अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) जिसमें रिकॉर्ड रखने की सुविधा है, सिवाय एक शाखा के जहां डीबेस अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया गया था, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) जहां पर रिकॉर्ड रखने की सुविधा नहीं थी। दिनांक 06-01-2024 से 15-01-2024 को छोड़कर सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए ऑडिट ट्रेल पूरे वर्ष संचालित हुआ है क्योंकि उपरोक्त अवधि के दौरान मैलवेयर हमले के कारण कोई लेनदेन रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। ऑडिट ट्रेल की हमारी जांच, लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संदर्भ में थी और केवल कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) द्वारा अपेक्षित सीमा तक। संयुक्त उद्यमों/संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंध में, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, हम ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इन संयुक्त उद्यमों/संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी के पास उपलब्ध

नहीं हैं।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैरा 3 (xxi) और 4 के मामले के संबंध में, सहायक और तीन संयुक्त संस्थाएं अलेखापरीक्षित बनी हुई हैं और इस रिपोर्ट के जारी होने की तारीख को इन संस्थाओं के संबंध में इनके लेखापरीक्षकों द्वारा CARO रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जैसा की "अन्य विषय" वाले खंड में उल्लिखित किया गया है। अतः 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी CARO रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि CARO रिपोर्ट में कोई अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए	पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए	एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E	FRN – 008567C	FRN – 000709C/C400277
(निरंजन अग्रवाल)	(सुहास बसु)	(विजित वैदमुथा)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
M. No. 087939	M. No. 052684	M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई,2024

अनुलग्नक "क" भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इंड एएस के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्रक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस के अनुरुप समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संयोजन के रुप में, हमने इसी दिनांक पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद में इसे "होल्डिंग कंपनी" के रुप में संदर्भित किया गया है।) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है। हमने तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया। इन तीनों संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियां जो भारत में निगमित की गई कंपनियां हैं के संगत निदेशक मण्डल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशा निर्देश नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समयबद्ध बनाया जाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता, त्रुटियों व धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संबंधित कंपनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से क्रियाशील पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव इन जिम्मेदारियों में सम्मिलित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों, के अनुरुप हम अपना लेखा परीक्षण करते हैं। उन मानकों और दिशानिर्देश नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और इस तथ्य पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित था और यह नियंत्रण सभी मूर्त पहलुओं पर प्रभावी रुप से संचालित था, लेखा परीक्षा योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को निष्पादित करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कि समझ प्राप्त करना,किसी मूर्त निर्बलता के होने का संकट का आकलन और आकलित संकट के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता एवं डिजाइन का मूल्यांकन व परीक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय विवरणों की मूर्त मिथ्या कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का संकट के आकलन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर प्रक्रियाएं चयनित की जाती है।

हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हेतु लेखा परीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने हेतु डिजाइन की जाती है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं. जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेनों और निपटान का यथार्थ और उचित रुप में युक्तियुक्त विवरण दर्शाया गया है। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कंपनी कि प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसरण में हो रही है और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान जो वित्तीय विवरणों पर मूर्त प्रभाव डाल सकते हैं, का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिनमें मिलीभगत कि संभावना, नियंत्रण अधिभाव का अनुचित प्रबंधन सम्मिलित है, कारण त्रुटि या धोखाधड़ी से मूर्त मिथ्या कथनी हो सकती है जिसका पता नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

अन्य विषय

अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ है, से संबंधित है, भारत में निगमित इन तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन प्रमाणपत्र पर आधारित है।

राय

हमारी राय में धारक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशा निर्देश नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर, सभी मूर्त पहलुओं के सापेक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित थी और 31 मार्च, 2024 को प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए	**पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए**	**एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E	FRN – 008567C	FRN – 000709C/C400277
(निरंजन अग्रवाल)	(सुहास बसु)	(विजित वैदमुथा)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
M. No. 087939	M. No. 052684	M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई,2024

NO. DGA(E)/Rep/01-68/ BHEL-CFS/2024-25/ 184

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 25.07.2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statement) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरि।

एस.ए.पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक

पांचवा, छठा, सातवाँ, एवं दसवां तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel. 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211, Email: pdaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of NTPC-BHEL Power Projects Private Limited and Raichur Power Corporation Limited for the year ended on that date. Further, Section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to the BHEL-GE Gas Turbine Services Private Limited, being private entity, for appointment of their Statutory Auditor(s) and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller & Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditor(s) nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi
Date: 25.07.2024

समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

31, मार्च 2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*		1 अप्रैल 2022 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
अ.परिसंपत्तियां								
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ								
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3a	264		2510.69		2408.74		2336.34
(ख) पूंजीगत चालू कार्य	3b	264		282.32		344.59		422.32
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	4a	267		63.35		67.24		62.12
(घ)विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	4b	268		26.04		9.26		8.66
(ङ) इक्विटी पध्दति का उपयोग करके निवेश की गणना	5	268		254.48		232.29		201.86
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां								
(i) निवेश	5a	269	1.19		3.13		3.29	
(ii) व्यापार प्राप्य	6	270	3224.69		3415.54		3203.84	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	272	206.10	3431.98	142.69	3561.36	86.73	3293.86
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां(देनदारियों को छोड़कर)	8	272		4201.26		4246.54		4413.44
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	273		13689.69		16955.50		15833.50
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां				**24459.81**		**27825.52**		**26572.10**
2. चालू परिसंपत्तियां								
(क) माल सूची	10	274		7220.57		6755.90		6560.21
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां								
(i) व्यापार प्राप्य	6	270	4785.38		3128.35		3024.75	
(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	11	274	1835.04		1561.34		732.62	
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस	12	275	4322.43		5136.73		6421.07	
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	272	239.82	11182.67	186.44	10012.86	211.56	10390.00
(ग) चालूकर परिसंपत्तियां (शुध्द)	13	275		229.07		226.38		119.24
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	273		15913.38		12099.36		9975.71
कुल चालू परिसंपत्तियां				**34545.69**		**29094.50**		**27045.16**
कुल परिसंपत्तियां				**59005.50**		**56920.02**		**53617.26**
आ. इक्विटी एवं देयताएं								
3. इक्विटी								
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	275		696.41		696.41		696.41
(ख) अन्य इक्विटी	15	276		23742.24		23681.85		23183.69
कुल इक्विटी				**24438.65**		**24378.26**		**23880.10**
4. देयताएं								
4.1 गैर चालू देयताएं								
(क) वित्तीय देयताएं								
(i) पट्टा देयताएं	16	277	23.55		33.75		35.12	
(ii) व्यापार देय	17	277						
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि			-		-		-	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया राशि			2292.76		2065.92		2004.48	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	278	325.88	2642.19	255.70	2355.37	215.10	2254.70

समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

31, मार्च 2024 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*		1 अप्रैल 2022 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
(ख) प्रावधान	19	279		2489.08		4101.02		3771.21
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	20	279		4102.77		2605.81		2212.65
कुल गैर चालू देयताएं				**9234.04**		**9062.20**		**8238.56**
4.2. चालू देयताएं								
(क) वित्तीय देयताएं								
(i) उधार	21	279	8808.00		5385.00		4745.00	
(iक) पट्टा देयताएं	16	277	24.91		34.76		49.81	
(ii) व्यापार देय	17	277						
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि			1157.45		1211.53		745.82	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया राशि			7538.79		8684.30		7003.77	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	278	1418.44	18947.59	1405.04	16720.63	1251.54	13795.94
(ख) प्रावधान	19	279		2318.27		2796.63		3066.70
(ग) अन्य चालू देयताएं	20	279		4066.94		3962.29		4635.96
कुल चालू देयताएं				**25332.80**		**23479.55**		**21498.60**
कुल देयताएं				**34566.84**		**32541.75**		**29737.16**
कुल इक्विटी एवं देयताएं				**59005.50**		**56920.02**		**53617.26**

तैयारी का आधार, मापन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2 258

साथ में दिए गए नोट (1-55) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है*

*कंपनी ने पूर्ववर्ती अवधि के आरंभ में वित्तीय स्थिति का तीसरा विवरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि लेखांकन नीति में परिवर्तन (नोट सं. 44 देखें) का वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई,2024

समेकित लाभ हानि विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए(₹करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: घोषित)	
आय						
परिचालनों से राजस्व	22	280		23892.78		23364.94
अन्य आय	23	281		546.27		488.63
कुल आय				**24439.05**		**23853.57**
व्यय						
खपत किए गए कच्चे माल की लागत				6116.27		5875.28
बॉट आउट वस्तुओं की खरीद				5868.46		4657.33
सिविल, इरेक्शन और इंजीनियरिंग खर्च				4908.84		5421.08
स्टोर और स्पेयर की खपत				350.28		404.18
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन	24	281		(436.74)		(57.15)
कर्मचारी लाभ व्यय	25	281		5628.84		5700.63
अन्य व्यय	26	282		844.23		410.86
वित्तीय लागत	27	283		731.29		521.43
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	3.1 4.1	265 267		248.90		260.34
कुल व्यय				**24260.37**		**23193.98**
इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर हिसाब लगाने से निवेश से हुई लाभ (हानि) का पूर्व का शुध्द लाभ/ (हानि) तथा कर				**178.68**		**659.59**
इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम का शुध्द लाभ / (हानि)				63.98		56.02
कर पूर्व लाभ				**242.66**		**715.61**
कर व्यय	28	283				
क) वर्तमान कर			(112.56)		(111.22)	
ख) आस्थगित कर			73.00	(39.56)	172.71	61.49
वर्ष के लिए लाभ (क)				**282.22**		**654.12**
अन्य व्यापक आय	29	284				
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर को छोड़कर)						
- निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन				(82.41)		(17.27)
- इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय का शेयर				(0.14)		0.59
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ख)				**(82.55)**		**(16.68)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख)				**199.67**		**637.44**
पर भारित:						
मूल इकाई के इक्विटी धारक				199.67		637.44
नॉन कन्ट्रोलिंग इंटरेस्ट						
कुल				**199.67**		**637.44**
वर्ष की कुल अन्य व्यापक आय						
पर भारित:						
मूल इकाई के इक्विटी धारक				(82.55)		(16.68)
नॉन कन्ट्रोलिंग इंटरेस्ट						
कुल				**(82.55)**		**(16.68)**

समेकित लाभ हानि विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए(₹करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पेज	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
वर्ष का कुल लाभ				
पर भारित:				
मूल इकाई के इक्विटी धारक			282.22	654.12
नॉन कन्ट्रोलिंग इंटरेस्ट				
कुल			**282.22**	**654.12**
प्रति इक्विटी शेयर आय	**30**	**284**		
1. मूल (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपया)			0.81	1.88
2. मिश्रित (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपया)			0.81	1.88

तैयारी का आधार, मापन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**2**	**258**

साथ में दिए गए नोट (1-55) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई,2024

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

अ. इक्विटीशेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

₹2 प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः प्रदत्त	शेयरों की संख्या		राशि	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष की शुरुआत में शेष	**3482063355**	3482063355	**696.41**	696.41
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3482063355**	**3482063355**	**696.41**	**696.41**

आ. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	कोष एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी*	नॉन कन्ट्रोलिंग इंटरेस्ट
	पूँजीगत कोष	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01 अप्रैल 2023 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6533.10)**	**(334.76)**	**23681.85**	**0.00**
पूर्व अवधि की त्रुटियां या लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6533.10)**	**(334.76)**	**23681.85**	**0.00**
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	282.22	(82.55)	199.67	0.00
घटाएँ: अंतिम लाभांश	-	-	-	(139.28)	-	(139.28)	0.00
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6390.15)**	**(417.32)**	**23742.24**	**0.00**

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	कोष एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी*	नॉन कन्ट्रोलिंग इंटरेस्ट
	पूंजीगत कोष	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01 अप्रैल 2022 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(4421.45)**	**(318.08)**	**25810.19**	**0.00**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के लिए लेखांकन में परिवर्तन (कृपया नोट संख्या 44 देखें)	-	-	-	(2626.50)	-	(2626.50)	-
1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(7047.95)**	**(318.08)**	**23183.69**	**0.00**
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	654.12	(16.68)	637.44	0.00
घटाएँ: अंतिम लाभांश	-	-	-	(139.28)	-	(139.28)	0.00
31 मार्च 2023 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6533.10)**	**(334.76)**	**23681.85**	**0.00**

*कुल अन्य इक्विटी मूल कंपनी के मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई,2024

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अ. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**242.66**	**715.61**
निम्नलिखित का समायोजन:		
प्रावधान एवं राइट ऑफ	(1188.18)	(630.96)
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	248.90	260.34
वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित)	731.29	521.43
ब्याज एवं लाभांश आय	(493.78)	(421.12)
संयुक्त उद्यमों में हानि/ (लाभ) का हिस्सा	(63.98)	(56.02)
अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि/ (लाभ)	56.03	(401.85)
सरकारी अनुदान का परिशोधन	(15.62)	(8.90)
अन्य में निवेश और पीपीई की बिक्री पर लाभ और निवेश की हानि सहित	(7.78)	(33.02)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनों में प्रयुक्त / (से प्राप्त) नकद	**(490.46)**	**(54.49)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
व्यापार प्राप्य	(2469.24)	92.04
अनुबंध संपत्तियां	(13.70)	(2370.65)
मालसूची	(503.04)	(192.40)
ऋण, अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां	(740.80)	(206.79)
उप योग	**(3726.78)**	**(2677.80)**
व्यापारिक देयताएं	(962.56)	1975.57
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा एवं अन्य	1244.73	(94.40)
उप योग	**282.17**	**1881.17**
कार्यशील पूंजी से प्राप्त / (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	**(3444.61)**	**(796.63)**
परिचालन से उत्पन्न/(उपयोग की गई) नकदी	**(3935.07)**	**(851.12)**
आय कर भुगतान	(158.48)	(155.54)
आयकर वापसी	380.65	265.96
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त / (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	**(3712.90)**	**(740.70)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बैंक जमा की पुनःप्राप्ति / परिपक्वता (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक होने पर)	1112.69	1358.78
प्राप्त ब्याज	399.30	250.72
निवेश से प्राप्त आय	0.80	25.42
संयुक्त उपक्रम से प्राप्त लाभांश	41.65	26.18
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री	8.92	7.76
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(232.50)	(188.40)
निवेश गतिविधियाँ से प्राप्त / (उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	**1330.86**	**1480.46**

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि उधार से आय	3423.00	640.00
पट्टे की बाध्यता (मूल धन) से प्राप्त आय / (चुकौती)	(34.32)	(49.77)
पट्टे की बाध्यता (ब्याज) से प्राप्त आय / (चुकौती)	(4.73)	(7.27)
लाभांश भुगतान	(139.45)	(139.18)
ब्याज भुगतान	(588.76)	(354.82)
वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त / (प्रयुक्त) शुद्ध नकदी (देखें बिंदु 4)	**2655.74**	**88.96**
घ.नकदी व नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(ह्रास)	**273.70**	**828.72**
नकदी व नकदी समकक्ष का प्रारंभिक शेष	**1561.34**	**732.62**
नकदी और नकदी समकक्षों का जमा शेष [नोट 11 देखें]	**1835.04**	**1561.34**

1. इंड एएस-7 नकदी प्रवाह विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं भी लागू किए गए हैं, उन्हें फिर से एकत्र/पुनर्गठित किया गया है।
3. नकद और नकद समकक्षों के अंतिम शेष में 31 मार्च, 2024की स्थिति के अनुसार शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹शून्य करोड़) की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है।
4. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट **[21 (vi)]**एवं **नोट [37बी]**पर उपलब्ध है।
5. वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹112.30 करोड़ रुपये की ब्याज सहित,₹380.65 करोड़ रुपये की आयकर रिफंड राशि प्राप्तकियाहै।

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई,2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट [1] कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल या कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 में है।

यह निगमित विद्युत संयंत्र उपस्कर निर्माता कंपनी है जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस हेतु व्यापक श्रेणी के उत्पादों एवं सेवाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग एवं सर्विसिंग का कार्य कर रही है।

नोट [2] - सामग्री लेखांकन नीतियां (समेकित वित्तीय विवरण)

वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

a) **अनुपालन का विवरण:**

वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

b) **माप का आधार**

वित्तीय विवरण क्रियाशील इकाई प्रतिष्ठान (going concern) आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

c) **कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

d) **लागत अनुमान और निर्धारण का उपयोग**

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार, लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार हैं:

i) **राजस्व**

कंपनी निर्माण ठेको/अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

ii) **संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।.

iii) **कर्मचारी लाभ योजनाएं**

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) **प्रावधान और आकस्मिकताएँ**

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण(PPE)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमान संचित मूल्यह्रास और संचित इम्पेयरमेंट हानि के नुकसान, यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के हिस्से को बदलने की लागत और पात्र परिसंपत्तियों पर उधार लेने की लागत शामिल है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग से मूल्यह्रास करती है। इसी प्रकार, जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो उसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि मान्यता मानदंड संतुष्ट हैं।

अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को लाभ या हानि में शामिल किया जाता है। विभिन्न उपयोगी जीवन वाले महत्वपूर्ण घटकों का अलग से हिसाब लगाया जाता है और उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुबंध के तहत विदेश में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को छोड़कर) पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है, सिवाय निम्नलिखित मदों के जहां अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी रुप से मूल्यांकित अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित है: -

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं उपकरण	15-30
भवन	5-60
विद्युत अधिष्ठापन एवं उपकरण	10-30
इरेक्शन उपकरण, कैपिटल टूल्स एवं टैकल	5
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को संभावित रुप से गणना में लिया जाता है। प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत ₹10,000/- या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य ₹10,000 /- रुपए या उससे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है। निर्माण/परियोजना स्थलों पर: सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध की अवधि के दौरान पूरी तरह से परिशोधित कर दी जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत संस्थापन और अन्यसमान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) का अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, को बरकरार रखने के बाद अनुबंध की अवधि के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है। भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है। निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और कोई भी महत्वपूर्ण भाग जिसे शुरु में मान्यता दी गई थी, उसे निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रुप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के बराबर/कम है। परिसंपत्तियों के वास्तविक उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए, परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करते हुए प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक किया जाता है।

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं मशीनरी	2-25
विद्युत अधिष्ठापन	2-10
फर्नीचर एवं फिक्सर	3-10
कम्प्यूटर्स	2-5
कार्यालय उपकरण	2-10

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में

मूल्यह्रास सीईआरसी/केईआरसी विनियम 2009 में निर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लागत के 90% की सीमा तक किया जाता है और 10% अवशिष्ट मूल्य के रुप में रखा जाता है।

परिसंपत्तियों में वृद्धि पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, अर्थात उस तिथि से/तक, जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग (निपटान) के लिए उपलब्ध होती है। ₹5000 तक की लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति पर लगाया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

क. उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि और उनके उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है, जब तक कि यह यथोचित रुप से निश्चितन हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

ख. पट्टा देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता की प्रारंभिक गणना, प्रारंभिक पट्टा भुगतान में से प्रोत्साहन, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्तियों को नष्ट करने और हटाने की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, शामिल होती है।

पट्टों के अंतर्गत किए गए पट्टा भुगतान को वित्त व्यय और बकाया पट्टा देयता में अंतर के बीच विभाजित किया जाता है। पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर ब्याज की एक स्थिर आवधिक दर उत्पन्न हो सके।

ग. **अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे**

कंपनी अपने अल्पावधि पट्टों (यानी, वे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है) पर अल्पावधि पट्टा मान्यता छूट लागू करती है। यह कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे मान्यता छूट को भी लागू करती है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. वित्तीय पट्टे पर दी गई संपत्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को वित्तीय पट्टे की प्राप्य राशि के प्रारंभिक माप में शामिल किया जाता है और पट्टे की अवधि में मान्यता प्राप्त आय की राशि को कम किया जाता है।

ऑपरेटिंग लीज़ से उत्पन्न होने वाली लीज़ आय को स्ट्रेट लाइन के आधार पर लीज़ अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि लीज़ किराए में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरुप हो।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

₹10000/- से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति को जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को लाभ- हानि विवरण में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

सॉफ्टवेयर	वर्ष 3
अन्य	वर्ष 01

वर्ष की शुरुआत में ₹ 10000/- या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधियों की समीक्षा की जाती है तथा यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका लेखा-जोखा भविष्य में किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान गतिविधियों पर हुए व्यय को, लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय की गणना विश्वसनीयता से की जाती है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। खर्च की गई पूंजी में सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल हैं जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बारह महीने से अधिक समय लगता है, वह उस उद्देश्य के लिए अर्हक परिसंपत्ति है।

अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की गई हैं।

6. माल-सूची

इन्वेंटरी की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, खुले उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

7. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान तब होती है जब वादा की गई सामग्री या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है।

समय के साथ निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए, राजस्व मान्यता निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है। प्रगति को निष्पादन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है, यानी इनपुट विधि।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और समय अवधि में राजस्व को मान्यता देती है यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है: ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के निष्पादन का लाभ उठाता है या

(ख) ग्राहक परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है क्योंकि यह कंपनी के निष्पादन द्वारा बनाई/बढ़ाई जा रही है या

(ग) परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी के पास कानूनी मिसालों पर विचार करते हुए भुगतान का स्पष्ट या निहित अधिकार है

अन्य सभी मामलों में, निष्पादन दायित्व को किसी समय पर संतुष्ट माना जाता है।

राजस्व को संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। लेनदेन मूल्य वह राशि है जिसके लिए कंपनी को किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

अन्य आय

लाभांश आय को लाभ और हानि के विवरण में उस तिथि को मान्यता दी जाती है जिस दिन कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी, शुल्क वापसी और बीमा के दावों का लेखा-जोखा प्रोद्भव आधार पर किया जाता है।

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

कल-पुर्जों की बिक्री

सामान्य गतिविधियों के दौरान गैस टर्बाइन पार्ट्स की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री कर और बिक्री रिटर्न के शुद्ध मूल्य पर प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है। वादा किए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण को ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर राजस्व की पहचान उस राशि में की जाती है जो उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में हमें मिलने वाली उम्मीद को दर्शाती है।

इंजीनियरिंग सेवाएँ

निश्चित-मूल्य, निश्चित-समय-सीमा इंजीनियरिंग और आपूर्ति अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, जहाँ निष्पादन दायित्व समय के साथ संतुष्ट हो जाते हैं और जहाँ विचार के मापन या संग्रहणीयता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं होती है, उसे प्रतिशत-पूर्णता पद्धति के अनुसार मान्यता दी जाती है।

मरम्मत सेवाएँ

मरम्मत सेवाओं के मामले में, राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहचान किया जाता है। मरम्मत सेवा अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए प्रतिस्थापन भागों की बिक्री को ग्राहक को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है और यह बिक्री कर और बिक्री रिटर्न से शुद्ध है।

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) के मामले में

ठेकेदारों को दिए गए कार्य अग्रिम पर ब्याज से उत्पन्न होने वाली आय को प्राप्ति/स्वीकृति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

सीईआरसी/केईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधूरी ऊर्जा की बिक्री और अन्य विविध प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व को पूंजी लागत में से घटाकर हिसाब में लिया जाता है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सीईआरसी/केईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014 में दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

8. विदेशी मुद्राअंतरण/ लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में उस तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है, जिस दिन लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए योग्य होता है।

विदेशी मुद्रावाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर- मौद्रिक देनदारियों और गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित (अदल-बदल) किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

निर्धारित योगदान योजना

कंपनी द्वारा कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा-काल हेतु लाभ एवं हानि विवरण में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्चुअरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरुप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर-संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि सबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है। पुनर्मापन में एक्चुरियल लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच का

अंतर अन्य व्यापक आय (आयकर के बाद शुद्ध) में मान्यता प्राप्त है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

10. प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हरजाने के दावों को, समान लेन-देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरुप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रुप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को खर्च करने की जरुरत पड़े।

तथापि, जहां धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रुप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रुप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रुप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो (जहाँ कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है)। आकस्मिक देयताएँ प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।.

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दिखाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रुप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर किया जाता है और उन्हें आस्थगित आय के रुप में माना जाता है। आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी भरपाई करने का इरादा है।

12. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं।

वर्तमान आय कर

आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की दर्शाई गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो पाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

13. परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार और पट्टे की प्राप्य राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रुप में किया जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है, यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट

लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर, वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी उत्पादक इकाइयों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहाँ हानि का कोई संकेत मिलता है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जहाँ वहन राशि नकदी उत्पादक इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

पूर्ववर्ती अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि हानि कम हुई है या अब मौजूद नहीं है।

यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि हानि को उलट दिया जाता है। हानि को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो, जो मूल्यह्रास या परिशोधन के बाद निर्धारित की जाती, यदि कोई ह्रास हानि नहीं पहचानी गई होती।

14. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारण खंड विशेष की परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार किया जाता है। जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जासकती हैं, उन्हें अनावंटित राजस्व / व्यय/ सम्पत्ति/ देनदारियों के तहत शामिल किया गया है।

15. गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है: -

(ए) परिशोधित लागत और (बी) लाभ एवं हानि ("FVTPL") के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां।

परिशोधित लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में, सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है, जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि-रेकोग्राइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि-रेकोग्राइज किया जाता है।

बाद में नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है:

परिशोधित लागत

"परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत» का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से परिशोधित लागत पर किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ - हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी –

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय साधनों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर रखा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेन-देन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को बाद में नीचे दिए अनुसार मापा जाता है: प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

16. नकद एवं नकद समतुल्य

नगद और नगद समतुल्य में बैंक में शेष और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रूप में परिवर्तनीय हैं और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

17. लाभांश

कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी तब मानती है जब वितरण अधिकृत होता है, और वितरण अब कंपनी के विवेक पर नहीं होता है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब अधिकृत होता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक संगत राशि सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होती है।

18. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रुपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

नोट [3क] - गैर चालू परिसंपत्तियाँ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिन्दु को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनःघोषित)
सकल ब्लॉक	6897.00	6620.97
घटाएँ : संचित मूल्यह्रास	4386.31	4212.23
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.1 देखें)	**2510.69**	**2408.74**

आरओयू परिसंपत्तियों के संबंध में निवल ब्लॉक में ₹ 142.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 155.26 करोड़) शामिल हैं।

कंपनी ने इंडएएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, एवं तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है

नोट [3ख] - गैर चालू परिसंपत्तियाँ
प्रगति पर पूंजीकृत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति (पुनःघोषित)	
संयंत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण:				
इरेक्शन/ फेब्रिकेशन/प्रतीक्षारत इरेक्शन प्रगति पर	81.86		82.41	
ट्रांसिट में	48.86	130.72	6.95	89.36
प्रगति पर निर्माण कार्य -सिविल		151.16		253.96
निर्माण भंडार - (मार्गस्थ सहित)		0.44		1.27
कुल		**282.32**		**344.59**

(₹ करोड़ में)

सीडबल्यूआईपी काल प्रभावन सूची - 31 मार्च 2024	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	152.55	43.02	14.91	59.28	269.76
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	0.59	11.97	12.56

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है)- 31 मार्च, 2024 तक	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर					
नई बिल्डिंग - नोएडा	106.62	-	-	-	106.62
(₹10 करोड़ से कम लागत की परियोजनाएं (कुल संख्या-18)	2.58	0.09	0.48	-	3.15
परियोजनाएं अस्थायी रुप से स्थगित					
उपकरण निर्माण संयंत्र – भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 4)	0.28	-	-	1.60	1.88

सीडबल्यूआईपी काल प्रभावन सूची - 31 मार्च 2023	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	115.98	53.36	73.56	89.13	332.03
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	0.59	-	11.97	12.56

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है)- 31 मार्च, 2023 तक	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर					
नई बिल्डिंग - नोएडा	224.76	-	-	-	224.76
ट्रांसफॉर्मर डबल बॉटलनेक्किंग	10.27	-	-	-	10.27
(₹10 करोड़ से कम लागत की परियोजनाएं (कुल संख्या-18)	16.99	0.09	-	0.34	17.42
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित					
उपकरण निर्माण संयंत्र – भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 4)	-	0.28	-	1.60	1.88

नोट 3.1 – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 को अथशेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2024 को अंत शेष	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2024 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2024 को निवल ब्लॉक	31.03.2023 को निवल ब्लॉक
भूमि-फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित) भूमि-फ्री होल्ड	27.73	0.00	0.00	**27.73**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**27.73**	27.73
भवन- फ्री होल्ड	1824.08	160.46	(5.63)	**1978.91**	720.15	48.86	(5.14)	**763.87**	**1215.04**	1103.93
सड़कें, पुल एवं पुलियाँ	16.10	0.19	0.00	**16.29**	14.76	0.29	(0.00)	**15.05**	**1.24**	1.34
जल व माल निकासी एवं जल-आपूर्ति	36.21	3.07	0.00	**39.28**	9.37	1.40	(0.00)	**10.77**	**28.51**	26.84
प्लांट व मशीनरी	3325.63	100.68	(0.56)	**3425.75**	2504.39	119.30	(0.55)	**2623.14**	**802.61**	821.25
रेलवे साईडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	5.75	0.42	(0.00)	**6.17**	**2.68**	3.10
लोकोमोटिव व वेगन	28.33	0.00	0.00	**28.33**	19.23	1.56	0.00	**20.79**	**7.54**	9.10
फर्नीचर व फिक्चर्स	70.01	13.40	(1.41)	**82.00**	47.82	5.60	(1.25)	**52.17**	**29.83**	22.19
वाहन	14.90	1.73	(0.03)	**16.60**	11.45	0.95	(0.03)	**12.37**	**4.24**	3.45
कार्यालय व अन्य उपस्कर	147.36	10.83	(2.05)	**156.14**	128.57	8.55	(1.96)	**135.16**	**20.97**	18.79
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	165.25	3.67	6.07	**174.99**	160.36	1.59	6.07	**168.02**	**6.97**	4.89
इलेक्ट्रिकल अधिष्ठापन	286.28	24.84	0.00	**311.12**	188.06	9.14	0.00	**197.20**	**113.91**	98.21
निर्माण उपस्कर	71.89	0.26	(1.18)	**70.97**	70.24	0.47	(1.18)	**69.53**	**1.44**	1.65
10,000/-तक की लागत वाली अचल संपत्तियाँ	22.92	2.50	(1.08)	**24.34**	22.92	2.49	(1.07)	**24.34**	**-**	-
सोलर पावरजेनरेशन	143.46	0.28	0.00	**143.74**	32.45	5.48	0.00	**37.93**	**105.81**	111.01
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ	431.97	14.62	(54.63)	**391.96**	276.71	27.51	(54.43)	**249.80**	**142.17**	155.26
कुल	**6620.97**	**336.53**	**(60.51)**	**6897.00**	**4212.23**	**233.66**	**(59.53)**	**4386.31**	**2510.69**	**2408.74**
पिछला वर्ष	6330.90	319.60	(29.53)	**6620.97**	3994.55	246.25	(28.57)	**4212.23**	**2408.74**	2336.35

नोट:

31.03.2024 को सकल ब्लॉक रु. 13965.56 करोड़ (पहले आईजीएएपी के अनुसार) और 31.03.2023 को रु. 13756.12 करोड़ था।

31.03.2024 को निवल ब्लॉक में रु. 5.04 करोड़ रुपये की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग में न आ रही संपत्तियों को सम्मिलित किया गया है। (पिछले वर्ष रु. 14.90करोड़)

31.03.2024 को निवल ब्लॉक में 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.12 करोड़) अनुपयोगी और सक्रिय उपयोग में न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में भारत सरकार से अनुसंधान के लिए प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्ति की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति रु. 242.91 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 239.93 करोड़ रुपये) कंपनी की नहीं है।

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में कोई ह्रास हानि नहीं हुई है।

टेबल 3.1 (क): राइट ऑफ यूज़ परिसंपत्तियों में शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 को अथशेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2024 को अंत शेष	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2024 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2024 को निवल ब्लॉक	31.03.2023 को निवल ब्लॉक
भूमि (विकास व्यय सहित)	119.84	4.75	(0.90)	**123.69**	17.51	4.25	(0.90)	**20.86**	**102.83**	102.33
भवन	1.63	1.03	0.00	**2.66**	0.41	0.09	(0.00)	**0.50**	**2.16**	1.22
प्लांट व मशीनरी	40.01	4.95	(24.06)	**20.91**	27.46	6.94	(24.06)	**10.34**	**10.57**	12.55
कार्यालय व अन्य उपकरण	16.51	0.00	(0.09)	**16.42**	15.13	0.39	(0.09)	**15.43**	**0.99**	1.38
ईडीपी उपस्कर	225.76	2.44	(25.18)	**203.02**	203.06	10.02	(25.18)	**187.89**	**15.13**	22.70
वाहन	6.42	1.45	(0.62)	**7.25**	1.68	1.52	(0.42)	**2.78**	**4.47**	4.74
अन्य	21.80	0.00	(3.78)	**18.02**	11.46	4.32	(3.78)	**12.00**	**6.02**	10.34
कुल	**431.97**	**14.62**	**(54.63)**	**391.96**	**276.71**	**27.51**	**(54.43)**	**249.80**	**142.17**	**155.26**
पिछला वर्ष	429.75	33.59	(31.37)	431.97	274.92	33.00	(31.21)	276.71	155.26	154.83

नोट [3.1] - परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण				31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
1.	**भूमि एवं भवन निम्नलिखित शामिल हैं:**				
क.	i)	जमीन, जिसके लिए औपचारिक अंतरण पट्टा विलेख नहीं किया गया है	(एकड़ में)	8441.47	8441.47
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	64.24	64.96
	ii)	फ्लैटों की संख्या, जिनके लिए औपचारिक पट्टा विलेख नहीं किया गया है	(संख्या में)	12	12
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	0.97	1.01
	iii)	जमीन, जिसके लिए प्रदत लागत अनंतिम है; [पंजीकरण प्रभार एवं स्टांप शुल्क (प्रावधानों को छोड़कर), जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी।]	(एकड़ में)	480.04	480.04
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	60.54	61.26
ख.	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्य को पट्टे पर दी गई जमीन		(एकड़ में)	20.47	20.47
ग.	जमीन, जो प्रतिकूल/ अनधिकृत कब्जे में है		(एकड़ में)	947.40	873.48

घ. 1297.86 एकड़ (PY 1297.86 एकड़) भूमि हरिद्वार संयंत्र में म्यूटेशन के लिए लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें 934 एकड़ (PY 934 एकड़) भूमि शामिल है जो बीएचईएल के कब्जे में है लेकिन वर्ष 2004 से 2007 में उत्तराखंड सरकार के सिडकुल के नाम पर गलत तरीके से म्यूटेट की गई है।

ङ. इसके अलावा, हरिद्वार संयंत्र में, 8 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार के दिनांक 01.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के तहत आईओएसएल/ राज्य सरकार को हस्तांतरण के लिए लंबित है।

(उपर्युक्त (ख से ङ) की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है)

विवरण			31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
2.	i)	भूमि का कुल क्षेत्रफल एकड़ में	16660.72	16660.72
	ii)	2 (i)में से फ्री होल्ड भूमि (सेल डीड)/ कब्जे / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में)	15987.38	15987.38
	iii)	2 (i)में से पट्टा होल्ड भूमि (एकड़ में)	673.34	673.34

3. कंपनी 10000/- रु. तक की लागत ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले पीपीई के एक मद पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की एक वस्तु पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
10,000/- रु. चार्ज ऑफ तक पीपीई पर 100% मूल्यह्रास	4.48	7.21
घटाएँ : उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	(1.37)	(4.39)
वर्ष के लिए मूल्यह्रास के रुप में प्रभारित अतिरिक्त राशि	3.11	2.82

4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत, आवश्यक अनुमोदन के अधीन इन संपत्तियों (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौर आवासीय फ्लैट, नागपुर - भूमि और भवन और (iii) वडोदरा टाउनशिप - भूमि और भवन, जिन सबका निवल ब्लॉक मूल्य ₹1.42 करोड़ है, की पहचान बिक्री के लिए की गई है।

नोट [4क] –गैर चालू परिसंपत्तियाँ
अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त संपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 4 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
सकल ब्लॉक	339.23	327.88
घटाएँ : संचित परिसोधन	275.88	260.64
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए 4.1 का संदर्भ लें)	**63.35**	**67.24**

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अंतर्गत छूट का विकल्प चुना था, और तदनुसार 31.03.2015 को वहन मूल्य को भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि पर अनुमानित लागत माना गया।

नोट 4.1 – अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2024 को अंतिम शेष	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2024 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2024 को निवल ब्लॉक	31.03.2023 को निवल ब्लॉक
आंतरिक स्रोतों से विकसित										
- अन्य	71.46	4.44	0.00	**75.90**	69.25	1.78	0.00	**71.03**	**4.88**	2.21
आंतरिक स्रोतों से विकसित के अलावा अन्य										
- सॉफ्टवेयर	56.26	4.84	0.00	**61.10**	52.03	2.98	(0.00)	**55.01**	**6.09**	4.23
- तकनीकी ज्ञान	200.16	2.07	0.00	**202.23**	139.36	10.48	0.00	**149.85**	**52.38**	60.80
कुल	**327.88**	**11.35**	**0.00**	**339.23**	**260.64**	**15.24**	**(0.00)**	**275.88**	**63.35**	**67.24**
पिछला वर्ष	308.92	19.21	(0.25)	**327.88**	246.80	14.09	(0.25)	**260.64**	**67.24**	62.12

सकल ब्लॉक (पिछली IGAAP के अनुसार) 31.03.2024 को ₹606.94 करोड़ तथा 31.03.2023 को ₹598.12 करोड़. वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है

नोट [4ख] - गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	26.04	9.26
कुल	**26.04**	**9.26**

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति काल प्रभावन-31, मार्च 2024 को स्थिति	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	20.03	3.47	-	2.54	26.04
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति पूर्णता कार्यक्रम (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है)- 31, मार्च 2024 को स्थिति	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	20.03	3.47	-	2.54	26.04
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति काल प्रभावन-31, मार्च 2023 को स्थिति	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	5.67	1.05	-	2.54	9.26
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति पूर्णता कार्यक्रम (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है)- 31,मार्च 2023 को स्थिति	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थाई रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

नोट [5] - गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
इक्विटी पद्धति का उपयोग कर के निवेश का लेखा-जोखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
बीएचईएल गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		
आरंभिक शुद्ध संपत्तियाँ	232.29	201.86
वर्ष के दौरान हानि/लाभ	63.98	56.02
अन्य व्यापक आय	(0.14)	0.59
घटाएँ: लाभांश का भुगतान	41.65	26.18
अंत शुद्ध परिसंपत्तियाँ	**254.48**	**232.29**

आरपीसीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उनके असंबद्ध वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास₹ 1551 करोड़ रुपये की राशि के घाटे का अपरिचित हिस्सा है।

एनबीपीपीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उनके असंबद्ध वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास ₹111 करोड़ रुपये की राशि के घाटे का अपरिचित हिस्सा है।

नोट [5क] - गैर-चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति			31 मार्च 2023 की स्थिति		
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. में)	राशि		शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. में)	राशि	
I कोटेड इक्विटी साधन -			-			-
II अनकोटेड इक्विटी साधन (पूरी तरह भुगतान किए गए शेयर)						
(a) **संयुक्त उद्यमों में निवेश (लागत पर))**						
(i) पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि.	1999999 (10)	2.00		1999999 (10)	2.00	
घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		2.00	-		2.00	-
(ख) **पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी उपकरणों में निवेश (एफ़वीटीपीएल पर)**						
(i) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लि.	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
जोड़ें/(घटाएँ): उचित मूल्य समायोजन		0.28	1.19		2.22	3.13
(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि..	1892 (10)	**		1892 (10)	**	
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी #						
कुल			**1.19**			**3.13**
** रु. 1 लाख से कम का मूल्य						
अनकोटेड निवेश की कुल राशि			**2.91**			2.91
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि			**1.72**			(0.22)

#विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य 1 लाख /- से कम है -

संयुक्त उद्यम के बारे में जानकारी

विवरण	देश जहां निगमन हुआ	31 मार्च 2024 की स्थिति	31 मार्च 2023 की स्थिति
(क) संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सेर्विसेस प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)	भारत	50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल)	भारत	22.14%	22.14%
पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. (पीपीआईएल)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम

(i) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹50.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक 50.00 करोड़ रुपए) तक किया गया है। 08 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के समापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने एनटीपीसी को सलाह दी है कि वह बीएचईएलकी हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करे एवं या तो इसे एक ई-हाउस शाखा के रूप में जारी रखने या वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे बंद करने का निर्णय ले। यह सलाह एनबीबीपीएल निदेशक मंडल द्वारा 29.08.2019 को हुई बैठक में दी गई थी। तत्पश्चात 03.10.2022 को ऊर्जा मंत्रालय में हुई बैठक के अनुसार ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट (1×500 MW) में वर्तमान में चल रहे कार्य को पूरा होने के पश्चात NBPPL को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(ii) पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान ₹2.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹2.00 करोड़ रुपए) किया गया है क्योंकि जेवीसी परिसमापन के तहत है एवं इक्विटी के रूप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

(iii) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में निवेश का निपटान वित्तीय वर्ष में 2022-23 कर दिया गया है और वर्ष के दौरान ₹26.22 करोड़ की बिक्री आय प्राप्त हुई है।(₹25.39 करोड़+TDS ₹0.03 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0.80 करोड़).

नोट [6]–वित्तीय परिसंपत्तियाँ व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिन्दु 13देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31, मार्च 2024 की स्थिति		31, मार्च 2023 की स्थिति (पुनःघोषित)*	
	गैर-चालू	चालू		गैर-चालू
असुरक्षित, शोध्य	3601.58	5344.68	3743.94	3433.95
साख का मूल्यह्रास(बी&डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल)	11682.32	544.70	11176.04	367.08
	15283.90	**5889.38**	**14919.98**	**3801.03**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	12059.21	1104.00	11504.44	672.68
कुल व्यापार प्राप्य(शुद्ध)	**3224.69**	**4785.38**	**3415.54**	**3128.35**

व्यापार प्राप्यों के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण इंडएएस 109 के अनुसार किया जाता है।

व्यापार प्राप्यों में शामिल है:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट (i) व्यापार प्राप्य में ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी सूडान) से 211 करोड़ (25.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की अतिदेय राशि शामिल है, जो गृहयुद्ध के कारण अटकी हुई थी, लेकिन इसे अच्छा माना गया और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित)

(ii) उपरोक्त में से व्यापार प्राप्तियों में 167.23 करोड़ तथा अन्य आय में 123.18 करोड़ की ब्याज आय का समायोजन शामिल है (नोट 23)। यह राशि बी.पी.सी.एल. (पूर्ववर्ती बी.ओ.आर.एल. बीना) से बी.जी. के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय (मुंबई) के निर्देश पर बी.एच.ई.एल. के पक्ष में आर्बिट्रल अवार्ड के अनुसरण में अंतरिम राहत के रूप में प्राप्त हुई है।

गैर-चालू व्यापार प्राप्य काल प्रभावन कार्यक्रम -31 मार्च, 2024

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –स्वीकृत माल	80.11	202.23	251.34	154.46	1173.65	-	-	1861.79
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	65.26	37.02	10.28	5.34	1621.89	-	-	1739.79
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	173.55	83.73	281.82	305.34	10837.88	-	-	11682.32

चालू व्यापार प्राप्य काल प्रभावन कार्यक्रम -31 मार्च, 2024

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –स्वीकृत माल	4009.53	638.13	387.24	142.68	167.10	-	-	5344.68
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	2.72	1.42	9.65	19.58	511.33	-	-	544.70

गैर-चालू व्यापार प्राप्य काल प्रभावन कार्यक्रम -31 मार्च, 2023

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –स्वीकृत माल	50.85	100.34	116.08	78.12	1410.59	-	-	1755.98
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	1.72	0.01	3.56	21.61	1961.06	-	-	1987.96
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	95.54	91.62	283.17	340.39	10365.32	-	-	11176.04

चालू व्यापार प्राप्य काल प्रभावन कार्यक्रम -31 मार्च, 2023

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –स्वीकृत माल	2395.97	331.70	281.11	107.69	317.48	-	-	3433.95
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - स्वीकृत माल	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	2.72	0.81	23.33	14.67	325.55	-	-	367.08

नोट [7] – वित्तीय परिसंपत्तियाँ -अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनःघोषित)*	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सुरक्षा जमा				
एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट एवं अन्य के पास जमा				
असुरक्षित, शोध्य	100.83	58.27	106.39	25.19
साख का मूल्यह्रास	3.40	12.93	3.59	11.32
	104.23	**71.20**	**109.98**	**36.51**
घटाएँ: डूबे एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	3.40	12.93	3.59	11.32
	100.83	**58.27**	**106.39**	**25.19**
जारी बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के सापेक्ष सावधि जमा	**105.27**	**-**	**36.30**	**-**
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	**-**	**-**	**-**	**-**
बैंक जमा राशि पर अर्जित ब्याज	**-**	**122.86**	**-**	**140.68**
कर्मचारियों को अग्रिम	-	59.00	-	20.61
घटाएँ: डूबे एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	-	0.31	-	0.04
	-	**58.69**	**-**	**20.57**
कुल योग	**206.10**	**239.82**	**142.69**	**186.44**
प्रतिभूति जमा में शामिल है:				
निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
अधिकारियों से प्राप्य	-	0.01	-	0.01

नोट [8] –गैर चालू परिसंपत्तियाँ
आस्थगित कर संपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट12 [2] का बिंदु 13देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनःघोषित)*
आस्थगित कर संपत्तियाँ		
प्रावधान	2614.51	2477.94
भुगतान आधार पर देय राशि की अनुमति	520.72	549.35
मूल्यह्रास (पीपी-ई एवं परिसंपत्तियाँ)	(24.86)	12.13
कर योग्य हानि पर	1012.04	1105.79
अन्य	78.85	101.33
उप कुल	**4201.26**	**4246.54**
घटाएँ: आस्थगित कर देयताएं	-	-
आस्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध देनदारियाँ)	**4201.26**	**4246.54**

नोट [9] - अन्य परिसंपत्तियाँ

परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट[2] के बिंदु 13 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (बिना बिल किए गए राजस्व सहित)				
अरक्षित, शोध्य	14585.00	14342.73	18928.58	10811.45
साख का मूल्य ह्रास	3635.34	441.72	2773.38	584.87
	18220.34	**14784.45**	**21701.96**	**11396.32**
घटाएँ: दोषयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4924.61	1332.64	5095.59	1,536.35
उप कुल(ए)	**13295.73**	**13451.81**	**16606.37**	**9859.97**
सुरक्षा जमा				
कर प्राधिकरणों एवं अन्यों के पास जमा				
अरक्षित, शोध्य	65.54	340.71	80.66	378.58
अरक्षित, शोध्य	39.88	72.04	31.19	71.19
	105.42	**412.75**	**111.85**	**449.77**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	39.88	72.04	31.19	71.19
उप कुल (बी)	**65.54**	**340.71**	**80.66**	**378.58**
ऋण व अग्रिम				
अरक्षित, शोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कांट्रेक्टर)	128.33	37.55	41.14	128.69
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	1293.31	-	1079.97
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	197.79	790.00	210.04	652.15
पूंजी अग्रिम	2.30	-	17.29	-
अरक्षित, अशोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (वेंडर एवं सब कांट्रेक्टर)	11.10	27.92	11.92	9.65
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	7.66	-	6.44
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	372.60	161.00	90.29	149.02
पूंजी अग्रिम	-	-	-	-
	712.12	**2317.44**	**370.68**	**2025.92**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	383.70	196.58	102.21	165.11
उप कुल (सी)	**328.42**	**2120.86**	**268.47**	**1860.81**
कुल (ए+बी+सी)	**13689.69**	**15913.38**	**16955.50**	**12099.36**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
I) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां - शोध्य	11592.50	14342.73	15020.29	10811.45
II) अविवादित संविदा परिसंपत्तियां - क्रेडिट इंपेयर्ड	-	-	-	-
III) विवादित संविदा परिसंपत्तियां - शोध्य	2992.50	-	3908.29	-
IV) विवादित संविदा परिसंपत्तियां - क्रेडिट इंपेयर्ड	3635.34	441.72	2773.38	584.87
कुल	**18220.34**	**14784.45**	**21701.96**	**11396.32**
ऋण एवं अग्रिम में शामिल हैं:				
(ए) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(बी) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट [10] - चालू परिसंपत्तियाँ
माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन पर लेखा नीति के लिए नोट [2]का बिंदु 6 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
कच्चा माल एवं अवयव	2866.04		2900.92	
मार्गस्थ में सामग्री	203.29	3069.33	127.98	3028.90
कार्य प्रगति पर		3917.74		3482.75
(उप-ठेकेदारों के पास मौजूद वस्तुओं सहित)				
तैयार माल	414.31		422.57	
मार्गस्थ में अंतर-विभागीय स्थानांतरण	89.18	503.49	89.20	511.77
भंडार एवं स्पेयर पार्ट्स				
उत्पादन	150.51		149.68	
ईंधन भंडार	5.49		6.14	
विविध	58.64	214.64	47.37	203.19
अन्य माल सूची				
फैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री	105.00		85.43	
खुले औजार	19.20		24.35	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	173.33	297.53	163.30	273.08
		8002.73		**7499.69**
घटाएँ: अचल माल सूची के लिए प्रावधान		782.16		743.79
कुल		**7220.57**		**6755.90**
नोट:				
माल सूची का बट्टाकरण		105.78		59.72
घटाएँ: इसके उलट		67.41		63.01
शुद्ध		38.37		(3.29)

नोट [11] - चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ- नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 16 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
बैंकों में शेष				
ईईएफसी खाता	284.68		226.21	
चालू/नकद क्रेडिट खाता #	1547.21	1831.89	1206.04	1432.25
चेक, डिमांड ड्राफ्ट ऑन हैंड		3.08		128.99
नकदी एवं स्टाम्प ऑन हैंड		0.07		0.08
मार्गस्थ रेमिटेंसेज		-		0.02
कुल		**1835.04**		**1561.34**

#इसमें विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एस्क्रो खाते में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹116.18 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹112.23 करोड़ शामिल हैं।

नोट [12] - चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ- नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनःघोषित)*	
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम अवधि की परिपक्वता वाली सावधि जमाएं		3739.65		4852.34
जारी किए गए बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे फिक्स डिपोजिट		462.06		174.37
बैंकों बकाया राशि (निर्धारित):				
सीईएफसी खाता	9.70		7.99	
अदावाकृत लाभांश खाता	1.74		1.91	
अप्रत्यावर्तनीय खाता	0.65		0.37	
बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय	0.03		0.03	
संरचना खाता	0.14		0.14	
बीएचईएल खाते में न्यायालय के पास सावधि जमा	106.07		91.79	
सीएसआर	2.39	120.72	7.79	110.02
कुल		**4322.43**		**5136.73**
कुल नकद एवं बैंक में जमा राशि		**6157.47**		**6698.07**

नोट [13] - चालू परिसंपत्तियाँ
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएं) (शुद्ध)

आयकरों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 12 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनःघोषित)*
अग्रिम कर एवं टीडीएस	254.20	285.80
घटाएँ: : कराधान के प्रावधान	25.13	59.42
कुल	**229.07**	**226.38**

नोट [14] –इक्विटी
इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत	10000000000 (2)	2000.00	10000000000 (2)	2000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड एवं पूर्णतः प्रदत्त	3482063355 (2)	696.41	3482063355 (2)	696.41
ए) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान				
वर्ष की शुरुआत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
बढ़े/घटे: वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में)	राशि	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रुपये में)	राशि
बी) वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	2199650402	63.17%	2199650402	63.17%
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग का प्रतिशत परिवर्तन		Nil		Nil
भारतीय जीवन बीमा निगम	284736920	8.18%	350770257	10.07%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		2.00		2.00

सी) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य ₹2 प्रति शेयर है (पिछले वर्ष ₹2 प्रति शेयर)। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

डी) शेयर बायबैक (31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के पिछले पांच वर्षों में)

शेयर बायबैंक (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के पिछले पाँच वर्षों में) कंपनी ने 25 अक्टूबर, 2018 के अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन को रद्द कर दिया, अपने 18,93,36,645 शेयर ₹2 प्रत्येक के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीद लिया, जिनमें से प्रत्येक कुल जारी किए गए 5.16% एवं पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में ₹86 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर ₹1628,29,51,470 की राशि के लिए कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारक को दर्शाता है। परिणामस्वरुप भुगतान की गई शेयर पूंजी वित्त वर्ष 2017-18 में ₹734.28 करोड़ से कम होकर वित्त वर्ष 2018-19 में ₹696.41 करोड़ रुपये हो गई।

नोट [15] - इक्विटी
अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*
आरक्षित पूंजी	35.18	35.18
आरक्षित पूंजी मोचन	37.87	37.87
सामान्य आरक्षित	30476.66	30476.66
प्रतिधारित आय	(6390.15)	(6533.10)
ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन)	(417.32)	(334.76)
कुल	**23742.25**	**23681.85**

उपर्युक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत परिवर्धन और कटौती के लिए, एसओसीआईई (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) का संदर्भ लिया जा सकता है।

आरक्षित कोष की प्रकृति और उद्देश्य:

(ए) **आरक्षित पूंजी:** यह मुख्य रुप से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है, जो तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के बीएचईएल के साथ विलय के दौरान भुगतान की गई लागत पर है।

(बी **आरक्षित पूंजी मोचन:** कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की खरीद पर पूंजी मोचन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन रिजर्व में राशि वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर है।

(सी) **सामान्य आरक्षित:** यह भविष्य के (ज्ञात/अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए मुनाफे के संचय को दर्शाता है।

(डी) **प्रतिधारित आय:** प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने आज तक कमाया है, सामान्य आरक्षित, लाभांश या शेयरधारकों को अन्य वितरण में स्थानांतरण को घटाता है।

(ई) **शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन:** योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में प्राप्त रिटर्न के बीच अंतर, तथा योजनाओं के भीतर बीमांकिक धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान देयताओं में कोई भी परिवर्तन, 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता प्राप्त है और इन्हें बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाना है।

नोट [16] - वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं

पट्टा पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 3 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुन: घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
पट्टा देयताएं	23.55	24.91	33.75	34.76
कुल	**23.55**	**24.91**	**33.75**	**34.76**

पट्टे के संबंध में और अधिक विवरण नोट [37] में दिया गया है।

नोट [17] - वित्तीय देयताएं - व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुन: घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
व्यापार देय				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	-	1157.45	-	1211.53
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	2292.76	7502.15	2065.92	8558.03
(iii) स्वीकृतियाँ	-	36.64	-	126.27
कुल	**2292.76**	**8696.24**	**2065.92**	**9895.83**

गैर-चालू व्यापार देय काल प्रभावन कार्यक्रम - 31 मार्च, 2024 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) अन्य	0.01	0.04	0.14	-	7.81	1863.77	1871.77
II) विवादित बकाया-अन्य^	9.24	0.30	0.58	231.73	0.09	179.05	420.99

चालू व्यापार देय काल प्रभावन कार्यक्रम - 31 मार्च, 2024 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	4.01	-	-	-	149.80	1002.50	1156.31
II) अन्य	495.55	18.32	15.13	19.48	1781.67	5198.29	7528.44
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	1.15	1.15
IV) विवादित बकाया - अन्य^	-	-	-	7.00	-	3.35	10.35

गैर-चालू व्यापार देय काल प्रभावन कार्यक्रम - 31 मार्च, 2023 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) अन्य	-	-	-	-	0.36	1710.97	1711.33
II) विवादित बकाया-अन्य^	1.51	59.06	9.86	271.70	0.09	12.37	354.59

चालू व्यापार देय काल प्रभावन कार्यक्रम - 31 मार्च, 2023 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नही हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं $	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	0.02	-	-	-	196.38	1010.60	1207.00
II) अन्य	581.83	0.58	0.27	2.10	1534.73	6455.49	8575.00
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	4.53	4.53
IV) विवादित बकाया - अन्य^	-	-	-	6.98	-	102.32	109.30

$ भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं, यह संविदात्मक रुप के अनुसार रखी गई रकम को दर्शाता है जो चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होना है।

^बकाया का विवरण संविदात्मक रुप से नियत तिथि के आधार पर दिया जाता है. लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

नोट [18] - वित्तीय देयताएँ - अन्य वित्तीय देयताएँ (₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
ठेकेदारों और अन्य से जमा राशि	315.02	548.62	247.10	544.77
देयताएँ:				
- कर्मचारियों का बकाया	-	353.32	-	384.33
- पूंजीगत व्यय	10.86	114.90	8.60	111.50
- अन्य#	-	374.89	-	354.33
भुगतान नहीं किया गया लाभांश**	-	1.74	-	1.91
उधार पर अर्जित ब्याज	-	24.97	-	8.20
कुल	**325.88**	**1418.44**	**255.70**	**1405.04**

#अन्य में बोनस शेयरों के कारण भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री आय ₹0.03 करोड़ शामिल हैं।

**वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

नोट [19] - प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 9 और 10 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
संविदात्मक दायित्व	1373.26	448.91	2990.16	784.26
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान^	903.47	1228.15	878.37	1383.68
अन्य प्रावधान	212.35	639.07	232.49	622.54
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-	2.14	-	6.15
कुल	**2489.08**	**2318.27**	**4101.02**	**2796.63**

^कर्मचारी लाभों पर अधिक विवरण/ प्रकटीकरण नोट [25] में उपलब्ध है।

नोट [20] - अन्य देयताएँ

सरकारी अनुदानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 11 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
'संविदागत देयताएं (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जिसमें राजस्व से अधिक बिलिंग भी शामिल है)।	4063.35	3070.10	2585.67	3049.34
वैधानिक बकाया के प्रति देयताएँ	-	993.41	-	908.32
आस्थगित आय- सरकारी अनुदान#	39.42	3.43	20.14	4.63
कुल	**4102.77**	**4066.94**	**2605.81**	**3962.29**

#सरकार से सौर पीवी संयंत्र की स्थापना और मॉड्यूल के निर्माण, सीईएफसी (कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र) योजना, परमाणु पंप परीक्षण सुविधा के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है।

नोट [21] - चालू देयताएँ
वित्तीय देयताएँ - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*
प्रतिभूति		
बैंकों से ऋण (सावधि जमा द्वारा सुरक्षित)		1,115.00
बैंकों से ऋण	8808.00	4270.00
(कच्चे माल, घटकों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल एवं भंडार के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत)		
उप कुल (ए)	**8808.00**	**5385.00**
अरक्षित (बी)	**-**	**-**
कुल उधार (ए + बी)	**8808.00**	**5385.00**

(i) स्वीकृत सीमाओं का विवरण

विवरण	स्वीकृत सीमा	31 मार्च, 2024 उपयोग की स्थिति		स्वीकृत सीमा	31 मार्च, 2023 उपयोग की स्थिति	
		मूल्य (रु./करोड़)	% गोयपउ		मूल्य (रु./करोड़)	% गोयपउ
गैर निधि आधारित सीमाएँ	**51000**	**35096**	**68.82%**	**54000**	**33602**	**62.23%**
बैंक गारंटी#	48000	32828	68.39%	51000	30853	60.50%
साख पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित)	3000	2268	75.60%	3000	2749	91.63%
फंड आधारित सीमाएँ	**9000**	**8808**	**97.87%**	**6000**	**4270**	**71.17%**
डब्ल्यूसीडीएल		8808			4270	
पीसीएफसी		NIL			NIL	
वाणिज्य पत्र	**5000**	**NIL**		**5000**	**NIL**	

कुल कंसोर्टियम सीमा (निधि आधारित + गैर निधि आधारित) ₹60000 करोड़ है, जो कच्चे माल, घटकों, प्रगति पर काम, तैयार माल, भंडार, व्यापार प्राप्तियों और अन्य वर्तमान और भविष्य की वर्तमान परिसंपत्तियों के बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

वाणिज्यिक पत्र अरक्षित अल्पकालिक उधार की प्रकृति के होते हैं।

\# बकाया बैंक गारंटियों में 31 मार्च, 2024 को पहले से बदले गए लेकिन वेकेशन के लंबित बीजी के कारण ₹33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4 करोड़) शामिल हैं। इसके अलावा, 31.03.2024 को बकाया बीजी ₹32795 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹ 30849 करोड़)

(ii) वित्त वर्ष 2022-23 में बैंकों से ऋण ₹ 8808 करोड़ WCDL (कार्यशील पूंजी मांग ऋण) और पिछले वर्ष के लिए, सावधि जमा के खिलाफ ₹4270 करोड़ ऋण तथा ₹ 1115 करोड़ WCDL के लिए ऋण को दर्शाता है।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल की गई त्रैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण 'खाता बहियां' के अनुरुप हैं।

(v) 31.03.2024 तक बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी ₹328 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹403 करोड़)।

(vi) वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न उधार में परिवर्तन।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 कीस्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति (पुनः घोषित)*
प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	5385.00	4745.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	3,423.00	640.00
अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	**8808.00**	**5385.00**

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए नोट [37 (बी)] देखें।

नोट [22]
परिचालनों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 7 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
निर्माण और परियोजना से संबंधित गतिविधि से राजस्व	15888.42	16083.09
उत्पाद और अन्य सेवाओं की बिक्री	7032.10	6053.21
कुल (ए)	**22920.52**	**22136.30**
अन्य परिचालन आय		
माल ढुलाई और बीमा	163.78	187.84
स्क्रैप बिक्री	249.20	299.90
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली	220.12	131.33
रिटेन बैंक देयताएं	161.16	406.22
बीमा दावे	28.83	47.94
निर्यात प्रोत्साहन	10.20	19.63
अन्य	138.97	135.78
कुल (बी)	**972.26**	**1228.64**
परिचालन से राजस्व (ए + बी)	**23892.78**	**23364.94**
परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल और सेवा कर शामिल नहीं है:	3786.00	3566.00

नोट [23]
अन्य आय

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 7 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: घोषित)
ब्याज से आय*		
बैंकों से	345.35	302.35
अन्य	148.43	118.77
उप योग (ए)	**493.78**	**421.12**
अन्य आय		
निवेश की बिक्री पर लाभ - एनआईएनएल	0.80	25.42
कैप्टिव उपयोग/ सीईएफसी के लिए सोलर पीवी प्लांट पर सरकारी अनुदान	15.62	8.90
पीपीई एवं पूंजी भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	8.92	7.76
अन्य	27.15	25.43
उपयोग (बी)	**52.49**	**67.51**
कुल (ए+बी)	**546.27**	**488.63**
*टीडीएस शामिल है	5.28	13.44

नोट [24]
तैयार माल, कार्य प्रगति पर एवं स्क्रैप की मालसूची में परिवर्तन [(वृद्धि) / कमी]

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: घोषित)	
कार्य प्रगति पर				
अंतिम शेष	3917.74		3482.75	
आरंभिक शेष	3482.75	**(434.99)**	3349.47	**(133.28)**
तैयार माल				
अंतिम शेष	414.31		422.57	
आरंभिक शेष	422.57	**8.26**	518.09	**95.52**
स्क्रैप				
अंतिम शेष	173.33		163.30	
आरंभिक शेष	163.30	**(10.03)**	143.26	**(20.04)**
मार्गस्थ में अंतर-प्रभागीय अंतरण		**0.02**		**0.65**
(वृद्धि) / कमी		**(436.74)**		**(57.15)**

नोट [25]
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 9 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: घोषित)
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ	4802.44	4859.69
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	451.80	473.56
कर्मचारी कल्याण व्यय	248.10	244.69
ग्रेच्युटी फंड में योगदान	120.52	114.14
समूह बीमा	5.98	8.55
कुल	**5628.84**	**5700.63**

नोट: कर्मचारी लाभ व्यय को तीन वर्षों में एक बार होने वाली आवधिक वेतन समीक्षा के लिए (दिनांक 23.11.2023 के एमएचआई निर्देशों के अनुरुप) समायोजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप कर्मचारी लाभ व्यय में 183.50 करोड़ की सीमा तक परिवर्तन हुआ है।

नोट [26] अन्य व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
विद्युत व ईंधन		452.20		487.67
अन्य उप-संविदा पर व्यय		262.63		243.91
कैरिज आउटवर्ड		199.95		249.55
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		155.22		153.97
मरम्मत एवं रखरखाव:				
भवन	43.15		33.00	
प्लांट व मशीनरी	34.26		32.41	
अन्य	95.51	172.92	77.55	142.96
बीमा		139.72		108.03
यात्रा व वाहन		105.22		110.59
बैंक प्रभार		96.35		90.76
अनुसंधान व विकास संबंधी व्यय		9.95		12.81
भाड़ा व्यय		55.01		51.01
कोलाबोरेशन एवं रॉयल्टी पर व्यय		60.41		54.61
दर एवं कर		25.21		36.62
कार्यालय व्यय		29.83		29.32
कौशल विकास पर व्यय		13.49		11.47
विधि, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय		55.15		47.67
ईडीपी, सॉफ्टवेयर व लीज लाइन व्यय		16.64		17.61
जल प्रभार		23.39		22.83
निर्यात से संबंधित व्यय		14.12		8.64
गैर आवासीय किराया		2.59		9.85
मनोरंजन एवं शिष्टाचार पर व्यय		3.54		3.14
पर्यावरण संरक्षण		5.53		5.14
सेमिनार, विकास और प्रशिक्षण व्यय		4.47		2.90
इक्विटी शेयर के निवेश में अप्राप्त हानि		1.94		0.16
प्रचार एवं जनसंपर्क व्यय		3.08		3.62
विविध व्यय		78.01		49.29
मुद्रा विनिमय से परिवर्तन [शुद्ध (लाभ) / हानि]		(105.20)		(459.93)
प्रावधान एवं बट्टे खाते डाले (विवरण, नीचे बिंदु संख्या v पर)		(1037.14)		(1083.34)
योग		**844.23**		**410.86**
विस्तृत विवरण:				
(i) निदेशक की फीस		0.24		0.22
(ii) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय:				
प्लांट एवं मशीनरी		175.27		175.59
भवन		28.01		31.41
अन्य		28.60		33.34
(iii) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		126.08		128.49
(iv) विदेश यात्रा पर व्यय				
दौरों की संख्या		220		302
व्यय		5.10		5.57

(v) प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना:

(परिसंपत्तियों के ह्रास और प्रावधान पर लेखांकन नीति के लिए नोट[2] के बिंदु 10 एवं 13 का संदर्भ लें।)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
संदिग्ध ऋण, परिसमाप्त क्षति और ऋण, अग्रिम और जमा				
वर्ष के दौरान निर्मित	3271.76		885.10	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	1819.13	1,453	1348.46	(463.36)
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान निर्मित	109.43		313.68	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	2693.53	(2584.10)	881.27	(567.59)
अन्य प्रावधान				
वर्ष के दौरान निर्मित	320.56		171.95	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	292.40	28.16	372.24	(200.29)
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए		19.94		30.62
परिसमापन हर्जाना और संविदात्मक शुल्क चार्ज ऑफ किया गया		29.59		113.55
नुकसान बट्टे खाते में डाला गया		16.64		3.73
योग		**(1037.14)**		**(1083.34)**

नोट [27] वित्त लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के नोट [2] के बिंदु 5 और 10 का संदर्भ लें

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
वाणिज्य पत्र पर छूट		8.77		51.17
प्रावधानों के ब्याज लागत		121.38		160.50
का लेखाकरण:				
बैंक/वित्तीय संस्थान	595.05		296.55	
विदेशी वित्तीय संस्थान	-		1.45	
पट्टा दायित्व पर	4.38		7.03	
अन्य	1.67	601.10	4.24	309.27
वाणिज्य पत्र जारी करने पर अन्य व्यय		0.04		0.49
उप-योग		**731.29**		**521.43**
घटाएँ: उधार लेने की पूंजीगत लागत		-		-
योग		**731.29**		**521.43**

नोट [28] कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के नोट [2] के बिन्दु 12 का संदर्भ लें।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)	
चालू कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	30.72		47.88	
पहले के वर्षों के लिए	(143.28)	(112.56)	(159.10)	(111.22)
आस्थगित कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	59.69		173.46	
पहले के वर्षों के लिए	13.31	73.00	(0.75)	172.71
योग		**(39.56)**		**61.49**

नोट [29] अन्य व्यापक आय / (व्यय)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
आय/(व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभ का पुन:मापन	(110.13)	(23.08)
घटाएं: उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर*	(27.72)	(5.81)
कुल	**(82.41)**	**(17.27)**
* सम्मिलित है		
चालू कर	-	-
आस्थगित कर	(27.72)	(5.81)

आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा का पुनर्मिलान

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
कर पूर्व कुल व्यापक आय/ (हानि)(टीसीआई) (क)	132.39	693.12
सांविधिक आयकर दर(ख)	25.168%	25.168%
कर व्यय [ग=(क x ख)]	33.32	174.44
के कारण अंतर: (घ)		
कर उद्देश्यों के लिए व्यय कटौती योग्य नहीं है	45.44	55.34
जेवी के लाभ/हानि के शेयर पर कर प्रभाव	(16.07)	(14.25)
कर व्यय में परिवर्तन - पिछले वर्षों में	(129.97)	(159.85)
उप-कुल (घ)	**(100.60)**	**(118.76)**
शुद्ध कर व्यय [ई=(ग+घ)]	**(67.28)**	**55.68**

नोट [30] प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आय पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 18 का संदर्भ लें ।

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ/(हानि)	282.22	654.12
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	348.21	348.21
2 रु के प्रति शेयर पर मूल और निश्चित आय)	**0.81**	**1.88**

नोट [31] प्रति शेयर लाभांश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन: प्रस्तुत)
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिनकी पहचान देनदारियों में नहीं की गई है		
वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश 0.25 रुपए प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 0.40 रुपए प्रति शेयर)	87.05	139.28

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंसशीट की तारीख में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट [32]
खातों के लिए नोट्स

समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी), संयुक्त उद्यम संस्थाओं में इसके हित से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं-

लेखांकन का आधार

i) समेकन में संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण क्रमशः मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक हैं।

ii) समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस 110 "समेकित वित्तीय विवरण" और इंड एएस 28 "सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

समेकन का आधार

1. इक्विटी –अकाउंट वाले निवेशितियों में कंपनी की रुचि में संयुक्त उद्यम में रुचि शामिल है। संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कंपनी का संयुक्त नियंत्रण होता है जिसके तहत कंपनी को इसकी संपत्तियों और देनदारियों के लिए दायित्वों के बजाय इसकी शुद्ध संपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यम में हितों का हिसाब इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। उन्हें प्रारंभ में लागत पर पहचाना जाता है जिसमें लेन-देन लागत भी शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी के लाभ या हानि का हिस्सा और इक्विटी – खाते वाले निवेशकर्ताओं का ओसीआई शामिल होता है, जब तक कि उस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता।

   जब किसी संयुक्त उद्यम के घाटे में समूह का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के हित से अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान के अपने हिस्से को मान्यता देना बंद कर देता है। अतिरिक्त घाटे को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब समूह ने कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन किया हो या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

2. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और यथासंभव सीमा तक प्रस्तुत किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित निकायों के परिणाम शामिल हैं :-

विवरण	व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व का अनुपात	
		2023-24	2022-23
संयुक्त उद्यम कंपनियां			
(इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाकरण)			
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50% से कम का एक शेयर	50% से कम का एक शेयर
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड		50%	50%
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		22.14%	22.14%

क) बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्रा. लिमिटेड के सापेक्ष संयुक्त उद्यमों में हित दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना जाता है।

ख) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सापेक्ष संयुक्त उद्यमों में हित को दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना जाता है।

ग) पावरप्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल) के संबंध में वित्तीय विवरण तैयार करने में हितधारिता मान्य नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है। इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि रुपये 2 करोड़ हानि के रूप में उपलब्ध कराई गई है।

नोट [33]

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क. आकस्मिक देयताएं		
कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किए गए :		
(क) बिक्री कर मामले	1243.96	1227.09
(ख) सेवा कर मामले	700.83	606.56
(ग) न्यायालय और मध्यस्थता मामले	883.87	711.81
(घ) उत्पाद शुल्क मामले	174.03	166.39
(ड) सीमा शुल्क एवं अन्य	897.19	934.51
(च) वस्तु एवं सेवाकर	13.63	4.14
(छ) अन्य मामलों (कर्मचारी विवाद मामलों सहित)	105.40	59.69
(ज) परिनिर्धारित हर्जाना का दावा (एलडी)	3926.30	3596.61
कुल	**7945.21**	**7306.80**

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, संसाधनों के बहिर्वाह का इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है। आम तौर पर, न्यायालय और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं अवार्ड/न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होता है और आकस्मिक देयता के मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों में समाधान के लंबित होने के मद (क) से (च), यदि कोई हो,के संबंध में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकदी के बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है।

(iii) परिनिर्धारित क्षति परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि है, जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजना के कमीशनिंग और ट्रायल ऑपरेशन के बाद निपटारा किया जाएगा और इसका प्रकटीकरण इंड एएस-37 के अनुरुप किया जा रहा है।

(iv) आकस्मिक देयताओं में बदलाव:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	7306.80	6755.70
घटाएं: प्रारंभिक शेष से कटौती	1308.15	727.70
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	1946.55	1278.81
वर्ष के अंत में शेष	**7945.21**	**7306.80**

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ख. प्रतिबद्धताएं			
(a)	अनुबंधों की अनुमानित राशि, शुद्ध अग्रिम, शेष को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	298.77	282.05
	(उपरोक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विवरण सम्मिलित हैं)	59.43	32.71
(b)	संयुक्त उद्यम संस्थाओं (एनबीपीपीएल) में निवेश जिसके लिए कंपनी को परियोजना के निगमन वाणिज्यिक संचालन / परियोजना की पहली इकाई / पहली ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए उनके निपटान के लिए प्रतिबंध हैं, जैसा भी मामला हो, इस निवेश के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।	50.00	50.00
(c)	बीएचईएल ने संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन के लिए दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेवीए के अनुसार, बीएचईएल 4 वर्षों की अवधि (1 वर्ष की पूर्व-निर्माण अवधि के बाद) में जेवीसी में 1732 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान देगा।	1732.00	-

(d) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध होने के नाते सामग्री की खरीद आदि के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं भी हो सकती हैं, जिसे सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।

नोट [34]

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 30 वर्ष की अवधि के लिए एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), गुड़गांव को पट्टे पर लिया था । नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अभी अंतिम रुप दिया जाना बाकी है ।

नोट [35]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और उप-ठेकेदारों/निर्माताओं के पास पड़े स्टॉक/सामग्री के अंतर्गत दर्शाए गए शेष की पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, ग्राहक द्वारा अनुमोदित बिलिंग शेड्यूल के अनुरुप अनुबंध के अनुसार ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं और समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है और जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है (परीक्षण संचालन और पीजी परीक्षण पूरा हो गया है)। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की व्यापार प्राप्य राशि 7906 करोड़ (पिछले वर्ष 7963 करोड़) है। पूर्ण अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ समाधान की गई परियोजनाओं में 4943 करोड़ (पिछले वर्ष 6185 करोड़) की व्यापार प्राप्य राशि बकाया है।

नोट [36]

संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाएं,

इंडएएस – वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरण में निवेश की धारित राशि के साथ समाधान के आधार पर संयुक्त उद्यम की सारांशित वित्तीय सूचना नीचे दी गई है:

(रु. करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम (इक्विटी प्रणाली के प्रयोग से गणना की गई)	व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व का अनुपात 31 मार्च की स्थिति		धारित राशि (कैरिंग अमाउंट) 31 मार्च की स्थिति	
		2024	2023	2024	2023
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम	2.38	2.38
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)		50.00%	50.00%	-	-
रायचुर पाव रकॉर्पोरेशन लिमिटेड(आरपीसीएल)		22.14%	22.14%	664.04	664.04

(क) बीजीजीटीएस, बीएचईएल और जीई, यूएसए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग करने के लिए गठित किया गया है ।

(ख) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ (पिछले वर्ष तक 50.00 करोड़) की सीमा तक किया गया है। निदेशक मंडल ने दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने अगस्त 2019 में एनटीपीसी को बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करने और वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे इन-हाउस ईपीसी शाखा के रुप में जारी रखने या इसे बंद करने का निर्णय लेने की सलाह दी थी। इसके बाद, दिनांक 03.10.2022 को एमओपी में आयोजित एक बैठक में, ऊंचाहार टीपीपी (1×500 मेगावाट) में चल रहे शेष कार्यों के पूरा होने के बाद एनबीपीपीएल को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) रायचुर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) का संयुक्त उपक्रम है । इसे स्वयं निर्माण एवं परिचालन के आधार पर यरमारस, रायचुर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट एवं एदलापुर, रायचुर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण हेतु गठित किया गया है । यरमारस टीपीपी की यूनिट-I और यूनिट-II का सीओडी क्रमशः मार्च 2017 और अप्रैल 2017 में प्राप्त किया गया।

(घ) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में 2 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपये) की क्षति का प्रावधान किया गया है, क्योंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी के रुप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:-

नीचे दी गई तालिका में संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की इक्विटी पद्धति पर वित्तीय जानकारी को संक्षेप में दर्शाया गया है । यह जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनुसार है, न कि इन राशियों के समूह के हिस्सेदारी से संबंधित है:

बीएचईएल-जीई गैसटर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	83.08	63.28
चालू परिसंपत्तियां	859.72	813.49
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	162.92	50.02
गैर– चालू देयताएं	8.19	9.24
गैर चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	1.45	4.09
चालू देयताएं	425.64	402.94
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	7.08	7.20

(रु. करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिचालन से आय	1054.74	967.13
ब्याज आय	23.67	18.32
मूल्यह्रास और परिशोधन	8.59	8.91
ब्याज व्यय	0.62	0.87
आयकर व्यय	43.75	38.54
वर्ष का लाभ/(हानि)	127.95	112.56
अन्य व्यापक आय	0.27	(1.18)
कुल व्यापक आय	127.68	113.75

रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	12479.19	11057.24
चालू परिसंपत्तियां	932.90	2227.02
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	12.19	10.61
गैर– चालू देयताएं	13996.35	13783.26
गैर चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	13996.35	13783.26
चालू देयताएं	6422.71	4978.94
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	5658.78	4721.45

(रु. करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
परिचालन से आय	3924.29	3078.86
मूल्यह्रास और परिशोधन	660.00	650.54
ब्याज व्यय	2041.00	1790.91
आयकर व्यय	-	-
वर्ष का लाभ/(हानि)	(1529.03)	(1389.22)
कुल व्यापक आय	(1529.03)	(1389.22)

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
गैर चालू परिसंपत्तियां	192.66	209.08
चालू परिसंपत्तियां	385.14	378.49
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	7.48	6.91
गैर– चालू देयताएं	425.02	445.73
चालू देयताएं	375.74	360.67
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	24.34	24.01

(रु. करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
परिचालन से आय	19.07	51.27
मूल्यह्रास और परिशोधन	5.73	5.79
ब्याज व्यय	0.97	15.73
आयकर व्यय	2.85	(0.47)
वर्ष का लाभ/(हानि)	(4.16)	(15.97)
कुल व्यापक आय	(4.14)	(16.24)

नोट [37]

पट्टों पर प्रकटीकरण –इंडएएस 116

पट्टों पर प्रतिबद्धताएं - कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे समझौते भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के संबंध में हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और पेरिफेरल्स पट्टा व्यवस्था के लिए दर अनुबंध किया है। पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोग के अधिकार का संपत्ति के रूप में अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। पट्टा रेंटल को ब्याज, रखरखाव और मूलधन मूल्य के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क लाभ - हानि के विवरण पर लगाया जाता है और मूल राशि को पट्टा देयताओं के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक उपायों को लागू किया:

(i) ऐसे पट्टे, जिनकी पट्टा अवधि 12 माह से कम है, के लिए अल्पकालिक पट्टा छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50,000 से कम मूल्य की परिसंपत्तियां) के परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छूट

पट्टा देनदारियों का आयु –वार विश्लेषण इस प्रकार है

(रु. करोड़ में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य [पीवी]	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अधिकतम 1 वर्ष तक #	26.33	36.62	2.72	3.52	23.61	33.10
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर	23.04	34.60	0.99	2.78	22.05	31.82
5 वर्ष से अधिक	4.46	2.14	2.96	0.21	1.50	1.93

उन पट्टों के संबंध में, जहां दिनांक 31 मार्च 2024 के अंत तक शेष पट्टा अवधि 12 महीने से कम है, भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि 9.18 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 16.70 करोड़ रुपये) है।

वित्तीय वर्ष 2023- 24 के दौरान पट्टा देनदारियों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि की स्थिति	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*	68.50	84.93
जोड़ें :परिवर्धन	14.62	33.58
जोड़ें:ब्याज की वृद्धि	4.38	7.03
घटाएं : भुगतान/समायोजन	39.05	57.04
31 मार्च की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं*	48.45	68.50

*31 मार्च, 2024 और मार्च 31, 2023 तक क्रमश: 1.29 करोड़ (पिछले वर्ष 1.66 करोड़) और 1.66करोड़ (पिछले वर्ष 1.90 करोड़) का अर्जित ब्याज शामिल है।

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशियां:

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	2.10	4.91
कम मूल्यों की पट्टा संपत्ति से संबंधित व्यय	1.11	1.26
राइट ऑफ यूज संपत्ति का मूल्यह्रास शुल्क	27.51	33.00
ब्याज पर व्यय (वित्त लागत में शामिल)	4.38	7.03

कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरु नहीं हुए हैं। इन गैर-रद्द करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भविष्य के पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि की स्थिति	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अधिकतम 1 वर्ष तक	1.20	0.04
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर	4.81	0.06
5 वर्ष से अधिक	-	-

नोट [38]

'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण–इंड एएस 19

कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्न योजनाएं हैं:

i) उपदान (ग्रेच्युटी) योजना

ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना

iii) भविष्य निधि योजना

iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

(i) उपदान (वित्तपोषित योजना)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने निरंतर पाँच वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर ग्रेच्युटी (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का पात्र है, अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है। ग्रेच्युटी देयताएं भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में दिए जाने की आवश्यकता होती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि के उपयोग से देयताओं का आकलन किया गया है।

ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**1850.22**	**1933.60**	**1453.48**	**1581.44**	**396.74**	**352.16**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:						
वर्तमान सेवा लागत	91.16	89.49	-	-	91.16	89.49
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत/(आय)	136.92	135.35	107.56	110.70	29.36	24.65
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**228.08**	**224.84**	**107.56**	**110.70**	**120.52**	**114.14**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल:						
पुनर्मापनहानि / (लाभ):						
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ) :						
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन	-	(19.36)	-	-	-	(19.36)
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	29.74	(74.88)	-	-	29.74	(74.88)
अनुभव समायोजन	(25.66)	23.95	9.72	(0.73)	(35.38)	24.68
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**4.08**	**(70.29)**	**9.72**	**(0.73)**	**(5.64)**	**(69.56)**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-	125.00	-	(125.00)	-
भुगतान किया गया	(161.31)	(237.93)	(161.31)	(237.93)	-	-
अवैतनिक लाभ का भुगतान किया गया	-	-	-	-	-	-
जमा शेष	**1921.07**	**1850.22**	**1534.45**	**1453.48**	**386.62**	**396.74**

योजना परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि *	81.69%	79.03%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (उद्धृत)	15.38%	16.52%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (उद्धृत)	2.84%	3.00%
बैंक में जमाराशि	0.09%	1.45%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

*बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम है

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4वर्ष के लिए 6.50%और उसके बाद 6%प्रति वर्ष	प्रथम 4वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6%प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर%(सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयताओं की परिवर्तनशीलता इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान			
	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(96.30)	104.67	(91.64)	99.80
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50%संचलन)	31.29	(37.52)	36.56	(42.09)

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के रूप में संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरुप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से सम्बद्ध हो सकते हैं ।

भविष्य के वर्षों में उपदान योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
1 वर्ष से कम	158.20	160.65
1-2 वर्ष के बीच	125.81	135.51
2-3 वर्ष के बीच	111.49	113.15
3-4 वर्ष के बीच	98.46	100.52
4-5 वर्ष के बीच	89.43	88.94
5-6 वर्ष के बीच	78.90	80.57
6 वर्ष से अधिक	1258.78	1170.88
कुल	**1921.07**	**1850.22**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान 120.01 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 14.83 वर्ष (31 मार्च 2023: 14.60 वर्ष) है।

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ गतिशील प्रकृति की मान्यताओं पर आधारित होते हैं, और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(ii) सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी अस्पतालों / सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है जो कंपनी चिकित्सा नियमों के अधीन है । वे कंपनी द्वारा तय की गई सीमा में बाह्य रोगी के रुप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए वार्षिक देयताएं वास्तविक मूल्यांकन आधार पर मान्य की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**2249.60**	**2210.85**	**1831.92**	**1919.34**	**417.68**	**291.51**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित:						
वर्तमान सेवा लागत	44.73	40.29	-	-	44.73	40.29
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज दर / (आय)	166.47	154.76	135.56	134.36	30.91	20.40
वर्ष के लाभ के रूप में मान्य कुल राशि	**211.20**	**195.05**	**135.56**	**134.36**	**75.64**	**60.69**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):						

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन (जारी)

(रु. करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / देयता	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ):						
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	18.72	-	-	-	18.72
वित्तीय अनुमान	34.69	(96.85)	-	-	34.69	(96.85)
अनुभव का समायोजन	81.94	109.13	12.58	(34.48)	69.36	143.61
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**116.63**	**31.00**	**12.58**	**(34.48)**	**104.05**	**65.48**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए अंशदान	**-**	**-**	**125.00**	**-**	**(125.00)**	**-**
भुगतान किए गए लाभ	**(201.29)**	**(187.30)**	**(201.29)**	**(187.30)**	**-**	**-**
अंतिम शेष	**2376.14**	**2249.60**	**1903.77**	**1831.92**	**472.37**	**417.68**

कंपनी की योजनागत परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के दायित्वों के वित्तपोषण के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर% (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(124.67)	129.20	(105.76)	104.84
लागत में परिवर्तन (0.50% संचलन)	131.61	(125.77)	106.07	(104.21)

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरुप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से सम्बद्ध हो सकते हैं ।

भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
1 वर्ष से कम	201.18	183.29
1-2 वर्ष के बीच	218.72	198.87
2-3 वर्ष के बीच	224.64	203.84
3-4 वर्ष के बीच	232.96	210.98
4-5 वर्ष के बीच	243.93	220.47
5-6 वर्ष के बीच	252.98	228.18
6 वर्ष से अधिक	1001.73	1003.97
कुल	**2376.14**	**2249.60**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान 60.69 करोड़ रुपए है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.53 वर्ष (31 मार्च 2023: 12.34 वर्ष) है।

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iii) भविष्य निधि

कंपनी पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर नियत भविष्य निधि योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है । सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर से ब्याज सुनिश्चित करना कंपनी के लिए बाध्यकारी है । तदनुसार, कंपनी ने बीमांकिक रिपोर्ट प्राप्त की है, बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र देयताओं के अनुसार जहां भी संभावित ब्याज की कमी उत्पन्न हो, उसके लिए, खातों में प्रावधान किया गया है ।

भविष्य निधि न्यास में ब्याज की कमी का विवरण:

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में अधिकता/(कमी)	9.97	(14.90)
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचित प्रावधान	18.13	28.10
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से चिन्हित पुनर्मापन लाभ/(हानि)	(9.17)	(24.20)
लाभ - हानि के विवरण के माध्यम से ब्याज की कमी/(अधिशेष) का लेखा-जोखा	(19.14)	(9.30)

कंपनी में विभिन्न स्थानों पर स्थित पीएफ ट्रस्ट हैं जो संबंधित कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और इनका पृथक-पृथक प्रबंधन किया जाता है । नियोजिय परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष /(कमी)	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
बीएचईएलई पीएफ ट्रस्ट, रानीपुर ,हरिद्वार	1824.36	1764.84	1841.54	1776.01	17.18	11.17
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	988.93	916.65	986.19	906.77	(2.74)	(9.88)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	1629.83	1493.84	1625.11	1487.41	(4.72)	(6.43)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1493.90	1433.99	1491.75	1433.50	(2.15)	(0.49)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि- हैदराबाद	901.38	843.58	917.02	871.94	15.64	28.36
बीएचईएल पीपीडीईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	955.03	907.95	946.51	896.65	(8.52)	(11.30)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि- बेंगलुरु	637.68	614.87	653.29	626.89	15.61	12.02
बीएचईएल (बीएपी इकाई) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	322.00	332.24	323.44	332.46	1.44	0.22
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट झांसी	494.82	476.99	508.78	491.52	13.96	14.53
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–विशाखापट्टनम	152.27	148.74	192.31	186.84	40.04	38.10
कुल	**9400.20**	**8933.69**	**9485.94**	**9009.99**	**85.74**	**76.30**

भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	परिभाषित लाभ दायित्व		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**8933.68**	**8626.88**	**9009.99**	**8727.09**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:				
वर्तमान सेवा लागत	369.63	353.89	-	-
ब्याज लागत/(आय)	724.70	683.04	760.00	683.04
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1094.33**	**1,036.93**	**760.00**	**683.04**
अन्य व्यापक आय(ओसीआई)में शामिल:				
पुनर्मापन हानि / (लाभ):				
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ) :				
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	0.86	(1.22)	(0.28)	-
अनुभव समायोजन	29.61	(4.04)	4.88	(29.15)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**30.47**	**(5.26)**	**4.60**	**(29.15)**
अन्य				
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-	**369.63**	**353.89**
कर्मचारी अंशदान	**710.44**	**717.79**	**710.44**	**717.79**
भुगतान किया गया हित लाभ	**(1658.60)**	**(1862.90)**	**(1658.60)**	**(1862.90)**
निपटारा / स्थानांतरण	**289.88**	**420.24**	**289.88**	**420.24**
अंतिम शेष	**9400.20**	**8933.68**	**9485.94**	**9009.99**

टिप्पणी : वर्ष के दौरान घाटे वाले पीएफ ट्रस्टों के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है। उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी से संचयी रूप से 53.17 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि भी हुई है ।

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	796.78	905.49
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	4678.27	4451.33
कॉर्पोरेट बांड [उद्धृत]	3259.15	3017.93
विशेष जमा [उद्धरण नहीं]	344.65	364.71
लिक्विड फंड [उद्धृत]	3.76	17.19
अल्पावधि जमा [उद्धरण नहीं]	85.76	33.46
म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर [उद्धृत	317.58	219.88
कुल	**9485.94**	**9009.99**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	8.25%	8.15%
जनसांख्यिकीय अनुमान :	0.05%	0.05%
सेवानिवृत्ति आयु		
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर%(सभी आयु वर्ग)		
30 वर्षतक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% उतार-चढ़ाव)	(1.80)	1.89	(1.67)	1.83

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

आगामी वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अगले 12 महीनों के भीतर	787.86	860.93
2-5 वर्ष के बीच	1755.71	1706.54
5-10 वर्ष के बीच	1554.56	1396.90
10 वर्ष से अधिक	5302.07	4969.31
कुल	**9400.20**	8933.68

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी को चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iv) **सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा - (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)**

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व परिजनों एवं सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों की गृह नगर या इच्छानुसार भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा व सामान के परिवहन के व्यय की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय निपटान भत्ता (सेटलमेंट अलाउंस) है ।

निपटान भत्ता देनदारी में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	निपटान भत्ता देयता	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
आरंभिक शेष	**13.43**	**11.63**
वर्तमान सेवा लागत	0.89	0.81
ब्याज लागत / (आय)	0.99	0.81
वर्ष के लाभ में सम्मिलित	**1.88**	**1.62**
बीमांकिक हानि / (लाभ)	2.55	2.97
वर्ष के लिए टीसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**4.43**	**4.59**
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	**-**	-
लाभ का भुगतान	**(2.80)**	**(2.79)**
अंतिम शेष	**15.06**	**13.43**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं।

विवरण	निपटान भत्ता	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4वर्ष के लिए 6.50%. और उसके बाद 6%प्रति वर्ष	प्रथम 4वर्ष के लिए 6.50%. और उसके बाद 6%प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर% (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

दीर्घावधि छुट्टी देयताएं (अर्जित छुट्टी –ईएल / अर्धवैतनिक अवकाश-एचपीएल) - (गैर वित्त पोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और 10 दिन का अर्ध वैतनिक अवकाश प्रदान करती है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण कुछ शर्तों के अधीन सेवा के दौरान होता है। कंपनी नीतियों व नकदीकरण नियमों के अधीन, सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्धवैतनिक अवकाश को एक साथ मिलाकर अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। छुट्टी देयताओं को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रुप में माना गया है और अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके निर्धारित किया गया है। .

दीर्घकालिक अवकाश देयता में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
आरंभिक शेष	**1037.18**	**1030.72**
जोड़ें/(घटाएं) सहायक कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री का समायोजन	-	-
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:		
वर्तमान सेवा लागत	138.96	130.91
ब्याज लागत / (आय)	76.75	72.15
बीमांकिक हानि / (लाभ)	(23.73)	(61.60)
वर्ष के लाभ के रुप में मान्य कुल राशि	**191.98**	**141.46**
लाभ का भुगतान	164.14	135.00
अंतिम शेष	**1065.02**	**1037.18**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.25%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर%(सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

पेंशन निधि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में पेंशन योजना [परिभाषित अंशदान योजना] के लिए 278 करोड़ रुपए [पिछले वित्त में वर्ष 247 करोड़] का योगदान किया ।

नोट [39] इंड एएस-24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित पक्ष

संबंधित पक्षों की सूची

i)	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)
	रोजगारोत्तर लाभ योजनाएं	भविष्य निधि ट्रस्ट ग्रेच्युटी ट्रस्ट पीआरएमबी ट्रस्ट पेंशन ट्रस्ट
	अन्य	केंद्र सरकार नियंत्रित संस्थाएं भारतीय जीवन बीमा निगम

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेन-देन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे आदि के साथ है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हैं । ऐसी संस्थाओं के साथ आर्म्स लेंथ प्राइस पर बाजार संचालित दरों पर आधारित सामान्य लेन-देन है।

ii) **अन्य संबंधित पक्ष:**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक [केएमपी]

विवरण	पद का नाम	धारित पद [से प्रभावी/ तक]
कार्यात्मक निदेशक		
श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(01.11.2023 से)
डॉ. नलिन सिंघल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(31.10.2023 तक)
श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव	निदेशक (ई आरएण्ड डी)	(12.08.2022 से)
श्री सुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	(17.04.2023 तक)
सुश्री बानी वर्मा	निदेशक (आईएस एण्ड पी)	(09.10.2023 से)
सुश्री रेणुका गेरा	निदेशक (आईएस एण्ड पी)	(31.08.2023 तक)
श्रीकृष्ण कुमार ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	(04.07.2023 से)
श्री तजिंदर गुप्ता	निदेशक (पावर)	(20.09.2023 से)
श्री उपिंदर सिंह मथारु	निदेशक (पावर)	(31.08.2023 तक)
कंपनी सचिव		
श्री राजीव कालड़ा	कंपनी सचिव	

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान		
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	4.31	2.85
- सेवोपरांत लाभ	0.64	0.50
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
-सेवामुक्ति के समय लाभ	-	-
-शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**4.95**	**3.35**

सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

नाम		धारित पद [से प्रभावी/ तक]
श्री विजय मित्तल	सरकारी निदेशक	(25.03.2022 से)
श्रीमती आरती भटनागर	सरकारी निदेशक	(14.02.2023 से)
श्री (डॉ) के शिवप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	(09.11.2021 से)
श्रीमती (डॉ) लेखाश्री सामंत सिंघर	स्वतंत्र निदेशक	(09.11.2021 से 12.04.2024 तक)
रमेश पटल्या मावस्कर	स्वतंत्र निदेशक	(08.06.2023 से)

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बैठक शुल्क -- स्वतंत्र निदेशक	0.20	0.26

सेवोपरांत लाभ योजनाएं जिनका प्रबंधन अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, के साथ लेन-देन

(रु. करोड़ में)

ट्रस्ट का नाम	सेवोपरांत लाभ योजना	नियोक्ता द्वारा अंशदान	
		निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पीआरएमबी ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	125.00	-
ग्रेच्युटी ट्रस्ट	उपदान	125.00	-
कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि	पेंशन निधि	457.47	246.95
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर ,हरिद्वार	भविष्य निधि	60.18	57.81
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	भविष्य निधि	59.60	56.00
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	भविष्य निधि	59.71	56.25
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	भविष्य निधि	45.64	44.01
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि- हैदराबाद	भविष्य निधि	44.24	42.45
बीएचईएल पीपीडीईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	भविष्य निधि	32.24	30.67
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि- बेंगलुरु	भविष्य निधि	29.47	28.60
बीएचईएल (बीएपी इकाई) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	भविष्य निधि	17.68	17.83
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट झांसी	भविष्य निधि	14.14	13.77
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि–विशाखापट्टनम	भविष्य निधि	6.73	6.50

संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण और शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री		
बीजीजीटीएस	305.92	239.24
आरपीसीएल	9.30	9.42
एनबीपीपीएल	0.61	2.21
लाभांश आय		
बीजीजीटीएस	41.65	26.18
रॉयल्टी आय		
बीजीजीटीएस	2.03	1.85
उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय		
बीजीजीटीएस	1.18	0.87
आरपीसीएल	0.07	-
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि		
बीजीजीटीएस	138.05	112.07
आरपीसीएल	643.84	636.90
एनबीपीपीएल	277.02	225.17
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि		
बीजीजीटीएस	0.38	0.44
आरपीसीएल	8.55	20.90
एनबीपीपीएल	41.69	23.58
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		
बीजीजीटीएस	10.52	10.27
आरपीसीएल	20.73	20.81
एनबीपीपीएल	222.12	190.15

टिप्पणी: निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान के लिए नोट [5क] देखें

नोट[40]

प्रकटीकरण [प्रावधानों में संचलन]– इंड एएस-37

(रु. करोड़ में)

क	परिनिर्धारित हर्जाना	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	आरंभिक शेष	**8234.67**	**8559.20**
	जोड़ें: परिवर्धन	1165.80	259.62
	घटाएं: उपयोग/राइट ऑफ/भुगतान	21.72	86.73
	घटाएं: निकासी/समायोजन	212.21	497.42
	अंतिम शेष	**9166.53**	**8234.67**

कंपनी के लेखांकन नीति के अनुरुप परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्य खातों में उपयुक्त तरीके से समाहित किया जाता है। परिनिर्धारित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 33 के पैरा क (ज) में दिखाया गया है।

(रु. करोड़ में)

ख	संविदात्मक दायित्व	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	आरंभिक शेष				
	नोट (19) के अनुसार	**3774.42**		**3855.48**	
	नोट (6) के अनुसार	**552.05**		**708.05**	
	नोट (9) के अनुसार	**462.40**	**4788.87**	**632.23**	**5195.76**
	जोड़ें : ऋण लागत		121.38		160.11
	जोड़ें: परिवर्धन		118.15		409.04
	घटाएं : पीवी समायोजन		3.81		94.65
	घटाएं : उपयोग/राइट ऑफ/भुगतान		106.97		192.24
	घटाएं : निकासी/समायोजन		2587.80		688.44
	जोड़ें/(कम करें): अनुमान और दरों में परिवर्तन		(4.91)		(0.71)
	अंतिम शेष				
	नोट (19) के अनुसार	**1822.17**		**3774.42**	
	नोट (6) के अनुसार	**105.45**		**552.05**	
	नोट (9) के अनुसार	**397.29**	**2324.91**	**462.40**	**4788.87**

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए, नोट [2] में उल्लिखित सामग्री लेखा नीति संख्या 10 के अनुरुप मुद्रा के समय मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है। संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा जाता है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय अनुबंध दर अनुबंध एवं संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकते हैं। पूरी तरह से प्रदान की गई परियोजनाओं से बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व नोट 6 और 9 में बीएंडडी ऋणों के लिए गैर चालू भत्ते में दर्शाया गया है।

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2021 से लागू अनुबंध दायित्वों के लिए अपनी नीति की समीक्षा की थी, जिसमें कंपनी के प्रावधान पर 1 प्रतिशत की संभावित दर से विचार किया जाना था और 2.5 प्रतिशत और मौजूदा (31 मार्च, 2021 तक) के प्रावधानों को अवकाश तक बनाए रखना था। ऐतिहासिक अनुभव/तकनीकी आकलन के आधार पर कंपनी ने अब यह निर्णय लिया है कि सभी परियोजनाओं के लिए संचयी वारंटियों (व्यावहारिक दायित्व) का प्रावधान 1 प्रतिशत रखा जाए। इस परिवर्तन का कुल प्रभाव 1263.65 करोड़ रुपये है, जो इस प्रकार है:

1.	कंपनी प्रावधान में कमी	2439.70 करोड़	(प्रभाव-लाभ में वृद्धि)
2.	राजस्व में कमी	92.47 करोड़	(प्रभाव-लाभ में कमी)
3.	एलडी/बीडी प्रावधानों का निर्माण	1041.37 करोड़	(प्रभाव-लाभ में कमी)
4.	होल्ड प्रोजेक्ट पर इन्वेंट्री का प्रावधान	5.97 करोड़	(प्रभाव-लाभ में कमी)
5.	घाटे में चल रहे प्रावधान को वापस लेना	19.55 करोड़	(प्रभाव-लाभ में वृद्धि)
6.	कंपनी प्रावधान छूट का प्रभाव	55.79 करोड़	(प्रभाव-लाभ में कमी)
7.	लाभ पर कुल प्रभाव	1263.65 करोड़	(प्रभाव-लाभ में वृद्धि)

नोट [41]

प्रकटीकरण-ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व–इंडएएस- 115

(क) क्षति प्रावधानों में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां
प्रारंभिक शेष	**4322.46**	**4652.34**	**4314.79**	**4700.40**
जोड़ें: परिवर्धन	1519.23	254.95	279.02	271.45
घटाएं:बट्टा	26.55	1.26	57.46	-
घटाएं: लौटाया /समायोजन किया गया	622.48	926.80	213.90	319.51
अंतिम शेष	**5192.66**	**3979.22**	**4322.46**	**4652.34**

(ख) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का विभाजन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पावर		उद्योग		कुल
	भारत के भीतर	भारत के बाहर	भारत के भीतर	भारत के बाहर	
2023-24					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर(उत्पाद/सेवाएं)	3324.43	61.58	3603.94	42.14	7032.10
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	13737.26	586.36	1562.54	2.25	15888.42
2022-23					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	2640.50	32.82	3335.32	44.57	6053.21
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	13903.36	922.29	1181.90	75.54	16083.09

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	पावर	उद्योग	पावर	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	6888.04	2096.72	5581.63	1639.38
टीएसजेन को	2834.77	-	3112.02	-

(ग) अनुबंध शेष (प्रावधानों को छोड़कर)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार प्राप्य	8010.07	6543.89
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल किए हुए राजस्व सहित)	26747.54	29740.03
अनुबंध देयताएं	7133.45	5635.01

(घ) अनुबंध राजस्व प्राप्त किया गया

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अनुबंध देनदारियों पर प्राप्त राजस्व (वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का समायोजन एवं मूल्यांकन समायोजन)	3011.15	3024.72
पिछले वर्ष पूर्ण किए गए निष्पादन दायित्व के लिए प्राप्त राजस्व (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव)	163.16	892.15

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घचक्रीय व्यवसाय है, जहाँ कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी अनुबंध (अभियांत्रिकी, खरीद और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (अर्थात बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर पैकेज) होते हैं। विद्युत परियोजनाएँ लंबी अवधि की परियोजनाएँ होती हैं, जिनमें अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। बीएचईएल की सेवाओं के दायरे में उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र कार्यक्षेत्र में कई घटक हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं को आम तौर पर एक निष्पादन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि के बाद एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि परियोजना जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तभी वह निष्पादन कर सकती है और इसलिए प्रगति की माप (इनपुट लागत विधि) के आधार पर समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है।

नोट [42]

इंडएएस-107 के अनुपालन में प्रकटीकरण [वित्तीय लिखित–लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन]

नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रतिभूति जमा और अन्य का उचित मूल्य उनके युक्तिसंगत धारित मूल्य को दर्शाता है। व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है ।

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताएं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं है।

(रु. करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप	स्तर 3 पदानुक्रम	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्तीय परिसंपत्तियां:		
गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश	1.19	3.13

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकें

अनकोटेड इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशित कंपनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल होते हैं।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत अनकोटेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का समाधान

(रु. करोड़ में)

31 मार्च, 2023 तक	**3.13**
उचित मूल्य में परिवर्तन	1.94
31 मार्च, 2024 तक	**1.19**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियों के समक्ष कई जोखिम हैं जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी के समक्ष स्वाभाविक रुप से आती है। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा से कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के अनुरुप वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए समय-समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय लिखत के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. क्रेडिट जोखिम

ख. लिक्विडिटी जोखिम

ग. बाजार जोखिम

यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में, जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में मात्रात्मक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति लागू है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रुपरेखा प्रदान करती है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों की उचित पहचान, आकलन और उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाना है। कंपनी के पास 3-स्तरीय जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देश, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी का संयोजक होने के नाते निदेशक मंडल/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है । कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण इकाई स्तर से शुरु करके उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि जोखिम शमन योजनाएं तैयार की जा सकें तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

क. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताएँ, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सम्मिलित है। परियोजनाओं को आम तौर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किए जाते हैं।

परियोजना की अवधि 3 से 5 साल तक होती है और भुगतान आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान (इंटर्मीडियट सहित) भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में प्राप्त किया जाता है । अधिकांश ग्राहकों की प्रोफ़ाइल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है और कुल व्यापार प्राप्य का 80% इनसे ही आता है और यह देखते हुए कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रुप से एलसी के माध्यम से है । कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्यों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुरुप प्राप्य राशि के प्राप्त होने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(i) क्रेडिट जोखिम की संभावना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम संभावना निम्नानुसार थी:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
नकद और नकद समकक्ष	1835.04	1561.34
अन्य बैंक शेष	4322.43	5136.73
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	445.92	329.13
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को क्षति हानि सहित आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	8010.07	6543.89

ऋण जोखिम का घनत्व - भौगोलिक	कुल प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भारत के भीतर	95%	94%
भारत के बाहर	5%	6%
कुल	**100%**	**100%**

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और प्रतिपक्ष के प्रकार द्वारा अन्य प्राप्य के लिए कंपनी का ऋण जोखिम निम्नानुसार है -

नोट	कुल व्यापार प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
रेलवे और सरकारी विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	43%	39%
राज्य विद्युत बोर्ड	40%	41%
निजी ग्राहक एवं अन्य	13%	14%
निर्यात	5%	6%
कुल	**100%**	**100%**

(ii) क्षति हानि

1. वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋणों के संबंध में हानि भत्ते में संचलन इस प्रकार था:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**14.91**	**14.56**
मान्य क्षति ह्रास /बट्टेखाते में डाली गई / निकासी	1.41	0.35
31 मार्च को शेष	**16.32**	**14.91**

2. मूल्यह्रास प्रावधानों का पुनर्मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्तों में संचलन निम्नानुसार रहा:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**8974.80**	**9015.19**
मान्य क्षतिह्रास	1774.18	550.47
बट्टाकृत / आहरित राशि	(1577.09)	(590.86)
31 मार्च को शेष	**9171.88**	**8974.80**

कंपनी निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरुप कंपनी की निवेश नीति के अनुसार अधिशेष निधियों से निवेश करती है। नकद और नकद समकक्षों तथा सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि में निवेश करती है।

ख) लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर और जब भी देय हो,दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को पूरे वर्ष अपनी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं। कंपनी अपनी सभी फंड आवश्यकताओं को आंतरिक संसाधनों अर्थात परिचालन से उत्पन्न धन और बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन परिचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम से अपनी सभी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय उत्तरदायित्व गैर- व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष सेअधिक
व्यापार देयताएं	8696.24	2292.76	9895.83	2065.92
ठेकेदारों और अन्य से जमाराशि	548.62	315.02	544.77	247.10
वित्तपट्टा दायित्व	24.90	23.55	34.76	33.75
अन्य देय/देयताएं				
कर्मचारी बकाया	353.32	-	384.33	-
अन्य बकाया	401.60	-	364.44	-
पूंजीगत व्यय बकाया	114.90	10.86	111.50	8.60
लघु अवधि की उधारी	8808.00	-	5385.00	-
कुल	**18947.58**	**2642.19**	**16720.63**	**2355.37**

ग) बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी को अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रा, कमोडिटी, ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी को प्रमुख कमोडिटी मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला के दावों सहित फ्रेमवर्क समझौते नियमित रुप से दर्ज किए जा रहे हैं। परिचालन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम की कोई भी संभावना कम हो जाती है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर :- रिपोर्टिंग अवधि के अंतमें कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(i) दिनांक 31.03.2024 को रुके हुए और बकाया व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछले वर्ष भी शून्य) है

(ii) विदेश मुद्रा एक्सपोजर जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा रुके हुए नहीं हैं, वे निम्नानुसार हैं:

विदेशी मुद्रा -मिलियन में

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	अन्य (रुपए में)	अन्य (रुपए में)
परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्य	53.64	484.16	55.50	496.43	1.86	3.44
अनुबंध परिसंपत्तियां	235.03	2112.15	332.04	2959.08	39.52	11.92
अन्य परिसंपत्तियां	0.61	5.50	1.24	10.29	154.98	75.49
उप-कुल (क)	**289.29**	**2601.82**	**388.78**	**3465.80**	**196.36**	**90.84**
देयताएं						
ग्राहक से अग्रिम	35.46	238.77	36.15	240.84	22.65	22.65
व्यापार देय और अन्य	29.79	272.79	34.70	315.32	308.96	579.03
उप - कुल (ख)	**65.25**	**511.56**	70.85	556.15	**331.61**	601.68
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**224.04**	**2090.26**	**317.93**	**2909.64**	**(135.25)**	**(510.83)**

विवरण	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया
परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	77.52	644.22	70.72	579.07
अनुबंध परिसंपत्तियां	234.62	1948.28	322.62	2640.15
अन्य परिसंपत्तियां	0.36	2.41	0.36	2.41
उप-कुल (क)	**312.50**	**2594.91**	**393.70**	**3221.63**
देयताएं				
ग्राहक से अग्रिम	50.09	253.59	58.00	326.40
व्यापारदेय और अन्य	132.79	1114.42	97.39	806.03
उप - कुल (ख)	**182.88**	**1368.01**	**155.40**	**1132.43**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**129.62**	**1226.90**	**238.31**	**2089.21**

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों, यदि कोई हों, को मिलाकर हैं अमेरिकी डॉलर

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपए के अमरीकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत/कमजोर होने के प्रभाव को वर्ष के अंत में लाभ या हानि के रुप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव पर आधारित है, जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रुप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया गया है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव भिन्न था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
1% के संचलन पर लाभ/(हानि) पर प्रभाव	चढ़ाव / मजबूती	कमजोर/उतार	चढ़ाव / मजबूती	कमजोर/उतार
यूरो	20.90	(20.90)	29.10	(29.10)
अमेरिकी डॉलर	12.27	(12.27)	20.89	(20.89)
अन्य	(1.35)	1.35	(5.11)	5.11

पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके,और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाई रखी जा सके । निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है । कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है । कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा कि उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है ।

नोट [43]

समेकित परिचालन खंड

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डर के आधार पर खंडों की पहचान 'पावर' और 'उद्योग' के रुप में की गई है। इन खंडों के कार्यों को तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाता है।
पावर खंड में मुख्य रुप से थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अतिरिक्त कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर और गैर-बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय सम्मिलित हैं।
उद्योग खंड प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति करता है और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईपीसी आधार पर काम करता है ।
अंतरराष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किया गया ऑर्डर, ऑर्डर के प्रकार के हिसाब से, पावर या उद्योग खंड को सौंप दिया जाता है।
कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**खंड राजस्व**						
	परिचालन राजस्व- बाह्य	17709.64	5210.88	22920.52	17498.98	4637.32	22136.30
II.	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	1657.03	137.08	1794.11	1585.11	483.91	2069.02
ख.	गैर-आवंटित व्यय (आय को छोड़कर)			820.16			831.98
ग.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क) - (ख)			973.95			1237.04
घ.	वित्त लागत (ब्याज छूट सहित)			731.29			521.43
ड.	आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (ग)-(घ)			242.66			715.61
च.	आयकर			(39.56)			61.49
छ.	आयकर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि(ड.)- (च)			282.22			654.12

(रु. करोड़ में)

III	**परिसंपत्तियां और देयताएं**						
क.	खंड परिसंपत्तियां	39561.83	8418.14	47979.97	37117.35	7876.15	44993.50
ख.	सामान्य परिसंपत्तियां			11025.53			11926.52
ग.	कुल परिसंपत्तियां			59005.50			56920.02
घ.	खंड देयताएं	20670.89	6081.21	26752.10	22366.53	5140.86	27507.39
ड.	सामान्य देयताएं			7814.74			5034.36
च.	कुल देयताएं			34566.84			32541.75
IV	**अन्य सूचनाएं**						
क.	पूंजीगत व्यय	158.93	91.86		121.75	80.26	
ख.	अवमूल्यन और परिशोधन	138.73	76.90		167.99	63.96	
ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त)	(815.40)	147.31		(507.61)	(296.77)	

भौगोलिक खंड

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च,2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःघोषित)		
		भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल	भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल
1	कुल बिक्री / परिचालन से राजस्व	22228.18	692.34	22920.52	21061.08	1075.22	22136.30
2	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियां)	2880.44	1.96	2882.40	2826.69	3.14	2829.83
3	पूंजीगत व्यय	286.57	0.85	287.41	261.79	0.15	261.94

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से प्राप्ति का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च,2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च,2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनःघोषित)		
	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	6888.04	2096.72	8984.76	5581.63	1639.38	7221.01
टीएसजेनको	2834.77	-	2834.77	3,112.02	-	3112.02

नोट [44]

लेखांकन नीति में परिवर्तन – वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना करते समय मुद्रा के समय मूल्य के प्रभाव के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) से प्राप्त राय के अनुरूप अपनी लेखा नीति (वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में) में परिवर्तन किया है। नीति में यह परिवर्तन आज की तारीख तक अनुबंध परिसंपत्तियों के बेहतर चित्रण को दर्शाता है और इसलिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है । व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीति में परिवर्तन 1 अप्रैल, 2022 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी किया गया है।

यह परिवर्तन पूर्वव्यापी रुप से लागू किया गया है और इसका समेकित वित्तीय विवरणों पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ा है:

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2024 को (लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार किए बिना)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2024 को (लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार करने के बाद)	31 मार्च, 2023 को (जैसा कि पूर्व में वर्णित है)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2023 को (पुनः घोषित)	1 अप्रैल, 2022 को (जैसा कि पूर्व में वर्णित है)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	1 अप्रैल, 2022 को (पुनः घोषित)
अन्य चालू परिसंपत्तियां (संविदा परिसंपत्तियां)	16804.30	(890.92)	15913.38	13050.84	(951.48)	12099.36	10792.53	(816.82)	9975.71
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (संविदा परिसंपत्तियां)	14978.96	(1289.27)	13689.69	19277.71	(2322.21)	16955.50	18526.54	(2693.04)	15833.50
अस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल देयताएं)	3652.55	548.71	4201.26	3422.62	823.92	4246.54	3530.08	883.36	4413.44
कुल परिसंपत्तियां	60636.65	(1631.48)	59005.17	59369.79	(2449.77)	56920.02	56243.76	(2626.50)	53617.26
अन्य इक्विटी	25373.39	(1631.48)	23741.91	26131.62	(2449.77)	23681.85	25810.19	(2626.50)	23183.69
कुल इक्विटी	26069.80	(1631.48)	24438.32	26828.03	(2449.77)	24378.26	26506.60	(2626.50)	23880.10
कुल इक्विटी और देयताएं	60636.65	(1631.48)	59005.17	59369.79	(2449.77)	56920.02	56243.76	(2626.50)	53617.26

(रु. करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार किये बिना)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखा नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर विचार करने के बाद)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (जैसा कि पूर्व में वर्णित है)	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वृद्धि/(कमी)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
अन्य खर्च (प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई)	1937.73	(1093.50)	844.23	647.03	(236.17)	410.86
कर पूर्व लाभ	(850.84)	1093.50	242.66	479.44	236.17	715.61
कर खर्चे-आस्थगित कर	(202.21)	275.21	73.00	113.27	59.44	172.71
वर्ष के लिए लाभ	(536.07)	818.29	282.22	477.39	176.73	654.12

लेखांकन नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरुप चालू वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (मूल और निश्रित आय) में 2.35 रुपये प्रति शेयर की वृद्धि हुई तथा पिछले वर्ष में 0.51 रुपये प्रति शेयर की वृद्धि हुई ।

नोट [45]

अतिरिक्त जानकारी

(रु. करोड़ में)

समूह में इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	शुद्ध परिसंपत्तियां, अर्थात सकल परिसंपत्तियां घटा (माइनस) सकल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		सकल व्यापक आय में हिस्सा	
		समेकित शुद्ध परिणाम % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	कुल अन्य व्यापक आय के %के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
बीएचईएल	2023-24	98.96	24184.17	77.33	218.24	99.83	(82.41)	68.03	135.83
	2022-23	99.05	24145.97	91.44	598.10	103.54	(17.27)	91.12	580.83
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)-									
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	2023-24	1.04	254.48	22.67	63.98	0.17	(0.14)	31.97	63.84
	2022-23	0.95	232.29	8.56	56.02	(3.54)	0.59	8.88	56.61
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2023-24	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022-23	-	-	-	-	-	-	-	-
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022-23	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2023-24	100.00	24438.65	100.00	282.22	100.00	(82.55)	100.00	199.67
	2022-23	100.00	24378.26	100.00	654.12	100.00	(16.68)	100.00	637.44

नोट [46]

दिनांक 05 जनवरी एवं 06 जनवरी 2024 की रात को बीएचईएल आईटी सिस्टम पर रैनसमवेयर की घटना हुई। इस घटना की सूचना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन), नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) को दी गई और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई। रैनसमवेयर घटना का असर मुख्य रूप से ई-ऑफिस (फाइल मूवमेंट सिस्टम), ई-मेल और फाइल शेयरिंग सर्वर जैसी कुछ सेवाओं पर देखा गया। मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और आपदा रिकवरी तंत्र के कारण, प्रभावित सेवाओं को बिना किसी डेटा हानि और वित्तीय प्रभाव के सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया।

नोट [47]

परिचालन चक्र के रूप में 12 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच वर्गीकृत किया गया है।

नोट [48]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

नोट [49]

कंपनी, कंपनी नियम, 2017 (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन कर रही है ।

नोट [50]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी योजना / व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है।

नोट [51]

कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो।

नोट[52]

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट [53]

आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए करोड़ के निकटतम पूर्णांकित किया गया है।

नोट [54]

जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ।

नोट [55]

निदेशक मंडल ने 21 मई, 2024 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरण 2023-24 जारी करने के लिए अधिकृत किया है ।

के लिए एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
M. No. 14567

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ का अतिरिक्त प्रभार
DIN: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एबीपी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 315104E

(निरंजन अग्रवाल)
भागीदार
M. No. 087939

पीएसएमजी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 008567C

(सुहास बसु)
भागीदार
M. No. 052684

एसएल छाजड़ & कं एलएलपी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 000709C/C400277

(विजित वैदमुथा)
भागीदार
M. No. 406044

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 21 मई, 2024

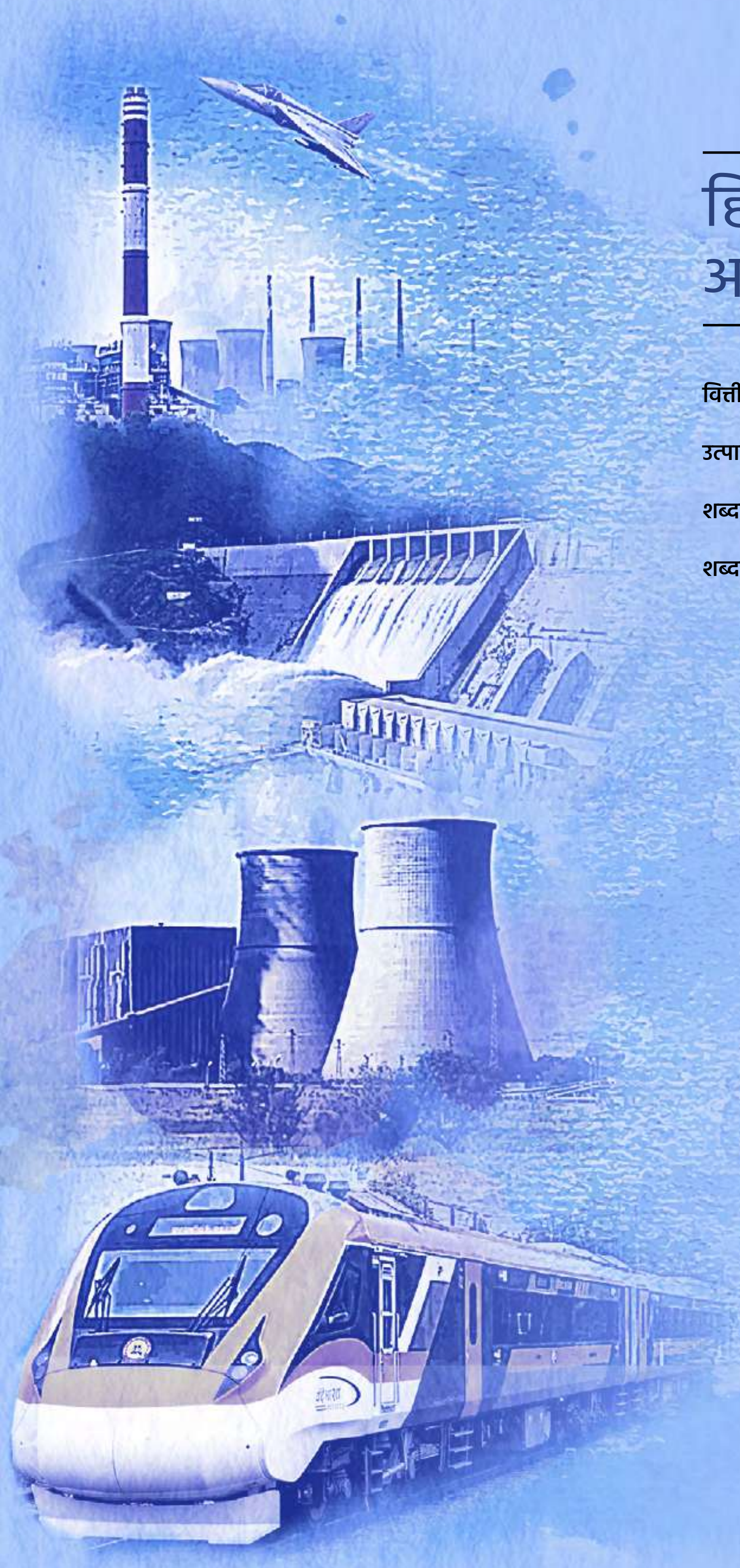

हितधारकों के लिए अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय निष्पादन रुख 316

उत्पाद प्रोफाइल....................319

शब्दावली....................329

शब्दावली (वित्तीय शब्द)....................331

वित्तीय निष्पादन रुख

क्र.सं.	विवरण		2023-24	2022-23*	2021-22	2020-21	2019-20
	ऑर्डर बुक (करों को छोड़कर)						
	प्राप्त ऑर्डर	रु. करोड़ में	77907	23548	20379	11470	20200
	बकाया ऑर्डर	रु. करोड़ में	131598	91336	90084	89813	95687
क.	**परिचालन परिणाम**						
I	**कुल आय**						
	राजस्व	रु. करोड़ में	22921	22136	20153	16296	20491
	अन्य परिचालन आय	रु. करोड़ में	972	1229	1058	1013	969
	परिचालनों से राजस्व (अ)	रु. करोड़ में	**23893**	**23365**	**21211**	**17308**	**21459**
	अन्य आय (ब)	रु. करोड़ में	**588**	**515**	**368**	**370**	**581**
	कुल (I=अ+ब)	रु. करोड़ में	**24481**	**23880**	**21579**	**17678**	**22040**
II	**परिचालन व्यय**						
	सामग्री खपत, खरीदे गए सामान, सिविल, इरेक्शन और अभियांत्रिकी व्यय	रु. करोड़ में	16894	15954	13997	11071	14727
	स्टोर एवं स्पेयर की खपत	रु. करोड़ में	350	404	271	289	353
	एफ़जी, डबल्यूआईपी एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन	रु. करोड़ में	(437)	(57)	526	511	(1042)
	कर्मचारी लाभ व्यय	रु. करोड़ में	5629	5701	5517	5372	5427
	बिजली एवं ईंधन	रु. करोड़ में	452	488	415	319	459
	विनिर्माण प्रशासन एवं एस &डी के अन्य खर्चे	रु. करोड़ में	1534	1466	1355	1480	1970
	मुद्रा विचलन (लाभ) / हानि (शुद्ध)	रु. करोड़ में	(105)	(460)	(82)	(66)	(435)
	प्रावधान	रु. करोड़ में	(1037)	(1083)	(1526)	1467	233
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	रु. करोड़ में	249	260	314	473	503
	वित्तीय लागतें	रु. करोड़ में	731	521	355	373	507
	कुल (II)	रु. करोड़ में	**24260**	**23194**	**21142**	**21290**	**22702**
III	**परिचालन लाभ / (हानि) (अ-II)**	रु. करोड़ में	**(368)**	**171**	**69**	**(3982)**	**(1243)**
IV	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (I-II)**	रु. करोड़ में	**220**	**686**	**437**	**(3612)**	**(662)**
	कर व्यय (शुद्ध)	रु. करोड़ में	(40)	61	27	(894)	811
V	**कर पश्चात लाभ / (हानि)**	रु. करोड़ में	**260**	**624**	**410**	**(2717)**	**(1473)**
	अन्य व्यापक आय	रु. करोड़ में	**(82)**	**(17)**	**77**	**20**	**(274)**
VI	**कुल व्यापक आय**	रु. करोड़ में	**177**	**607**	**487**	**(2697)**	**(1747)**
	लाभांश भुगतान	रु. करोड़ में	87	139	139	-	-
	लाभांश वितरण कर	रु. करोड़ में	-	-	-	-	-
	ईबीआईटी	रु. करोड़ में	952	1207	792	(3239)	(155)
	ईबीआईटीडीए	रु. करोड़ में	1201	1468	1106	(2765)	348
	नगदी प्रवाह :						
	परिचालन गतिविधियों से	रु. करोड़ में	(3713)	(741)	660	560	(2892)
	निवेश गतिविधियों से	रु. करोड़ में	1331	1480	(1125)	(43)	1877
	वित्तीय गतिविधियों से	रु. करोड़ में	2656	89	(330)	(393)	1622

क्र.सं.	विवरण		2023-24	2022-23*	2021-22	2020-21	2019-20
B.	**वित्तीय स्थिति(परिसंपत्ति,हिस्सेदारीऔरदेयताएं)**						
VII	**परिसंपत्तियाँ**						
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	रु. करोड़ में	2574	2476	2398	2488	2814
	पूंजीगत चालू कार्य और विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	रु. करोड़ में	308	354	431	420	314
	गैर- वर्तमान निवेश	रु. करोड़ में	668	670	670	670	670
	अन्य गैर वर्तमान संपत्ति	रु. करोड़ में	600	492	365	365	321
	व्यापार प्राप्तियाँ (शुद्ध)	रु. करोड़ में	8010	6544	6229	7213	11641
	अनुबंध परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	रु. करोड़ में	26748	26466	26940	24079	23794
	नगद एवं बैंक शेष	रु. करोड़ में	6157	6698	7154	6701	6419
	मालसूची	रु. करोड़ में	7221	6756	6560	7191	8905
	अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	रु. करोड़ में	4201	4247	3530	3660	2756
	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	रु. करोड़ में	2930	2652	2432	2913	2601
	कुल संपत्ति	रु. करोड़ में	**59417**	**57354**	**56708**	**55701**	**60236**
VIII	**हिस्सेदारी**						
	हिस्सेदारी शेयर पूंजी	रु. करोड़ में	696	696	696	696	696
	अन्य हिस्सेदारी	रु. करोड़ में	24154	24116	26275	25788	28485
	कुल हिस्सेदारी	रु. करोड़ में	**24851**	**24812**	**26971**	**26484**	**29181**
IX	**देयताएं**						
	उधारी	रु. करोड़ में	8808	5385	4745	4834	4933
	व्यापार देयताएं	रु. करोड़ में	10989	11962	9882	8559	9900
	अनुबंध देयताएं	रु. करोड़ में	7133	5635	6048	6864	6718
	अन्य गैर चालू देयताएं	रु. करोड़ में	389	310	269	295	266
	गैर चालू प्रावधान	रु. करोड़ में	2489	4101	3771	3913	4212
	अन्य चालू देयताएं	रु. करोड़ में	2440	2353	1956	1589	1943
	वर्तमान प्रावधान	रु. करोड़ में	2318	2797	3067	3164	3082
	कुल देनदारियाँ	रु. करोड़ में	**34567**	**32542**	**29737**	**29217**	**31054**
X	**कुल हिस्सेदारी एवं देयताएं(VIII+IX)**	रु. करोड़ में	**59417**	**57354**	**56708**	**55701**	**60236**
	इक्विटी शेयर (प्रत्येक संख्या का 2 अंकित मूल्य)	संख्या	348	348	348	348	348
	वर्ष के अंत में बाजार पूंजीकरण	रु. करोड़ में	86077	24420	17184	16975	7243
	निवल मूल्य	रु. करोड़ में	24851	24812	26971	26484	29181
	निवल मूल्य (ओसीआई और पूंजी आरक्षित को छोड़कर)	रु. करोड़ में	25233	25113	27254	26844	29561
XI	**मानव संसाधन**	संख्या	**28673**	**29536**	**30758**	**32131**	**33752**
	कार्यपालक	संख्या	10256	10187	10280	9742	10075
	गैर- कार्यपालक	संख्या	18417	19349	20478	22389	23677
XII	**वित्तीय निष्पादन अनुपात**						
1	निवल मूल्य पर वापसी	%	1.03	2.38	1.52	(9.63)	(4.82)
2	ईबीआईडीटीए मार्जिन	%	4.90	6.15	5.12	(15.64)	1.58
3	परिचालन लाभ मार्जिन	%	(1.54)	0.73	0.33	(23.01)	(5.79)

क्र.सं.	विवरण		2023-24	2022-23*	2021-22	2020-21	2019-20
4	प्रति कर्मचारी राजस्व	रू.लाख में	80	75	66	51	61
5	कर्मचारी लाभ व्यय का प्रति रुपया राजस्व	रू.लाख में	4.07	3.88	3.65	3.03	3.78
XIII	**तुलन पत्र अनुपात**						
1	वर्तमान अनुपात	अनुपात	1.36	1.24	1.30	1.39	1.45
2	चालू वर्ष के शुद्ध बिलिंग की वसूली (%)	%	78	86	86	82	73
3	प्राप्य व्यापार (दिनों की संख्या)	दिनों में	122	102	107	152	198
4	माल सूची (दिनों की संख्या)	दिनों में	115	111	119	161	159
5	परिसंपत्ति कारोबार	समय	0.41	0.42	0.38	0.32	0.37
XIV	**प्रति शेयर डेटा**						
1	प्रति प्रति शेयर आय	(₹)	0.75	1.79	1.18	(7.80)	(4.23)
2	प्रति शेयर आमदनी	(₹)	71.37	71.26	77.46	76.06	83.80
3	वर्ष के अंत में प्रति शेयर बाजार मूल्य (बीएसई)	(₹)	247.20	70.13	49.35	48.75	20.80
4	बाजार मूल्य का बुक मूल्य	अनुपात	3.46	0.98	0.64	0.64	0.25
XV	**खंड राजस्व**						
	पावर क्षेत्र	रु. करोड़ में	17710	17499	15361	11386	14960
	उद्योग क्षेत्र	रु. करोड़ में	5211	4637	4792	4910	5530
	कुल	रु. करोड़ में	**22921**	**22136**	**20153**	**16296**	**20491**
	खंड शेयर						
	पावर क्षेत्र	%	77	79	76	70	73
	उद्योग क्षेत्र	%	23	21	24	30	27

*लेखांकन नीति में बदलाव के कारण कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय आंकड़े दोबारा प्रस्तुत किए हैं। जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

() में दिए गए आंकड़े नकारात्मक मूल्य दर्शाते हैं।

लाभांश भुगतान अंतरिम लाभांश और वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश है।

टिप्पणियाँ:

ईबीआईटी = पीबीटी+ वित्तीय लागत

ईबीआईटीए = ईबीआईटी + मूल्यह्रास और परिशोधन

निवल मूल्य पर रिटर्न = (पीएटी/औसत निवल मूल्य, ओसीआई और पूंजी आरक्षित को छोड़कर)*100

ईबीआईटीए मार्जिन% = ईबीआईटीए/कुल आय *100

परिचालन लाभ मार्जिन = परिचालन लाभ / परिचालन से राजस्व *100

वर्तमान अनुपात = वर्तमान परिसंपत्ति/वर्तमान देनदारियां

व्यापार प्राप्य (दिनों की संख्या) = व्यापार प्राप्य * 365 / परिचालन से राजस्व

इन्वेंटरी (दिनों की संख्या) = इन्वेंटरी *365/राजस्व

परिसंपत्ति कारोबार = कुल राजस्व/कुल परिसंपत्ति

प्रमुख व्यवसायों में सेवाएं

कोयला आधारित पावर प्लांट

- अत्याधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर सहित संपूर्ण ईपीसी समाधान
- 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक के स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर (टीजी) और रि- जेनरेटिव फ़ीड साइकल, जिसमें सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 350/660/700/800 मेगावाट यूनिट रेटिंग सेट और सबक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 600 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग सेट शामिल हैं।
- वाटर और एयर कूल्ड कंडेन्सर, कंडेनसेट इक्स्ट्रैक्शन पंप, बॉयलर फ़ीड पंप, डुप्लेक्स हीटर, वाल्व और हीट एक्सचेंजर्स -जो 1000 मेगावाट तक टीजी सेट की आवश्यकता को पूरा करते हैं ।
- पुराने हाइड्रो पावर प्लांटों का रिज़िडुअल लाइफ असेस्मेंट (आरएलए)।
- नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से प्लांटों के कार्य निष्पादन में सुधार और विस्तार करना
- पावर प्लांटों के लिए लचीलापन (फ्लेक्सी-संचालन) समाधान

गैस आधारित पावर प्लांट

- निम्नलिखित विशेषताओं के साथ 26 मेगावाट से 571 मेगावाट रेटिंग तक के (आईएसओ) गैस टर्बाइन और मेचिंग जनरेटर सहित संपूर्ण ईपीसी समाधान:
  - » उद्योग और उपयोगिता अनुप्रयोगों के लिए गैस टरबाइन आधारित सह-उत्पादन और संयुक्त-चक्र प्रणाली
  - » उद्योग और उपयोगिता अनुप्रयोगों के लिए गैस टरबाइन आधारित सह-उत्पादन और संयुक्त-चक्र प्रणाली
  - » ड्राई लो NOx (DLN) कम्बस्टर और शोर में कमी के साथ 15 पीपीएम NOx तक कम निकास उत्सर्जन स्तर।
- उच्च संयंत्र क्षमता वाले 838 मेगावाट तक के संयुक्त चक्र संयंत्र

परमाणु (न्यूक्लियर) पावर प्लांट

- स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर, एक्साइटर (ब्रशलेस और स्टेटिक), एमएसआर (नमी विभाजक रिहीटर), अन्य हीट एक्सचेंजर्स और पंप सहित पीएचडब्ल्यूआर (प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर), एफबीआर (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) और एएचडब्ल्यूआर (एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर) के टीजी द्वीप के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान।
- रिएक्टर साइड घटक जैसे स्टीम जेनरेटर, रिएक्टर हेडर, एंड शील्ड, विशेष प्रयोजन हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, मोटर्स इत्यादि।

हाइड्रो पावर प्लांट

- कपलान टाइप 100 मेगावाट तक के और फ्रांसिस एवं पेल्टन टाइप 400 मेगावाट तक के कस्टम मेड पारंपरिक हाइड्रो टर्बाइन के इंजीनियरिंग और विनिर्माण की क्षमता।
- 400 मेगावाट तक कस्टम-मेड सैलिएंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जेनरेटर की इंजीनियरिंग, विनिर्माण, स्थापना और कमीशनिंग की क्षमता।
- 300 मेगावाट तक के Pumped Storage Plants के लिए रिवरसीबल पंप-टर्बाइन, और 300 मेगावाट तक के पंप भंडारण संयंत्रों के लिए निश्चित गति जेनरेटर-मोटर्स
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (एलआईएस) के लिए 200 मेगावाट तक के उच्च क्षमता वाले पंप और 200 मेगावाट तक की मोटर
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए बटर फ्लाई, स्फेरिकल वाल्व और उपस्कर
- 25 मेगावाट रेटिंग तक के मिनी, सूक्ष्म और लघु जल विद्युत संयंत्र
- 10 मेगावाट तक के बल्ब टर्बाइन और 20 मेगावाट तक के हॉरिजॉन्टल जेनरेटर के साथ मेचिंग जनरेटर और एक्साइटेशन सिस्टम (स्टेटिक/ब्रशलेस)
- सभी प्रकार के जल विद्युत संयंत्रों के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल गवर्निंग सिस्टम
- प्लांट (बीओपी) और सिस्टम एकीकरण का संतुलन
- जल विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन

सोलर पावर सिस्टम

- सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों का संपूर्ण ईपीसी समाधान जिसमें शामिल हैं:
  - » बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) के साथ और उसके बिना ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम)
  - » फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र
  - » स्टैंडअलोन सिस्टम
  - » रुफ टॉप सिस्टम
  - » हाइब्रिड सिस्टम
  - » कैनाल टॉप सिस्टम
  - » उपर्युक्त सभी प्रणालियों के लिए निर्माण, कमीशनिंग, ओ एंड एम और परामर्श सेवाएं

परिवहन प्रणालियाँ

- इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, सेमी-हाई स्पीड 'वंदे भारत' ट्रेनसेट, ट्रैक मशीनें और डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार (डीईटीसी) सहित रोलिंग स्टॉक
- ट्रैक्शन मोटर्स और ट्रैक्शन अल्टरनेटर
- ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम और कन्ट्रोल्स
- ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर

ट्रांसमिशन सिस्टम

- 765 केवी तक के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज सबस्टेशन (एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (एआईएस) और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) दोनों प्रकार) और +/- 800 केवी तक के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) कनवर्टर स्टेशनों सहित ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान
- 1200 केवी तक के पावर ट्रांसफार्मर और 765 केवी तक के शंट रिएक्टर
- 420 केवी तक गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस)।

- 800 केवी तक के इंसुलेटर
- लचीले एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) समाधान

डिफेंस और एयरोस्पेस

- सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) / अपग्रेडेड एसआरजीएम, जिसमें लाइफ टाइम उत्पाद सहायता भी शामिल है
- जहाजों के लिए आईपीएमएस (एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली)।
- कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स और पंप मॉड्यूल
- स्पेस ग्रेड सौर पैनल और बैटरियां
- मोटर जनरेटर सेट और स्थायी चुंबक आधारित मोटर और जनरेटर
- नौसेना अनुप्रयोगों के लिए टर्बाइन, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर टर्बाइन, कंडेनसर, हीट एक्सचेंजर्स और वाल्व

औद्योगिक प्रणालियाँ

- डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (डीएसओजी) सेगमेंट के लिए प्रोसेस पैकेज और उपकरण/समाधान के लिए पूर्ण ईपीसी समाधान
- टॉप रिकवरी टर्बाइन आधारित पावर प्लांट
- कोल हैंडलिंग प्लांट और ऐश हैंडलिंग प्लांट जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कार्य और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल हैं
- माइन वाइन्डर सिस्टम
- कच्चे माल की प्रोसेसिंग और कॉम्पैक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव, नियंत्रण और ऑटोमेशन सिस्टम, आयरन मेकिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील मेकिंग, कैस्टर और स्टील फिनिशिंग जैसे मिल्स और लंबे एवं फ्लैट दोनों उत्पादों के लिए प्रोसेस लाइनें
- इस्पात और अन्य उद्योगों के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम सहित कच्चे माल की हैंडलिंग प्रणाली
- एल्यूमीनियम प्लांटों के लिए प्रोसेसिंग मिलें और स्मेल्टर्स के हाई करंट रेक्टिफायर के लिए इलेक्ट्रिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम
- स्वचालित भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस)

ऊर्जा भंडारण प्रणाली एवं ई-मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान

विस्तृत उत्पाद सूची इस प्रकार है:

भाप (स्टीम) जेनरेटर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस या इन ईंधनों के संयोजन का उपयोग करके यूटीलिटीज के लिए 30 से 800 मेगावाट क्षमता तक के स्टीम जेनरेटर; 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक सुपरक्रिटिकल मापदंडों के साथ बॉयलर बनाने की क्षमता
- यूटीलिटीज के लिए 350 मेगावाट तक के सबक्रिटिकल पैरामीटर और 151 मेगावाट से 660 मेगावाट यूनिट आकार के सुपरक्रिटिकल पैरामीटर के साथ सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) स्टीम जेनरेटर
- पेटकोक आदि के मिश्रण के सभी संयोजन में सक्षम आयातित/भारतीय कोयले के विभिन्न गुणों के मिश्रण/सह-फायरिंग, लिग्नाइट, ईंधन लचीले बॉयलर हैं।
- एएसएमई सेक्टर-III एनबी क्लास-1 आवश्यकताओं के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए स्टीम जेनरेटर और रिएक्टर हेडर के निर्माण और आपूर्ति की क्षमता
- कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैसों, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, पेटकोक, खोई या इनके संयोजन का उपयोग करके 40 टन/घंटा से 450 टन/घंटा क्षमता तक के निम्नलिखित प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए भाप जनरेटर
  - » पल्वेराइज्ड कोयला/लिग्नाइट से चलने वाले बॉयलर
  - » स्टोकर फायर्ड बॉयलर
  - » बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - » सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर
  - » हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी)
  - » कागज उद्योग के लिए रासायनिक रिकवरी बॉयलर, 100 से 1000 टन/दिन सूखे ठोस पदार्थों की क्षमता तक
- बॉयलर में कोयले के साथ बायोमास सह-फायरिंग को लागू करने में विशेषज्ञता और क्षमता
- बॉयलरों के लचीले संचालन के लिए संपूर्ण समाधान

भाप (स्टीम) जनरेटर के सहायक पुर्जे

- एयर प्रीहीटर्स
  - » ट्यूबलर एयर प्रीहीटर्स
  - » रोटरी रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर्स (विभिन्न प्रकार जैसे बाइसेक्टर, ट्राई सेक्टर और क्वाड सेक्टर)
- कण उत्सर्जन नियंत्रण
  - » न्यूनतम 15 मिलीग्राम/एनएम3 आउटलेट उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (99.97% तक दक्षता)
  - » उपयोगिता और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बैग फ़िल्टर
  - » यांत्रिक धूल संग्राहक
  - » अमोनिया ग्रिप गैस कंडीशनिंग प्रणाली
- फ़ैन
  - » 200 डिग्री सेल्सियस तक स्वच्छ वायु अनुप्रयोग और धूल भरी गर्म गैसों के अनुप्रयोगों के लिए एकल चरण और डबल चरण के एक्सल रिएक्सन फैन, जिनकी क्षमता 40 से 1300 m3/s तक और दबाव 400 से 1,500 mmwcतक है।
  - » 200 डिग्री सेल्सियस तक स्वच्छ हवा और ग्रिप गैस दोनों अनुप्रयोगों के लिए एक्सल इनपल्स फैन, जिनकी क्षमता 25 से 600 m^3/s और दबाव 300 से 700 mmwcतक है।

» 400 डिग्री सेल्सियस तक स्वच्छ हवा और धूल भरी गर्म गैसों के अनुप्रयोगों के लिए सिंगल और डबल-सक्शन रेडियल फैन (प्लेट एयरोफ़ॉइल ब्लेड), जिनकी क्षमता 4 से 660 m^3/s और दबाव 200 से 3000 mmwcतक है।

- पल्वराइज़र

» धीमी और मध्यम गति की बाउल मिलें (दबावयुक्त और सक्शन वातावरण दोनों के लिए) जिनकी क्षमता 10 टन/घंटा से 120 टन/घंटा तक है।

» बॉल ट्यूब मिल्स 30 टन/घंटा से 110 टन/घंटा तक ।

» एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए वेट बॉल मिल्स (50 टन/घंटा तक)।

- गिलोटिन गेट्स और डैम्पर्स

» विद्युत/वायवीय एक्चुएटर के साथ गिलोटिन गेट। सील एयर के साथ 100% लीक प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप 1: 7 मीटर/14.5 मीटर, टाइप 2: 14.6 मीटर/4.5 मीटर, टाइप 3: 11.5 मीटर/6.5 मीटर

» विद्युत/वायवीय एक्चुएटर के साथ बाई -प्लेन डैम्पर्स। सील एयर के साथ 100% लीक प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप-1: 7 मीटर/14.5 मीटर, टाइप-2: 12 मीटर/10.5 मीटर

» इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई) के साथ लौवर डैम्पर्स (ओपन क्लोज/रेगुलेटिंग): टाइप-1: 6.5 मीटर/14.5 मीटर, टाइप-2: 12 मीटर/10.5 मीटर

» इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई) के साथ कंट्रोल डैम्पर्स (रेगुलेटिंग): टाइप- 1:6.5m/14.5m, टाइप-2: 12m/10.5m

स्टील चिमनी

» ग्रिप गैस निकास अनुप्रयोगों के लिए स्टील चिमनी, अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर और भीतरी व्यास 6.5 मीटर तक

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली

» गीला चूना पत्थर और समुद्री जल आधारित एफजीडी प्रणालियाँ

» अवशोषक - डीसीएफएस प्रौद्योगिकी (डबल संपर्क प्रवाह स्क्रबर)

» गीला चूना पत्थर एफजीडी - सिंगल और ट्विन टॉवर अवशोषक

» समुद्री जल एफजीडी - ग्रिड टॉवर अवशोषक

» गैस से गैस हीटर के साथ और उसके बिना अवशोषक

» 99.9% की SO2 दक्षता के साथ एफजीडी

डी NOx समाधान

» NOx उत्सर्जन को कम करने के लिए भट्टी में दहन नियंत्रण समाधान

- Noxउत्सर्जन नियंत्रण के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) प्रणाली (हनीकॉम्ब और प्लेट प्रकार)
- NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए एससीआर प्लेट प्रकार उत्प्रेरक
- 3%/मिनट रैंप दर पर 70-100% टरबाइन अधिकतम सतत रेटिंग (टीएमसीआर), 2%/मिनट रैंप दर पर 55-70% टीएमसीआर और 1%/मिनट रैंप दर पर 40-55% टीएमसीआर प्राप्त करने के लिए सीईए दिशानिर्देशों के अनुसार बॉयलरों का लचीला संचालन।

सूट ब्लोवर

- 12.2 मीटर तक की दूरी के लिए लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोवर्स (एलआरएसबी)
- 10 मीटर तक की यात्रा लंबाई के लिए फर्नेस तापमान जांच (एफटीपी)।
- एयर प्री हीटर के लिए फॉरवर्ड ब्लोइंग के साथ लंबे समय तक वापस लेने योग्य नॉन-रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर
- रोटरी सूट ब्लोवर्स
- रैक टाईप लंबे रिट्रेक्टबल सूट ब्लोअर
- सीएफबीसी बॉयलर अनुप्रयोग के लिए ऐश डिस्चार्ज वाल्व
- अनुक्रमिक पीएलसी, नियंत्रण कक्ष और इंटीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर

वाल्व

- उपयोगिताओं और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उच्च और निम्न दबाव वाले टर्बाइन बाईपास वाल्व और हाइड्रोलिक प्रणाली
- 950 मिमी व्यास तक भाप, तेल और गैस ड्यूटीज के लिए गेट, ग्लोब, नॉन-रिटर्न (स्विंग-चेक और पिस्टन लिफ्ट-चेक) प्रकार के उच्च और मध्यम दबाव वाले वाल्व, कास्ट और फोर्ज्ड स्टील वाल्व, अधिकतम दबाव वर्ग 4500 (791 किग्रा) /cm2) और 650°C तापमान
- 900 मिमी तक के पाइप आकार वर्ग 1500 और भाप तापमान 650°C तक गर्म पुनः गरम और ठंडा पुनः गरम पृथक उपकरण
- 372 किग्रा/सेमी^{2} तक दबाव और 630°C तक तापमान सेट करने के लिए उच्च क्षमता वाले स्प्रिंग लोडेड सुरक्षा वाल्व
- 320 किग्रा/सेमी^{2} तक दबाव और 610°C तक तापमान सेट करने के लिए स्वचालित विद्युत चालित दबाव राहत वाल्व
- 421 किग्रा/सेमी^{2} तक दबाव और 537° तक तापमान सेट करने के लिए सेफ़्टी रिलीफ़ वाल्व
- प्रतिक्रियाशील सह अवशोषक प्रकार के वेंट साइलेंसर 2700 मिमी व्यास के
- डाइरेक्ट वॉटर लेवल गेज
- एंगल ड्रेन वाल्व - टर्बाइन ड्रेन एप्लीकेशन के लिए सिंगल और मल्टी स्टेज
- री-हीटर और सुपर हीटर स्प्रे लाइनों के लिए गंभीर सेवा नियंत्रण वाल्व
- एक्सट्रैक्शन लाइनों और पावर असिस्टेड नॉन रिटर्न वाल्व के लिए त्वरित समापन नॉन रिटर्न वाल्व, 900 मिमी व्यास तक, 158 किग्रा/सेमी^{2} दबाव और 540 डिग्री सेल्सियस तापमान
- एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए 1300 मिमी और 1400 मिमी व्यास के नाइफ एज गेट वाल्व

पाइपिंग सिस्टम (प्रणालियाँ)

- पावर साइकिल पाइपिंग, लगातार लोड हैंगर, वेरिएबल स्प्रिंग हैंगर, हैंगर घटक, सुपर क्रिटिकल सेट सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के पावर स्टेशनों के लिए सर्कुलेटिंग वॉटर पाइपिंग सहित कम दबाव वाली पाइपिंग
- परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, संयुक्त चक्र बिजली संयंत्रों एवं औद्योगिक बॉयलरों और प्रक्रिया उद्योगों के लिए पाइपिंग सिस्टम

- नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोज़न इंजीनियर्स (एनएसीई) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले रिफाइनरी सेगमेंट को पूरा करने के लिए पूर्वनिर्मित पाइपिंग/डक्ट स्पूल

सीमलेस स्टील ट्यूब

- एएसटीएम/एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप कार्बन स्टील और कम-मिश्र धातु स्टील्स में 21 से 133 मिमी के बाहरी व्यास और 2 से 12.5 मिमी की दीवार की मोटाई के साथ हॉट -फिनिश्ड और कोल्ड – ड्रॉन सीमलेस स्टील ट्यूब।
- एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरुप कार्बन स्टील और कम-मिश्र धातु स्टील्स में 38.1 से 63.5 मिमी तक के बाहरी व्यास और 5.6 मिमी से 7.1 मिमी तक दीवार की मोटाई वाले राइफल्ड ट्यूब (रिब्ड)
- एएसएमई मानकों के अनुरुप कार्बन स्टील और मिश्र धातु स्टील्स में स्पाइरल फिन्ड ट्यूब, जिनका बाहरी व्यास 31.8 से 114.3 मिमी, दीवार की मोटाई 2.4 मिमी से 9.5 मिमी, फिन की ऊंचाई 12.5 मिमी से 21 मिमी और फिन का घनत्व 40 से 240 फिन प्रति मीटर है।

प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर (पीएफबीजी) (कोल से कैमिकल्स)

- लिग्नाइट सहित उच्च और निम्न श्रेणी के कोयले के गैसीकरण के लिए उपयुक्त पीएफबीजी तकनीक
- प्रतिदिन 2500 टन तक की एकल इकाई क्षमता का उच्च दबाव वाले ऑक्सी-ब्लो कोयला गैसीफायर, जो निम्नलिखित अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए सिनगैस का उत्पादन करने में सक्षम है:
  - » हाइड्रोजन/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट
  - » मेथनॉल/डाइमिथाइल ईथर
  - » आइरन ओर का डाइरैक्ट रिडक्शन
  - » पावर थ्रो आईजीसीसी
  - » सिंथेटिक नेचुरल गैस

स्टीम टर्बाइन

- 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक के स्टीम टर्बाइन, जिसमें सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 350/660/700/800 मेगावाट यूनिट रेटिंग सेट और सबक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 600 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग सेट शामिल हैं।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 मेगावाट तक की रेटिंग वाले स्टीम टर्बाइन
- समुद्री प्रणोदन के लिए 15000 एचपी टर्बाइन

टर्बो जनरेटर

- थर्मल/गैस पावर प्लांटों के लिए संबंधित सहायक प्रणालियों के साथ 1000 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक वायु, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन/ वाटर कूल्ड टर्बो जेनरेटर
- 200 मेगावाट रेटिंग तक के एयर कूल्ड
- 300 मेगावाट रेटिंग तक के हाइड्रोजन कूल्ड
- 1000 मेगावाट रेटिंग तक के हाइड्रोजन / वाटर कूल्ड
- सीसीपीपी अनुप्रयोगों के लिए जेनरेटर
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 MWeतक के जेनरेटर
- जनरेटर शीतलन प्रणाली: वायु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन/ जल
- उत्तेजना प्रणाली: ब्रश रहित / स्थिर प्रकार
- सहायक प्रणालियाँ: प्राइमरी वाटर सिस्टम, सील ऑइल सिस्टम, गैस सिस्टम, आदि।

हाइड्रो पावर प्लांट

- फ्रांसिस और पेल्टन 400 मेगावाट यूनिट साइज तक के हाइड्रो टर्बाइन
- 1000 मेगावाट यूनिट साइज तक के कपलान टाइप हाइड्रो टर्बाइन
- 10 मेगावाट यूनिट साइज तक के बल्ब टाइप हाइड्रो टर्बाइन
- 400 मेगावाट यूनिट साइज तक के सैलिएंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जेनरेटर
- 20 मेगावाट यूनिट साइज तक के हॉरिजॉन्टल जनरेटर
- रिवर्सिबल पंप-टर्बाइन और फिक्सड स्पीड जेनरेटर- पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) के लिए 300 मेगावाट तक की मोटर
- लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (एलआईएस) के लिए 200 मेगावाट तक के हाई स्पीड पंप और मोटर

औद्योगिक सेट

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट
  - » स्टीम टर्बाइन - जनरेटर(एसटीजी)/बॉयलर/बॉयलर-टरबाइन-जनरेटर (बीटीजी)/इंजीनियरिंग-प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन (ईपीसी): 200 मेगावाट तक यूनिट रेटिंग
  - » 120 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक नॉन रीहीट
  - » 70 मेगावाट से 200 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक रीहीटिंग
- स्टीम टर्बाइन से लेकर मैकेनिकल ड्राइव जैसे कंप्रेसर, पंप, ब्लोअर, समुद्री प्रणोदन आदि।
- एकीकृत इस्पात संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शीर्ष रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी)।
- गैस टरबाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट जीटीजी/एचआरएसजी/ईपीसी: 26 मेगावाट (एफआर-5) से 571 मेगावाट (एफआर-9एचए.02) विविध प्रकार के ईंधन जलाने की क्षमता (इस्पात उद्योग अनुप्रयोगों के लिए बीएफजी और सीओजी सहित गैसीय और तरल) के साथ, मिश्रित ईंधन फायरिंग विकल्प, शोर में कमी के साथ-साथ ड्राई लो NOx (DLN) कम्बस्टर के माध्यम से कम निकास उत्सर्जन स्तर (NOx के 15ppm तक)
- डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस (डीएसओजी) खंड के लिए प्रक्रिया पैकेज/उपकरण/ समाधान
- डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस (डीएसओजी) खंड के लिए प्रक्रिया पैकेज/उपकरण/ समाधान

कास्टिंग और फोर्जिंग

- 0.5 मीट्रिक टन से लेकर 61 मीट्रिक टन सिंगल पीस तक स्टील कास्टिंग और 120 मीट्रिक टन वजन तक कास्ट-फैब्रिकेटेड कास्टिंग और जैसी विभिन्न सामग्री ग्रेड में 36 मीट्रिक टन तक फोर्जिंग। सादा कार्बन, क्रीप प्रतिरोधी, स्टेनलेस स्टील, सुपर क्रिटिकल स्टील्स और उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मिश्र धातु 625

कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर

- सर्फ़ेस कंडेंसर
  - » 1000 मेगावाट तक के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए
  - » 700 मेगावाट तक के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए
  - » 12.5 मेगावाट समुद्री अनुप्रयोग
  - » इंडस्ट्रीयल कंडेंसर
- 660 और 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए एयर कूल्ड कंडेंसर
- गैर-बीएचईएल हीटरों की रेट्रोफिटिंग सहित फ़ीड वॉटर हीटर (उच्च दबाव हीटर, कम दबाव हीटर, डुप्लेक्स हीटर, डी-सुपर हीटर, आदि)
  - » थर्मल 7 से 600 मेगावाट (सब-क्रिटिकल) और 350 से 1000 मेगावाट (सिंगल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - » परमाणु: 220 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट
  - » 7 मेगावाट से 150 मेगावाट तक औद्योगिक अनुप्रयोग
- नमी विभाजक और रिहीटर (एमएसआर)
  - » परमाणु: 220 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट
- लाइव स्टीम रेहीटर (एलएसआर)
  - » 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) परमाणु सेट
- परमाणु प्राथमिक चक्र के लिए डी2ओ और मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स
- टर्बो और हाइड्रो जेनरेटर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - » एयर कूलर (फ्रेम और ट्यूब प्रकार)
  - » ऑइल कूलर (शैल और ट्यूब प्रकार और प्लग इन प्रकार)
  - » हाइड्रोजन कूलर (फ्रेम और ट्यूब प्रकार)
- ट्रांसफार्मर ऑइल कूलर
  - » शैल और ट्यूब प्रकार: सिंगल ट्यूब या कंसेंट्रिक डबल ट्यूब प्रकार
  - » फ्रेम और ट्यूब प्रकार ओएफएएफ (ऑयल फोर्स्ड/एयर फोर्स्ड) एल-फिन ट्यूब के साथ
- रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एयर कूलर
  - » शैल एवं ट्यूब प्रकार
  - » सीएसीडब्ल्यू (क्लोज्ड एयर सर्किट, वाटर कूल्ड) प्रकार
- 400NB से 2800NB तक जल अनुप्रयोग के लिए बटरफ्लाई वाल्व और रबर विस्तार जोड़
- तेल और जल भंडारण के लिए फ्लैश टैंक और विविध टैंक
- ट्रांसफार्मर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - » ऑइल कूलर (शेल और ट्यूब प्रकार सिंगल ट्यूब या कंसेंट्रिक डबल ट्यूब प्रकार) (फ्रेम और ट्यूब प्रकार)
- ड्रेन कूलर
  - » थर्मल 7 से 600 मेगावाट (सब-क्रिटिकल) और 350 से 1000 मेगावाट (सिंगल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - » परमाणु: 220 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट
  - » 150 मेगावाट तक औद्योगिक अनुप्रयोग
- सामान्य अनुप्रयोग और डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (डीएसओजी) अनुप्रयोग के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - » वाटर - वाटर कूलर (शेल एवं ट्यूब प्रकार)
- ग्लैंड स्टीम कंडेंसर

» 7 मेगावाट से 150 मेगावाट तक औद्योगिक अनुप्रयोग
  - » 1000 मेगावाट तक के थर्मल प्लांट
  - » 700 मेगावाट तक के परमाणु संयंत्र
- 126 मेगावाट (एफआर-9ई) तक जीटीजी के लिए एयर-कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स, और डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (डीएसओजी) एप्लिकेशन के लिए सभी रेटिंग के कंप्रेसर एप्लिकेशन
  - » 150 मेगावाट तक के कंडेनसर के लिए स्टीम जेट एयर इजेक्टर
  - » 7 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक डिएरेटर
  - » कंप्रेसर अनुप्रयोगों के लिए गैस कूलर
  - » ऑइल कूलर- 150 मेगावाट तक एसटीजी, 126 मेगावाट तक जीटीजी (एफआर-9ई)
  - » 150 मेगावाट एसटीजी तक जनरेटर एयर कूलर और 250 मेगावाट (9 एफए) तक जीटीजी

पम्प

- 1000 मेगावाट की क्षमता तक विभिन्न यूटिलिटी बिजली संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए पंप:
  - » बॉयलर फीड पंप (मोटर या स्टीम टरबाइन चालित) और बॉयलर फीड बूस्टर पंप।
  - » कंडनसैट एक्सट्रैक्सन पम्प ड्रिप पंपों सहित
  - » सर्कुलेटिंग वॉटर पंप (कूलिंग वाटर पंप)
  - » कंक्रीट वोल्यूट कूलिंग वाटर पंप
  - » 700 मेगावाट रेटिंग तक के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के द्वितीयक पक्ष के लिए पंप (बीएफपी सहित)।
  - » एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए स्लरी रीसर्क्युलेशन पंप

कंप्रेसर

- रिफाइनरी, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, इस्पात, बिजली और प्राकृतिक गैस परिवहन क्षेत्रों जैसे विभिन्न उद्योगों में सभी प्रमुख संपीड़न अनुप्रयोगों के

लिए सहायक प्रणालियों के साथ सेंट्रीफ्यूगल/केन्द्रापसारक कंप्रेसर (स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर और गैस टरबाइन द्वारा संचालित) की पूरी श्रृंखला

- 3,00,000 वर्ग मीटर प्रति घंटा तक की क्षमता के लिए कंप्रेसर पैकेज वायु, CO2, सिनगैस, N2, H2, NH3, प्राकृतिक गैस, गीली गैस, प्रोपलीन और अन्य सेवाओं जैसी विभिन्न गैसों के लिए।
- 40 बार डिज़ाइन दबाव तक होरीजोंटल स्पिलिट टाइप
- 350 बार डिज़ाइनप्रेशर वर्टिकल स्पिलिट टाइप
- एफ़जीडी अनुप्रयोगों के लिए ओक्सीडेशन ब्लोअर

सोलरफोटोवोल्टिक्स

- मोनो/मल्टी क्रिस्टालाइन सोलर सेल्स
- मल्टी क्रिस्टालाइन /मोनो-पीईआरसी पीवी मॉड्यूल (400 डबल्यूपी तक के)
- सोलर इनवर्टर के लिए यूटीलिटीज और रेलवे ट्रेक्शन अनुप्रयोगो के लिए
- पावर ट्रांसफार्मर (15 एमवीए और इससे अधिक)
- पैसिव सोलर ट्रेकिंग सिस्टम
- स्पेस ग्रेड सोलर ट्रेकिंग पैनल्स

स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली

स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियों के लिए

- » बॉयलर सुरक्षा सहित स्टीम जनरेटर / बॉयलर कंट्रोल्स
- » बिजली संयंत्रों के लिए टर्बाइन और जनरेटर के लिए नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली
- » बॉयलर फीड पंप (बीएफ़पी) ड्राइव टर्बाइन कंट्रोल
- » स्टेशन कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन / डीसीएस
- » स्वचालित जनरेटर नियंत्रण
- » कंपन निगरानी प्रणाली
- » ऑफसाइट/ऑफ बेस नियंत्रण/संयंत्र नियंत्रण का संतुलन
  - ◊ ऐश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी)
  - ◊ कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी
  - ◊ पावर प्लांटों के लिए वाटर सिस्टम
  - ◊ मिल रिजेक्ट सिस्टम (एमआरएस)
  - ◊ कंडनसेट ऑन-लोड ट्यूब क्लिनिंग सिस्टम (सीओएलटीसीएस)
  - ◊ गैस बूस्टर कम्प्रेसर (जीबीसी)
  - ◊ कंडनसेट पोलिशिंग यूनिट (सीपीयू)
  - ◊ हीटिंग, वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी)
  - ◊ फ्यूल ऑयल अनलोडिंग सिस्टम (एफ़ओयूएस
- » हाइड्रो पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम)
- » गैस टर्बाइन कंट्रोल सिस्टम
- » परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्राइमरी साइकिल कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (सीसीआईपी)
- » न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन और सेकेंडरी साइकिल कंट्रोल सिस्टम
- » सोलर थर्मल ऊर्जा संयंत्र के पावर ब्लॉक
- » इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
- » सब-स्टेशन ऑटोमेशन (एसएएस)
- » गैर-एफएसटी एचवीडीसी नियंत्रण पैनल
- » रिफाइनरियों के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम (ईसीएस)
- » पावर प्लांटों के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस)
- » एमवी / एलवी स्विच गियरों के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम
- » जेनरेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस सिस्टम

ट्रांसमिशन सिस्टम

- ईएचवी और यूएचवी सब-स्टेशन / स्विचयार्ड एआईएस और जीआईएस दोनों प्रकार के जिनकी रेंज 33kV से 765kV तक हैं।
- +/- 800 केवी तक के एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम
- डिजिटल सबस्टेशन
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफ़एसीटीएस) सोल्यूशन
  - » फिक्सड सीरीज कंपनसेशन (एफ़एससी)
  - » कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
  - » फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉरमर (पीएसटी)
  - » सिंक्रोनस कंडेनसर
- पावर सिस्टम स्टडीज

सॉफ़्टवेयर सिस्टम समाधान

- थर्मल यूटिलिटीज के लिए प्रदर्शन विश्लेषण, निदान और अनुकूलन (पीएडीओ)।
- प्रदर्शन गणना और अनुकूलन प्रणाली और वास्तविक समय प्रदर्शन डेटा निगरानी प्रणाली
- डीसीएस से थर्ड पार्टी सिस्टम तक ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस (ओपीसी) कनेक्टिविटी
- एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (ईएएमएस)
- ऑपरेटर प्रशिक्षण सिम्युलेटर
- रिमोट मॉनिटरिंग एवं डायग्नोस्टिक सिस्टम (आरएमडीएस)
- विद्युत प्रणाली विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर (लोड प्रवाह / शॉर्ट सर्किट / मोटर स्टार्टिंग अध्ययन / ग्राउंडिंग अध्ययन / रिले समन्वय)

स्विच गियर

- मध्यम वोल्टेज वैक्यूम स्विचगियर, इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए, वोल्टेज रेटिंग 36 केवी के लिए और गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स 420 केवी तक के।
  - » इनडोर स्विचगियर

  - ◊ थर्मल, परमाणु, हाइड्रो और कम्बाईंड साइकिल (संयुक्त चक्र) पावर प्लांट परियोजनाओं के लिए 12 केवी, 50 केए और 4000 एएमपी तक के
  - ◊ उद्योगों, सौर ऊर्जा संयंत्र और रिफाइनरियों के लिए 36 केवी, 31.5 केए, 2000 एएमपी तक के
  - ◊ वितरण प्रणाली के लिए कॉम्पैक्ट स्विचगियर 12 केवी, 25 केए, 1250 एएमपी के
- » आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
  - ◊ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 12केवी, 26.5 केए, 1250 एएमपी
  - ◊ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 36 केवी, 26.3 केए, 1600 ए
  - ◊ ट्रैक साइड रेलवे अनुप्रयोगों के लिए 25 केवी और 52 केवी (2x25 केवी) वैक्यूम इंटरप्टर्स और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
- » गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स
  - ◊ रिफाइनरियों, शहरी वितरण और उद्योगों के लिए 36 केवी, 40 केए, 2500 एम्पियर (सिंगल बसबार और डबल बसबार डिजाइन)
  - ◊ ट्रांसमिशन क्षेत्र के लिए 420kV, 40kA, 3150 एम्पियर (हाइड्रो स्टेशन/थर्मल पावर प्लांट/अन्य सबस्टेशन)
  - ◊ 420 केवी गैस इंसुलेटेड बस डक्ट

ऑन लोड टैप चेंजर्स (ओएलटीसी)

- 765 केवी क्लास ट्रांसफार्मर तक ऑन लोड टैप चेंजर और 765 केवी तक ऑफ सर्किट टैप स्विच, पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर इत्यादि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 500 एमवीए क्लास ट्रांसफार्मर।

एलटी स्विचगियर और बस डक्ट्स

- 800 मेगावाट क्षमता तक की उपयोगिताओं के जनरेटर बिजली उत्पादन के अनुरूप संबंधित उपकरणों के साथ जेनरेटर बस-डक्ट (आईपीबीडी)
- थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, कैप्टिव पावर प्लांट और स्टील उद्योग के लिए 415 वी एलटी स्विचगियर

ट्रांसफार्मर्स और रिएक्टर्स

- 1200 केवी, वोल्टेज तक के लिए पावर ट्रांसफार्मर
  - » जनरेटर ट्रांसफार्मर (600 एमवीए, 420 केवी, 3 पीएच / 400 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच / 500 एमवीए, 420 केवी, 1 पीएच तक के)
  - » ऑटो ट्रांसफार्मर (1000 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच / 600 एमवीए, 400 केवी, 1 पीएच / 500 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच / 1000 एमवीए, 1200 केवी, 1 पीएच तक के)
- एचवीडीसी के लिए कनवर्टर ट्रांसफार्मर / स्मूथिंग रिएक्टर (600 एमवीए तक, ±800 केवी)/ (254 एमवीएआर, ± 500 केवी तक) संचरण
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच/110 एमवीएआर तक, 765 केवी, 1 पीएच)
- नियंत्रित शंट रिएक्टर (200 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच/200 एमवीएआर, 420 केवी, 1 पीएच/200 एमवीएआर, 765 केवी, 1 पीएच तक)लचीले एसी ट्रांसमिशन सिस्टम अनुप्रयोग
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए चरण स्थानांतरण ट्रांसफार्मर (500 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच/500 एमवीए 400 केवी, 1 पीएच तक)
- उपकरण ट्रांसफार्मर
  - » करंट ट्रांसफॉर्मर्स 400 केवी तक के
  - » इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स 220 केवी तक के
  - » कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स (33केवी से 1200केवी)
  - » एचवीडीसी परियोजनाओं के लिए 24 केवी पीआर क्लास वर्तमान ट्रांसफार्मर
- स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स
  - » रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (120 केए, 132 केवी तक के
  - » फर्नेस ट्रांसफॉर्मर (33 केवी, 60 एमवीए तक के)
- ईएसपी ट्रांसफॉर्मर 95 केवीपी, 1600 एमए तक के
- ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर 15 एमवीए, 33केवी तक के
- पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कम्पोजिट मॉनिटरिंग सिस्टम

कैपेसिटर्स

- एच.टी. कैपेसिटर्स
  - » शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कंपनसेशन), हार्मोनिक फिल्टरऔर एचवीडीसी अनुप्रयोग (3.3केवी से 500 केवी, 1 पीएच / 3 पीएच कैपेसिटर बैंक)
- सीवीटी (33kV to 1200kV) के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- ट्रांसमिशन लाइन के लिए कपलिंग कैपेसिटर (33केवी से 800 केवी, 4400 पीएफ़ से 13200 पीएफ़)
- जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज कैपेसिटर (11 केवी से 40 केवी)

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर अनुप्रयोगों के लिए ऑयल इम्परग्रेटेड पेपर (ओआईपी) कंडेनसर बुशिंग्स 52 से 500 केवी
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स
- 245 केवी तक वाल बुशिंग

कंट्रोल गीयर

- उद्योगों / बिजली संयंत्रों में ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर
- डिजिटल स्टेटिक एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (2000 ए, 400 वी डीसी के साथ रिडंडंट थाइरिस्टर स्टैक्स और डीसी फील्ड ब्रेकर)
- पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल्स सहित लार्ज करंट रेक्टिफायर्स

- ईएचवी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल्स (400 केवी तक के)
- सिंक्रोनस जेनरेटर के लिए एकीकृत उत्तेजना और सुरक्षा पैनल
- हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर (ईएचजी)।

इंसुलेटर और सिरेमिक

- पोर्सलेन इंसुलेटर्स
  - » ट्रांसफॉर्मर और एसएफ6 सर्किट ब्रेकर के लिए 765 केवी तक के खोखले इंसुलेटर।
  - » बस पोस्ट के लिए 400 kV तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर और सबस्टेशन अनुप्रयोगों के लिए आइसोलेटर्स।
- कम्पोजिट लॉन्ग रॉड इंसुलेटर्स
  - » एचवीडीसी अनुप्रयोगों के लिए ±800केवी, 420 केएन तक के
  - » एचवीएसी अनुप्रयोगों के लिए 765केवी, 210 केएन तक के
  - » भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्शन इंसुलेटर्स स्टेआर्म, ब्रैकेट और 9 टन इंसुलेटर्स।
- कम्पोजिट खोखले इंसुलेटर
  - » सीटी हाउसिंग एप्लीकेशन के लिए 400 केवी तक

  थर्मल पावर प्लांट और ऐश स्लरी अनुप्रयोगों के लिए सेरामिक लाइनिंग (सेरालीन) वीयर रेजिस्टेंट मैटेरियल।
- औद्योगिक और स्पेशल सेरामिक्स
  - » बॉयलर ड्रम में वाटर लेवल मॉनिटरिंग के लिए प्रयोग होने वाले ईडबल्यूएलआई-इलेक्ट्रोनिक वाटर लेवल इंडिकेटर (बीएचईएल विजन सिस्टम)
  - » क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरेमिक और टंगस्टन कार्बाइड फ्लो बीन्स।
  - » थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइजिंग के लिए ग्राइंडिंग मीडिया

इलेक्ट्रिकल मशीन्स

सुरक्षित क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मशीनें

- » स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 22000 किलोवाट
- » स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 10000 किलोवाट
- » सिंक्रोनस जेनरेटर 1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट
- » सिंक्रोनस मोटर – 1000 किलोवाट से 15000 किलोवाट
- » वेरिएबल स्पीड मोटर – 150 किलोवाट से 19000 किलोवाट (स्क्वेरल केज मोटर)
- » वेरिएबल स्पीड सिंक्रोनस मोटर – 1000 किलोवाट से 8000 किलोवाट

- हजार्डस (खतरनाक) क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मोटर (फिक्सड स्पीड या वीएफ़डी के साथ)
  - » फ्लेम-प्रूफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स (ईएक्स 'डी') (150 किलोवाट से 1300 किलोवाट)
  - » नॉन-स्पार्किंग स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर्स (ईएक्स 'ईसी') (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट)
  - » बढ़ी हुई सुरक्षा स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर्स (ईएक्स 'ईबी') (150 किलोवाट से 4000 किलोवाट)
  - » दबावयुक्त स्क्विरेल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'पी') (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट)
  - » प्रेशराइज्ड सिंक्रोनस मशीनें (ईएक्स 'पी') (1000 किलोवाट से 8000 किलोवाट)
- औद्योगिक अल्टरनेटर (स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन चालित) (3000 केवीए से 25000 केवीए)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्राथमिक शीतलक पंपों के लिए वर्टिकल मोटर्स
- मिनी/माइक्रो हाइड्रो प्लांट के लिए इंडक्शन जेनरेटर (300 केवीए से 6000 केवीए)।
- 2 पोल एयर कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन चालित जेनरेटर (3 मेगावाट से 160 मेगावाट)
- 4 पोल एयर कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन चालित जेनरेटर(3 मेगावाट से 40 मेगावाट)
- 2 पोल हाइड्रोजन कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन चालित जेनरेटर (36 मेगावाट से 270 मेगावाट)
- समुद्री अनुप्रयोगों के लिए 200 किलोवाट एचटीएससी मोटर
- 5 मेगावाट तक के स्थायी चुंबक आधारित जेनरेटर और मोटर्स
- स्थायी चुंबक आधारित एक्सियल फ्लक्स मोटर्स
- 270 मेगावाट तक गैस टरबाइन जेनरेटर

रेल परिवहन

परिवहन प्रणाली

- सेमी हाई स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)
- एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (6000 एचपी तक, 25 केवी एसी)
- एसी-डीसी डुअल वोल्टेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- एसी ईएमयू (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) कोच
- निम्नलिखित के लिए ट्रैक्शन प्रोपल्शन सिस्टम:
  - » 6000 एचपी और 9000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - » 3-चरण आईजीबीटी आधारित एसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) और मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू)
  - » वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (एसीईएमयू)
  - » DC ड्राइव के लिए ACEMU इलेक्ट्रिक्स
  - » सेमी हाई स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)

- » 1600 एचपी आईजीबीटी आधारित डेमू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट)
- » मेट्रो ट्रेन (डीसी-डीसी, डीसी-एसी)
- » 1600HP मल्टी-जेनसेट लोकोमोटिव
- पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ WAG7 लोकोमोटिव
- डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार
- डीजल-इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव (1400 एचपी तक)
- ओएचई रिकॉर्डिंग-सह-परीक्षण कार
- डानेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स
- रेल सह सड़क वाहन
- टीसीएमएस (ट्रेन नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली) पैनल

परिवहन उपस्कर

- ट्रैक्शन कन्वर्टर और सहायक कन्वर्टर
- वाहन नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स
- होटल लोड कन्वर्टर
- ट्रैक्शन कन्वर्टर और होटल लोड कन्वर्टरसहित कम्पोजिट कन्वर्टर
- मेनलाइन लोको के लिए मोटर चालित बोगियाँ
- ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर
  - » पारंपरिक लोकोमोटिव के लिए 5400 केवीए तक
  - » 3 चरण ड्राइव लोकोमोटिव के लिए 9000 केवीए तक
  - » 1200 केवीए तक पारंपरिक एसी ईएमयू/एमईएमयू
  - » 3 फेज ईएमयू के लिए 1578 केवीए तक के
- लोकोमोटिव, ट्रेन सेट और ईएमयू एप्लिकेशन के लिए 1200 किलोवाट तक 3-चरण एसी ट्रैक्शन मोटर्स (एक्सल हंग / पूरी तरह सस्पेन्डेड प्रकार का)
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर्स (630 किलोवाट तक)
- डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर (3860 किलोवाट तक)।
- 2000 किलोवाट तक ट्रैक्शन जेनरेटर
- गतिशील ब्रेकिंग सिस्टम के लिए डीसी ब्लोअर मोटर्स (50 किलोवाट तक)
- सहायक आवश्यकताओं के लिए मोटर जेनरेटर सेट (25 किलोवाट तक)
- एडी करंट क्लच
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए ट्रैक्शन गियर और पिनियन
- विशिष्ट वैगन (28 एक्सल तक, 296 टन)
- रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण
- व्हील और एक्सल मशीनिंग
- ट्रैक्शन कनवर्टर (टीसी)

डिफेंस और एयरोस्पेस

- नौसैनिक जहाजों के लिए सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) 76/62
- नौसेना के जहाजों के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस)
- स्टेटिक मैन मोटर जेनरेटर (एसएमएमजी)
- नियंत्रण के साथ रोटरी मुख्य मोटर जेनरेटर (आरएमएमजी)
- स्थायी चुंबक (पीएम) आधारित रिजर्व प्रोपल्शन मोटर और ड्राइव
- फ्रीक्वेंसी कनवर्टर (पीएम आधारित और पारंपरिक मोटर आधारित) के साथ ड्राइव नियंत्रण
- T-72 टैंक्स की टेरेंट कास्टिंग सहित टैंक आर्मर के लिए थर्मोप्रेस्ड कॉम्पोनेंट्स के लिए
- जैमर के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम जिसमें चार मॉड्यूल शामिल हैं जैसे एसीएम मॉड्यूल, पंप मॉड्यूल, पीसीएम मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट
- जहाजों के लिए कास्टिंग और फोर्जिंग्स
- विभिन्न लड़ाकू विमान प्लेटफ़ॉर्मों के लिए ऑनबोर्ड कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स
- प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए ईंधन टैंक और अन्य घटक
- कॉम्पैक्ट ब्रशलेस एल्टर्नेटर्स
- अंतरिक्ष मानक बैटरीज
- उपग्रहों के लिए सोलर पैनल
- प्रक्षेपण यानों के लिए लि-आयन सेल
- विमान अनुप्रयोगों के लिए ली-आयन बैटरियां

रक्षा अनुप्रयोग के लिए आपातकालीन डीजी सेट की एक्साइटैशन प्रणाली

ऊर्जा संग्रहण प्रणाली और ई-मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डीसी फास्ट चार्जर
- ई-बस के लिए डायरेक्ट ड्राइव स्थायी चुंबक मोटर्स और नियंत्रक

ऑयल फील्ड उपकरण

- ऑइल रिग - 9,000 मीटर तक की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी-वीएफडी और एसी-एससीआर प्रौद्योगिकी के साथ ऑन-शॉर ड्रिलिंग रिग, 6,100 मीटर तक की सर्विसिंग के लिए वर्क-ओवर रिग, 3,000 मीटर तक की ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग, जिनमें सही ड्रॉ-वर्क्स और होइस्टिंग उपकरण के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:
  - » मास्ट और सबस्ट्रक्चर
  - » घूमने वाले उपकरण: ड्रॉ वर्क्स; रोटरी; स्विवल्स; ट्रैवलिंग ब्लॉक्स
  - » इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) यूनिट
  - » डेड लाइन एंकर

» मड सिस्टम पंप्स सहित

» ट्रिप्लेक्समड पंप्स 5000 पीएसआई वर्किंग प्रेशर

» मड प्रोसेसिंग उपस्कर: डीगैसर, डीसैंडर

» सकर रॉड पंप (बीम पंप स्ट्रक्चर और पंपिंग यूनिट गियर रीड्यूसर)

» ऑइल रिग का पुनर्नवीकरण और उन्नयन

» 1150 HP तक के 3-फेज ऑइल रिग मोटर (ड्रॉ वर्क्स, मड पंप, ड्रिलिंग के लिए)

» 1000 HP तक के ऑइल रिग मोटर (ड्रॉ वर्क्स, मड पंप, ड्रिलिंग के लिए)

» 1750 kVA तक के ऑइल रिग अल्टरनेटर (एसी पावर पैक के लिए)

» E760, E1400, E2000 और E3000 रिग के लिए एसी / डीसी पावर कंट्रोल रुम

» 1430 kVA तक के डीजी सेट्स के लिए एसी पावर पैक

› एसी नियंत्रण मॉड्यूल

› डीसी नियंत्रण मॉड्यूल

» ड्रिलर कंसोल 3 मड पंप तक, आईआरडी और ड्रॉ वर्क नियंत्रण और मॉनिटरिंग, लोड रेटिंग (0-1800 ए, 0-1000 वी) के लिए

» मोबाइल लाइटिंग टॉवर, रिग लाइटिंग टॉवर

» एसी- वीएफडी नियंत्रण एसी रिग्स के लिए

» एसी एसीआर रिग्स में शक्ति कारक में सुधार के लिए STATCOM

15,000 पीएसआई तक के वेल हेड्स और क्रिसमस ट्री, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मैनिफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स, डी एसपीएम एच-मैनिफोल्ड असेम्बली, मडवाल्व्स

फैब्रिकेटिड उपकरण और मैकेनिकल पैकेज

- क्रायोजेनिक संग्रहण टैंक, माउंडेड स्टोरेज सिस्टम और स्टोरेज स्फेयर्स
- प्रेशरा वेसल्स, कॉलम्स, रिएक्टर्स/ सेपरेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स
- फायर्ड हीटर्स
- पर्ज गैस रिकवरी यूनिट
- प्रेशर वैक्यूम स्विंग एडसोर्प्शन (पीवीएसए) ऑक्सीजन सिस्टम (एमओ2) चिकित्सा उद्देश्यों के लिए
- गियर बॉक्स

» गैस टरबाइन एप्लिकेशन के लिए एक्सेसरी और लोड गियर बॉक्स

» स्टीम टरबाइन एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स

» बॉयलर फीड पंप ड्राइव टरबाइन (बीएफपी डीटी) एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स

» एयर कूल्ड कंडेंसर (एसीसी) फैन एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स

» सकर रॉड पंप (एसआरपी) एप्लिकेशन के लिए गियरबॉक्स

» इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) के लिए गियरबॉक्स

» एसी ड्रॉ वर्क्स के लिए गियरबॉक्स

» कंप्रेसर ड्राइव एप्लिकेशन के लिए गियर बॉक्स

इंडस्ट्री 4.0

- प्लांट को व्यापक परिचालन और सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए रिमोट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक्स सिस्टम (आरएमडीएस)।
- महत्वपूर्ण मुख्य टीजी सेट की निरंतर पूर्ण निगरानी हेतु KAMPAN 1.0 और विशेष रिमोट वाइब्रेशन डायग्नोस्टिक एंड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (आरवीडीएस), जो 24x7 संचालित होता है, इसे ऑनलाइन रिमोट मॉनिटरिंग कंपन और घूमने वाले उपकरणों के आवश्यक मापदंडों के माध्यम से हासिल किया जाता है।
- प्लांट ऑटोमेशन लाइव मॉनिटरिंग (पीएएलएम) प्रक्रिया मापदंडों के वास्तविक समय की दूरस्थ निगरानी के लिए एक एंड्रॉइड ऐप, जिसमें उपयोगकर्ता के अनुकूल योजनाबद्ध और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व शामिल हैं।
- स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी) लोड में परिवर्तन के जवाब में, विभिन्न बिजली संयंत्रों में कई जनरेटर के बिजली उत्पादन को समायोजित करने के लिए एक प्रणाली है।
- आईआईओटी का उपयोग करके मैन, सामग्री और मशीन को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एसपीएमएस)

अलवणीकरण और जल उपचार संयंत्र

- विभिन्न उपचार प्रौद्योगिकियों के साथ बिजली संयंत्रों, औद्योगिक अनुप्रयोगों और नगरपालिका अनुप्रयोगों के लिए संपूर्ण जल प्रबंधन समाधान:

» प्री-ट्रीटमेंट प्लांट (पीटी)

» अलवणीकरण प्लांट

» विखनिजीकरण संयंत्र (डीएम)

» मेमरैन आधारित ट्रीटमेंट प्लांट

» इलेक्ट्रो डियोनाइजेशन प्लांट

» प्रवाह(धाराप्रवाह) उपचार संयंत्र (ईटीपी)

» सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)

» जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्रणाली

» कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

» टरशियरी ट्रीटमेंट प्लांट

शब्दावली एवं संक्षिप्ताक्षर

एसीसी	एयर कूल्ड कंडेंसर
एसीडी	मूल्यांकन एवं विकास केंद्र
एडीए	वैमानिकी विकास एजेंसी
एएचएफ	हीमोफिलिक विरोधी कारक
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एएसएससीपी	अमोर्फस सिलिकॉन सौर सेल संयंत्र
एयूएससी	एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल
बीएपी	बॉयलर औक्सीलरी प्लांट
बीजीजीटी एस	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
बीएलएसी	बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति
बीएलडब्लू	बनारस लोकोमोटिव वर्क्स
बीओपी	बैलेंस ऑफ प्लांट
बीक्यूएमएम	बीएचईएल गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल
बीटीजी	बॉयलर टरबाइन जेनरेटर
सीएएसआईडीसी	लड़ाकू विमान प्रणाली विकास एवं एकीकरण केंद्र
सीबीआई	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सीसीए	कैपबिलटी कम कैपेसिटी असेसमेंट
सीसीईएन एल	क्रोम कंसोर्टियम एनर्जी नाइजीरिया लिमिटेड
सीडीएस एल	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
सीईटी	इलेक्ट्रिक परिवहन केंद्र
सीईएफसी	कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र
सीईआरटी	कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पान्ड टीम
सीएफबीसी	सर्कुलेटींग फ्लूडाइज्ड बेड कंबुशन
सीएफएफपी	सेंट्रल फाउंड्री फ़ोर्ज प्लांट
सीएफपी	कम्पोनेन्ट फैब्रिकेशन प्लांट
सीएफएस	समेकित वित्तीय विवरण
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईआरओ	निवेशक संबंधित मुख्य अधिकारी
सीएलडी	कॉर्पोरेट ज्ञानार्जन एवं विकास
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
सीटीआई	सिरेमिक प्रौद्योगिकी संस्थान
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीसी	डेजीगनटेड कंज़्यूमर्स
डीएमई	डाइ मिथाइल ईथर
डीपीई	लोक / सार्वजनिक उद्यम विभाग
डीएसओजी	डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र
ईसीएल	अपेक्षित ऋण घाटा

ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईडीएन	इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन
ईडीआर	एंडपॉइंट डिटेक्शन और रेस्पॉन्स
ईई	ऊर्जा दक्षता
ईएफक्यूएम	गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यूरोपीय फाउंडेशन
ईएचवी	अतिरिक्त हाई वोल्टेज
ईएमआरपी	इलेक्ट्रिक मशीन रिपेयर प्लांट
ईएमएस	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
ईएमयू	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एनकोन	उर्जा संरक्षण
ईपीसी	इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण
ईपीआर	विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी
ईएसडी	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन
ईएसजी	पर्यावरण, समाज और अभिशासन
ईटीपी	एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
एफएएमई	इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना
एफडीआरई	फर्म एवं प्रेषणीय अक्षय ऊर्जा
एफएसआईपी	फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग और इंसुलेटर प्लांट
एचएएल	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
हीप	हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्यूपमेंट प्लांट
एचईआरपी	हेवी इक्यूपमेंट रिपेयर प्लांट
एचईपी	हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट
एचपीबीपी	हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट
एचपीईपी	हेवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट
एचआईएल	हार्डवेयर इन लूप
एचआईआरए	खतरे की पहचान और जोखिम का मूल्यांकन
एचपीवीपी	हेवी प्लेटस एवं वेसल्स प्लांट
एचआरडीसी	मानव संसाधन विकास केंद्र
एचएसई	स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेन्ट
एचवीओएफ	उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन
एचवीएफ	हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री
आईबीसी	दिवाला और दिवालियापन संहिता
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईडीपी	व्यक्तिगत विकास योजनाएँ
आईएफसी	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण
आईआई सीए	भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान
आईसीए आई	भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईईएम	स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स
आईईआर	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संसाधन

शब्दावली एवं संक्षिप्ताक्षर

आईजीबीटी	इंसुलटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीएस	घुसपैठ रोकथाम प्रणाली
आईआर	भारतीय रेल
आईएसआईएन	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या
आईवीपी	इन्डस्ट्रीयल वाल्व प्लांट
जेएसए	जॉब सुरक्षा विश्लेषण
केपीसीएल	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एलसीए	हल्के लड़ाकू विमान
एलआईएस	लिफ्ट सिंचाई योजना
एलओडीआर	सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं
एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमएसईटीसीएल	महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसआर	मॉइश्चर सेपरेटर और रिहीटर
एनबीपीपी एल	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
एनसीआईआई पी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनईएमएमपी	राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना
एनएचएसआरसीएल	नेशनल हाई-स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसपी	राष्ट्रीय इस्पात नीति
एनआरसी	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
एनआरपी	राष्ट्रीय रेल योजना
ओए	परिचालन उपलब्धता
ओसीटी	ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओएचएसएमएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
ओएलटीसी	ऑन-लोड टैप चेंजर
पीएएलएम	प्लांट ऑटोमेशन और लाइव मॉनिटरिंग
पीएटी	निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार
पीसीआरआई	प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान
पीएफबीजी	प्रेसराइज्ड फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पी पी ई	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर
पी पीपी आई एल	पवार प्लांट परफॉर्मेन्स इमप्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड
पी पीपी यू	पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट
पीआरएडीए एन	विकास कार्य हेतु व्यावसायिक सहायता
क्यू एच आई	क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स

आर &डी	अनुसंधान एवं विकास
आर &एम	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरसीए	रूट कॉज विश्लेषण
आरईसीपीडीसीएल	आरईसी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आरएमडीएस	दूरस्थ निगरानी और निदान सेवाएँ
आरपीटी	संबंधित पार्टी लेनदेन
आरटीसी	राउन्ड द क्लाक
आरपीसीएल	रायचूर पावर कंपनी लिमिटेड
आरवीडीएस	रिमोट कंपन एवं निदान प्रणाली
एसबीडी	सौर व्यवसाय प्रभाग
एससीओपीई	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन
एसआईएल	लूप में सॉफ्टवेयर
एसजी	स्टीम जेनरेटर
एसओएआर	सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन स्वचालन और प्रतिक्रिया
एसओसी	सुरक्षा संचालन केंद्र
एसपीएम	निलंबित कणिका पदार्थ
एसआरजीएम	सुपर रैपिड गन माउंट
एसआरपी	सकर रॉड पंप
एसआरयू	सल्फर रिकवरी यूनिट
एसएसटीपी	सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट
एसटीजी	स्टीम टरबाइन जेनरेटर
एसटीपी	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट
टीएएलए	तकनीकी सहायता और लाइसेंस समझौता
टीसीए	प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते
टीसीएएस	ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली
टीजी	टरबाइन जेनरेटर
टीआईआई	ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया
टीओएलआईसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ
टीपी	ट्रांसफार्मर प्लांट
टीआरईडीएस	व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली
टीएसडीएफ	उपचार भंडारण और निपटान सुविधा
यूबी	यूटिलिटी बॉयलर
यूईबीए	उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण
यूएचवी	अल्ट्रा हाई वोल्टेज
वीएडब्लू	सतर्कता जागरूकता सप्ताह
वीपीएन	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
डब्लूएएफ	वेब एप्लीकेशन फ़ायरवॉल
डब्लूसीसी	वाटर कूल्ड कंडेनसर
डब्लूईएफ	विश्व आर्थिक मंच
डब्लूआरआई	वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान

शब्दावली (वित्तीय शब्द)

लेखांकन नीतियां: लेखांकन नीतियां कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने व प्रस्तुत करने हेतु अपनाई गई लेखांकन नीतियां और विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोग की प्रणाली है।

अक्रूअल: वित्तीय विवरण मरसेंटाइल प्रणाली पर तैयार किया गया है। लेन-देन और अन्य गतिविधियों के प्रभावों को उनके होने पर मान्यता दी जाती है व उन्हें लेखांकन अभिलेखों में दर्ज किया जाता है तथा संबंधित अवधि के वित्तीय विवरण में इनका उल्लेख किया जाता है।

परिशोधन: यह अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि का सुव्यवस्थित रुप से आवंटन है।

तुलन पत्र: तुलन पत्र किसी इकाई की वित्तीय स्थिति का विवरण है जो किसी समय विशेष पर परिसंपत्तियों, दायित्वों एवं स्वामी की इक्विटी को दर्शाता है।

बोनस शेयर: बोनस शेयर शेयरधारक के स्वामित्व वाले शेयरों के आधार पर, फ्री आरक्षित शेयरों में वर्तमान शेयरधारक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदत्त अतिरिक्त शेयर हैं।

बही मूल्य: वह राशि जो लेखा बही अथवा वित्तीय विवरण में किसी मद के लिए दर्शायी गई है।

शेयरों की पुन: खरीद: पुन:खरीद शेयरों को पुनर्क्रय के रूप में भी जाना जाता है जब कोई कंपनी खुले बाजार मे अपने शेयरों की उपलब्धता कम करने हेतु उसके स्वयं के बकाया शेयर क्रय करती है।

नियोजित पूंजी: इसकी गणना इकाई की निवल संपत्ति से पूंजी डब्ल्यूआईपी, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और आस्थगित कर संपत्ति को घटाकर की जाती है।

आरक्षित पूंजी: किसी इकाई की आरक्षित पूंजी वह है जो लाभांश के रूप में वितरित किए जाने हेतु उपलब्ध हो।

कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व: कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की वापसी पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को मान्यता दी है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व राशि वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर है।

नकदी व नकदी समतुल्य: नकद में उपलब्ध नकद एवं डिमांड डिपॉजिट सम्मिलित हैं। नकद समकक्ष अल्पकालिक, अत्यधिक लिक्विड निवेश हैं जो सरलता से ज्ञात नकद राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य परिवर्तन का जोखिम बहुत काम है।

संविदा परिसंपत्तियां: संविदा परिसंपत्तियां (आस्थगित ऋण व अनबिल्ड राजस्व) वे राशियां हैं जो ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों/तय समय के अनुसार अभी भुगतान हेतु देय नहीं है। यह संविदा के अनुसार संबंधित गतिविधियों/तय चरणों के पूरा होने पर देय होगा।

संविदागत देयता: इकाई का दायित्व है कि वह उन वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को अंतरित करे, जिसके लिए कि ग्राहक से इकाई को प्रतिफल (या राशि बकाया है) प्राप्त हो चुका है।

आकस्मिक देयता:

(क) पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न संभावित देयता, जिसकी पुष्टि तभी की जा सकती है, जब भविष्य में एक या अधिक ऐसी अनिश्चित गतिविधियां हों या न हों, जो कि इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं; अथवा

(ख) पूर्व गतिविधियों से उत्पन्न वर्तमान देयता जिसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि:

- (i) यह संभव नहीं है कि देनदारियों को चुकाने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले स्रोतों का आउट्फ्लो अपेक्षित होगा; अथवा
- (ii) देयताओं की राशि पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ आकलित कर पाना संभव नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस): समेकित वित्तीय विवरण किसी समूह के वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें किसी मूल कंपनी व उसकी सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां, देयताएं, ईक्विटी, आय, व्यय एवं नकद प्रवाह को एक ही आर्थिक इकाई के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम: यह जोखिम किसी वित्तीय लिखत के एक पक्ष द्वारा किसी दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर दूसरे पक्ष के लिए वित्तीय हानि का कारण बनता है।

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात लिक्विडिटी अनुपात है जो एक वर्ष के भीतर अल्पकालिक देयता या बकाया का भुगतान करने की क्षमता का आकलन करता है। इसकी गणना वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्तमान देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।

वर्तमान परिसंपत्ति: किसी परिसंपत्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

क) परिसंपत्ति का सामान्य परिचालन चक्र में रियलाइज होना, बिकना या उपभोग होना अपेक्षित हो;

ख) प्राथमिक तौर पर इसे व्यापारिक उपयोग हेतु रखा गया हो;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर इस परिसंपत्ति का रियलाइज होना अपेक्षित हो; अथवा

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय या देनदारी को चुकता करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

वर्तमान देयता: किसी देयता को निम्नलिखित परिस्थितियों में वर्तमान देयता के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा :

क) देनदारी को सामान्य परिचालन चक्र में चुकता किया जाना अपेक्षित हो ;

ख) इसे मुख्य रुप से व्यापार के लिए रखा गया हो ;

ग) देनदारी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर चुकता किया जाना हो ; या

घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इस देयता के भुगतान को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो ।

वर्तमान कर व्यय: वर्तमान कर किसी अवधि के लिए कर योग्य लाभ (हानि) के संदर्भ में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है।

आस्थगित ऋण :आस्थगित ऋण वे ऋण हैं जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित माइलस्टोन्स जैसे ट्रायल ऑपरेशन, पीजी टेस्ट इत्यादि को पूरा करने पर देय होंगे।

आस्थगित कर: आस्थगित कर की गणना उन दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की गई है जो मूल रूप से या बाद में बैलेंस शीट की तारीख तक लागू किए गए हैं।

आस्थगित कर संपत्ति: आस्थगित कर संपत्ति कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाने और अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाने के संबंध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की राशि है।

आस्थगित कर देयता:आस्थगित कर देयता कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य में वसूली योग्य आयकर की राशि, अग्रेनीत अप्रयुक्त कर हानियाँ और अग्रेनीत अप्रयुक्त कर क्रेडिट हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं: परिभाषित लाभ योजनाएँ परिभाषित अंशदान योजनाओं से भिन्न रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं है। परिभाषित अंशदान योजनाएँ ऐसी रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत कोई संस्था अलग संस्था (फंड) में निश्चित अंशदान करती है और यदि इस संस्था की निधि में वर्तमान में तथा पूर्व की अवधि में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभ देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो वह भविष्य में भी यह अंशदान बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

प्रति शेयर लाभांश: इसकी गणना वर्ष के लिए कुल लाभांश (लाभांश वितरण कर को हटाकर) को कुल बकाया इक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

मूल्यह्रास: मूल्यह्रास किसी परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि का व्यवस्थित आबंटन हैं।

लाभांश वितरण कर: यह कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त आयकर है।

ईबीआईडीटीए: इसका अर्थ है ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन के पूर्व अर्जित आय। परिचालन ईबीआईडीटीए का निर्धारण अन्य आय को ईबीआईडीटीए से घटा कर किया जाता है।

प्रति शेयर आय (ईपीएस): यह प्रत्येक शेयर के लिए वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को दर्शाता है, जिसकी गणना कर पश्चात लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है।

इक्विटी प्रणाली: उद्यम में कंपनी के निवेश के आकार के अनुपात में संयुक्त उद्यम से उत्पन्न शुद्ध आय निर्धारित करने के लिए लेखांकन की इक्विटी प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

इक्विटी प्रणाली लेखांकन की एक विधि है जिसके तहत निवेश को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद निवेशित शुद्ध परिसंपत्ति में निवेशक के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के बदलाव के लिए समायोजित किया जाता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि: अनुबंध के अनुसार किसी इकाई द्वारा देय सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह और इकाई को प्राप्त होने वाले सभी नकदी प्रवाह के बीच का अंतर, जो मूल रूप से लागू ब्याज दर से छूट प्राप्त है।

उचित मूल्य: उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या मेजरमेंट तिथि को देयता को बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन के माध्यम से अंतरित करने के लिए प्रदान की जाएगी।

वित्तीय परिसंपत्ति: कोई भी संपत्ति जो (ए) नकद है, (बी) किसी अन्य इकाई का इक्विटी लिखत है, (सी) किसी अन्य इकाई से नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय संपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान करने का संविदात्मक अधिकार है (डी)) ऐसा अनुबंध जो इकाई के स्वयं के इक्विटी लिखतों में किया जाएगा या किया जा सकता है।

वित्तीय देनदारी: कोई भी देनदारी जो (ए) किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व है या (बी) एक अनुबंध जो इकाई के स्वयं के इक्विटी लिखतों में तय किया जाएगा या किया जा सकता है।

वित्तीय साधन: कोई भी अनुबंध जो किसी इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय गतिविधियाँ: ऐसी गतिविधियाँ जिनके परिणामस्वरुप इकाई की योगदान की गई इक्विटी और उधार के आकार और संरचना में परिवर्तन होता है।

सामान्य रिज़र्व: सामान्य रिज़र्व किसी कंपनी की रखी हुई कमाई होती है जिसे भविष्य (ज्ञात या अज्ञात) के दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से अलग रखा जाता है।

कार्यशील संस्था: इसका अर्थ उस इकाई से है जिसका निकट भविष्य में परिचालन बंद करने का कोई प्रयोजन न हो।

होल्डिंग कंपनी: एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में "होल्डिंग कंपनी" का मतलब ऐसी कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं।

इंपेयरमेंट लॉस: इंपेयरमेंट लॉस किसी परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजित करने वाली इकाई की कैरीईन्ग अमाउंट की वह राशि है, जो उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। किसी परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजित करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि इसे चुकता करने की लागत और इसके उपयोग किए जा रहे मूल्य को कम करके प्राप्त उचित मूल्य से अधिक है।

भारतीय लेखांकन मानक (संक्षेप में इंड ए एस): इंड ए एस कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लागू लेखांकन मानक हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति: अमूर्त परिसंपत्ति मुद्रा रहित अभिज्ञेय परिसंपत्ति है, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है।

दिनों की संख्या में इंवेंट्री: यह राजस्व को वर्ष में दिनों की संख्या से गुणा करके इंवेंट्री से विभाजित कर ज्ञात किया जाता है।

निवेश गतिविधियाँ: निवेश गतिविधियाँ दीर्घकालिक परिसंपत्तियों तथा निवेशों का अधिग्रहण और निपटान है।

संयुक्त उद्यम: संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले संगठनों के पास व्यवस्था की निवल संपत्ति के अधिकार हैं।

लिक्विडिटी जोखिम: वह जोखिम है जो कोई इकाई वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों के निवर्हन में अनुभव कर सकती है।

बाजार जोखिम: बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य और भावी नकद प्रवाह में होने वाले उतार-चढाव का जोखिम। बाजार जोखिम तीन प्रकार के होते है: मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, और अन्य कीमत जोखिम

शुद्ध लाभ/(हानि) मार्जिन (%): यह परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रुप में उत्पन्न लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना कर पश्चात लाभ (पीएटी) को राजस्व परिचालन से विभाजित करके की जाती है।

निवल वसूली योग्य मूल्य: निवल वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय की सामान्य स्थिति में अनुमानित विक्रय मूल्य में से काम पूरा होने की अनुमानित लागत व बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाकर ज्ञात किया जाता है।

निवल मूल्य: किसी इकाई की निवल परिसंपत्तियों के बही मूल्य का इसकी देयताओं से अधिकता निवल मूल्य है। इसे शेयरधारक निधि भी कहा जाता है।

प्रति शेयर निवल मूल्य: प्रति शेयर निवल मूल्य की गणना निवल मूल्य को शेष ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर किया जाता है।

अनियंत्रित हित (NCI): किसी मूल कंपनी का किसी सहायक कंपनी में इक्विटी स्वामित्व का वह हिस्सा है जो उस मूल कंपनी पर एट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसका नियंत्रण हित (50% से अधिक लेकिन 100% से कम) है और वह सहायक कंपनी के वित्तीय परिणामों को स्वयं समेकित करता है।

गैर चालू परिसंपत्तियां: गैर चालू परिसंपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो बैलेंस शीट की तिथि के एक वर्ष के भीतर अप्रतिबंधित नकदी में परिवर्तित नहीं होने वाली है।

गैर चालू देयताएं: गैर चालू देयताएं वे देयताऐं हैं जो एक वर्ष के भीतर देय नहीं है।

अन्य व्यापक आय: (ओसीआई): अन्य व्यापक आय में वे आय और व्यय (पुर्नवर्गीकृत समायोजन को मिलाकर) सम्मिलित हैं जो अन्य इंड एएस के द्वारा लाभ या हानि के रुप में मान्य न करने हेतु आवश्यक हैं अथवा अनुमत की गई हैं।

परिचालन गतिविधियां: परिचालन गतिविधियां किसी इकाई की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां एवं अन्य गतिविधियां हैं जो निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियां नहीं हैं।

परिचालन लाभ मार्जिन (%): लाभप्रदता प्रदर्शन अनुपात का उपयोग कंपनी द्वारा अपने परिचालन से उत्पन्न लाभ के प्रतिशत की गणना करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना परिचालन से प्राप्त राजस्व में अन्य आय को छोड़कर कर पूर्व आय (पीबीटी) को विभाजित करके की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई): संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) वे मूर्त मदें हैं जो:

वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए, दूसरों को किराये पर देने के लिए, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखे गए हैं; और (बी) एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

परिचालनों से राजस्व: किसी इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली अवधि के दौरान आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह, जब उन प्रवाह के परिणामस्वरुप इक्विटी में वृद्धि होती है, इक्विटी प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा।

नेटवर्थ पर रिटर्न (%): नेटवर्थ पर रिटर्न किसी कंपनी की लाभप्रदता का माप है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ को औसत नेटवर्थ (ओसीआई और पूंजी भंडार को छोड़कर) से विभाजित करके की जाती है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति: वह परिसंपत्ति जो पट्टा अवधि के लिए निर्धारित किसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु, किसी पट्टेदार के अधिकार को दर्शाती है।

व्यापार प्राप्य: प्राप्य राशि किसी इकाई का प्रतिफल हेतु बिना शर्त का अधिकार है। यदि देय प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल समय की आवश्यकता है, तो प्रतिफल का अधिकार बिना शर्त के है ।

सजगता कथन (कॉशनरी स्टेटमैंट)

वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षा या अनुमानों का वर्णन करने वाले विवरण, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ की सीमा में हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक विकास, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर व्यक्त किए गए या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(सीआईएन:L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल , हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली -110049
फोन :011-66337598
वेबसाइट : www.bhel.com, ई -मेल : shareholderquery@bhel.in

सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 60वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, 22 अगस्त, 2024 को भारतीय समयानुसार प्रात: 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यमों (वीसी) से निम्नलिखित विषयों हेतु आयोजित की जाएगी: -

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षा किए हुए एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, विचार करना एवं स्वीकृत करना।

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करना।

3. सुश्री आरती भटनागर (DIN: 10065528) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण स्वयं की पुन: नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहीं हैं ।

4. श्री कृष्ण कुमार ठाकुर (डीआईएन: 10172666) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं की पुन: नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहे हैं ।

5. वर्ष 2024 -25 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

6. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

   “संकल्प किया जाता है कि कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू)के साथ पठित धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (रु. 15.76 लाख), जैसा कि इस बैठक की सूचना के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है, एतद द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

   “यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे सभी कार्यों को करने एवं ऐसे सभी उपाय अपनाने हेतु प्राधिकृत होगा और एतद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जो इस संकल्प को लागू करने हेतु आवश्यक, उचित या प्रभावी हो सकते हैं।”

7. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

   “संकल्प किया जाता है कि श्री तजिंदर गुप्ता (DIN: 10327530), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार 20.09.2023 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं निदेशक से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरुप कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और ये रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

8. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

   “यह संकल्प किया जाता है कि सुश्री बानी वर्मा (DIN: 10337787), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार 09.10.2023 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं निदेशक से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरुप कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और ये रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होंगी ।"

9. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“यह संकल्प किया जाता है कि श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति (DIN: 09184201), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार 01.11.2023 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं निदेशक से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरुप कंपनी के निदेशक के रुप में नियुक्त किया जाता है और ये रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होंगे ।"

10. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“यह संकल्प किया जाता है कि श्री राजेश कुमार द्विवेदी (डीआईएन: 10048893), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार 19.06.2024 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसार स्वयं निदेशक से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, को लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरुप कंपनी के निदेशक के रुप में नियुक्त किया जाता है और ये रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होंगे ।"

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबडा)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई, 2024

टिप्पणियां:-

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 और 05.05.2020 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 25.09.2023 के परिपत्र (सामूहिक रुप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) में सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विजुअल (वीसी) से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों,कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निदेशक मंडल (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए मानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुपालन में, सेबी परिपत्र दिनांक 11.07.2023 के साथ पठित, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन्हीं सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिट्रिज के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी (www.bhel.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों और ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस की हार्ड कॉपी उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया है।

3. कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक रुप से सभी संचार (नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग निर्देश के साथ यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिस के साथ संलग्न निर्देशों को देखें।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने का पात्र सदस्य, अपनी ओर से उपस्थित होने और उसके स्थान पर मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का का पात्र होता है। इस प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम सभा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा के लिए सदस्यों को प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति सूची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

5. चूंकि यह वार्षिक आम सभा वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए बैठक स्थल का मानचित्र इसके साथ संलग्न नहीं है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी के माध्यम से सदस्यों की प्रतिभागिता वार्षिक आम सभा की गणपूर्ति (कोरम) के प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी।

7. कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) को अधिकृत प्रतिनिधियों के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षरों सहित निदेशक मंडल के रिज़ॉल्यूशन/अथॉरिटी लेटर आदि की स्कैन की हुई प्रमाणित मूल प्रति (पीडीएफ फाइल) स्क्रूटनाइज़र को ashugupta.cs@gmail.com पर भेजना और evoting@nsdl.co.in को कॉपी करना आवश्यक है।

8. संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के कंपनी के सदस्यों को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9. उपरोक्त वर्णित विशेष कार्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुपालन में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण भी इसके साथ संलग्न है।

10. सुश्री आरती भटनागर और श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तावित करेंगे। तथापि, उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, सुश्री आरती भटनागर का अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक के रूप में कार्यकाल भारत सरकार द्वारा उनके नामांकन को वापस लेने तक है, जबकि श्री कृष्ण कुमार ठाकुर का कार्यकाल 3 जुलाई, 2028 (उनकी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष) को समाप्त होगा। पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित प्रत्येक निदेशक का संक्षिप्त विवरण नोटिस के अनुलग्नक में दिया गया है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसार, 7 वर्षों की अवधि तक अप्रदत्त / दावा न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम लाभांश, जिनके लिए दावा नहीं किया गया है, को क्रमशः 22 अक्टूबर, 2024 और 9 मार्च, 2025 को उक्त खाते में अंतरित करने का प्रस्ताव है।

    जिन सदस्यों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष या उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अब तक अपने लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, वे निर्धारित 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

12. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 12.5% (प्रत्येक 2 रुपये के प्रति शेयर 0.25 रुपये) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर देय होगा । यानी 20 सितंबर, 2024 को या उससे

पहले उन सदस्यों को देय होगा, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभग्राही स्वामियों की सूची में शामिल हैं।

लाभांश आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य है और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) में निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश के स्रोत से कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होती है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15 जी / 15 एच जमा करें और आयकर अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी के बारे में विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ व भौतिक रुपमें रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी/ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ अपडेट करें, ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश भुगतान के संबंध में लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर, यदि कोई हो, काटा जा सके।

13. सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, सभी सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा जैसे कि ईसीएस / एनईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट आदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेंगी। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस / इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) अधिकार पत्र हेतु विधिवत भरा हुआ व हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) जमा करें ताकि कंपनी द्वारा ईसीएस के माध्यम से धनराशि खातों में जमा की जा सके।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पता और एनईसीएस/ईसीएस विवरण सहित अन्य संबंधित पत्राचार में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करें और स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करें:-

    i. अपने डिमेट शेयर खातों के संबंध में अपने डिपोसिट्री भागीदार (डीपी) को, और

    ii. कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (4E/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055) को उनके भौतिक शेयरों के संबंध में, **www.bhel.com/shareholders-information** पर उपलब्ध प्रारुप में भरकर भेजें ।

15. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 72 के अनुरुप ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत करते हुए नामांकन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं जिन्हें, उनकी मृत्यु की दशा में, कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 142 (1) के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। शेयरधारक मण्डल को 2023-24 के लेखापरीक्षकों का उपर्युक्त पारिश्रमिक जो मण्डल द्वारा उचित समझा जाए, नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते हैं।

17. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं इनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर , जिसमें निदेशकों की रुचि है, बनाए रखा जाता है और संबन्धित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाता है। यह एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रुप से उपलब्ध होगा।

18. नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस नोटिस के जारी होने की दिनांक से वार्षिक आम सभा की दिनांक तक सदस्यों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रुप में उपलब्ध होंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य shareholderquery@bhel.in पर ईमेल भेज सकते हैं

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रस्तावों को एनएसडीएल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में पारित करने का प्रस्ताव है। जिन सदस्यों के नाम गुरुवार, 15 अगस्त, 2024 (कट-ऑफ तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, वे ई-वोटिंग/एजीएम के लिए मतदान करने के पात्र होंगे और जो व्यक्ति सदस्य नहीं हैं, उनके लिए कट-ऑफ तिथि के अनुसार इस नोटिस को केवल सूचना के लिए माना जाना चाहिए। ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 19 अगस्त 2024 को सुबह 9.00 बजे से शुरु होगी और बुधवार, 21 अगस्त 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी । ई-वोटिंग मॉड्यूल 21 अगस्त 2024 को शाम 5.00 बजे ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट

डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानि 15 अगस्त, 2024 को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

20. ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना मत ई-रिमोट से एजीएम के पहले किया हो और वे बैठक में उपस्थित रहे हैं तो उनको पुन: मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

21. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान (तात्कालिक मतदान) करने की सुविधा वार्षिक आम सभा में भी उपलब्ध कराई जाएगी एवं वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे तात्कालिक मतदान के माध्यम से बैठक में मतदान कर सकेंगे।

22. कंपनी ने मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की कंपनी सचिव (एफसीएस नंबर 4123, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 6646) सुश्री आशु गुप्ता को एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। संवीक्षक, एजीएम में मतदान के समापन के तुरंत बाद, बैठक में डाले गए मतों और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों की जांच करेगा, पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, की समेकित जांचकर्ता रिपोर्ट तैयार करके अध्यक्ष के पास जमा करेगा।

    संवीक्षक की रिपोर्ट और परिणाम बैठक के समापन के दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और ये अध्यक्ष/उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध कराए जाएंगे। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भी अग्रेषित किए जाएंगे।

23. वीसी के माध्यम से वार्षिक आम सभा में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में (तात्कालिक) मतदान की प्रक्रिया के साथ इससे संबन्धित शिकायतों की सुनवाई के लिए संपर्क विवरण सूचना के साथ संलग्न निर्देशों में उपलब्ध कराए गए हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण में संलग्न सूचना के मद संख्या 6 से 10 में उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।

मद सं. 6

कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, लागत लेखापरीक्षकों को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित एवं उसके बाद शेयरधारकों द्वारा पुष्टि किया गया पारिश्रमिक दिया जाना अपेक्षित है।
लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक मंडल ने 19 जुलाई,2024 को आयोजित बैठक में ₹ 15.76 लाख के कुल पारिश्रमिक पर नियुक्ति के लिए सात लागत लेखाकारों/फर्मों के नाम अनुमोदित किए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

₹/लाख

क्र . सं	लागत लेखा परीक्षक का नाम	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारिश्रमिक
1	मैसर्स विजेंदर शर्मा एण्ड कंपनी, दिल्ली	समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट	1.01
		हीप हरिद्वार	2.00
		सीएफ़एफ़पी हरिद्वार	0.40
2	मैसर्स आर. एम. बंसल एण्ड कंपनी, कानपुर	एचईपी भोपाल	2.00
		टी पी झांसी	0.81
		एचईआरपी वाराणसी	0.40
3	मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एण्ड कंपनी, हैदराबाद	एचपीईपी हैदराबाद	2.00
4	मैसर्स सुब्रमण्यम राजगोपाल एण्ड एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली	एचपीबीपी त्रिची	2.67
		बीएपी रानीपेट	1.33
5	मैसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, बेंगलुरु	एसबीडी बेंगलुरु	0.53
		ईडीएन बेंगलुरु	0.67
6	मैसर्स पालीवाल एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ	सीएफ़पी रुद्रपुर	0.40
		एफ़एसआईपी जगदीशपुर	0.61
		आईवीपी गोइंदवाल	0.40
7	मैसर्स एसएसपीजीआर एण्ड एसोसिएट्स, एलएलपी, विशाखापत्तनम	एचपीवीपी विशाखापत्तनम	0.53
	कुल		**15.76**

उपरोक्त शुल्क लागू करों और अन्य व्यय से अलग है जो अतिरिक्त देय हैं।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदार किसी प्रकार से मद क्रमांक 6 में पारित संकल्प से वित्तीय रुप से या अन्यथा सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद सं. 7

श्री तजिंदर गुप्ता (DIN:10327530), आयु 57 वर्ष, को बीएचईएल के निदेशक मण्डल में दिनांक 20.09.2023 से निदेशक (पावर) नियुक्त किया गया है।

श्री गुप्ता बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (बीआईटीएस), पिलानी के 1989 बैच के इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। श्री गुप्ता ने 1989 में ग्रेजुएट इंजीनियर प्रशिक्षु अधिकारी के रुप में एनटीपीसी में कार्य ग्रहण किया था।वे बीएचईएल में निदेशक (पावर) का पदभार ग्रहण करने से पहले एनटीपीसी लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

श्री गुप्ता को विद्युत परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक का तथा भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना प्रबंधन में 35 वर्षों का विविध और व्यापक अनुभव है। एनटीपीसी में सेवा के दौरान, उन्होंने एनटीपीसी के विद्युत स्टेशनों के विशाल बेड़े के परिचालन एवं रखरखाव के अलावा, बड़े आकार की ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड विद्युत परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निदेशक सचिवालय के एनटीपीसी कॉर्पोरेट सेंटर में सेवा के दौरान, उन्होंने एनटीपीसी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण कई बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के समयबद्ध इरेक्शन और कमीशनिंग के लिए टीम का नेतृत्व किया है।

वे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मानदंड वाले खरगोन (2x660 मेगावाट) प्रोजेक्ट के निर्माण दल के प्रमुख थे। बिजनेस यूनिट प्रमुख के रुप में अपनी नियुक्ति के केवल दो वर्षो में, श्री गुप्ता झारखंड में स्थित 3x660 मेगावाट नॉर्थ करनपुरा एसटीपीपी के निर्माण गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सफल रहे। ईएसजी के विकास में उनकी केन्द्रीय भूमिका रही है जिसके कारण, विद्युत संयंत्र में पानी की खपत को 65% तक कम करने वाली नवीनतम एयर-कूल्ड कंडेनसेशन प्रौद्योगिकी से युक्त नार्थ करनपुरा एसटीपीपी की पहली इकाई कमीशन हुई।

वे गहन विश्लेषणात्मक क्षमता से युक्त तीक्ष्ण बुद्धि के उच्च कोटि के अधिकारी हैं और लोगों को साथ लेकर चलने की विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं तथा उन्हें पावर सेक्टर इकोसिस्टम का प्रचुर ज्ञान एवं अनुभव है जिससे उन्हें परियोजनाओं के तीव्र निष्पादन में सहायता मिलती है।

श्री तजिंदर गुप्ता की नियुक्ति 28.02.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 1,80,000 - 3,40,000 रुपये प्रतिमाह के वेतनमान पर है।

श्री गुप्ता के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री तजिंदर गुप्ता ने वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित निदेशक मण्डल की सभी (छः) बैठकों में भाग लिया है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के खंड 67(iv) के साथ पठित लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप, श्री तजिंदर गुप्ता आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को लिखित रुप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक पद के लिए श्री तजिंदर गुप्ता की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री तजिंदर गुप्ता को छोड़कर, जो कि नियुक्त हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रुप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से मद संख्या 7 में पारित सकंल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद सं. 8

सुश्री बानी वर्मा (DIN: 10337787), आयु 56 वर्ष, को बीएचईएल के निदेशक मंडल में निदेशक (इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एवं उत्पाद) के रुप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री वर्मा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्होंने 1990 में कंपनी के उद्योग क्षेत्र में अभियंता प्रशिक्षु के रूप में बीएचईएल में अपना कैरियर शुरु किया। संगठन में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने रणनीतिक प्रबंधन, व्यवसाय विकास, परियोजना निष्पादन, बदलाव प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में गहन और व्यापक दक्षता हासिल की है।

निदेशक (इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एवं उत्पाद) का पदभार ग्रहण करने से पूर्व, सुश्री वर्मा बीएचईएल के ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस सेगमेंट के साथ-साथ बेंगलुरु स्थित कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (ईडीएन) विनिर्माण इकाई का नेतृत्व कर रही थीं। बीएचईएल के परिवहन व्यवसाय और सिस्टम्स समूह के प्रमुख के रुप में, उन्होंने रेल परिवहन व्यवसाय में बीएचईएल के विविधीकरण पहल की जिम्मेदारी निभाई और कंपनी के लिए वंदे भारत ट्रेनों के विनिर्माण एवं रखरखाव हेतु प्रतिष्ठित ऑर्डर को हासिल करने की रणनीति बनाई। ईडीएन के प्रमुख के रुप में, उन्होंने यूनिट की सम्पूर्ण प्रचालन की जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार घाटे के बाद इकाई को 25% टॉपलाइन ग्रोथ के साथ लाभप्रदता की स्थिति में लाते हुए इसका सफलतापूर्वक टर्नअराउंड किया।

इससे पहले, उन्होंने बीएचईएल के विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके संगठन की रणनीतिक पहलों के साथ-साथ परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। सुश्री वर्मा ने कंपनी में कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, औद्योगिक उत्पादों (इलेक्ट्रिकल) का विपणन, कैप्टिव पावर प्लांट आदि विभिन्न प्रमुख दायित्वों को संभालते हुए बीएचईएल के बदलाव की पहल को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सुश्री बानी वर्मा रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी संभाल रही हैं।

सुश्री बानी वर्मा की नियुक्ति 31.12.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 1,80,000 - 3,40,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर की गई है।

सुश्री वर्मा के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है, उनका कंपनी केअन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

सुश्री बानी वर्मा ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की सभी (पांच) बैठकों में भाग लिया है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के खंड 67(iv) के साथ पठित लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप, सुश्री बानी वर्मा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बनी रहेंगी और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को लिखित रुप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक पद के लिए सुश्री बानी वर्मा की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

सुश्री बानी वर्मा को छोड़कर, जो कि नियुक्त हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रुप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से मद संख्या 8 में पारित सकंल्प से संबद्ध या हित बद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों को अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद सं. 9

श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति (DIN: 09184201), आयु 57 वर्ष, को 1 नवंबर, 2023 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रुप में नियुक्त किया गया।

श्री मूर्ति ने भोपाल विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और वित्त में एमबीए डिग्री अर्जित की है। यह पदभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री मूर्ति बीएचईएल में कार्यपालक निदेशक रुप में कॉर्पोरेट परिचालन प्रबंधन समूह का नेतृत्व कर रहे थे, और साथ ही भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, प्रयागराज (बीपीसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।

श्री मूर्ति ने वर्ष 1989 में बीएचईएल की झांसी विनिर्माण इकाई (जो कि ट्रांसफार्मर और लोकोमोटिव विनिर्माण का गढ़ है) में कार्यग्रहण किया था । उन्होंने ने बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, हैदराबाद, भोपाल, झांसी एवं वाराणसी जैसी विभिन्न विनिर्माण इकाइयों में 35 वर्षों के व्यापक एवं गहन अनुभव के दौरान रणनीति, परिचालन, परियोजना एवं वाणिज्य प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक दक्षता हासिल की है।

श्री मूर्ति के कैरियर की विशेषता है -निरंतर राजस्व एवं लाभप्रदता उपलब्ध कराना और विशिष्ट संसाधनों के इष्टतमीकरण का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड । श्री मूर्ति ने दिल्ली में कॉर्पोरेट परिचालन प्रबंधन के प्रमुख के रुप में, परियोजना केंद्रित संस्कृति को पोषित करते हुए कंपनी को दो साल के नुकसान के बाद वित्त वर्ष 22-23 और 21-22 में लाभप्रद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीएचईएल की वाराणसी विनिर्माण इकाई का नेतृत्व करते हुए, उन्होंने यूनिट पोर्टफोलियो के सभी पहलुओं का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया । कोविड के दौरान कारखाने के आंशिक बंद होने/लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, इकाई ने वित्त वर्ष 20-21 में राजस्व के 25% से अधिक कर पूर्व लाभ के साथ ऐतिहासिक रुप से निम्न इन्वेंट्री स्तर एवं नकद अधिशेष जैसे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए।

सीएमडी, बीपीसीएल के रुप में; मजबूत हितधारक संबंधों के निर्माण के उनके असाधारण कौशल ने 80 करोड़ रुपये तक संपत्ति के मॉनिटाइज़ेशन के पारस्परिक रुप से लाभकारी परिणाम दिखाये और ग्राहकों, ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के पास दीर्घकालिक लंबित भुगतान एवं संविदात्मक मुद्दों का समाधान कराया।

श्री मूर्ति का विज़न है कि बीएचईएल भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराने में महारत प्राप्त करेगा, नियत समय पर ईपीसी निष्पादन सुनिश्चित करेगा और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सिद्ध टीम लीडर के रूप में उनकी क्षमता और सामूहिक लक्ष्यों के प्रति विविध आयामों को चैनलाइज़ करने की उनकी क्षमता आने वाले वर्षों में कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

श्री मूर्ति बीपीसीएल और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, रांची में सीएमडी के पद भी संभाल रहे हैं।

श्री मूर्ति की नियुक्ति 28.02.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 2,00,000 - 3,70,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर है।

श्री मूर्ति के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री मूर्ति ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने कार्यकाल में आयोजित निदेशक मण्डल की सभी (चार) बैठकों में भाग लिया है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के खंड 67(iv) के साथ पठित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी को लिखित रुप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक पद के लिए श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति को छोड़कर, जो कि नियुक्त हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रुप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से मद संख्या 9 में पारित सकंल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

मद सं. 10

श्री राजेश कुमार द्विवेदी (डीआईएन: 10048893), आयु 56 वर्ष, को 19 जून, 2024 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

इससे पहले, श्री द्विवेदी बीएचईएल कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक एवं प्रमुख - कॉर्पोरेट वित्त रह चुके हैं। श्री द्विवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित फ़ेलो मेम्बर हैं तथा उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (एमबीए) भी है।

श्री द्विवेदी को पावर सेक्टर में व्यावसायिक रणनीतियों, विनिर्माण और परियोजना निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों का 32 वर्षों से अधिक का गहन, व्यापक और विविध अनुभव है। साथ ही, उन्हें अक्तूबर 2022 से हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची में निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के रूप में निदेशक मंडल स्तर का अनुभव भी है। उन्होंने 1992 में कार्यपालक प्रशिक्षु (वित्त) के रूप में बीएचईएल में कार्यग्रहण किया।

उन्होंने बीएचईएल की प्रमुख इकाइयों में वित्त विभाग का नेतृत्व करते हुए परिचालन क्षेत्रों में अपने नेतृत्व कौशल का परिचय दिया है। उल्लेखनीय है कि, श्री द्विवेदी ने निरंतर लक्ष्य प्राप्ति का दृष्टिकोण अपनाया है और कंपनी के कठिन समय में, इसके लाभ (टॉप लाइन) और कुल कारोबार (बॉटम लाइन) दोनों को ही बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट सेल, न्यू बिज़नेस मॉडल, इन्नोवेटिव ऑर्डरिंग स्ट्रेटजी आदि जैसी नई अवधारणाएं सृजित करने में विशेष भूमिका निभाई है, जिनके कार्यान्वियन से कंपनी को लाभ मिलना शुरु हो गया है। उन्होंने बजट और लागत नियंत्रण तथा ग्राहकों से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान जैसे उपाय अपनाकर कॉस्ट लीडरशिप पर निरंतर बल दिया है, जिससे बीएचईएल की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और कंपनी के हितधारकों में भी कंपनी के प्रति विश्वास जगा है। उनके स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ़ विश्वास और उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल एवं वित्तीय विवेक ने कंपनी के परिचालन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री द्विवेदी अपनी मूल संस्था अर्थात भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सभी स्तरों पर अपने सक्रिय सहयोग से देश में लागत प्रबंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

श्री राजेश कुमार द्विवेदी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, रांची में निदेशक (वित्त) का पद भी संभाल रहे हैं।

श्री राजेश कुमार द्विवेदी की नियुक्ति 31.01.2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 1,80,000 रुपये - 3,40,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर है।

श्री द्विवेदी के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

चूंकि श्री राजेश कुमार द्विवेदी को 19.06.2024 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी निदेशक मंडल बैठक में भाग नहीं लिया।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के खंड 67(iv) के साथ पठित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप, श्री राजेश कुमार द्विवेदी आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को लिखित रुप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक पद के लिए श्री राजेश कुमार द्विवेदी की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री राजेश कुमार द्विवेदी को छोड़कर, जो कि नियुक्त हैं, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रुप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से मद संख्या 10 में पारित सकंल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का विवरण

सुश्री आरती भटनागर

सुश्री आरती भटनागर (DIN: 10065528), आयु 58 वर्ष, को 14 फरवरी, 2023 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सुश्री भटनागर के पास अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री है और वे मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा रणनीतिक स्टडीज में एमफिल हैं। सुश्री भटनागर राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं।

वे 1990 बैच की भारतीय रक्षा लेखा सेवा की सिविल सेवक हैं। वे वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

रक्षा बलों के वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा कार्यों में लगभग 26 वर्षों के अनुभव के साथ, उनकी विशेषज्ञता रक्षा अधिग्रहण और खरीद अनुबंधों को संभालने में है। सुश्री भटनागर ने पांच वर्षों तक एसपीजी को संभालने वाले कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के रूप में काम किया है। उन्होंने एयर इंडिया, पवन हंस लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी काम किया है।

सुश्री आरती भटनागर एचएमटी लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, इन्वेस्ट इंडिया, एमएमटीसी लिमिटेड, द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक का पद संभाल रही हैं। इसके अलावा, वे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, इन्वेस्ट इंडिया और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन की ऑडिट समितियों की अध्यक्ष तथा एमएमटीसी लिमिटेड की ऑडिट समिति की सदस्य हैं।

बीएचईएल के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित होने के नाते, सुश्री आरती भटनागर को बीएचईएल से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

सुश्री आरती भटनागर के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/ प्रबंधक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

सुश्री आरती भटनागर ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित 10 (पंद्रह में से) निदेशक मंडल बैठकों में भाग लिया।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर (DIN:10172666), आयु 50 वर्ष, को 4 जुलाई, 2023 से बीएचईल के निदेशक मंडल में निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री ठाकुर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) के 1998 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर से साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) से मानव संसाधन (पीजीडीएम-एचआर) में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है।

उनके पास भारतीय रेलवे और सीपीएसयू में मानव संसाधन मामलों और तीन महत्वपूर्ण रेलवे डिवीजनों यानी सोलापुर, भोपाल और मुंबई के प्रशासन को अच्छी तरह से संभालने के साथ 25 वर्षों की शानदार सेवा का विविध और बहुमुखी अनुभव है। पश्चिम रेलवे के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने लगभग बारह हजार कर्मचारियों की भर्ती का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। राइट्स के साथ सेकेंडमेंट पर काम करते हुए, उन्होंने सऊदी अरब में ट्रेन ऑपरेशन की एक विदेशी परियोजना में काम किया था । उन्होंने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मानव संसाधन विभाग का भी नेतृत्व किया है, जहां उन्होंने मानव संसाधन नीति और प्रक्रियाओं को विकसित करने और सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बीएचईएल में निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद से, श्री ठाकुर ने मानव संसाधन कार्यों के समग्र कामकाज की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों का नेतृत्व किया है। उल्लेखनीय पहलों में मानव संसाधन और विधि विभागों

का पुनर्गठन, बीएचईएल की सभी विनिर्माण इकाइयों के लिए एक समान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, संगठन भर में शिफ्ट टाइमिंग का युक्तिकरण और अप-स्किलिंग और मल्टी-स्किलिंग की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से मल्टी-स्किलिंग प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के मंत्र के साथ, उन्होंने संगठन के विकास और कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक उपाय के रुप में मानव संसाधन डेटा विश्लेषण पर बल दिया है।

उनके नेतृत्व में, बीएचईएल ने कम उपयोग वाली संपत्तियों और सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए नीतियां और दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि इन परिसंपत्तियों से राजस्व उत्पन्न हो। उन्होंने एस्टेट प्रबंधन पोर्टल के विकास पर भी ध्यान दिया है, जो बीएचईएल की भूमि और इमारतों से संबंधित सभी रिकॉर्ड और डेटा के लिए एक केंद्रीय भंडार है, और कानूनी केस प्रबंधन प्रणाली (एलसीएमएस) का पुनरुद्धार भी किया है।

उन्होंने दिनांक 01.09.2023 से 08.10.2023 तक निदेशक (औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है।

एक कुशल मानव संसाधन पेशेवर के रुप में, उन्होंने यूनियनों/संघों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र भी रहा है। उनके सभी दायित्वों में, कार्मिक मामलों के उनके सक्रिय, प्रगतिशील और पारदर्शी संचालन ने सगंठनों को सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बंध बनाए रखने और कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद की है। एक दूरदर्शी व्यक्ति के रुप में, उन्हें समग्र संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में कॉर्पोरेट और सरकारी कामकाज के प्रमुख तत्वों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार का श्रेय दिया जाता है।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर की नियुक्ति 03.07.2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 1,80,000 - 3,40,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर की गई है।

श्री ठाकुर के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी (ग्यारह) निदेशक मंडल बैठकों में भाग लिया है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 जुलाई, 2024

वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग करने की प्रक्रिया

समय- समय पर यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 44 के प्रावधानों, तथा ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली सूचीबद्ध संस्थाओं के संबंध में सेबी परिपत्र संख्या: सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम सभा में (एजीएम) पारित किए जाने वाले संकल्पों पर उनके मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) से करने की सुविधा प्रदान कर रही है। यह सुविधा एनएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

ई-वोटिंग से संबंधित निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं । रिमोट ई-वोटिंग की अवधि इस प्रकार होगी:-

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	सोमवार, 19 अगस्त 2024 को प्रात: 9.00 बजे से
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति:	बुधवार, 21 अगस्त 2024 को शाम 5.00 बजे तक

गुरुवार, 15 अगस्त, 2024 अर्थात अंतिम तिथि तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य उपर्युक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यों के पास 19 अगस्त, 2024 से शुरु होकर 21 अगस्त, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करके रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके किसी भी प्रस्ताव पर अपना वोट डालने का विकल्प है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रस्ताव पर दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सुश्री आशु गुप्ता को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों का मतदान अधिकार अंतिम तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

संवीक्षक, बैठक में ई-वोटिंग के समापन के बाद, बैठक में डाले गए वोटों एवं दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करेगा और इन्हे समेकित कर एक संवीक्षा रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगा। ई-वोटिंग का परिणाम बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसी के साथ, समेकित संवीक्षा रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर डाल दी जाएगी। परिणाम उसी समय स्टॉक एक्सचेंजों को भेज दिए जाएंगे।

अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त होने पर,नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों को बैठक की तारीख, यानी 22 अगस्त, 2024 को पारित माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग और आभासी (वर्चुअल) बैठकों में भाग लेने की प्रक्रिया

क. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया नीचे समझाई गई है:

चरण-1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश एवं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रुप से वोट डालना

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा सम्बंधी सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार और मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के हिस्से के रूप में, डिमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया को इस प्रकार सक्षम किया गया है कि वे डिपॉज़िटरी/डिपॉज़िटरी की वेबसाइट/डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए उनके डीमैट खाते के माध्यम से वोट कर सके। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी अपडेट करें ।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	I. **एनएसडीएल आईडीएएस (IDeAS) सुविधा:** • **यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा में पंजीकृत हैं:** 1. कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन के वेब ब्राउजर में निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके खोलें: **https://eservices.nsdl.com..** 2. ई-सेवाओं का होमपेज दिखाई देने के बाद, 'आइडीएएस' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' के अंतर्गत 'बेनिफिशियल ओनर' आइकन पर क्लिक करें 3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। 4. ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। 5. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें। तब आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर री डाइरेक्ट किया जाएगा। • **यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं में पंजीकृत नहीं हैं:** 1. पंजीकरण करने का विकल्प **https://eservices.nsdl.com**पर उपलब्ध है।

	2. 'IDeAS में ऑनलाइन पंजीकरण करें' चुनें या **https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp** पर क्लिक करें। 3. सफलतापूर्वक पंजीकरण होने पर, कृपया उपर्युक्त बिंदु 1 - 5 में दिए गए निर्देशों का पालन करें। II. **एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट** 1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन के वेब ब्राउजर में निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके खोलें: **https://www.evoting.nsdl.com** 2. ई-वोटिंग सिस्टम का होमपेज दिखाई देने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। 3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आईडी (यानी एनएसडीएल के पास 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। 4. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। III. शेयरधारक / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप 'एनएसडीएल स्पीड-ई' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प बिना किसी और प्रमाणीकरण के उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए **URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/ login**या **www.cdslindia.com**है और 'New System Myeasi' पर क्लिक करें। 2. सफल लॉगिन के बाद Easi/Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जिनके लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।
	3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest में पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुँच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम से सीधे जुड़ सकेगा।
शेयरधारकों (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) का उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन	1. आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग इन कर सकते हैं। 2. लॉग इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। 3. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एनएसडीएलकी ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूज़र आईडी / पासवर्ड याद करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों की डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर 022 - 4886 7000 पर कॉल करके CDSL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर1800225533 पर कॉल करके CDSL हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

क. 2 डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के वेब ब्राउज़र पर निम्नलिखित URL टाइप करके खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/.

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज दिखाई देने के बाद,'शेयरहोल्डर/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

4. वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएलई-सेवाओं यानी IDeAS में पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए एनएसडीएलई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी एनएसडीएलई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

5. आपकी यूज़र आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण रखने का माध्यम यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक		आपकी यूज़र आईडी है :
क)	उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं	8-कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8- डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूज़र आईडी IN300***12****** होगी। IN300***12******.
ख)	उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं	16- अंकीय लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12************** होगी
ग)	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN 129424 है तो उपयोगकर्ता आईडी 129424001*** है

6. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड के उपयोग से लॉगिन करके अपना वोट डाल सकते हैं।

यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको **'प्रारंभिक पासवर्ड'** जो आपको सूचित किया गया था उसे याद/पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार जब आप अपना **'प्रारंभिक पासवर्ड'**याद/प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए संकेत देगा।

अपना **'प्रारंभिक पासवर्ड'**कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका **'प्रारंभिक पासवर्ड'**आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल को अपने मेलबॉक्स से ट्रेस करें। इस ईमेल को खोलने पर एक अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल होगी उसे खोलें। .pdf फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी **'यूज़र आईडी'**और आपका **'प्रारंभिक पासवर्ड'** दिया गया है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे **'शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश'**में बताए गए चरणों का पालन करें।

7. यदि आपको **'प्रारंभिक पासवर्ड'** प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) **'फॉरगॉट यूज़र डिटेल्स/पासवर्ड?'** पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) फिजिकल यूज़र रीसेट पासवर्ड?' पर क्लिक करें (यदि आप भौतिक रूप में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उपर्युक्त दोनों विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम और पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

8. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, **'नियम और शर्तों से सहमत'** के चेक बॉक्स पर चयन करके टिक करें।

9. अब, आपको **'लॉगिन'** बटन पर क्लिक करना होगा।

10. **'लॉगिन'** बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण-2:अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को **'EVEN'**देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में है।

2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने एवं आम बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के **'EVEN 129424'**का चयन करें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको **'ज्वाइन जनरल मीटिंग'** के तहत दिए गए 'VC/OAVM' लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. सहमति या असहमति में से उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और **'सबमिट'** पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर **'कंफर्म'** पर क्लिक करें।

5. **'कंफर्म'** होने पर, **'वोट कास्ट सक्सेस्फुली'** संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कंफर्मेशन पेज़ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. सदस्यों को वी.सी. के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा आम सभा के दिन मतदान करने सम्बंधी निर्देश::

1. सदस्यों को वीसी के माध्यम से एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य **'एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में प्रवेश'**हेतु ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्यों को कंपनी के नाम के सामने 'ज्वाइन मीटिंग' मेनू के तहत रखे गए **'वीसी/ओएवीएम लिंक'**पर क्लिक करना होगा। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा।

2. जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है यायूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखितरिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

3. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाइ -फाइ या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

5. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे एनएसडीएल से evoting@nsdl.com/ 022- 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे - एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

6. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 14 अगस्त, 2024 (सुबह 9:00 बजे भा.स.अ.) से 17 अगस्त, 2024 (शाम 5:00 बजे भा.स.अ.) तक अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर और संभावित प्रश्न (यदि कोई हो) का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल पते से shareholderquery@bhel.in पर अनुरोध भेजकर खुद को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। कंपनी एजीएम के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

7. सदस्य अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपेक्षित विचार/प्रश्नों का उल्लेख करते हुए अग्रिम रूप से shareholderquery@bhel.in पर मेल भेजकर लिखित में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका कंपनी द्वारा समुचित उत्तर दिया जाएगा।

8. बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।

9. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया भी रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के अनुसार ही है।

10. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं है, ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। परंतु वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ निदेशक मंडल संकल्प/प्राधिकार पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रमाणित मूल प्रति (पीडीएफ प्रारुप) जांचकर्ता को ashugupta.cs@gmail.com पर भेजनी होगी, जिसकी कॉपी evoting@nsdl.com पर भी भेजी जानी आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपने लॉगिन में **"ई-वोटिंग"** टैब के अंतर्गत प्रदर्शित **"अपलोड निदेशक मंडल संकल्प/प्राधिकार पत्र"** पर क्लिक करके अपना निदेशक मंडल संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।

2. सख्त सलाह है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आप www.evotingnsdl.com पर उपलब्ध **'फॉरगॉट यूज़र डिटेल्स/पासवर्ड?'** या **'फिजिकल यूज़र रीसेट पासवर्ड?'** विकल्प का चयन कर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।

3. नोटिस भेजने के बाद भौतिक रुप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है,वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, अगर वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। नोटिस भेजने के बाद डीमैट मोड में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है,वह उपर्युक्त वर्णित **'डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि'**में दिए गए चरणों का पालन कर सकता है।

4. किसी भी शंका के समाधान हेतु, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(FAQ) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे-एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

5. जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/कंपनी में पंजीकृत नहीं हैं, वे ई-वोटिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं:

i. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

ii. यदि शेयर डीमैट मोड में धारित हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

iii. यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिंदु संख्या ए.1 में बताई गई लॉगिन विधि, अर्थात डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें।

iv. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा सम्बंधी सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही अपडेट करना आवश्यक है।

6. कंपनी मे अपना ईमेल पता स्थायी रूप से पंजीकृत/अपडेट करने तथा भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी संचार (नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग निर्देश, यूज़र आईडी एवं पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

a. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य प्रथम शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ shareholderquery@bhel.in पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को rta@alankit.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं। अनुरोध पत्र में ईमेल पता, मोबाइल नंबर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति और शेयर प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न होना आवश्यक है, ताकि RTA उनका ई-मेल पता पंजीकृत कर सके।

b. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ई-मेल पते को रजिस्टर/अपडेट करें।

c. इस सम्बंध में किसी अन्य प्रश्न के उत्तर हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे rta@alankit.com पर मेल लिखें या 011-42541234 पर कॉल करें।

BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
(CIN: L74899DL1964GOI004281)
Regd. Office: BHEL House', Siri Fort, New Delhi-110049
Phone: 011-66337598
Website: www.bhel.com, Email: shareholderquery@bhel.in

प्रिय शेयरधारक,

विषय: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश का भुगतान

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियाँ लाभांश के भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके जैसे ईसीएस /एनईसीएस /डायरेक्ट क्रेडिट आदि का उपयोग करेंगी। यदि आपने एनईसीएस / ईसीएस/ बैंक खाते का विवरण हमारे रजिस्ट्रार अर्थात मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड या अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (डीमैट होल्डिंग के मामले में) को नहीं भेजा है, तो आपसे अनुरोध है कि उक्त विवरण नीचे दिए गए प्रारुप में उपलब्ध कराएं ताकि कंपनी द्वारा किसी भी समय घोषित लाभांश का तत्काल, सुरक्षित और सही भुगतान किया जा सके। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा रजिस्ट्रार/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर लाभांश राशि गलत खाते में जमा हो सकती है।

आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के इस प्रयास में कृपया हमारी सहायता करें।

भवदीय

(डॉ. योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव

ध्यान दें: यदि आपके पास डीमैट रुप में शेयर हैं, तो कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपने बैंक खाते के विवरण/एनईसीएस/ईसीएस/डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट पर ध्यान देने की सलाह दें।

एनईसीएस / ईसीएस मैंडेट / बैंक खाता विवरण के लिए प्रपत्र

मैं/हम..एतद् द्वारा बीएचईएल/ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित के लिए अधिकृत करते हैं कि

☐ मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित विवरण मुद्रित करें

☐ एनईसीएस/ईसीएस/ डायरेक्ट क्रेडिट द्वारा मेरे बैंक खाते में मेरी लाभांश राशि जमा करें
(जो लागू न हो उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो नंबर ....या डीपी आईडी नंबर .... क्लाइंट खाता नंबर ....है ।

बैंक खाते का विवरण :

A. बैंक का नाम:..

शाखा का नाम:..
(पता केवल मैंडेट के लिए)

बैंक और शाखा का 9 अंकों का कोड नंबर जैसा कि एमआईसीआर चेक पर दिखाई देता है:...

आईएफएससी कोड :..

खाते का प्रकार (बचत/चालू):..

चेक बुक पर प्रदर्शित खाता संख्या :..

शेयरधारक का एसटीडी कोड और टेलीफोन नंबर:..

यदि एनईसीएस/ईसीएस लागू नहीं किया जा सका या बैंक किसी भी कारण से एनईसीएस/ईसीएस बंद कर देता है तो मैं/हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ।

भेजें ⇨

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
यूनिट :बीएचईएल 4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान
एक्सटेंशन नई दिल्ली-110055

शेयरधारक के हस्ताक्षर

कृपया इस फॉर्म के साथ (i) 9 अंकों की कोड संख्या की सटीकता की पुष्टि करने के लिए उपर्युक्त खाते से सम्बंधित अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक की फोटोकॉपी या कैंसिल किए गए चेक और (ii) अपने पैन कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।

बैंकर्स, लेखा परीक्षक और शेयर ट्रांसफर एजेंट

बैंकर्स	लेखा परीक्षक
एक्सिस बैंक	मैसर्स एबीपी एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
बैंक ऑफ बड़ौदा	मैसर्स पीएसएमजी एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
केनरा बैंक	एस.एल. छाजेड एण्ड कंपनी, एलएलपी, भोपाल
एक्सपोर्ट –इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	मैसर्स एसआरएन एण्ड एसोसिएट्स, त्रिची
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	मैसर्स चंद्रन और रमन, बेंगलुरु
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	मैसर्स एम. आनंदम एण्ड कंपनी, हैदराबाद
आईडीबीआई बैंक	मैसर्स के गोपाल राव एण्ड कम्पनी, चेन्नई
इंडियन बैंक	
इंडियन ओवरसीज बैंक	**लागत लेखापरीक्षक**
इंडसइंड बैंक	मैसर्स विजेंदर शर्मा एण्ड कंपनी, दिल्ली
कोटक महिंद्रा बैंक	मैसर्स आर. एम. बंसल एण्ड कंपनी, कानपुर
पंजाब नेशनल बैंक	मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एण्ड कंपनी, हैदराबाद
आरबीएल बैंक लिमिटेड	मैसर्स सुब्रमण्यम राजगोपाल एण्ड एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली
भारतीय स्टेट बैंक	मैसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, बेंगलुरु
फेडरल बैंक लिमिटेड	मैसर्स पालीवाल एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मैसर्स एसएसपीजीआर एण्ड एसोसिएट्स, विशाखापत्तनम
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	
यस बैंक लिमिटेड	
	शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड अलंकित हाउस, 4ई/2,झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055 फोन: 011-42541234, फ़ैक्स: 011-23552001

पंजीकृत कार्यालय

बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049(भारत)

सीआईएन: L74899DL1964GOI004281

फोन : 011-66337000, फ़ैक्स: 011-66337428

बेबसाइट: www.bhel.com ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

नोट्स (टिप्पणी)

ईएसजी (पर्यावरण, समाज और अभिशासन) में निवेश

वित्त वर्ष 2024 में हरित बीएचईएल पहल की शुरुआत

- वर्ष 2047 तक नेट जीरो का लक्ष्य

डब्ल्यूईएफ ने बीएचईएल परिसरों में 30 लाख मौजूदा पेड़ों के संरक्षण का संकल्प लिया

3 विनिर्माण इकाइयाँ: ग्रीनको* सिल्वर रेटिंग

वित्त वर्ष-24 में लगाए गए 81,000+ पौधे सहित, पिछले 5 वर्षों में 300,000+ पौधे लगाए गए

2 विनिर्माण इकाइयाँ: ग्रीनको* ब्रॉन्ज़ रेटिंग

बीएचईएल की तीन इकाइयों में 15,500+ वर्ग मीटर के संचयी कवरेज वाले मियावकी वन

कैप्टिव सोलर पीवी प्लांट - ~ 35 मेगावाट

कैप्टिव एसपीवी से विद्युत उत्पादन - ~ 32 एमयू (पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि)

कार्बन फुटप्रिंट से बचाव ~23,000 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि)

बीएचईएल में 20 अपशिष्ट उपचार संयंत्र और 19 सीवेज उपचार संयंत्र (वित्त वर्ष-24 में 02 नए सीवेज उपचार संयंत्र बनाए गए)

बीएचईएल इकाइयों में कार्यरत 140+ वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ और जल निकाय

11 विनिर्माण इकाइयाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इकाई घोषित

15 बीएचईएल टाउनशिप को "सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त" टाउनशिप के रूप में प्रमाणित किया गया

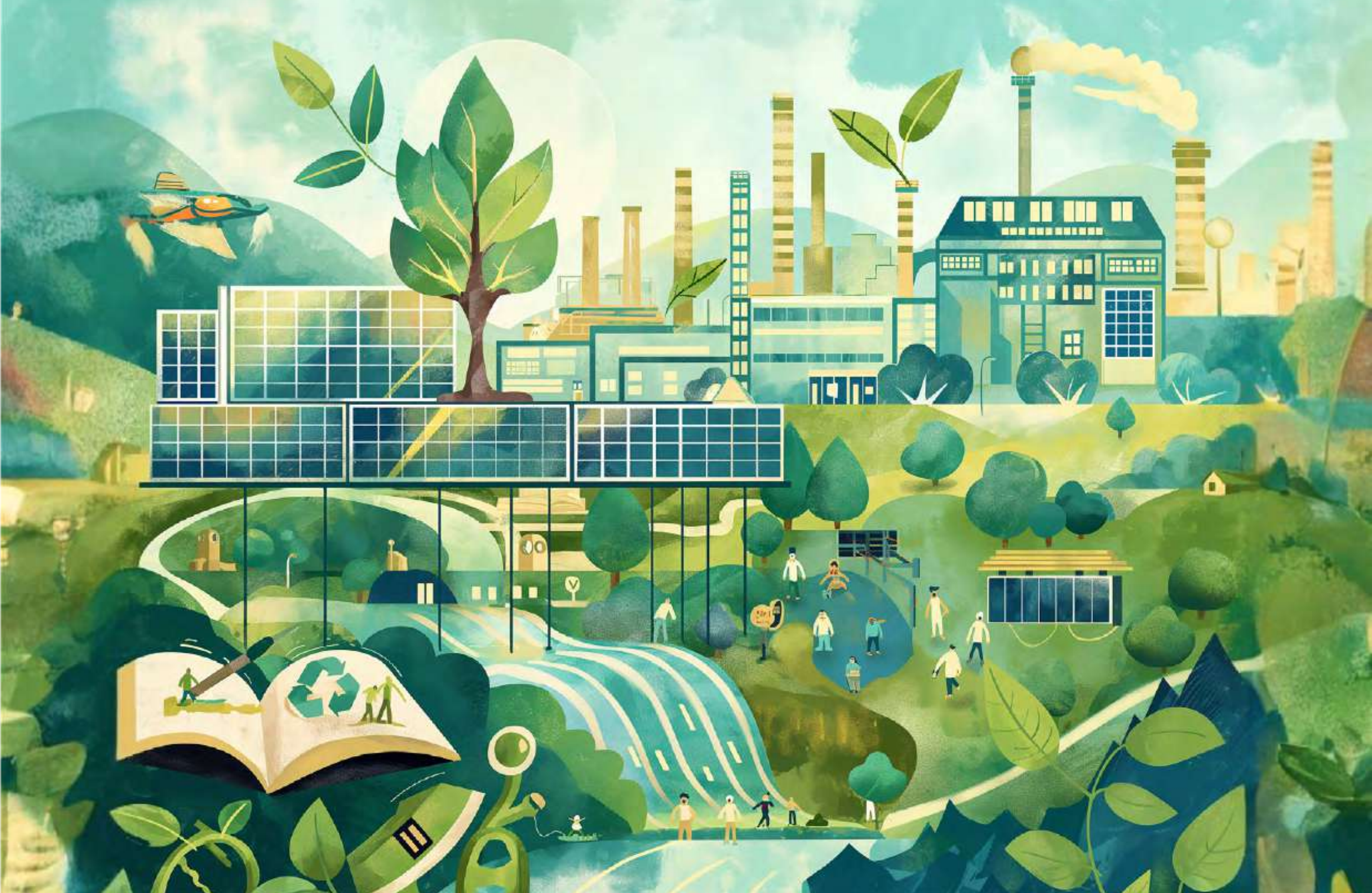

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L74899DL1964GOI004281
www.bhel.com

/BHELOfficial /BHEL_India /BHEL_India /bhel.india /company/bhel